विवरणिका
Prospectus
2026-27

शैक्षिक पाठ्यक्रम
Academic Courses
माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक
Secondary and Senior Secondary

विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्
NIOS

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
National Institute of Open Schooling
(An Autonomous Institution under Ministry of Education, Govt. of India)

NIOSHQ   @niostweet1   www.nios.ac.in

टिप्पणियाँ/NOTES

1. प्रावधानों, व्यवहारों और नियमों की व्याख्या में उत्पन्न संदेह की स्थिति में अध्यक्ष, एनआईओएस का निर्णय अंतिम होगा।

   In the event of some doubt arising in the interpretation of provisions, practices and rules, the decision of the Chairman, NIOS will be final.

2. एनआईओएस के पास इन नियमों में संशोधन, सुधार अथवा परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित है और अधिसूचना द्वारा इन्हें प्रभाव में लाया जाएगा। एक बार अधिसूचित होने पर इन्हें लागू कर दिया जाएगा।

   NIOS reserves the right to amend, modify or alter any of these rules and bring them into effect through notification. Once notified, the rules would come into force.

3. यद्यपि प्रत्येक स्तर पर सही जानकारी के मुद्रण का पूरा ध्यान रखा गया है। फिर भी विवरणिका के मुद्रण एवं प्रकाशन के दौरान अनजाने में हुई त्रुटियों के लिए एनआईओसएस उत्तरदायी नहीं होगा।

   Every care has been taken to print correct information to the minutest possible level. NIOS, however is not responsible for any inadvertent error that may have crept in during print and publications of the prospectus.

विवरणिका
Prospectus
2026-27

माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम
(शैक्षिक)
Secondary and Senior Secondary Courses
(Academic)

विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्

NIOS

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING

(स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)

(An autonomous Institution under Department of School Education & Literacy, Ministry of Education, Government of India)

ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-62, नोएडा (उ.प्र.)-201309

A-24-25, Institutional Area, Sector-62, NOIDA-201309, Uttar Pradesh

NIOSHQ @niostweet1 www.nios.ac.in

शिक्षार्थी सहायता केन्द्र टॉल फ्री नंबर : 1800 180 9393, ई-मेल : lsc@nios.ac.in

Learner Support Centre Toll Free No.: 1800 180 9393, **E-mail:** lsc@nios.ac.in

एनआईओएस : विश्व में सबसे बड़ी मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली और सीबीएसई/सीआईएससीई के समकक्ष भारत सरकार का एक परीक्षा बोर्ड

NIOS: The Largest Open Schooling System in the World and an Examination Board of the Government of India at par with CBSE/CISCE

अध्यक्ष का संदेश

Chairman's Message

प्रिय शिक्षार्थी,

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) में आपका स्वागत है! हम आपको अपने समुदाय का हिस्सा बनाकर बहुत प्रसन्न हैं। एनआईओएस विश्व की सबसे बड़ी मु क्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली है, जिसमें माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में 24 लाख से अधिक शिक्षार्थी हैं। शिक्षा को लचीला, सुलभ और समावेशी बनाना हमारा लक्ष्य है, जिससे आप अपनी गति से, कहीं से भी और किसी भी समय शिक्षा प्राप्त कर सकें।

हमारा दृष्टिकोण राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप है, हम विषयों और पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं, जिससे आप अपनी रुचि और जीविका लक्ष्यों के अनुरूप शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों विषयों का चयन कर सकते हैं। हमारा पाठ्यक्रम राष्ट्रीय और राज्य शिक्षा बोर्डों के समान है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात आत्मविश्वास के साथ आगे की शिक्षा अथवा जीविका के अवसरों को प्राप्त कर सकते हैं।

हमारी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन है, जिसके कारण हमारे शिक्षार्थी पोर्टल के माध्यम से नामांकन और अपनी शिक्षा का प्रबंधन करना आसान हो जाता है। अध्ययन सामग्री सीधे आपके पते पर भेजी जाती है और आप अतिरिक्त सहायता के लिए अध्ययन केंद्रों पर व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों (पीसीपी) में भी हिस्सा ले सकते हैं। हमने आपकी प्रगति पर नजर रखने के लिए और आपकी पढ़ाई में शीर्ष पर बने रहने में आपकी सहायता हेतु शिक्षक अंकित मूल्यांकन (टीएमए) को एकीकृत किया है।

विशेष आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के लिए, हम डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम (डेजी) सामग्री और भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) वीडियो प्रदान करते हैं। हम पीएम-ईविद्या, स्वयं, मूक्स, दीक्षा, मुक्त विद्या वाणी (वेब ऑडियो स्ट्रीमिंग) और यूट्यूब जैसे विभिन्न डिजिटल मंच पर संवादात्मक कार्यक्रम भी प्रदान करते हैं, ताकि आप कभी भी अधिगम का लाभ उठा सकें।

इसके अतिरिक्त, हमने भारतीय सांकेतिक भाषा एवं उद्यमिता (उच्चतर माध्यमिक स्तर) तथा शारीरिक शिक्षा (माध्यमिक) जैसे क्षेत्रों में विशेष पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं, जिससे शिक्षार्थियों को इन पारंपरिक और आवश्यक क्षेत्रों में कौशल तलाशने और विकसित करने का अवसर प्राप्त होता है। हम अग्निवीरों (भारतीय सशस्त्र

Dear Learner,

Welcome to the National Institute of Open Schooling (NIOS)! We're excited to have you as part of our community. NIOS is the largest open schooling system in the world, with over 24 lakh learners across Secondary, Senior Secondary, and Vocational Education courses. Our goal is to make education flexible, accessible, and inclusive, allowing you to learn at your own pace, from anywhere, and at any time.

Our approach aligns with the National Education Policy (NEP) 2020, we offer a wide range of subjects and courses, allowing you to choose both academic and vocational subjects to suit your interests and career goals. Our curriculum is at par with national and state education boards, ensuring that you can confidently pursue further education or career opportunities after completing your studies.

Our admission process is entirely online, making it easy to enroll and manage your education through our student portal. Study materials are sent directly to your address, and you can also attend Personal Contact Programmes (PCP) at study centers for extra support. We've integrated Tutor Marked Assignments (TMAs) to track your progress and help you stay on top of your studies.

For learners with special needs, we provide Digitally Accessible Information System (DAISY) materials and Indian Sign Language (ISL) videos. We also offer interactive programs on various digital platforms like PM e-Vidya, SWAYAM MOOCs, DIKSHA, Mukta Vidya Vani (web audio streaming) and YouTube, so you can access learning anytime.

Additionally, we have introduced specialised courses in fields such as Indian Sign Language & Entrepreneurship (Senior Secondary) and Physical Education (Secondary), allowing learners to explore and develop skills in these traditional and essential areas. We also support Agniveers

बलों के सदस्य) को सेवा के दौरान उनकी शिक्षा पूरी करने में भी सहायता करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका सैन्य प्रशिक्षण औपचारिक योग्यता के रूप में मान्य है।

एनआईओएस ने 'दीप' मंच का भी आरंभ किया है, जो एक ई-पुस्तकालय है जिसमें आपकी शैक्षिक यात्रा में आपकी मदद करने के लिए अध्ययन सामग्री, ई-पुस्तकें और अन्य संसाधनों का बाहुल्य है।

यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप हमारे टोल-फ्री हेल्पलाइन नं. 1800-180-9393 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं अथवा हमें lsc@nios.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं। यदि आप सीधे अध्यक्ष से संपर्क करना चाहते हैं, तो आप cp@nios.ac.in पर लिख सकते हैं।

एनआईओएस में आपका स्वागत है, जहाँ अधिगम की कोई सीमा नहीं है!

प्रो. अखिलेश मिश्र
अध्यक्ष

(members of the Indian Armed Forces) to complete their education while serving, ensuring their military training counts toward formal qualifications.

NIOS has also launched the DEEP platform, an e-Library with a wealth of study materials, eBooks, and other resources to help you in your educational journey.

If you have any questions, you can reach out to us at our toll-free helpline 1800-180-9393 or email us at lsc@nios.ac.in. If you wish to contact the Chairperson directly, you can write to cp@nios.ac.in.

Welcome to NIOS, where learning has no limits!

Prof. Akhilesh Mishra
Chairman

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को अपनी पसंद बनाने के कारण

Reasons to Choose National Institute of Open Schooling

1. सीखने की स्वतंत्रता

एनआईओएस का मुख्य लक्ष्य 'शिक्षा वंचितों तक शिक्षा पहुँचाना' है। एनआईओएस सीखने की स्वतंत्रता के सिद्धांत का पालन करता है, अर्थात् क्या सीखना है, कब सीखना है, कैसे सीखना है और कब परीक्षा में बैठना है आदि का निर्णय शिक्षार्थी द्वारा किया जाता है। समय, स्थान और सीखने की गति का कोई बंधन नहीं है।

2. सुविधा

एनआईओएस निम्नलिखित सुविधाएँ देता है :

- **विषयों का चयन :** शिक्षार्थी उत्तीर्ण होने के मानदंड को ध्यान में रखते हुए दी गई सूची के अनुसार अपनी पसंद के विषयों का चुनाव कर सकते हैं।
- **प्रवेश :** शिक्षार्थी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर विभिन्न स्ट्रीमों के अंतर्गत ऑन-लाइन प्रवेश ले सकते हैं अथवा माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन केंद्रों, सुविधा केंद्रों, क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा प्रवेश ले सकते हैं।
- **परीक्षा :** सार्वजनिक परीक्षाएँ वर्ष में दो बार आयोजित होती हैं। शिक्षार्थी को पाँच वर्षों में नौ बार सार्वजनिक परीक्षा देने के अवसर दिए जाते हैं। इस अवधि के दौरान जब भी शिक्षार्थी अच्छी तरह तैयार हो तभी परीक्षा दे सकते हैं। और क्रेडिट एकत्रित करने की सुविधा भी ले सकते हैं।
- **जब चाहो तब परीक्षा :** शिक्षार्थी के पास माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर एनआईओएस की जब चाहो तब परीक्षा (ओड्स) में बैठने का विकल्प है। वह नोएडा स्थित एनआईओएस मुख्यालय, नोएडा, तथा पूरे भारत में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में जब चाहो तब परीक्षा (ओड्स) में बैठ सकते हैं। शिक्षार्थी अपनी पहली सार्वजनिक परीक्षा के बाद जब चाहो तब परीक्षा में बैठने का/की पात्र होगा/होगी।

3. प्रासंगिकता

एनआईओएस पाठ्यक्रम और कार्यक्रम, कार्य आधारित, दिन-प्रतिदिन के जीवन में अत्यंत उपयोगी हैं और शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

1. Freedom to Learn

The main aim of NIOS is to *'reach the unreached'*. The NIOS follows the principle of freedom to learn i.e., what to learn, when to learn, how to learn and when to appear for the examination are decided by the Learner. There is no restriction of time, place and pace of learning.

2. Flexibility

The NIOS provides flexibility with respect to :

- **Choice of Subjects:** The learner has the option to choose subjects of his/her choice from the given list keeping in view the passing criteria.
- **Admission:** The learner has the option to take admission Online under various streams or through Study Centre, Facilitation Centre, Regional Centre for the Secondary and the Senior Secondary Education Courses.
- **Examination:** The Public Examinations are held twice in a year. Nine public examination chances are offered to the learner in five years. A learner can appear in examination during this period as and when he/she is well prepared and can avail the facility of credit accumulation.
- **On Demand Examination:** The learner has also the option to appear under the On-Demand Examination System (ODES) of NIOS at the Secondary and the Senior Secondary levels at the NIOS Headquarters, NOIDA, and at designated Kendriya Vidyalayas across India. A learner is eligible for On Demand Examination after the first public examination.

3. Relevance

The NIOS courses and programmes are functional, useful in daily life and also set pathways for further

एनआईओएस के सफल पूर्व शिक्षार्थी आई आई टी, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया हमदर्द, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बहुत से अन्य प्रसिद्ध और व्यावसायिक संस्थाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

4. क्रेडिट स्थानांतरण

एनआईओएस पूर्व ज्ञान को महत्त्व देता है और इसी के अंतर्गत कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य परीक्षा बोर्डों/राज्य मुक्त विद्यालयों से उत्तीर्ण किए गए अधिकतम दो विषयों के क्रेडिट स्थानांतरण की अनुमति देता है।

5. मान्यताप्राप्त गुणात्मक शिक्षा

एनआईओएस गुणात्मक शिक्षा देने के लिए सार्थक प्रयत्न कर रहा है। भारत सरकार ने एनआईओएस को माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सार्वजनिक परीक्षाएँ आयोजित करने और प्रमाणपत्र देने का अधिकार प्रदान किया है जो कि अन्य बोर्डों के प्रमाणपत्रों के समान है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी बोर्ड चाहे वे राष्ट्रीय अथवा राज्य बोर्ड हों, वे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का पालन कर रहे हैं। **एनआईओएस तीन राष्ट्रीय बोर्डों में से एक है, अन्य दो बोर्ड (i) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और (ii) भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद् (सीआईएससीई) हैं।**

studies. Successful alumni of NIOS are pursuing higher studies in institutions of international and national repute like IITs, Delhi University, Jamia Hamdard, Jamia Millia Islamia, Aligarh Muslim University, Punjab University, Allahabad University and many other reputed institutions of higher learning and in professional institutions.

4. Transfer of Credits

The NIOS acknowledges previous knowledge by allowing transfer of credits upto two subjects passed from International, National and State Boards of Examination / State Open Schools.

5. Recognised Quality Education

The NIOS takes conscious steps to provide quality education. The Govt. of India has vested in NIOS the authority to conduct Public Examinations and provide the Secondary and the Senior Secondary level certificates, which are equivalent to the certificates provided by any other Board of School Education. This is because all the Boards, whether National or State, are following the National Curriculum Framework brought out by the National Council of Educational Research and Training (NCERT). **The NIOS is one of the three National Boards; the other two Boards are (i) the Central Board of Secondary Education (CBSE) and (ii) the Council for Indian School Certificate Examination (CISCE).**

विषय-सूची

1. एनआईओएस : एक अनोखी विद्यालयी शिक्षा प्रणाली — 1-19

- 1.1 एनआईओएस की विशेषताएँ तथा सुविधाएं
- 1.2 कार्यक्रम, पाठ्यक्रम और मार्ग
- 1.3 अध्ययन योजना
- 1.4 व्यावसायिक एवं शैक्षिक विषयों का एकीकरण/संयोजन

2. प्रवेश — 20-55

- 2.1 ऑन-लाइन प्रवेश के लिए पंजीकरण
- 2.2 ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया
- 2.3 क्षेत्रीय केंद्र/एआई (अध्ययन केन्द्र)/जन सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑन-लाइन प्रवेश की प्रक्रिया
- 2.4 प्रवेश आवश्यकताएँ
- 2.5 एनआईओएस के पूर्व शिक्षार्थियों का पुन: प्रवेश
- 2.6 क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी)
- 2.7 दोहरा नामांकन और आंशिक प्रवेश
- 2.8 प्रवेश के लिए शुल्क का विवरण
- 2.9 प्रवेश की पुष्टि
- 2.10 प्रवेश के बाद ई-सेवाओं द्वारा अन्य सुविधाएँ
- 2.11 शिक्षार्थियों के एआई/अध्ययन केन्द्र के बारे में
- 2.12 केवल ई-सेवाओं के माध्यम से प्रवेश रिकॉर्डों में संशोधन के लिए प्रक्रिया

3. एनआईओएस में अध्ययन प्रक्रिया — 56-62

- 3.1 स्व-अध्ययन सामग्री
- 3.2 व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी)
- 3.3 ऑडियो और वीडियो कार्यक्रम
- 3.4 मुक्त विद्या वाणी
- 3.5 शिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य (टीएमए)
- 3.6 स्ट्रीम 2, 3 और 4 के अंतर्गत ऑन-लाइन प्रवेश के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी

4. मूल्यांकन प्रणाली — 63-81

- 4.1 सार्वजनिक परीक्षाएँ
- 4.2 जब चाहो तब परीक्षा प्रणाली (ओड्स)
- 4.3 क्रेडिट संचयन
- 4.4 अंकों की स्थिति में सुधार
- 4.5 सार्वजनिक परीक्षा के लिए अंक तालिका-सह-प्रमाणपत्र और माइग्रेशन-सह-स्थानानांतरण प्रमाणपत्र जारी करना
- 4.6 प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए मानदण्ड
- 4.7 परीक्षा योजना
- 4.8 उत्तरपुस्तिकाओं की पुन: जाँच
- 4.9 अनुचित साधन
- 4.10 शिक्षा का मानक और मान्यता
- 4.11 सार्वजनिक परीक्षा/जब चाहो तब परीक्षा के परिणामों में संशोधन के लिए प्रक्रिया
- 4.12 एनआईओएस शिक्षार्थियों के लिए छात्रवृत्ति

5. आंतरिक मूल्यांकन शिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य (टीएमए) — 82-86

6. एनआईओएस परीक्षाओं के संदर्भ में सामान्य तथा विशेष प्रावधान (अक्षमतानुसार) — 87-97

- 6.1 प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताएँ
- 6.2 सामान्य प्रावधान
- 6.3 विशेष प्रावधान

परिशिष्ट — 98-122

- *परिशिष्ट क :* एनआईओएस के क्षेत्रीय केन्द्रों की सूची
- *परिशिष्ट ख:* विभिन्न राज्यों में जन सेवा केंद्र के नामों की सूची (सीएससी)
- *परिशिष्ट ग :* मा.सं.वि.मं. जो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है द्वारा एनआईओएस के ओबीई कार्यक्रमों को मान्यता देने वाले पत्र की प्रति
- *परिशिष्ट घ :* मा.सं.वि.मं. जो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है द्वारा एनआईओएस को परीक्षा लेने और प्रमाणपत्र प्रदान करने के अधिकार प्रदान करने वाले संकल्प की प्रति
- *परिशिष्ट ड.:* एनआईओएस पाठ्यक्रमों की समकक्षता के संबंध में भारतीय विश्वविद्यालय संगठन द्वारा जारी परिपत्र की प्रति
- *परिशिष्ट च :* भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा जारी परिपत्र की प्रति
- *परिशिष्ट छ :* भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा जारी परिपत्र की प्रति
- *परिशिष्ट ज :* अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा जारी परिपत्र की प्रति
- *परिशिष्ट झ :* एनआईओएस क्षेत्रीय केंद्र की तुलना में सेना मुख्यालय कमान का सेवाधिकार
- *परिशिष्ट ण:* माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के मान्य बोर्डो की सूची

एनआईओएस और इसके कार्यक्रमों के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न — 123-127

शिक्षार्थी सहायता केन्द्र (एलएससी) — 128-129

शिक्षार्थी की जिम्मेदारियाँ : एक नज़र में — 130

Content

1. NIOS : A Schooling System with a Difference 1-19

1.1 Features and Flexibilities in NIOS
1.2 Programmes, Courses and Pathways
1.3 Scheme of Studies
1.4 Integration/Combination of Vocational and Academic Subjects

2. Admission 20-55

2.1 Registration for Online Admission
2.2 Procedure for Online Admission
2.3 Procedure for Online Admission through Regional Centres/AIs (Study Centre)/Common Service Centres (CSCs)
2.4 Entry Requirements
2.5 Re-admission of Ex-NIOS Learners
2.6 Transfer of Credit (TOC)
2.7 Dual Enrolment and Part Admission
2.8 Fee Structure for Admission
2.9 Confirmation of Admission
2.10 Other Facilities after Admission through e-service
2.11 About AI/Study Centre of the Learner
2.12 Procedure for Correction in the Admission ....

3. Instructional Process at NIOS 56-62

3.1 Self Instructional Material
3.2 Personal Contact Programmes (PCPs)
3.3 Audio and Video Programmes
3.4 Mukta Vidya Vani
3.5 Tutor Marked Assignments (TMAs)
3.6 Important Information about Online Admissions under Streams 2, 3 and 4

4. Evaluation System 63-81

4.1 Public Examinations
4.2 On Demand Examination System (ODES)
4.3 Credit Accumulation
4.4 Improvement of Performance
4.5 Issue of Marks Statement-cum-Certificate & Migration-cum Transfer Certificate for Public Examination
4.6 Certification Criteria
4.7 Scheme of Examinations
4.8 Re-checking & Re-evaluation of Answer books
4.9 Unfair Means
4.10 Standard of Education and Recognition
4.11 Procedure for correction in the results of Public Examination/On Demand Examination
4.12 Scholarships for NIOS Learners

5. Internal Assessment Tutor Marked Assignment (TMA) 82-86

6. General and Specific Provisions (Disability wise) in the context of NIOS Examinations 87-97

6.1 Procedural Requirements
6.2 General Provisions
6.3 Specific Provisions

Appendices 98-122

Appendix A: List of Regional Centres of NIOS
Appendix B : Nomenclature of Common Service Centres (CSC) in different states
Appendix C : Copy of the letter from MHRD is known as Ministry of Education recognising OBE Programmes of NIOS
Appendix D : Copy of resolution of MHRD is known as Ministry of Education vesting authority of examination and certification to NIOS
Appendix E : Copy of the Circular issued by the Association of Indian Universities regarding equivalence of NIOS courses
Appendix F : Copy of the Circular issued by the Pharmacy Council of India regarding equivalence of NIOS Certificates
Appendix G : Copy of the Circular issued by the Medical Council of India
Appendix-H : *Copy of the Circular issued by the All India Council Technical Education (AICT)*
Appendix I : Jurisdiction of Army HQ Command vis-a vis NIOS Regional Centres
Appendix J : List of Recognised Boards of Secondary and Senior Secondary Education

Frequently Asked Questions (FAQs) about NIOS and its Programmes 123-127

Learner Support Centre (LSC) 128-129

Learner's Responsibilities : At a Glance 130

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

- 23.52 लाख (पिछले पांच वर्षों से) संचयी नामांकन के साथ विश्व की सबसे बड़ी मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली है।
- वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में 5.04 लाख से अधिक शिक्षार्थियों ने प्रवेश लिया।
- देशभर में तथा विदेशों में फैले 20 क्षेत्रीय केंद्रों, तीन एनआईओएस प्रकोष्ठों तथा 11000 से अधिक अध्ययन केंद्रों (एआई/एवीआई) के नेटवर्क के माध्यम से शिक्षार्थियों तक पहुँचता है।
- स्व-अध्ययन मुद्रित सामग्री, ऑडियो, वीडियो और एआई पर व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम का उपयोग करते हुए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। इन्हें रेडियो प्रसारण (सामुदायिक रेडियो), पीएम ई-विद्या चैनल नंबर 17 - माध्यमिक, 18 - उच्चतर माध्यमिक, 19 - आईकेटी/आईएसएल/ओबीई और 20 - व्यावसायिक पाठ्यक्रम और मुक्त विद्या वाणी (एनआईओएस वेबसाइट पर इंटरनेट के माध्यम से ऑडियो स्ट्रीमिंग) टीवी कार्यक्रमों द्वारा पूरक किया जाता है।

The National Institute of Open Schooling

- NIOS is the largest Open Schooling system in the world with cumulative enrolment of 23.52 lakhs (during last 5 years).
- More than 5.04 lakh learners were admitted during 2024-25 in various courses of NIOS.
- NIOS reaches out to learners through a network of 20 Regional Centres, three NIOS Cells, and more than 11000 Study Centres (AIs/AVIs) spread all over the country and abroad.
- NIOS imparts education through Open and Distance Learning (ODL) mode using a mix of self-instructional print material, audio and video programme supported by Personal Contact Programme (PCP) at AIs. These are further supplemented by Radio broadcast (Community Radio), T.V. programmes through PM e-Vidya channel number 17 - for Secondary, 18 – for Senior Secondary, 19 – for IKT/ISL/OBE & 20 - for Vocational courses and Mukta Vidya Vani (audio streaming through internet on NIOS website).

1

एनआईओएसः एक अनोखी विद्यालयी शिक्षा प्रणाली
NIOS: A Schooling System with a Difference

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) की स्थापना सन् 1989 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के रूप में की गई। यह ऐसे लोगों को शिक्षा के अवसर प्रदान करता है जो आगे पढ़ना चाहते हैं और उत्तीर्ण होकर बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं। एनआईओएस का मिशन ''सबको शिक्षा'' प्रदान करना है तथा इसकी विशेष प्राथमिकता उन बालिकाओं और महिलाओं, ग्रामीण युवाओं, कामकाजी पुरुषों एवं महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अक्षम व्यक्तियों और अन्य सुविधा वंचित वर्गों को शिक्षित करना है, जो किसी न किसी कारण से औपचारिक शिक्षा प्रणाली द्वारा नहीं पढ़ पाए हैं। एनआईओएस का उद्देश्य शिक्षा वंचितों तक शिक्षा पहुँचाना है। एनआईओएस ने भारतभर की जेलों में अध्ययन केंद्र स्थापित करके और शुल्क में पूर्ण रूप से छूट देकर, जेल के कारावासियों को शिक्षित करने के लिए विशेष नवाचार किए हैं। एनआईओएस बीस क्षेत्रीय केन्द्रों, तीन एनआईओएस प्रकोष्ठों, ग्यारह हजार से अधिक प्रत्यायित संस्थाओं (एआई) तथा प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थाएँ (एवीआई) के एक नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है, इन एआई और एवीआई को सामान्यतः अध्ययन केंद्रों के रूप में जाना जाता है।

The National Institute of Open Schooling (NIOS) was set up as the National Open School in 1989 by the Ministry of Human Resource Development, Government of India, as an autonomous organisation. It provides educational opportunities to persons who wish to study further and qualify for a better tomorrow. The Mission of NIOS is to provide education to all with special concern for girls and women, rural youth, working men and women, SCs and STs, differently abled persons and other disadvantaged persons who because of one or other reasons could not continue their education in the formal system of education. The aim of NIOS is to reach the unreached. The NIOS has taken special initiatives for imparting education to Jail Inmates by setting up Study Centres in Jails across the country and granting full fee exemption. The NIOS operates through a network of Twenty Regional Centres, Three NIOS Cells and more than Eleven Thousand Accredited Institutions (AIs) and Accredited Vocational Institutions (AVIs) popularity known as Study Centres. These Centres are located in India, Nepal and Middle East Countries.

1.1 एनआईओएस की विशेषताएँ तथा सुविधाएं

- **आयु सीमा :** प्रवेश के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। फिर भी माध्यमिक पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष और उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए 15 वर्ष है जैसा कि **तालिका-3** में प्रवेश आवश्यकताओं में दी गई जानकारी में दर्शाया गया है।
- **अध्ययन के माध्यमों का विकल्प :**
  - माध्यमिक स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, तेलुगू, गुजराती, मलयालम, तमिल, ओडिया, पंजाबी, असमिया, संस्कृत तथा कन्नड़ माध्यम उपलब्ध हैं।
  - उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, गुजराती, संस्कृत और ओडिया माध्यम उपलब्ध हैं।

1.1 Features and Flexibilities in NIOS

- **Age Limit:** There is no upper age limit for admission. However, the minimum age for enrolment is 14 years for the Secondary course and 15 years for the Senior Secondary course as per information given in the entry requirements in **Table-3**.
- **Choice of Medium of Instructions:**
  - Hindi, English, Urdu, Marathi, Telugu, Gujarati, Malayalam, Tamil, Odia, Punjabi, Assammese, Sanskrit and Kannada mediums at the Secondary stage.
  - Hindi, English, Urdu, Bengali, Gujarati, Sanskrit and Odia mediums at the Senior Secondary stage.

नोट :(1) तालिका-1 में दी गई अध्ययन योजना में ''भारतीय ज्ञान परंपरा'' शीर्षक के अंतर्गत आने वाले विषय माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपलब्ध हैं।

(2) प्रत्येक विषय के लिए एनआईओएस अध्ययन सामग्री तालिका-1क में उल्लिखित माध्यमों में उपलब्ध है।

➤ **विषयों का चयन :** शिक्षार्थी **तालिका-1 में दी गई अध्ययन की योजना** में दिए गए मानदंड के अनुसार विषयों की सूची में से किसी भी विषय संयोजन का चयन कर सकता/सकती है।

यदि शिक्षार्थी उच्च अध्ययन के लिए एनआईओएस प्रमाणपत्र का प्रयोग करना चाहता/चाहती है तो यह उसके हित में होगा कि वह एनआईओएस से माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करके जिन बोर्डों/ विश्वविद्यालयों में जाना चाहता/चाहती है, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखें। कुछ बोर्ड/विश्वविद्यालय अपनी सम्बद्ध संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष विषय संयोजन चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए बहुत से संस्थान यह चाहेंगे कि शिक्षार्थी रसायन विज्ञान, भौतिकी और जीव विज्ञान/जीव प्रौद्योगिकी के संयोजन के साथ-साथ दो भाषाओं में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण हों। ऐसे शिक्षार्थी जो एनआईओएस की दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ग्यारहवीं कक्षा में औपचारिक विद्यालय बोर्ड में प्रवेश लेना चाहते हैं, वे ऐसे विषय संयोजन (5 अथवा 6 विषय जैसा भी मामला हो) चुन सकते हैं जो इस प्रकार के औपचारिक विद्यालय बोर्ड द्वारा एनआईओएस के अधिकारों से भेदभाव किए बिना स्वीकार्य होते हैं।

टिप्पणी :
शिक्षार्थी अपने उच्च अध्ययन, विशेष नौकरियों और संबंधित बोर्डों की आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखते हुए अपने विषयों का चयन करे।

➤ **अतिरिक्त विषय :** यदि शिक्षार्थी चाहता/चाहती है अथवा यदि आवश्यक हो तो शिक्षार्थी के पास प्रवेश के वक्त अथवा अध्ययन के दौरान एक अथवा दो अतिरिक्त विषय चुनने का विकल्प है।

Note: (1) The subjects under the title "Indian Knowledge Tradition" mentioned in the Scheme of Studies in Table-1 at the Secondary and the Senior Secondary levels.

(2) The NIOS Study Material for subject is available in Mediums as mentioned in Table-1A

➤ **Choice an Subjects:** The learner has the option to choose any subject combination from the list of subjects offered as per the criteria given in the **Scheme of Studies in Table-I**.

In case the learner wishes to use NIOS certificate for higher studies, it is in his/her own interest that he/she keeps in mind the requirements of the Boards/Universities where he/she wish to join after passing the Secondary/Senior Secondary course from NIOS. Some Boards / Universities require specific subject combinations for admission in the Institutions affiliated to them. For example, for Medical course, various institutes will expect the learner to have passed with a combination of Chemistry, Physics and Biology/Bio-technology and any other two as languages. A learner who wish to join formal School Board in class XI after passing NIOS examination of class X may opt for subjects combinations (in 5 or 6 subjects as the case may be) which are acceptable in class XI by such formal School Boards, without prejudice to the rights of NIOS.

Note:
The learner should choose subjects carefully keeping in view the plans for higher studies, specific jobs, and requirement of the concerned Boards, etc.

➤ **Additional Subjects :** The learner has the option to select one or two additional subject(s) either at the time of admission or during the course of study, if he/she so desires or if it is required.

- **व्यावसायिक और शैक्षिक विषयों का संयोजन/एकीकरण :** एनआईओएस पाठ्यक्रमों को अधिक सार्थक बनाने के लिए, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कुछ व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को शैक्षिक विषयों के साथ संयोजित/एकीकरण करके चलाया जा रहा है **(तालिका-1.4 देखें)। इन व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रत्यायित संस्थाओं (एआई) अथवा प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थाओं (एवीआई) से लिया जा सकता है।** अधिक जानकारी के लिए, कृपया व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की विवरणिका पढ़ें।

- **निरंतर मूल्यांकन :** पढ़ाई के दौरान, शिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्यों (टीएमए) तथा व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों (पीसीपी) द्वारा शिक्षार्थी की प्रगति का आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है।

- **प्रवेश की सुविधाजनक योजना :** शिक्षार्थी विभिन्न स्ट्रीमों के अंतर्गत ऑन-लाइन अथवा अपनी पसंद के निकट स्थित अध्ययन केन्द्र/एनआईओएस प्राधिकृत सहायता केन्द्र/सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के सामान्य सेवा केन्द्र से संपर्क करके प्रवेश ले सकता/सकती है।

- **परीक्षा की सुविधाजनक योजना: एनआईओएस वर्ष में दो बार सार्वजनिक परीक्षाएँ आयोजित करता है। शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए परीक्षा में बैठने के लिए कुल पाँच वर्षों में नौ अवसर मिलते हैं। फिर भी, शिक्षार्थी अपना मूल्यांकन कराने और प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसी एक का चयन कर सकता/सकती है :-**
  - एनआईओएस द्वारा वर्ष में दो बार सार्वजनिक परीक्षों का आयोजन
  - जब चाहो तब परीक्षा प्रणाली (ओड्स)

- **क्रेडिट संचयन :** शिक्षार्थी एक परीक्षा में किसी भी एक अथवा अधिक विषयों में बैठ सकता/सकती है और अंतिम प्रमाणपत्र के लिए पाँच वर्षों की पंजीकरण अवधि में सभी विषयों में उत्तीर्ण होने तक क्रेडिट ले सकता/सकती है।

- **Combination / Integration of Vocational and Academic Subjects:** In order to make the NIOS courses more meaningful, some Vocational Education Courses are also offered in combination / integration with academic subjects at the Secondary and the Senior Secondary levels **(Refer 1.4). These Vocational Education Courses have to be taken in the Accredited Institutions (AIs) or Accredited Vocational Institutions (AVIs).** For more details, please refer to the Prospectus for Vocational Education Courses.

- **Continuous Assessment :** During the course of study, internal assessment of learner's progress will be done through Tutor Marked Assignments (TMAs) and Personal Contact Programmes (PCPs).

- **Flexible Scheme of Admission:** The learner has the option to take admission in NIOS through Online under various Streams directly or by approaching a nearby Study Centre/Authorised NIOS Facilitation Centre/Common Service Centre of the Ministry of IT, Govt. of India.

- **Flexible Scheme of Examinations: The Public examinations are conducted by NIOS twice in a year. A learner gets nine chances to appear in the public examinations over a period of five years to complete his/her courses. However, the learner has also the option to choose any of the following for getting evaluated and certified:**
  - Public examinations conducted by NIOS twice in a year.
  - On Demand Examination System (ODES).

- **Credit Accumulation:** The learner has the option to appear in one or more subjects in any examination and earn credit which will be accumulated till all five subjects required for certification are successfully completed within a period of 5 years of registration.

- **क्रेडिट स्थानांतरण :** शिक्षार्थी मान्यताप्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्डों से उत्तीर्ण किए गए अधिकतम दो विषयों के अंक स्थानांतरित करा सकते हैं, बशर्ते वे विषय एनआईओएस की अध्ययन योजना में भी उपलब्ध हों और उनके परिणाम संबंधित बोर्ड की वेबसाइट से सत्यापित किए गए हों। **भाग 2.6** में दी गई शर्तों के अनुसार क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) दिया गया है।

- **प्रवेश की वैधता : शिक्षार्थी का प्रवेश पांच वर्षों के लिए वैध है। माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सार्वजनिक परीक्षा के लिए शिक्षार्थी पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए प्रवेश की वैध अवधि के दौरान अधिकतम नौ या उससे कम अवसर ले सकता/सकती है।**

- **आंशिक प्रवेश :** इस योजना के अंतर्गत, शिक्षार्थी एक या एक से अधिक लेकिन अधिकतम चार विषयों में ही प्रवेश ले सकता/सकती है। उत्तीर्ण होने पर, शिक्षार्थी को केवल अंक विवरण-सह-प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, जिसके लिए शिक्षार्थी को ई-सेवाओं के माध्यम से अपना अनुरोध प्रस्तुत करने के बाद ऑनलाइन माध्यम से अपेक्षित शुल्क का भुगतान करना होगा।

- **दिव्यांगों के लिए शिक्षा :** शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से अक्षम के लिए, एनआईओएस ने विशेष प्रत्यायित संस्थाएँ स्थापित की हैं, जिन्हें दिव्यांगों की शिक्षा के लिए विशेष प्रत्यायित संस्थाएँ (एसएआईईडी) कहा जाता है।

- **कारागर के कारावासियों को अवसर : जेल के कारावासियों को कारागर से छूटने के बाद आजीविका कमाने में मदद करने के लिए और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, एनआईओएस ने भारत भर के कारागरों में अपने शैक्षिक एवं व्यावसायिक दोनों अध्ययन केन्द्र स्थापित किए हैं। कारागर के कारावासियों को शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क (प्रवेश और परीक्षा शुल्क) में पूर्ण रूप से छूट दी गई है।**

- **Transfer of Credit:** The learner has the option to avail the facility of Transfer of Credit (TOC) up to a maximum of two subjects passed from a recognised Board of School Education, provided these subjects are also available in NIOS Scheme of Studies and their results can be verified from the concerned Board's website. TOC is given as per the conditions given in **Section 2.6**.

- **Validity of Admission: The learner's admission is valid for a period of five years. For Public Examination at the Secondary and the Senior Secondary level, a learner may take nine or fewer chances to complete the course successfully during the validity period of admission.**

- **Part Admission:** Under this scheme, the learner may take admission in one or more subjects but not more than four subjects. On passing, the learner will be issued only the Marks Statement-cum-Certificate for which learner has to pay requisite fee through online mode after submitting his/her request through e-services.

- **Education of Divyangs:** To cater to the special needs of people who are physically, mentally challenged, NIOS has set up Special Accredited Institutions called Special Accredited Institutions for Education of the Divyangs (SAIEDs).

- **Opportunities to Jail Inmates : In order to help Jail inmates to earn livelihood after their release from jail and bringing them in mainstream, the NIOS has set up Study Centres in Jails across the country. Full fee exemption (Admission and Examination fee) is provided to Jail inmates for both Academic and Vocational.**

1.2 कार्यक्रम, पाठ्यक्रम और मार्ग

एनआईओएस निम्नलिखित पाठ्यक्रम और कार्यक्रम चलाता है :

1.2 Programmes, Courses and Pathways

The NIOS offers the following programmes and courses :

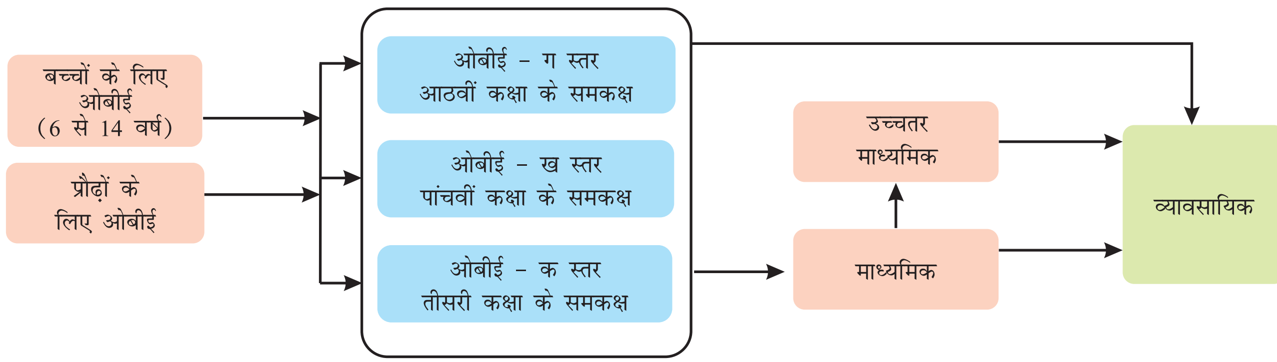

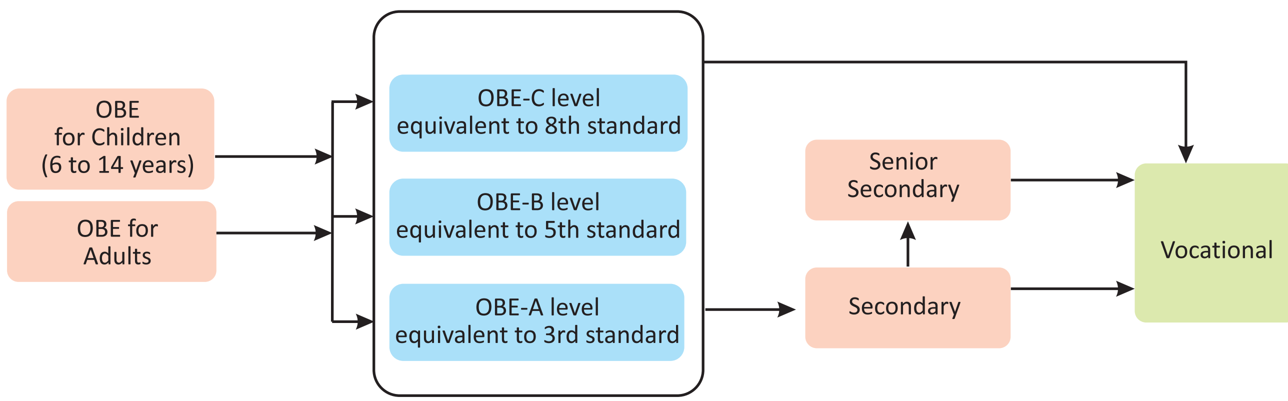

1.2.1 आईटीआई विद्यार्थियों की विद्यालयी शिक्षा

आईटीआई के शिक्षार्थी, जो आईटीआई के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अथवा आईटीआई पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर चुके हैं, वह माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक (उनकी योग्यता अनुसार) प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करेंगे। इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है। इस योजना के अंतर्गत उन्हें आईटीआई से उनके ट्रेड प्रमाणपत्र के साथ एनआईओएस से माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र प्राप्त होगा। इस योजना को आरंभ करने के लिए एनआईओएस ने प्रशिक्षण निदेशालय (डीजीटी), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है।

1.2.1 Schooling of ITI Students

ITI learners get an opportunity to earn a Secondary and Senior Secondary Certificate (as per their eligibility) who are pursuing education through ITIs or have cleared their ITI courses. For achieving this, they need to make a small effort. They will receive Secondary and Senior Secondary Certificate from NIOS apart from their trade certificates from ITI. NIOS has signed a Memorandum of Understanding with the Directorate General of Training (DGT) under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE), Govt. of India for the same.

एनआईओएस आईटीआई / एनएसटीआई में डीजीटी के शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत किसी भी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षु द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए दो वर्षीय ट्रेडों के लिए चार विषयों तथा एक वर्षीय ट्रेडों के लिए तीन विषयों के क्रेडिट स्थानांतरण को स्वीकार करेगा और माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक प्रमाणीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नांकित समूहों में दो वर्षीय ट्रेडों के लिए न्यूनतम एक विषय और एक वर्षीय ट्रेडों के लिए न्यूनतम दो विषय प्रदान करेगा:

- सीटीएस के दो वर्षीय ट्रेडों के लिए एनआईओएस के समूह 'क' विषयों से न्यूनतम एक भाषा।
- सीटीएस के एक वर्षीय ट्रेडों के लिए एनआईओएस के समूह 'क' विषयों से न्यूनतम एक भाषा तथा शैक्षिक विषयों के अन्य समूह से एक विषय।
- उपर्युक्त के अतिरिक्त, शिक्षार्थी एनआईओएस द्वारा कराए जाने वाले किसी भी समूह से अधिकतम दो अतिरिक्त शैक्षिक विषयों को ले सकते हैं।

1.3 अध्ययन योजना

एनआईओएस के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन योजना **तालिका -1** में दी गई है। परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को **कम से कम पाँच विषयों** में उत्तीर्ण होना होगा **जिनमें समूह 'क' में से एक अथवा अधिकतम दो भाषाएं हों तथा अन्य तीन या चार विषय समूह 'ख' में से हों**। हालाँकि शिक्षार्थी दो अतिरिक्त विषय लेने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार वह अधिकतम सात विषय चुन सकता/सकती है।

NIOS will accept credit transfer of four subjects for two year trades and three subjects for one year trades successfully completed by a trainee in any of the courses under Craftsmen Training Scheme (CTS) of DGT pursued in an ITI/NSTI and will offer minimum one subject for two year trades and minimum two subjects for one year trades in the following groups to complete the requirement for Secondary/Senior Secondary certification:

- Minimum One Language from group A subjects of NIOS, for two-year trades of CTS.
- Minimum One Language from group A subjects and one academic subject from any Group of subjects from NIOS for one-year trades of CTS.
- In addition to above, one can take maximum of two additional academic subjects from any group offered by NIOS.

1.3 Scheme of Studies

The Scheme of Studies for the Secondary and the Senior Secondary Courses is given in **Table-1**. For obtaining a Pass Certificate, **a learner is required to pass in a minimum of five subjects including one or maximum of two languages** from Group 'A' and other three or four subjects from Group 'B'. However, a learner is free to take upto two additional subjects and thus can choose maximum of seven subjects.

तालिका 1 : शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन की योजना
Table-1 : Scheme of Studies for Academic Courses

माध्यमिक स्तर/Secondary Level

क्र.सं.	कोड	विषय		S.No.	Code	Subject	
	समूह 'क'				Group 'A'		
1.	(201)	हिंदी		1.	(201)	Hindi	
2.	(202)	अंग्रेजी		2.	(202)	English	
3.	(206)	उर्दू		3.	(206)	Urdu	
4.	(209)	संस्कृत		4.	(209)	Sanskrit	
5.	(203)	बंगाली	इन विषयों की परीक्षा एक ही दिन और एक ही समय आयोजित की जाएगी। (5–19)	5.	(203)	Bengali	Examination of these subjects will be held on same day and same time. (5–19)
6.	(204)	मराठी		6.	(204)	Marathi	
7.	(205)	तेलुगू		7.	(205)	Telugu	
8.	(207)	गुजराती		8.	(207)	Gujarati	
9.	(208)	कन्नड़		9.	(208)	Kannada	
10.	(210)	पंजाबी		10.	(210)	Punjabi	
11.	(228)	असमिया		11.	(228)	Assamese	
12.	(230)	भारतीय सांकेतिक भाषा**		12.	(230)	Indian Sign language**	
13.	(231)	नेपाली		13.	(231)	Nepali	
14.	(232)	मलयालम		14.	(232)	Malayalam	
15.	(233)	ओडिया		15.	(233)	Odia	
16.	(235)	अरबी		16.	(235)	Arabic	
17.	(236)	फारसी		17.	(236)	Persian	
18.	(237)	तमिल		18.	(237)	Tamil	
19.	(238)	सिंधी		19.	(238)	Sindhi	

क्र.सं.	कोड	विषय	
समूह 'ख'			
1.	(211)	गणित*	
2.	(212)	विज्ञान*	
3.	(213)	सामाजिक विज्ञान	
4.	(214)	अर्थशास्त्र	
5.	(215)	व्यवसाय अध्ययन	
6.	(216)	गृह विज्ञान*	
7.	(222)	मनोविज्ञान	
8.	(223)	भारतीय संस्कृति एवं विरासत	
9.	(224)	लेखांकन	
10.	(225)	चित्रकला*	
11.	(229)	डाटा एंट्री कार्य*	
12.	(242)	हिंदुस्तानी संगीत*	
13.	(243)	कर्नाटक संगीत*	
14.	(244)	लोक कला*	
15.	(245)	वेद अध्ययन#	भारतीय ज्ञान परम्परा#
16.	(246)	संस्कृत व्याकरण#	भारतीय ज्ञान परम्परा#
17.	(247)	भारतीय दर्शन#	भारतीय ज्ञान परम्परा#
18.	(248)	संस्कृत साहित्य#	भारतीय ज्ञान परम्परा#
19.	(285)	नाट्यकला#*	भारतीय ज्ञान परम्परा#
20.	(249)	उद्यमशीलता	
21.	(273)	शारीरिक शिक्षा	

➥ पाँच विषय, जिनमें से समूह "क" से एक अथवा दो भाषाएँ और समूह "ख" से शेष विषय।

➥ एनआईओएस के नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क के साथ दोनों समूहों में से किसी समूह से भी दो अतिरिक्त विषय लिए जा सकते हैं।

माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर संस्कृत भाषा विषय के साथ उपर्युक्त चार विषय सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर प्रमाणपत्र में ''भारतीय ज्ञान परम्परा'' का उल्लेख किया जाएगा।

** बधिर/श्रवणबाधित शिक्षार्थी इसे किसी अन्य भाषा के स्थान पर भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) को एक भाषा विषय के रूप में चुन सकते हैं। अन्य शिक्षार्थी (बधिर/श्रवणबाधित को छोड़कर) जो भारतीय सांकेतिक भाषा का अध्ययन करना चाहते हैं, वे इसे अतिरिक्त विषय के रूप में चुन सकते हैं।

S.No.	Code	Subject	
Group 'B'			
1.	(211)	Mathematics*	
2.	(212)	Science*	
3.	(213)	Social Science	
4.	(214)	Economics	
5.	(215)	Business Studies	
6.	(216)	Home Science*	
7.	(222)	Psychology	
8.	(223)	Indian Culture & Heritage	
9.	(224)	Accountancy	
10.	(225)	Painting*	
11.	(229)	Data Entry Operations*	
12.	(242)	Hindustani Sangeet*	
13.	(243)	Carnatic Sangeet*	
14.	(244)	Folk Art*	
15.	(245)	Veda Adhyyan#	Indian Knowledge Tradition#
16.	(246)	Sanskrit Vyakarana#	Indian Knowledge Tradition#
17.	(247)	Bharatiya Darshan#	Indian Knowledge Tradition#
18.	(248)	Sanskrit Sahitya#	Indian Knowledge Tradition#
19.	(285)	Natyakala#*	Indian Knowledge Tradition#
20.	(249)	Entrepreneurship	
21.	(273)	Physical Education	

➥ Five subjects with either one or two languages from Group A and the remaining subjects from Group B.

➥ Two additional subjects can be taken from either of the two groups with additional fees as per NIOS norms.

There will be a mention of ***"Indian Knowledge Tradition"*** on the certificate upon successful completion of above four subjects along with Sanskrit Language subject at Secondary/ Senior Secondary level.

** Indian Sign Language (ISL) can be opted as a language subject in lieu of any other language by deaf/hard of hearing learners. Other learners (except deaf/hard of hearing learners) who wish to study Indian Sign Language can opt this as an additional subject.

नोट : * वाले विषयों में सिद्धांत एवं प्रयोग दोनों हैं।

Note: Subjects with asterisk *have theory as well as practical work.

उच्चतर माध्यमिक स्तर/ Senior Secondary Level

क्र.सं.	कोड	विषय	
समूह 'क'			
1.	(301)	हिंदी	
2.	(302)	अंग्रेजी	
3.	(306)	उर्दू	
4.	(309)	संस्कृत	
5.	(307)	गुजराती	इन विषयों की परीक्षा एक ही दिन और एक ही समय आयोजित की जाएगी।
6.	(303)	बंगाली	
7.	(304)	तमिल	
8.	(305)	ओडिया	
9.	(310)	पंजाबी	
10.	(341)	अरबी	
11.	(342)	फारसी	
12.	(343)	मलयालम	
13.	(344)	सिंधी	
14.	(382)	भारतीय सांकेतिक भाषा	
समूह 'ख'			
1.	(311)	गणित	
2.	(321)	गृह विज्ञान*	
3.	(328)	मनोविज्ञान	
4.	(316)	भूगोल*	
5.	(318)	अर्थशास्त्र	
6.	(319)	व्यवसाय अध्ययन	
7.	(332)	चित्रकला*	
8.	(336)	डाटा एंट्री कार्य*	
9.	(340)	जेंडर स्टडीज़	
10.	(349)	उद्यमिता	
11.	(376)	प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा	
12.	(345)	वेद अध्ययन*	**भारतीय ज्ञान परम्परा#**
13.	(346)	संस्कृत व्याकरण*	
14.	(347)	भारतीय दर्शन*	
15.	(348)	संस्कृत साहित्य*	
16.	(385)	नाट्यकला#*	
17.	(383)	कृषि: उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन#	

S.No.	Code	Subject	
Group 'A'			
1.	(301)	Hindi	
2.	(302)	English	
3.	(306)	Urdu	
4.	(309)	Sanskrit	
5.	(307)	Gujarati	**Examination of these subjects will be held on same day and same time.**
6.	(303)	Bengali	
7.	(304)	Tamil	
8.	(305)	Odia	
9.	(310)	Punjabi	
10.	(341)	Arabic	
11.	(342)	Persian	
12.	(343)	Malayalam	
13.	(344)	Sindhi	
14.	(382)	Indian Sign Language	
Group 'B'			
1.	(311)	Mathematics	
2.	(321)	Home Science*	
3.	(328)	Psychology	
4.	(316)	Geography*	
5.	(318)	Economics	
6.	(319)	Business Studies	
7.	(332)	Painting*	
8.	(336)	Data Entry Operations*	
9.	(340)	Gender Studies	
10.	(349)	Enterpreneurship	
11.	(376)	Early Childhood Care & Education*	
12.	(345)	Veda Adhyyan#	Indian Knowledge Tradition#
13.	(346)	Sanskrit Vyakarana#	
14.	(347)	Bharatiya Darshan#	
15.	(348)	Sanskrit Sahitya#	
16.	(385)	Natyakala#*	
17.	(383)	Krishi: Production, Processing and Marketing#	

क्र.सं.	कोड	विषय
	समूह 'ग'	
18.	(312)	भौतिकी*
19.	(315)	इतिहास
20.	(333)	पर्यावरण विज्ञान*
21.	(339)	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान*
	समूह 'घ'	
22.	(313)	रसायन विज्ञान*
23.	(317)	राजनीति विज्ञान
24.	(335)	जन संचार*
25.	(374)	सेना अध्ययन
	समूह 'ड.'	
26.	(314)	जीव विज्ञान*
27.	(320)	लेखांकन
28.	(338)	कानून का परिचय
29.	(375)	सेना का इतिहास
	समूह 'च'	
30.	(330)	कम्प्यूटर विज्ञान*
31.	(331)	समाजशास्त्र
32.	(337)	पर्यटन
33.	(373)	शारीरिक शिक्षा*

- ➥ समूह क से एक अथवा दो भाषाओं सहित पांच विषय और शेष विषय समूह ख, ग, घ, ड. और च से (ग, घ, ड. और च के प्रत्येक समूह से केवल एक विषय)
- ➥ एनआईओएस के नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क के साथ किसी भी समूह से केवल दो अतिरिक्त विषय लिए जा सकते हैं। (ग, घ, ड. और च के प्रत्येक समूह से केवल एक विषय)।

* माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर संस्कृत भाषा विषय के साथ उपर्युक्त चार विषय सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर प्रमाणपत्र में ''भारतीय ज्ञान परम्परा'' का उल्लेख किया जाएगा।

नोट : 1. * वाले विषयों में सिद्धांत एवं प्रयोग दोनों हैं।

नोट : 2. शिक्षार्थी, ग, घ, ड. और च में प्रत्येक समूह में से केवल एक विषय चुन सकता/सकती है।

S.No.	Code	Subject
	Group 'C'	
18.	(312)	Physics*
19.	(315)	History
20.	(333)	Environmental Science*
21.	(339)	Library and Information Science*
	Group 'D'	
22.	(313)	Chemistry*
23.	(317)	Political Science
24.	(335)	Mass Communication*
25.	(374)	Military Studies
	Group 'E'	
26.	(314)	Biology*
27.	(320)	Accountancy
28.	(338)	Introduction to Law
29.	(375)	Military History
	Group 'F'	
30.	(330)	Computer Science*
31.	(331)	Sociology
32.	(337)	Tourism
33.	(373)	Physical Education*

- ➥ Five subjects with either one or two languages from Group A and the remaining subjects from Group B, C, D, E and F (only one subject from each group C, D, E and F).
- ➥ Two additional subjects can be taken from any group (only one subject from each group C, D, E and F) with additional fee as per NIOS norms.

* There will be a mention of ***"Indian Knowledge Tradition"*** on the certificate upon successful completion of above four subjects along with Sanskrit Language subject at Secondary/ Senior Secondary level.

Note 1: Subjects with asterisk *have theory as well as practical work.

Note 2 : The learner has the option to choose one subject only from each of Group C, D, E and F.

तालिका 1क – विभिन्न माध्यमों में विषय की अध्ययन सामग्री की उपलब्धता

क्र.सं.	विषय (माध्यमिक स्तर)	अंग्रेजी	हिंदी	उर्दू	संस्कृत	ओडिया	गुजराती	मराठी	तेलुगू	मलयालम	तमिल	पंजाबी	असमिया	कन्नड़
1	211 – गणित	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ
2	212 – विज्ञान	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ
3	213 – सामाजिक विज्ञान	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ
4	214 – अर्थशास्त्र	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	–	–	हाँ
5	215 – व्यवसाय अध्ययन	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	
6	216 – गृह विज्ञान	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7	222 – मनोविज्ञान	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	–
8	223 – भारतीय संस्कृति एवं विरासत	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	–	–	–
9	224 – लेखांकन	हाँ	हाँ	हाँ	–	–	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	–	–
10	225 – चित्रकला	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	–	–
11	229 – डाटा एंट्री ऑपरेशन्स	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	–
12	230 – भारतीय सांकेतिक भाषा	हाँ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	242 – हिंदुस्तानी संगीत	हाँ	हाँ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	243 – कर्नाटक संगीत	हाँ	हाँ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	244 – लोक कला	हाँ	हाँ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	245 – वेद अध्ययन	–	हाँ	–	हाँ	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	246 – संस्कृत व्याकरण	–	हाँ	–	हाँ	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	247 – भारतीय दर्शन	–	हाँ	–	हाँ	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	248 – संस्कृत साहित्य	हाँ	हाँ	–	हाँ	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	249 – उद्यमिता	हाँ	हाँ	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	285 – नाट्यकला	हाँ	हाँ	–	हाँ	–	–	–	–	–	–	–	–	–

क्र.सं.	विषय (उच्चतर माध्यमिक स्तर)	अंग्रेजी	हिंदी	उर्दू	संस्कृत	ओडिया	गुजराती	बंगाली
1	311 – गणित	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	हाँ
2	312 – भौतिकी	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	हाँ
3	313 – रसायन विज्ञान	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	हाँ
4	314 – जीव विज्ञान	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	हाँ
5	315 – इतिहास	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	हाँ
6	316 – भूगोल	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	हाँ
7	317 – राजनीति विज्ञान	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	हाँ
8	318 – अर्थशास्त्र	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	–
9	319 – व्यवसाय अध्ययन	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	–
10	320 – लेखांकन	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	–
11	321 – गृह विज्ञान	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	–
12	328 – मनोविज्ञान	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	–
13	330 – कम्प्यूटर विज्ञान	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	–
14	331 – समाजशास्त्र	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	हाँ
15	332 – चित्रकला	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	–
16	333 – पर्यावरण विज्ञान	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	–
17	335 – जनसंचार	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	–
18	336 – डाटा एंट्री कार्य	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ	–
19	337 – पर्यटन	हाँ	हाँ	–	–	–	–	–
20	338 – कानून का परिचय	हाँ	हाँ	–	–	–	–	–
21	339 – पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	हाँ	हाँ	हाँ	–	–	–	–
22	340 – जेंडर स्टडीज़	हाँ	–	–	–	–	–	–
23	345 – वेद अध्ययन	–	हाँ	–	हाँ	–	–	–
24	346 – संस्कृत व्याकरण	–	हाँ	–	हाँ	–	–	–
25	347 – भारतीय दर्शन	–	हाँ	–	हाँ	–	–	–
26	348 – संस्कृत साहित्य	हाँ	हाँ	–	हाँ	–	–	–
27	373 – शारीरिक शिक्षा	हाँ	–	–	–	–	–	–
28	374 – सैन्य अध्ययन	हाँ	–	–	–	–	–	–
29	375 – सैन्य इतिहास	हाँ	–	–	–	–	–	–
30	376 – प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा	हाँ	–	–	–	–	–	–
31	385 – नाट्यकला	हाँ	हाँ	–	हाँ	–	–	–
32	383 – कृषि: उत्पादन, प्रसंस्करण एवम् विपणन	हाँ	–	–	–	–	–	–

Table 1.A - Availability of Study Material for subject in different Mediums

S.No.	Subject (Secondary level)	English	Hindi	Urdu	Sanskrit	Odia	Gujarati	Marathi	Telugu	Malayalam	Tamil	Punjabi	Assamese	Kannada
1	211 - Mathematics	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes
2	212 - Science	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes
3	213 - Social Science	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes
4	214 - Economics	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes
5	215 - Business Studies	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
6	216 - Home Science	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
7	222- Psychology	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-
8	223 - ICH	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-
9	224 - Accountancy	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-
10	225 - Painting	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-
11	229 - Data Entry Operations	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	-
12	230 - Indian Sign Language	Yes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	242 - Hindustani Music	Yes	Yes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	243 - Carnatic Music	Yes	Yes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	244 - Folk Art	Yes	Yes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	245 - Veda Adhyayan	-	Yes	-	Yes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	246 - Sanskrit Vyakarana	-	Yes	-	Yes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	247 - Bharatiya Darshan	-	Yes	-	Yes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	248 - Sanskrit Sahitya	Yes	Yes	-	Yes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	249 - Entrepreneurship	Yes	Yes	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	285 - Natyakala	Yes	Yes		Yes		-	-	-	-	-	-	-	- -

S.No.	Subject (Senior Secondary level)	English	Hindi	Urdu	Sanskrit	Odia	Gujarati	Bengali
1.	311 - Mathematics	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes
2.	312 - Physics	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes
3.	313 - Chemistry	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes
4.	314 - Biology	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes
5.	315 - History	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes
6.	316 - Geography	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes
7.	317 - Political Science	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes
8.	318 - Economics	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	-
9.	319 - Business Studies	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	-
10.	320 - Accountancy	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	-
11.	321 - Home Science	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	-
12.	328 - Psychology	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	-
13.	330 - Computer Science	Yes	-	-	-	Yes	Yes	-
14.	331 - Sociology	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes
15.	332 - Painting	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	-
16.	333 - Environmental Science	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	-
17.	335 - Mass Communication	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	-
18.	336 - Data Entry Operations	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	-
19.	337 - Tourism	Yes	Yes	-	-	-	-	-
20.	338 - Introduction to Law	Yes	Yes	-	-	-	-	-
21.	339 - Library and Information Science	Yes	Yes	Yes	-	-	-	-
22.	340 - Gender Studies	Yes	-	-	-	-	-	-
23.	345 - Veda Adhyayan	-	Yes	-	Yes	-	-	-
24.	346 - Sanskrit Vyakarana	-	Yes	-	Yes	-	-	-
25.	347 - Bharatiya Darshan	-	Yes	-	Yes	-	-	-
26.	348 - Sanskrit Sahitya	Yes	Yes	-	Yes	-	-	-
27.	373 - Physical Education	Yes	Yes	-	-	-	-	-
28.	374 - Military Studies	Yes	Yes	-	-	-	-	-
29.	375 - Military History	Yes	Yes	-	-	-	-	-
30.	376 - Early Childhood Care & Education	Yes	-	-	-	-	-	-
31.	385 - Natyakala	-	Yes	-	Yes	-	-	-
32.	383 - Krishi: Production, Processing & Making	Yes	-	-	-	-	-	-

1.4 व्यावसायिक एवं शैक्षिक विषयों का एकीकरण/संयोजन

1.4क शैक्षिक विषयों के साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/विषयों का एकीकरण

1. माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों के स्ट्रीम-1 में ऑनलाइन प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थियों को शैक्षिक विषयों के साथ एक व्यावसायिक विषय प्रदान किया जा रहा है।

2. माध्यमिक स्तर पर तीन पाठ्यक्रम अर्थात् बेसिक कम्प्यूटिंग (608), डेस्क टॉप पब्लिशिंग (613) एवं योग (614) तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर चार पाठ्यक्रम अर्थात् कम्प्यूटर एवं कार्यालय एप्लिकेशंस (631) वेब डेवलपमेंट (660), फल एवं सब्जियों का संरक्षण (363) और योग सहायक (667) शिक्षार्थियों द्वारा शैक्षिक विषयों के लिए चुने गए एक ही प्रत्यायित संस्थान (एआई) में कराए जाएंगे। एनआईओएस के मानदंडों के अनुसार प्रवेश शुल्क की गणना के उद्देश्य से इन्हें शैक्षिक विषयों के समान माना जाएगा।

3. जिन शिक्षार्थियों ने माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक विषयों के अंतर्गत उपलब्ध निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय को चुना है, उन्हें प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किसी अन्य व्यावसायिक विषय को चुनने का विकल्प नहीं दिया जाएगा।

   1. डाटा एंट्री ऑपरेशंस (229)
   2. उद्यमिता (249)

   इसी प्रकार, जिन शिक्षार्थियों ने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर निम्नलिखित व्यावसायिक विषयों में से किसी एक विषय को चुना है, उन्हें प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किसी अन्य व्यावसायिक विषय को चुनने का विकल्प नहीं दिया जाएगा।

   1. डाटा एंट्री ऑपरेशन (336)
   2. प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा (376)
   3. पर्यटन (337)
   4. शारीरिक शिक्षा (373)

1.4 Integration/ Combination of Vocational and Academic subjects

1.4A. Integration of Vocational courses/ subjects with Academic subjects

1. The learners taking online admission in secondary and senior secondary courses for Stream-1 are being offered one vocational subject along with academic subjects.

2. The three courses viz. Basic Computing (608), Desk Top Publishing (613) and Yoga (614) at Secondary level and four courses viz. Computer & Office Applications (631), Web Development (660), Preservation of Fruits and Vegetable (363) and Yoga Assistant (667) at Senior Secondary level will be offered in the same Accredited institution (AI) selected by the learners for academic subjects. These will be considered as academic subjects for the purpose of calculation of admission fee as per NIOS norms.

3. The learners who have opted any one of the following subjects available under Academic at Secondary level shall not be given option to choose any other vocational subject for certification.

   1. Data Entry Operations (229)
   2. Entrepreneurship (249)

   Similarly, the learners who have opted any one of the following vocational subjects at Senior Secondary level shall not be given option to choose any other vocational subject for certification.

   1. Data Entry Operations (336)
   2. Early Childhood Care and Education (376)
   3. Tourism (337)
   4. Physical Education (373)

4. एकीकरण के अंतर्गत, व्यावसायिक विषय पांच विषयों में से एक हो सकता है। शैक्षिक विवरणिका की तालिका 8 में दिए गए उत्तीर्ण मानदंडों में कोई बदलाव नहीं है। यद्यपि, यदि शिक्षार्थी व्यावसायिक विषय सहित केवल 5 विषय ले रहा है तो व्यावसायिक विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यदि शिक्षार्थी एक व्यावसायिक विषय सहित 6/7 विषय लेता है और व्यावसायिक विषय में उत्तीर्ण नहीं हो सका, तो शैक्षिक विवरणिका में उल्लिखित 1 भाषा और 4 अन्य विषयों अथवा 2 भाषाओं और तीन अन्य विषयों में उत्तीर्ण होने का संज्ञान लेते हुए शिक्षार्थी को उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

5. एकीकरण के अंतर्गत विषयों/पाठ्यक्रमों के लिए मूल्यांकन मानदंड शैक्षिक विषयों के समान ही होंगे। इसलिए, किसी विषय में उत्तीर्ण होने के लिए, एक शिक्षार्थी को न्यूनतम कुल 33% (सिद्धांत + प्रायोगिक) प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और माध्यमिक स्तर पर सिद्धांत और प्रायोगिक परीक्षा के कुल योग में आंतरिक मूल्यांकन अंकों को शामिल करने के बाद 100 में से 33 अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है। यद्यपि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर किसी विषय में उत्तीर्ण होने के लिए सिद्धांत और प्रायोगिक में अलग-अलग न्यूनतम 33% और आंतरिक मूल्यांकन सहित कुल 33% अंक अनिवार्य हैं।

6. सिद्धांत, प्रायोगिक और आंतरिक मूल्यांकन के अंकों का विभाजन तालिका 2-क - 2-ख पर दी गई परीक्षा की योजना के अनुसार है।

7. आंतरिक मूल्यांकन प्रशिक्षक/बाह्य परीक्षक द्वारा लिए गए आवधिक परीक्षण, मौखिक परीक्षा, सत्रीय कार्यों, परियोजनाओं, आदि पर आधारित है।

8. प्रायोगिक परीक्षा आयोजन के बाद प्रायोगिक और आंतरिक परीक्षा के अंक एआई द्वारा अलग-अलग अपलोड किए जाएं।

9. प्रत्यायित संस्थानों (एआई) से अनुरोध किया जाता है और एनआईओएस नियमानुसार व्यावसायिक विषयों के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के लिए

4. Under integration, the vocational subject can be one of the five subjects. There is no change in the passing criteria as given in table 8 of the Academic Prospectus. However, it is mandatory to pass in the Vocational subject in case the learner is taking only 5 subjects including the vocational one. If the learner is taking 6/7 subjects including one vocational subject and could not pass the vocational subject, the pass certificate will be issued taking cognizance of pass in 1 language and 4 other subjects or 2 languages and three other subjects as mentioned in the Academic prospectus.

5. The assessment criteria for the subject/ courses under integration will be same as those for academic subjects. Hence, to pass in a subject, a learner needs to secure a minimum 33% aggregate (Theory plus Practical) and 33 marks out of 100 is required after including the Internal Assessment marks in the aggregate of theory plus practical at secondary level. However, passing separately in Theory and Practical with minimum 33% each and min. 33% in aggregate including Internal Assessment is necessary to pass in a subject at senior Secondary level.

6. The distribution of marks of Theory, Practical and Internal Assessment is as per scheme of examination given at TABLE 2A-2B.

7. The Internal assessment is based on Periodical Tests, Viva-Voce, Assignments, Projects, etc. taken by trainer/external examiner.

8. The awards of internal assessment and practical are to be uploaded separately by the AIs after the conduct of practical examination.

9. The Accredited Institutes (AIs) are requested and encouraged to develop the basic infrastructure for vocational subjects as per

प्रोत्साहित किया जाता है, जो शिक्षार्थियों के हित में होगा और लंबे समय तक संस्थान के लिए सहायक होगा।

10. वर्तमान में, शैक्षिक विषयों के साथ एकीकृत व्यावसायिक विषयों के लिए कोई जब चाहो तब परीक्षा (ओडीई) नहीं है।

11. वर्तमान में, शैक्षिक विषयों के साथ एकीकरण में प्रस्तुत किए जा रहे व्यावसायिक विषय हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध हैं। शिक्षार्थियों के प्रयोग हेतु पाठ्यक्रम सामग्री एनआईओएस व्यावसायिक पोर्टल पर भी उपलब्ध है। कुछ व्यावसायिक विषय कुछ क्षेत्रीय माध्यम में उपलब्ध हैं। शिक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश लेने से पहले एनआईओएस वेबसाइट पर लॉगिन कर इसका विवरण प्राप्त करें।

NIOS norms which would be in the interest of the learners and will be helpful for the institute in the long run.

10. At present, there is no on-demand examination (ODEs) for the vocational subjects integrated with Academic subjects.

11. At present, the vocational subjects being offered in integration with academic subjects are available in Hindi and English medium. The course material is also available at the NIOS Portal for usage of learners. Few vocational subjects are available in certain regional medium. The learners are advised to login to NIOS website for details before taking admissions.

तालिका–2क / Table - 2A

उसी प्रत्यायित संस्थान (एआई) में माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक विषयों के संयोजन में कराए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सूची
List of Vocational Courses to be offered in combination with Academic Subject at Secondary level in the same Accredited Institution (AI)

कोड सं./ Code No.	कार्यक्रम का नाम/ Name of the Programme	पढ़ाई के लिए अनिवार्य घंटे Compulsory Contact hours		परीक्षाओं की योजना / SCHEME OF EXAMINATIONS					
				समय (घंटे में)/ Time (in hrs.)		अंक/Marks			कुल/ Total
		सिद्धांत/ Theory	प्रायोगिक/ Practical	सिद्धांत/ Theory	प्रायोगिक/ Practical	सिद्धांत/ Theory	प्रायोगिक/ Practical	आंतरिक मूल्यांकन/ Internal Assessment	
608	बेसिक कम्प्यूटिंग/ Basic Computing	80	160	2	2	40	60	–	100
613	डेस्क टॉप पब्लिशिंग/ Desk Top Publishing	40	100	2	2	40	60	–	100
614	योग / Yoga	50	150	2	2	40	60	–	100

तालिका–2ख / Table - 2B

उसी प्रत्यायित संस्थान (एआई) में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक विषयों के संयोजन में कराए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सूची
List of Vocational Courses to be offered in combination with Academic Subject at Senior Secondary level in the same Accredited Institution (AI)

कोड सं./ Code No.	कार्यक्रम का नाम/ Name of the Programme	पढ़ाई के लिए अनिवार्य घंटे Compulsory Contact hours		परीक्षाओं की योजना / SCHEME OF EXAMINATIONS: समय (घंटे में)/ Time (in hrs.)		अंक/Marks			कुल/ Total
		सिद्धांत/ Theory	प्रायोगिक/ Practical	सिद्धांत/ Theory	प्रायोगिक/ Practical	सिद्धांत/ Theory	प्रायोगिक/ Practical	आंतरिक मूल्यांकन/ Internal Assessment	
363	फल एवं सब्जियों का संरक्षण/ Preservation of Fruits and Vegetables	40	260	2	3	40	60	–	100
631	कम्प्यूटर एवं कार्यालय एप्लिकेशंस/ Computer & Office Applications	40	100	2	2	40	60	–	100
660	वेब डेवलपमेंट/ Web Development	80	160	1.5	3	30	70	–	100
667	योग सहायक/ Yoga Assistant	80	160	3	3	80	100	20	200

1.4ख व्यावसायिक और शैक्षिक विषयों का संयोजन

स्ट्रीम-1 के लिए माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हुए शिक्षार्थी **तालिका-2ग** में सूचीबद्ध ऐसे पृथक रूप से लिए जाने वाले व्यावसायिक विषयों में से कोई एक विषय ले सकता/सकती है, जो **तालिका-1** समूह 'ख' में नहीं दर्शाए गए हैं। इस प्रकार के विषय के लिए किसी एवीआई पर प्रवेश लेना होगा। एवीआई संबंधी जानकारी www.nios.ac.in से प्राप्त की जा सकती है। शिक्षार्थी के अनुरोध पर विषय में प्राप्त अंक माध्यमिक अथवा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा की अंकसूची में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। इसके लिए शिक्षार्थी सादे कागज पर एनआईओएस के निदेशक (मूल्यांकन) के नाम आवेदन फॉर्म तथा दस्तावेज़ के साथ माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक स्तर की मूल अंक सूची एवं व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा की अंक सूची की फोटोकॉपी संलग्न करें।

1.4B Combination of Vocational and Academic Subjects

While seeking admission in the Secondary/Senior Secondary Course for stream-1, a learner may opt for one of the stand alone Vocational subjects listed in **Table-2C,** but not mentioned in Group 'B' in **Table-1**. Separate admission for such subject is required to be taken at one of the AVIs. Information regarding AVIs can be obtained from the website: www.nios.ac.in. The pass credit obtained in the subject can be transferred, on request, in the Secondary/the Senior Secondary Examination Certificate. The concerned learner is required to submit a request on a plain paper with documents to the Director (Evaluation) of NIOS. It should be accompanied with the original Secondary/Senior Secondary Marksheet and photo copy of the Marksheet of the Vocational Education Examination.

तालिका 2ग : ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सूची जिन्हें शैक्षिक पाठ्यक्रमों के संयोजन में चलाया जा रहा है
Table-2C : List of Vocational Education Courses offered in combination with Academic Courses

माध्यमिक स्तर/Secondary Level					
क्र.सं.	**कोड**	**विषय**	**S.No.**	**Code**	**Subject**
1.	(256)	बेकरी एवं कन्फेक्शनरी	1.	(256)	Bakery & Confectionery

उच्चतर माध्यमिक स्तर/Senior Secondary Level					
क्र.सं.	**कोड**	**विषय**	**S.No.**	**Code**	**Subject**
1.	(324)	आशुलिपि (हिंदी)	1.	(324)	Stenography (Hindi)
2.	(325)	आशुलिपि (अंग्रेजी)	2.	(325)	Stenography (English)
3.	(357)	कैटरिंग प्रबंधन	3.	(357)	Catering Management

महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा जारी प्रमाणपत्रों की स्वीकार्यता उच्चतर शिक्षा, सरकारी नौकरियों और अन्य सभी उद्देश्यों के लिए स्वीकार की जाती है। संस्थान द्वारा जारी प्रमाणपत्र सभी राष्ट्रीय/राज्य बोर्डों और विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। यद्यपि, कुछ मामलों में विभिन्न बोर्डों/विश्वविद्यालयों ने अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर एक योग्यता मापदंड निश्चित किया है। अतः एनआईओएस में प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थी विभिन्न बोर्डों/ विश्वविद्यालयों के नवीनतम योग्यता मानदंड भी ध्यान से पढ़ें।

IMPORTANT INFORMATION

The certificates issued by National Institute of Open Schooling (NIOS) are accepted for higher education, Govt. jobs and all other purposes. The certificates issued by NIOS are accepted by all National/State Boards and Universities. However, in certain cases, various Boards/Universities have fixed eligibility criteria based on their specific requirements. Hence, the learners seeking admission in NIOS must go through the latest eligibility criteria of concerned/desired Boards/Universities.

2

प्रवेश
Admission

शिक्षार्थियों के समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एनआईओएस वर्ष भर चार स्ट्रीमों में ऑन-लाइन प्रवेश कराता है। ऑन-लाइन प्रवेश के लिए स्ट्रीमों और प्रक्रिया का विवरण नीचे दिया गया है:

To cater to the needs of diverse groups of learners, NIOS offers Online Admissions throughout the year in four streams. The details of Streams and Procedure for Online Admission are given below:

2.1 ऑनलाइन प्रवेश के लिए पंजीकरण

शिक्षार्थियों के प्रवेश के लिए पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने हेतु कार्यालयी वेबसाइट www.nios.ac.in और एनआईओएस के शिक्षार्थी पोर्टल sdmis.nios.ac.in के माध्यम से 100% ऑन-लाइन प्रवेश है।

इस योजना के अंतर्गत, शिक्षार्थियों के पास चार विकल्प हैं :-

(i) **भाग 2.2** में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार ऑन-लाइन द्वारा सीधे अपना पंजीकरण कराएं।

(ii) अपने निकटतम एआई (अध्ययन केन्द्र)/ सहायता केन्द्र पर जाएं और ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सहायता लें। प्रत्यायित संस्थाओं (एआई) की सूची एनआईओएस वेबसाइट पर दी गई है।

(iii) अपने संबंधित एनआईओएस क्षेत्रीय केन्द्र में जाएं और ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उनकी सहायता लें। क्षेत्रीय केन्द्रों की सूची **परिशिष्ट-क** पर दी गई है।

(iv) सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के जन सेवा केन्द्रों (सीएससी) में जाएं। विभिन्न राज्यों में जन सेवा केन्द्र जिन नामों से जाने जाते हैं उनकी सूची **'परिशिष्ट-ख'** पर है।

ऑनलाइन प्रवेश के लिए चार स्ट्रीम हैं, जो कि विभिन्न आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के लिए हैं।

2.1 Registration for Online Admission

Admissions are 100% Online admission through website www.nios.ac.in and the Student Portal of NIOS sdmis.nios.ac.in in order to facilitate the learners to register for admission.

Under this scheme, the learner has four options :

(i) Register Online directly by following the procedure laid down in **Section 2.2**.

(ii) Visit nearest AI (Study Centre) and take its help for Online registration. The list of Accreditation Institutions (AIs) is available on NIOS website.

(iii) Visit the concerned Regional Centre of NIOS and take its help for online-registration. The list of Regional Centres is at **Appendix-A**.

(iv) Visit a Common Services Centre (CSC) of the Ministry of Information and Technology, Govt. of India. List of CSCs with the name they are known in different states is at **Appendix B**.

There are **four streams of Online admission** catering to the learners with

इन चार स्ट्रीमों में प्रवेश एक दूसरे से अलग हैं अर्थात् शिक्षार्थी इनमें से कोई एक ही चुन सकता/सकती है।

different needs. The admissions in these four streams are mutually exclusive i.e., learner can opt for one of them only.

2.1.1 सभी शिक्षार्थियों के लिए ऑन-लाइन प्रवेश (स्ट्रीम-1) : ऑन-लाइन प्रवेश की यह स्ट्रीम माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक के लिए निर्धारित योग्यता के अनुसार सभी शिक्षार्थियों के लिए है। प्रवेश सत्र 2026-27 से **स्ट्रीम-1** के लिए वर्ष भर (24×7) ऑन-लाइन प्रवेश की तिथियाँ इस प्रकार हैं :

2.1.1 Online Admission for all learners (Stream-1): This stream for Online Admission is open for all the learners as per the laid down eligibility criteria for the Secondary and the Senior Secondary courses. The dates for Online Admission for **stream-1** throughout the year (24×7) from the admission session 2026-27 and onwards are as follows:

ऑन-लाइन प्रवेश के ब्लॉक	ऑन-लाइन प्रवेश की तिथियाँ स्ट्रीम-I	शुल्क	परीक्षा जिसमें शिक्षार्थी अगले वर्ष पहली बार बैठ सकता/सकती है
ब्लॉक-1	16 मार्च - 31 जुलाई, 2026 1 अगस्त - 15 अगस्त, 2026 16 अगस्त - 31 अगस्त, 2026 1 सितंबर - 15 सितंबर, 2026	विलंब शुल्क के बिना रु. 260/- विलंब शुल्क के साथ रु. 520/- विलंब शुल्क के साथ रु. 910/- विलंब शुल्क के साथ	मार्च-अप्रैल, 2027
ब्लॉक-2	16 सितंबर, 2026-31 जनवरी, 2027 1 फरवरी - 15 फरवरी, 2027 16 फरवरी - 28 फरवरी, 2027 1 मार्च - 15 मार्च, 2027	विलंब शुल्क के बिना रु. 260/- विलंब शुल्क के साथ रु. 520/- विलंब शुल्क के साथ रु. 910/- विलंब शुल्क के साथ	सितंबर-अक्तूबर, 2027
Block for Online Admission	**Dates of Online Admission Stream-I**	**Fee**	**Examination in which the students can appear first time**
Block-1	16th March - 31st July 2026 1st August - 15th August 2026 16th August - 31st August 2026 1st September - 15th September, 2026	without late fee with late fee of Rs. 260/- with late fee of Rs. 520/- with late fee of Rs. 910/-	March-April, 2027
Block-2	16th September 2026 - 31st January 2027 1st February - 15th February 2027 16th February - 28th February 2027 1st March - 15th March 2027	without late fee with late fee of Rs. 260/- with late fee of Rs. 520/- with late fee of Rs. 910/-	September-October, 2027

शिक्षार्थियों को प्रवेश की पुष्टि के लिए संबंधित/सहायक दस्तावेज़ और फोटो ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म में उपलब्ध उपयुक्त स्थान पर अपलोड करने होंगे। ऐसे शिक्षार्थी जिन्होंने क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) के लिए आवेदन किया था, वे मूल अनुत्तीर्ण अंक तालिका के पीछे संदर्भ संख्या लिखकर परिशिष्ट-क के अनुसार एनआईओएस के संबंधित क्षेत्रीय केंद्र को भेजें। स्ट्रीम-1 के अंतर्गत ऑनलाइन प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थी को प्रवेश के समय एआई (अध्ययन केंद्र) के लिए दी गई प्राथमिकता और सीट की उपलब्धता के आधार पर एआई (अध्ययन केंद्र) से संबद्ध किया जाएगा।

2.1.2 उन शिक्षार्थियों के लिए ऑन-लाइन प्रवेश जो सितंबर-अक्तूबर 2026 (स्ट्रीम-2) परीक्षा में बैठना चाहते हैं : ऑनलाइन प्रवेश के लिए यह स्ट्रीम ऐसे शिक्षार्थियों के लिए **01.05.2026 से 30.06.2026 तक** खुली है, जो पहले ही किसी मान्यताप्राप्त परीक्षा बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए एक विषय अथवा 04 विषयों में आंशिक प्रवेश लेना चाहते हैं, अथवा ऐसे शिक्षार्थी जो परीक्षा में बैठे लेकिन सार्वजनिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके अथवा ऐसे शिक्षार्थी जो परीक्षा में बैठने के पात्र थे परन्तु किसी भी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक स्तर की सार्वजनिक परीक्षा में नहीं बैठ सके और जो **तालिका 3** के अनुसार आयु, पते के प्रमाण की प्रवेश आवश्यकता पूरी करते हों। शिक्षार्थी को प्रवेश की पुष्टि के लिए ऑन लाइन प्रवेश फार्म में दिए गए उचित स्थान पर संबंधित/सहायक दस्तावेजों तथा फोटोग्राफ के साथ-साथ अनुत्तीर्ण अंकतालिका/प्रवेश पत्र (हॉल टिकट) भी अपलोड करना होगा। क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) के लिए आवेदन करने वाले शिक्षार्थी अपनी अनुत्तीर्ण अंक तालिका की मूल प्रति के पीछे संदर्भ संख्या लिखकर परिशिष्ट-क के अनुसार एनआईओएस के संबंधित क्षेत्रीय केंद्र को भेजें। इस स्ट्रीम के अंतर्गत शामिल होने वाले शिक्षार्थी एनआईओएस की सितंबर-अक्तूबर, 2026 की माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक सार्वजनिक परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

The learners have to upload the relevant/supporting documents and photograph on appropriate space available in the Online Admission Form for confirmation of the admission. The learners who had applied for Transfer of Credit (TOC) have to send original failed Marksheet mentioning the Reference/Enrolment Number alongwith the admission form to the respective Regional Centre of NIOS as per Appendix-A. A learner seeking admission through Online under Stream-1 will be attached to the AI (Study Centre) as per preference given by him/her at the time of admission and as per the availability of seats in the AI.

2.1.2 Online Admissions for learners who want to appear in September-October, 2026 examinations (Stream-2): This stream for Online admission is **open from 01.05.2026 to 30.06.2026** for such learners who have already passed the Secondary Examination from the recognised Board and wish to take Part Admission in one subject or up to 4 subjects for updating their qualification, or learners who had appeared but could not clear or who were eligible but could not appear in the Public Examination of the Secondary/Senior Secondary level from any recognised Examination Board and fulfil entry requirement of age, address proof as per **Table 3**. The learner has to upload the failed Marksheet/Admit Card (Hall Ticket) alongwith relevant/supporting documents and photograph on appropriate space available in the Online Admission Form for confirmation of admission. The learner who has applied for Transfer of Credit (TOC) have to send original failed Marksheet mentioning the Reference/Enrolment Number alongwith the Admission Form to the respective Regional Centre of NIOS as per Appendix-A. The learners of this stream will be eligible to appear in the September-October, 2026 Secondary/Senior Secondary Public Examinations of NIOS.

2.1.3 ऑन-लाइन प्रवेश उन शिक्षार्थियों के लिए जो माध्यमिक स्तर पर जब चाहो तब परीक्षा (ओड्स) में बैठना चाहते हैं (स्ट्रीम-3) : इसके अंतर्गत ऑन-लाइन प्रवेश उन शिक्षार्थियों के लिए पूरे वर्ष खुला रहेगा जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की है और अपनी योग्यता को एक अथवा अधिकतम चार विषयों में प्रवेश लेकर बढ़ाना चाहते हैं अथवा ऐसे शिक्षार्थी जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से परीक्षा दी परंतु उत्तीर्ण नहीं हो सके अथवा जो परीक्षा में बैठने योग्य थे परन्तु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सार्वजनिक परीक्षा में बैठ नहीं सके और एनआईओएस की जब चाहो तब परीक्षा प्रणाली से केवल माध्यमिक परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं और **तालिका 3** पर दिए आयु, पते के प्रमाण के अनुसार प्रवेश में मानदण्ड को पूरा करते हों। शिक्षार्थी को प्रवेश की पुष्टि के लिए ऑन लाइन प्रवेश फार्म में दिए गए उचित स्थान पर संबंधित/सहायक दस्तावेजों तथा फोटोग्राफ के साथ-साथ अनुत्तीर्ण अंकतालिका/प्रवेश पत्र (हॉल टिकट) भी अपलोड करना होगा। ऐसे शिक्षार्थी जिन्होंने क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) के लिए आवेदन किया था उन्हें मूल अनुत्तीर्ण अंक तालिका के पीछे संदर्भ संख्या लिखकर इसे ऑन लाइन प्रकोष्ठ, एनआईओएस, कक्ष सं. 408, ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-62, नोएडा-201309, उत्तर प्रदेश को भेजना होगा। माध्यमिक स्तर पर ओड्स के माध्यम से परीक्षा में बैठने के लिए उपलब्ध विषय हैं हिंदी (201), अंग्रेजी (202), संस्कृत (209), गणित (211), विज्ञान (212), सामाजिक विज्ञान (213), अर्थशास्त्र (214), व्यवसाय अध्ययन (215), गृह विज्ञान (216), मनोविज्ञान (222), भारतीय संस्कृति एवं विरासत (223), लेखांकन (224), चित्रकला (225), डाटा एंट्री आपरेशन्स (229), भारतीय दर्शन (247) तथा संस्कृत साहित्य (248)।

2.1.4 ऐसे शिक्षार्थियों के लिए ऑन-लाइन प्रवेश जो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एनआईओएस की

2.1.3 Online Admission for learners who want to appear under the On Demand Examination System (ODES) of NIOS for the Secondary level (Stream-3): This stream for Online admission is open throughout the year for such learners who have already passed the Secondary Examination from the recognised Board and wish to take Part Admission in one subject or up to 4 subjects for updating their qualification, or learners who had appeared but could not clear, or who were eligible but could not appear in the Public Examination of the Secondary level from any recognised Board and want to appear through On Demand Examination System of NIOS for the Secondary level only and entry requirement of age, address proof as per **Table 3**. The learner should upload the failed Marksheet/Admit Card (Hall Ticket) alongwith relevant/supporting documents and photograph on appropriate space available in the Online Admission Form for confirmation of admission. The learner who has applied for Transfer of Credit (TOC) have to send original failed Marksheet mentioning the Reference/Enrolment Number alongwith the Admission Form to Online Cell, NIOS, Room No. 408, A-24-25, Institutional Area, Sector-62, NOIDA-201309, Uttar Pradesh. The Subjects presently available for appearing through ODES at the Secondary level are Hindi (201), English (202), Sanskrit (209), Mathematics (211), Science (212), Social Science (213), Economics (214), Business Studies (215), Home Science (216), Psychology (222), Indian Culture & Heritage (223), Painting (225) and Data Entry Operations (229), Accountancy (224), Bharatiya Darshan (247) and Sanskrit Sahitya (248).

2.1.4 Online Admission for learners who want to appear under the On Demand

'जब चाहो तब परीक्षा' प्रणाली (ओड्स) (स्ट्रीम-4) में बैठना चाहते हैं : इसके अंतर्गत ऑन-लाइन प्रवेश उन शिक्षार्थियों के लिए पूरे वर्ष खुला रहेगा जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक अथवा इससे उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और एक अथवा अधिकतम चार विषयों में प्रवेश लेकर अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहते हैं और जिन्होंने किसी भी मान्यताप्राप्त बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे शिक्षार्थी जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक स्तर से परीक्षा दी परन्तु उत्तीर्ण नहीं हो सके अथवा जो परीक्षा में बैठने के पात्र थे परन्तु सार्वजनिक परीक्षा में बैठ नहीं सके और वे उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उन्हीं विषयों में एनआईओएस की 'जब चाहो तब परीक्षा' में बैठना चाहते हैं और **तालिका 3** के अनुसार आयु, पते के प्रमाण के अनुसार प्रवेश आवश्यकता पूरी करते हों। शिक्षार्थी को प्रवेश की पुष्टि के लिए ऑन लाइन प्रवेश फार्म में दिए गए उचित स्थान पर संबंधित/सहायक दस्तावेजों तथा फोटोग्राफ के साथ-साथ अनुत्तीर्ण अंकतालिका/प्रवेश पत्र (हॉल टिकट) भी अपलोड करना होगा। ऐसे शिक्षार्थी जिन्होंने क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) के लिए आवेदन किया था उन्हें मूल अनुत्तीर्ण अंक तालिका के पीछे संदर्भ संख्या लिखकर इसे ऑन लाइन प्रकोष्ठ, एनआईओएस, कक्ष सं. 408, ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा-201309, उत्तर प्रदेश को भेजना होगा। **इस समय उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ओड्स द्वारा उपलब्ध विषय हैं :** हिंदी (301), अंग्रेजी (302), संस्कृत (309), गणित (311), भौतिकी (312), रसायन विज्ञान (313), जीव विज्ञान (314), इतिहास (315), भूगोल (316), राजनीति विज्ञान (317), अर्थशास्त्र (318), व्यवसाय अध्ययन (319), लेखांकन (320), गृह विज्ञान (321), मनोविज्ञान (328), कम्प्यूटर विज्ञान (330), समाजशास्त्र (331), चित्रकला (332) पर्यावरण विज्ञान (333), जन संचार (335), डाटा एंट्री आपरेशन्स (336), कानून का परिचय (338) और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान (339)।

Examination System (ODES) of NIOS for the Senior Secondary level (Stream-4): This stream for Online admission is open throughout the year for such learners who have already passed the Senior Secondary or above from any recognized Board/University and wish to take Part Admission in one subject or up to 4 subjects for updating their qualification; or learners who had appeared but could not clear; or who were eligible but could not appear in the Public examination of the Senior Secondary level from any recognized Board and want to appear through On Demand Examination System of NIOS at the Senior Secondary level and fulfill entry requirement of age, address proof as per **Table 3**. The learner should upload the failed Marksheet/Admit Card (Hall Ticket) alongwith relevant/ supporting document and photograph on appropriate space available in the online Admission Form for confirmation of admission. The learner who had applied for Transfer of Credit (TOC) has to send original failed Marksheet mentioning the Reference/Enrolment Number alongwith the Admission Form to the Online Cell, NIOS, Room No. 408, A-24-25, Institutional Area, Sector-62, NOIDA-201309, Uttar Pradesh. **The subjects presently available for appearing through ODES at the Senior Secondary level are:** Hindi (301), English (302), Sanskrit (309), Mathematics (311), Physics (312), Chemistry (313), Biology (314), History (315), Geography (316), Political Science (317), Economics (318), Business Studies (319), Accountancy (320), Home Science (321), Psychology (328), Computer Science (330), Sociology (331), Painting (332), Environmental Science (333), Mass Communication (335), Data Entry Operations (336), Introduction to Law (338) and Library & Information Science (339).

नोट : (i) स्ट्रीम-3 और स्ट्रीम-4 के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाले शिक्षार्थियों को **केवल जब चाहो तब परीक्षा के माध्यम से ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।** इन्हें सितंबर-अक्तूबर और मार्च-अप्रैल के दौरान एनआईओएस द्वारा आयोजित **सार्वजनिक परीक्षा के माध्यम से परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

(ii) किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत नामांकित शिक्षार्थी **अनुच्छेद 2.6** में दिए गए नियम एवं शर्तों के अनुसार टीओसी लेने के पात्र होंगे।

(iii) **स्ट्रीम-2, स्ट्रीम-3, स्ट्रीम-4 में पंजीकरण कराने वाले ऐसे शिक्षार्थी जो मूल बोर्ड से भिन्न विषय अथवा अतिरिक्त विषय लेना चाहते हैं उन्हें प्रवेश/पंजीकरण शुल्क, परीक्षा शुल्क और टीओसी शुल्क के अतिरिक्त रु. 940/- प्रति विषय का भुगतान करना होगा।**

(iv) **प्रामाणिकता की आवश्यकता : शिक्षार्थी को आधार संख्या, आधार नामांकन संख्या, पासपोर्ट संख्या, राशन कार्ड संख्या, बैंक खाता संख्या अथवा कोई अन्य वैध सरकारी पहचान जैसे उपलब्ध प्रामाणिक दस्तावेज़ में से एक चुनना होगा। प्रमाण के रूप में शिक्षार्थी को चुने गए मूल दस्तावेज़ की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी।**

Note: (i) A learner registering under the Stream-3 and the Stream-4 will **be allowed to appear in the Examination only through On Demand Examination** mode. Learner **will not be allowed to appear in the Examination through the Public Examinations** conducted by NIOS during September-October and March-April.

(ii) A learner registered under any stream will be eligible for TOC as per guidelines and conditions given in **Section 2.6**.

(iii) **A learner registering under the Stream-2, the Stream-3, the Stream-4 desirous to take different subjects or additional subject from his/her Parent Board of School Education, will be required to pay Rs. 940/- per subject in addition to Admission/Registration Fee, Examination Fee and TOC fee.**

(iv) **Requirement of Authentication: The learner has to choose one of the available authentication method viz., Aadhaar Number, Aadhaar Enrolment number, Passport number, Ration Card Number, Bank Account Number or any other valid government identity card. As a proof, the learner need to upload the scanned copy of the original document through selected authentication method.**

2.2 ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया

उपर्युक्त चार स्ट्रीमों के संदर्भ में ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

2.2.1 एनआईओएस की वेबसाइट **www.nios.ac.in** अथवा

2.2 Procedure for Online Admission

The procedure for Online Admission in the context of above four streams is as follows :

2.2.1 Log on to NIOS website **www.nios.ac.in**

एनआईओएस के शिक्षार्थी पोर्टल **sdmis.nios.ac.in** पर जाएं और निम्नलिखित विषयों के बारे में दिए गए निर्देश ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने आरंभ करने से पहले फोटो, हस्ताक्षर और तालिका-3 में उल्लिखित प्रवेश की आवश्यकताओं के अनुरूप संबंधित दस्तावेज की स्कैन की गई फोटो तैयार रखें। आप अपना वैध मोबाइल नंबर और वैध ई-मेल आईडी भी तैयार रखें।

2.2.2 माध्यमिक अथवा उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए शिक्षार्थी निम्नलिखित मूल दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति/सॉफ्ट प्रति अपलोड करने के लिए तैयार रखें :

➤ हाल ही का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो

➤ शिक्षार्थी के हस्ताक्षर (बेहतर होगा यदि काली स्याही में हों।)

➤ पहचान का वैध प्रमाण **(जैसे आधार नंबर, आधार नामांकन संख्या, पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड नंबर, बैंक खाता संख्या अथवा कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र आदि)**

➤ माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जन्म तिथि का वैध प्रमाण (जन्म प्रमाणपत्र अथवा पासपोर्ट अथवा स्थानांतरण प्रमाणपत्र/विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र अथवा आधार कार्ड जिसमें जन्म तिथि/दिन/माह/वर्ष प्रारूप में मुद्रित हो आदि)

➤ निवास का वैध प्रमाण (राशन कार्ड अथवा आधार कार्ड, अथवा नियोक्ता से प्राप्त उसके पत्र शीर्ष पर नियुक्ति पत्र, अथवा पानी/टेलीफोन/बिजली बिल/चल रहे बैंक खाते का विवरण अथवा आयकर आंकलन आदेश/निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र, नाबालिग के मामले में माता-पिता का पासपोर्ट, अगर किराए के घर में रह रहे हैं तो स्थायी पते के प्रमाणपत्र के साथ किराए के वैद्य अनुबंध की प्रति)।

or the Student Portal of NIOS sdmis.nios.ac.in and read the instructions and procedures carefully and keep ready all the necessary information and scanned images (s) of Photograph, Signature and relevant Document as per Entry Requirements mentioned in Table-3 before you start filling the Online Application Form. You should also be ready with your valid Mobile Number and / valid e-mail ID.

2.2.2 The learner has to be ready with Original scanned copy of the following documents which will be required to be uploaded while registering for the Admission to the Secondary or the Senior Secondary courses:

➤ Recent Passport size colour Photograph.

➤ Signature of learner (preferably in Black Ink).

➤ Valid Identity Proof (like **Aadhaar Number, Aadhaar Enrolment number, Passport number, Ration Card number, Bank Account number or any other valid government Identity Card** etc.)

➤ Valid proof of Date of Birth in case of the Secondary Course (Birth Certificate or Passport or Transfer Certificate / School Leaving Certificate or Aadhaar Card with date of birth printed on it in the dd/mm/yyyy format)

➤ Valid proof of Residence (like Ration Card, or Aadhaar Card, or Appointment Letter from the Employer on Letter Head, or water/Telephone/Electricity Bill/Statement of running Bank Account or Income Tax Assessment Order/ Election Commission's Voter Identity Card, Parents Passport in case of minor, if living in rented accommodation, copy of proof of Permanent Address along with valid Rent Agreement)

- आठवीं कक्षा की अंकसूची अथवा स्व-प्रमाणपत्र (माध्यमिक पाठ्यक्रम के मामले में) दसवीं कक्षा की अंकसूची/प्रमाणपत्र (उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम के मामले में)।
- सामाजिक वर्ग/जाति प्रमाणपत्र की स्व-प्रमाणित वास्तविक प्रति (यदि शिक्षार्थी अनु. जाति/अनु.ज. जा./ओबीसी सामाजिक वर्ग का है)
- भूतपूर्व सैनिक प्रमाणपत्र (यदि वह भूतपूर्व सैनिक है)
- दिव्यांगता प्रमाणपत्र (यदि उसे किसी प्रकार की अक्षमता है)
- मूल स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मूल अथवा डिजिटल प्रति की माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक अनुत्तीर्ण अंकसूची की स्कैन की गई प्रति यदि शिक्षार्थी एनआईओएस की स्ट्रीम 2/3/4 में पंजीकरण कराता/कराती है।

2.2.3 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए चरण :

- शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार **ऑनलाइन प्रवेश के चार स्ट्रीम** हैं। इन चारों स्ट्रीमों में प्रवेश नितांत भिन्न हैं अर्थात शिक्षार्थी केवल एक ही स्ट्रीम चुन सकते हैं। निर्देश पढ़ने के बाद **"रजिस्टर"** बटन पर क्लिक करें। इससे कुछ अन्य निदेश और एक घोषणा दिखेंगे। निर्देश/घोषणा पढ़ें और **'प्रोसीड'** पर क्लिक करें। यदि शिक्षार्थी प्रक्रिया को जारी नहीं रखना चाहते, तो वे **'कैंसल'** बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
- शिक्षार्थी जिस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के हैं, वह चुनें।
- शिक्षार्थी जिस पहचान द्वारा अपनी पहचान की वैधता प्रमाणित करना चाहते हैं, उसका चयन करें। शिक्षार्थी पहचान के प्रकारों की सूची में से किसी एक का चयन करें जैसे आधार नंबर, (आधार नामांकन आईडी उन्हें आबंटित की जाती है जो आधार नंबर के लिए

- Class 8th Marksheet or Self Certificate (in case of the secondary course). Class 10th Marksheet/Certificate (in case of Senior Secondary Course)
- Self attested true copy of Social Category/ Caste Certificate (in case the learner belongs to SC/ST/OBC social category).
- Ex-serviceman Certificate (in case the learner is an Ex-Serviceman)
- Disability Certificate (in case the learner is having any kind of disability)
- Original scanned or digital copy of Failed Secondary and Senior secondary Marksheet issued by the Parent Board of the School Education in case learner registers in NIOS for Stream- 2/3/4.

2.2.3 Steps to be followed to fill in the Application Form Online:

- There are **four streams of Online admission** catering to the learners with different needs. The admissions in these four streams are mutually exclusive i.e., a learner can opt for one of them only. After reading the instructions, click on the "**Register**" button. This will display some other important instructions and a declaration. Read the instructions/declaration and then click on **Proceed**. The learner can click on **Cancel button** if he/she does not want to continue the process.
- Select the State/UT to which the learner belongs to.
- Select the Identity type through which the learner intends to validate his/her identity. The learner can select any one out of the given List of Identity Types like Aadhaar Number, Aadhaar Enrolment ID (allotted to

नामांकित हैं परन्तु अब तक आधार नंबर नहीं मिला है), पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड नंबर, बैंक खाता नंबर, जन्म तिथि प्रमाणपत्र अथवा कोई अन्य प्रकार का वैध पहचान पत्र आदि।

those who have enrolled for Aadhaar Number but not yet received the Aadhaar Number), Passport Number, Ration Card Number, Bank Account Number, Date of Birth Certificate or any other valid Identity type etc.)

➤ पहचान के दस्तावेज़ की संख्या टाइप करें। इस संख्या की वैधता जांची जाएगी। शिक्षार्थी को चुने हुए मूल पहचान दस्तावेज़ की स्कैन की गई प्रति भी अपलोड करनी होगी।

➤ Type the Identity Document Number. This number will be validated. The learner will also need to upload the scanned color copy of the selected original Identity Document.

➤ शिक्षार्थी जिस पाठ्यक्रम (माध्यमिक अथवा उच्चतर माध्यमिक) में प्रवेश लेना चाहता/चाहती है, उसका चयन करें।

➤ Select the Course (Secondary or Senior Secondary) for which the learner intends to take admission.

➤ आधार नंबर का सत्यापन अपने आप में एक पूर्ण प्रक्रिया है। आपके द्वारा प्रदान किया गया आधार नवंबर नाम (आधार कार्ड पर छपे अनुसार) और जेंडर (आधार कार्ड पर छपे अनुसार) आधार जारीकर्ता प्राधिकारी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा सत्यापित किया जाएगा। यदि पंजीकरण प्रक्रिया में दी गई कोई जानकारी (आधार नंबर, नाम और जेंडर) आधार कार्ड से मेल नहीं खाती है तो सत्यापन प्रक्रिया असफल हो जाएगी और शिक्षार्थी को आगे प्रवेश फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

➤ Authenticating the Aadhaar Number is a complete process in itself. The Aadhaar number provided by you along with Name (as printed on the Aadhaar Card) and Gender (as printed on the Aadhaar Card) will be validated from the Aadhaar Issuing Authority (Unique Identification Authority of India - UIDAI). If any information (Aadhaar Number, Name and Gender) given in the Registration process does not match with Aadhaar Card then the Authentication Process will fail and the learner will not be allowed to continue to fill in the Admission Form.

➤ डाटा का सफलतापूर्वक सत्यापन करने के बाद ही शिक्षार्थी को प्रवेश फार्म के आरंभिक विवरण पर पुनः निदेश दिया जाएगा।

➤ After successful Authentication of the data, the learner will be redirected to the Admission Form starting with the Basic details.

➤ **प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म आरंभिक विवरण, वैकल्पिक विवरण, विषय चयन, अध्ययन केंद्र चयन और दस्तावेज सेक्शन नामक अलग-अलग भागों में बंटा है।**

➤ **The Application Form for Admission is divided into different Sections, namely, Basic Details, Optional Details, Subjects selection, Study Centre selection and documents section.**

➤ एनआईओएस में प्रवेश ले रहे आवेदक का नाम, पिता का नाम और माता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, आधार नंबर अथवा वैध सरकारी पहचान पत्र संख्या,

➤ Fill up the Name of the Applicant seeking admission in NIOS, Father's Name and Mother's Name, Date of Birth, Gender, Aadhaar Number or any valid govt. identity

एक वैध मोबाइल नंबर और एक वैध ईमेल आईडी भर लें।

- वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) मोबाइल नंबर पर और ई मेल आईडी पर लेने के लिए 'जनरेट ओटीपी' बटन पर क्लिक करें जिससे संप्रेषण के दोनों माध्यमों का सत्यापन किया जा सके।

नोट : एक ईमेल आईडी केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है और एक मोबाइल नंबर और एक पता अधिकतम तीन शिक्षार्थियों के पंजीकरण के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

नोट : इस बिंदु पर पहुँचकर, शिक्षार्थी के लिए एक यूजर नाम और पासवर्ड सत्यापित ईमेल पते पर भेजे जाएंगे जिसका शिक्षार्थी के आरंभिक विवरण में उल्लेख किया गया है। इस मेल में आगे की प्रक्रिया/प्रोसेसिंग के लिए निर्देश भी रहेंगे। अपने यूजर विवरण (यूजर नाम और पासवर्ड) सुरक्षित रखें।

- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद शिक्षार्थी को अन्य विवरण जैसे स्थायी पता और डाक का पता, सामाजिक वर्ग/जाति का विवरण, अध्ययन का माध्यम आदि को भरने की अनुमति मिलेगी।

- अगले भाग में, वैकल्पिक विवरण जैसे परिवार की आय, माता-पिता की शैक्षिक योग्यता आदि भरें।

- यदि शिक्षार्थी उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण कर रहा/रही है तो उसे अपनी पिछली शैक्षिक योग्यता (दसवीं) का भी विवरण भरना होगा।

- बोर्ड का नाम, रोल नंबर और वर्ष चुनें जब आप पिछली परीक्षा में बैठे थे।

- बोर्ड परीक्षा में पढ़े गए विषय चुनें। चुने हुए प्रत्येक विषय के लिए सिद्धांत और प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक लिखें।

No., a valid Mobile Number, and a valid email address.

- Click on Generate OTP button to get One Time Password (OTP) on the Mobile Number and email address for authenticating both modes of communication.

NOTE: One email address can be used only once and one Mobile Number and one Address can be used for registration of maximum three learners.

NOTE: At this point of time, a User Name and a Password will be created for the learner and the details will be sent to the authenticated email address which was mentioned in the basic details of the learner. This email will also contain the instructions for further processing. Keep the user Credentials (user name and Password) safe.

- After successful authentication of the Mobile Number and email address, the learner will be allowed to fill up other details like Permanent Address and Postal Address, details about Social Category/Caste, Medium of Study etc.

- In the next section, fill in the optional details like Family Income, Qualification of Father and Mother etc.

- In case the learner is registering for the Senior Secondary course, then learner needs to fill the details of his/her pervious qualification (Class 10^{th}) also.

- Select the name of the Board, Roll Number and the Year in which you appeared in the last examination.

- Select the subjects studied for the Board Examination. For every selected subject, specify the marks obtained in Theory and Practical exams.

- वे विषय चुनें, जो आप एनआईओएस में पढ़ना चाहते हैं और वे विषय भी स्पष्ट करें जिनके लिए आप क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) लेना चाहते हैं। टीओसी के लिए विषयों का चुनाव एनआईओएस के नियमानुसार होगा।

- अगले भाग में, अध्ययन केंद्र चुनें। शिक्षार्थी अधिकतम 3 प्राथमिकताएं चुन सकता है। अध्ययन केंद्र उसके द्वारा चुने गए राज्य और जिले के आधार पर उपलब्ध होगा। अध्ययन केंद्र स्वचालित प्रणाली द्वारा अध्ययन केंद्र में सीटों की उपलब्धता के आधार पर प्रदान किया जाएगा। अध्ययन केंद्र शिक्षार्थी द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम, माध्यम और लिंग आदि जैसे विभिन्न चयनों के संयोजन के आधार पर चयन के लिए उपलब्ध होंगे।

नोट

शिक्षार्थी को फॉर्म की हार्ड प्रति और दस्तावेज भेजने/जमा करने की आवश्यकता नहीं हैं परन्तु मूल दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है। यदि एनआईओएस प्रबंधन द्वारा मांगे गए अथवा जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म/दस्तावेज़ों में कोई अन्य अनियमितता पाई जाती है, तो शिक्षार्थी को मुद्रित आवेदन फॉर्म एवं दस्तावेज़ और फोटो जमा करने होंगे। इसकी सूचना शिक्षार्थी को ई-मेल अथवा एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी।

- शिक्षार्थी को इस भाग में आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।

- विवरण भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, आगे बढ़ने के लिए **Next** बटन पर क्लिक करें।

- Select the subjects which you want to study in NIOS and also specify the subjects for which you want to take Transfer of Credit (ToC). Selection of the subjects for ToC will be as per the NIOS norms.

- In the next Section, select the Study Centre. The learner can select a maximum of 3 preferences. The Study Centre will be available on the basis of the State and the District selected by him/her. The Study Centre will be allocated by the automated system based on the availability of the seats in the Study Centre. The Study Centre will be available for selection on the basis of the combination of various selections made by the learner like Course, Medium, and Gender etc.

NOTE

The learner is not required to send/submit the hard copy of the Admission form and the documents but it is mandatory to upload the original scanned copy of required documents online. If required by NIOS Management or if any other discrepancy is found in the submitted online Application Form/Documents, the learner shall be required to submit the printed application form along with the Documents and Photograph. This requirement will be communicated to him/her through email and SMS.

- The learner will have to upload the required Documents in this Section.

- After filling the details and uploading the documents, click on the NEXT button to continue.

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में ऑन-लाइन प्रवेश की प्रक्रिया की चित्रात्मक प्रस्तुति

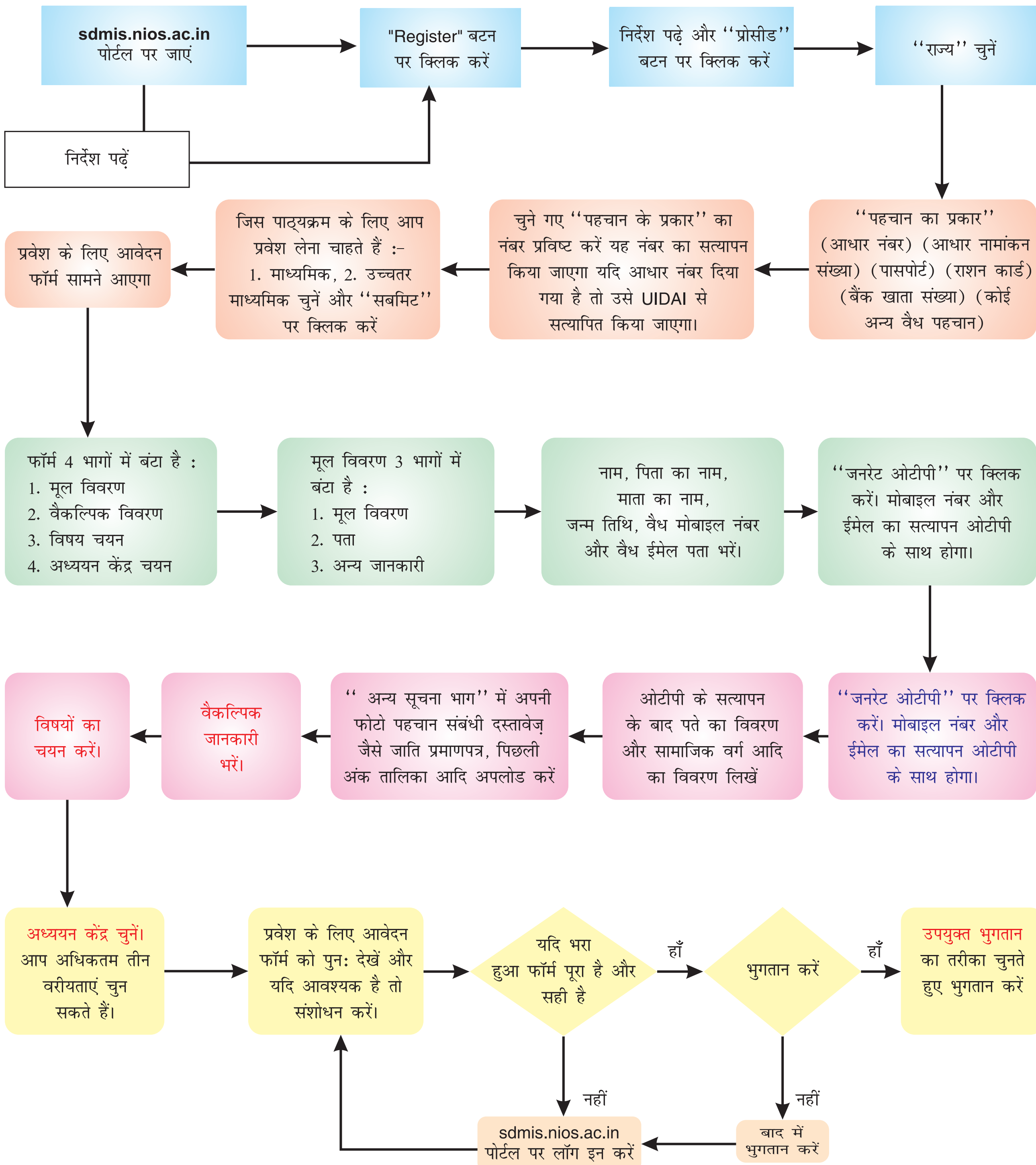

National Institute of Open Schooling (NIOS)
Diagrammatic Presentation of the Process of Online Admission in the Secondary and the Senior Secondary Education Courses

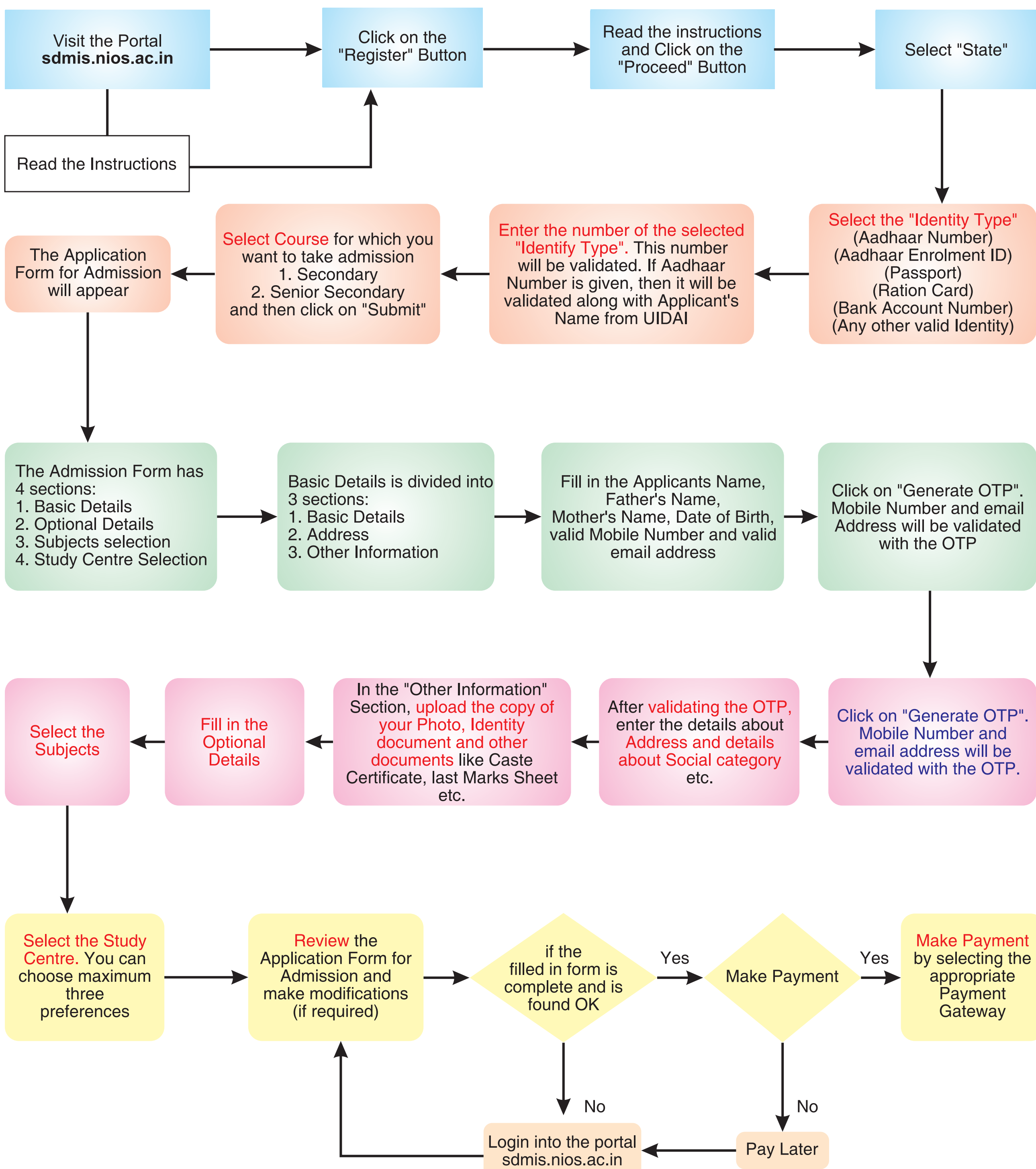

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

जब चाहो तब परीक्षा (ओड्स) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया

मौजूदा एनआईओएस शिक्षार्थियों के लिए चरण 2 और 3 छोड़ दिए जाएंगे

1. ओटीपी मोबाइल और ईमेल द्वारा पंजीकरण करें →
2. मूल विवरण भरें →
3. बोर्ड परीक्षा में पढ़े गए विषय/जिन विषयों में परीक्षा दी वे चुनें →
4. वे विषय चुनें/जोड़ें जिनमें आप परीक्षा देना चाहते हैं →
5. ओड्स के लिए आप जिस परीक्षा केंद्र में परीक्षा देना चाहते हैं, वह चुनें ↓
6. परीक्षा केंद्र के लिए तिथिवार सीटों की उपलब्धता देखें →
7. उपलब्ध कैलेंडर से परीक्षा की तिथि चुनें →
8. यदि परीक्षा की मनचाही तिथि उपलब्ध नहीं है, तो →
9. अगले महीने के लिए कैलेंडर से तिथियाँ चुनें →
10. चुने गए विषयों के लिए शुल्क का भुगतान चुनें ↓
11. संबंधित और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें →
12. ऑन डिमांड परीक्षा के लिए सीटें उपलब्धता के अनुसार दी जाएंगी। यदि दिनांक उपलब्ध नहीं हैं तो →
13. दो बार शुल्क का भुगतान किए बगैर अन्य तारीख के लिए प्रयास करें →

नोट 1: तिथियां बाद में डैशबोर्ड से भी बुक की जा सकती हैं →

नोट 2: किसी ऑन डिमांड परीक्षा में बैठने के बाद तिथियां दोबारा भी बुक की जा सकती हैं

तिथियों के सफलतापूर्वक बुक हो जाने के बाद

- अपने डैशबोर्ड पर लॉगइन करें और प्रवेश की पुष्टि की प्रतीक्षा करें →
- एनआईओएस मुख्यालय के अनुमोदन के बाद आप डैशबोर्ड से अपना पहचान पत्र और हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं →
- प्रायोगिक परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र से संपर्क करें

National Institute of Open Schooling (NIOS)

Online Registration Process for On-Demand Examination (ODE)

Steps 2 and 3 will be skipped for existing NIOS learners

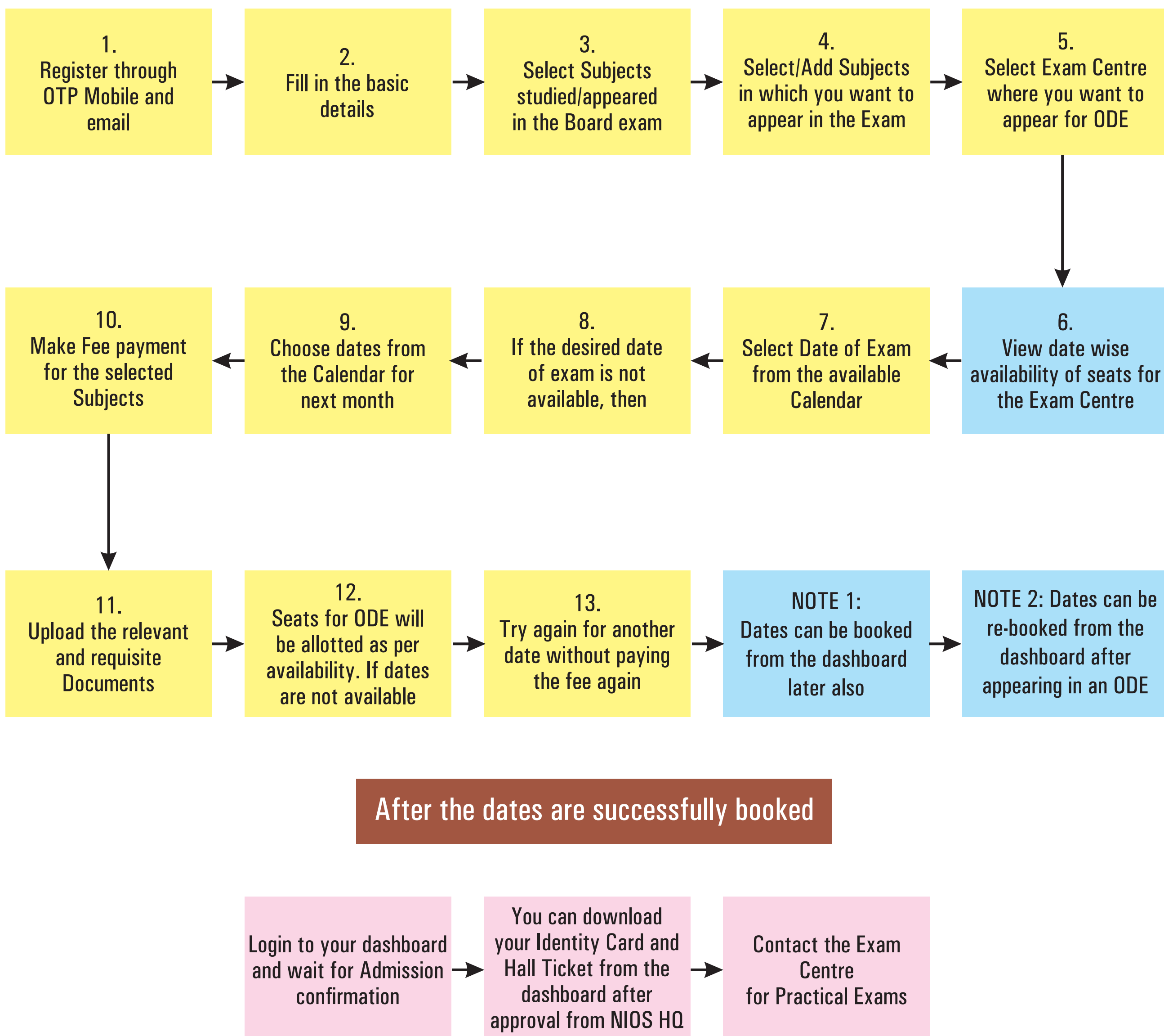

- विवरण भरने और आवश्यक दस्तावेज़ों को अपलोड करने के बाद **REVIEW SECTION** में पूरे फार्म का परिशोधन करें जिसमें शुल्क विवरण भी शामिल है। यदि, शिक्षार्थी भरी हुई किसी सूचना में कोई परिवर्तन करना चाहता/चाहती है तो वह हर भाग के **EDIT** बटन पर क्लिक करें बदलने के बाद **Review** भाग पर पहुंचने के लिए पुनः **NEXT** बटन पर क्लिक करें।

- After filling in the details and after uploading the required documents, review the entire Admission Form including Fee Details in the **REVIEW SECTION**. In case, the learner wants to change any of the information filled by him/her, then he/she can click on the **EDIT button/icon of each Section**. After changing the information, the learner has to again click on **NEXT button to reach the Review section**.

नोट

कृपया ध्यान दें कि शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन ही किया जाएगा। शुल्क के भुगतान के लिए कोई बैंक ड्रॉफ्ट/डिमांड ड्रॉफ्ट/नकद/चैक अथवा कोई अन्य माध्यम स्वीकार्य नहीं है। सभी सीएससी और एनआईओएस एआई (अध्ययन केंद्र) ऑन लाइन प्रवेश ले रहे शिक्षार्थियों की सहायता के लिए प्राधिकृत हैं। ऑन लाइन प्रवेश करने के लिए एनआईओएस ने किन्हीं अन्य एजेंसियों/साइबर कैफे/कोई अन्य संस्थाओं को मान्यता नहीं दी है।

NOTE

Please note that the fee payment is to be made online only. No Bank Draft/Demand Draft/Cash/Cheque or any other mode of fee payment is acceptable. All CSC and NIOS AIs (Study Centres) are authorized for facilitating the learners to take admission online. There are no other Agencies/Cybercafe/any other institutions recognized by NIOS for doing Online Admission.

- यदि पंजीकरण प्रक्रिया में शिक्षार्थी द्वारा दिया गया विवरण सही है, तो शिक्षार्थी आईडीबीआई, यूबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक इत्यादि भुगतान के उपलब्ध गेटवे चुनकर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। प्रवेश शुल्क के ऑन लाइन भुगतान के लिए सीएससी ग्रामीण स्तर उद्यमी (वीएलई) द्वारा सीएससी वॉलेट का उपयोग किया जा सकता है।

- If all the information, given by the learner in the Registration Process is Ok, then the learner can continue to make online payment by selecting the available Payment Gateways like IDBI, UBI, ICICI, HDFC Bank etc.CSC wallet can be used by CSC Village Level Entrepreneur (VLE) for making admission fee payment online.

- शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद, एनआईओएस शिक्षार्थी के पंजीकृत ईमेल में और उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा शुल्क भुगतान की रसीद प्राप्त होगी।

- After successful transaction, the learner will receive the Fee Payment Receipt in the learner's registered email and also through SMS on his/her registered Mobile Number.

- शुल्क के सफल भुगतान के बाद आपको एक संदर्भ संख्या दी जाएगी जिसे आप अपने प्रवेश की पुष्टि होने तक एनआईओएस से पत्राचार करते हुए प्रयोग कर सकते हैं। एक बार भुगतान सफलतापूर्वक हो जाने पर, शिक्षार्थी को अपने लॉग इन में डैशबोर्ड देखने की अनुमति होगी।

- After successful transaction, a Reference Number will be generated which can be used for communicating with NIOS until your admission is confirmed. Once the payment is done successfully, the learner will be allowed to see the dashboard in his/her login.

- **कृपया ध्यान दें कि प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण ब्लॉक विशेष के प्रवेश की अंतिम तिथि पर बंद हो जाएगा। प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने वाले शिक्षार्थी को प्रवेश शुल्क का भुगतान आवेदन के साथ अथवा आवेदन ऑनलाइन जमा करने के अधिकतम दस दिनों के अंदर करना होगा। यदि शिक्षार्थी अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ब्लॉक की अंतिम तिथि पर जमा करता/करती है तो ऐसे शिक्षार्थी को ब्लॉक की अंतिम तिथि से पांच दिनों के अंदर शुल्क का भुगतान करना होगा।**

- **Note that online Registration for Admission closes on the last date of admission for a particular Block of Admission. A learner submitting application form for Admission is required to make payment of Admission Fee either with the Application or at the most within 10 days of submitting the application online. In case, a learner submit online application form admission towards the closing date of the Block, then such learner is required to make online payment of the fee within 05 days of the closing date of the Block.**

- पंजीकरण के समय शिक्षार्थी द्वारा जमा किए गए दस्तावेज़ों, प्रवेश शुल्क और सूचना का सफलतापूर्वक सत्यापन होने के बाद, उसके प्रवेश की पुष्टि की जाएगी और एक नामांकन संख्या दी जाएगी। एनआईओएस प्रबंधन द्वारा प्रवेश की पुष्टि के बाद शिक्षार्थी को उपयुक्त सूचना ई-मेल और एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी।

- After successful verification of the documents, admission fee and the information submitted by the learner during registration, his/her admission will be confirmed and an Enrolment Number will be generated. Appropriate communication will be sent to the learner through email and SMS after the admission is confirmed by the NIOS Management.

- यदि पैसों का भुगतान असफल रहता है तो शिक्षार्थी को फिर से भुगतान करना होगा।

- If the payment transaction fails, then the learner has to make the payment again.

- शिक्षार्थी अपने यूज़र नाम और उसके पंजीकृत ई-मेल पर भेजे गए पासवर्ड का प्रयोग करके एनआईओएस के शिक्षार्थी पोर्टल (sdmis.nios.ac.in) में लॉग इन करके बाद में भुगतान कर सकता/सकती है।

- The learner can make the payment later as per norms by logging into the Student Portal of NIOS (sdmis.nios.ac.in) using the User Name and Password sent to his/her registered email.

- शिक्षार्थी का लॉग इन डैशबोर्ड आवेदन फॉर्म मुद्रित करना, शुल्क भुगतान की रसीद मुद्रित करना, पहचान पत्र मुद्रित करना, अध्ययन सामग्री जिसे एनआईओएस से शिक्षार्थी को निःशुल्क भेजी जाएगी की स्थिति देखना, परीक्षा के लिए पंजीकरण, परीक्षा शुल्क भुगतान और अन्य ई-सेवाएँ जैसी शिक्षार्थी संबंधी गतिविधियां प्रदान करेगा।

- The dashboard in the learner's login will provide the feature to manage all the student related activities like Printing the Application Form, Printing the Fee Payment Receipt, Printing the Identity Card/ID Card, checking the status of the Study Material which will be sent to the learner by NIOS free of cost, registering for exams, examination fee payment and other e-services.

शिक्षार्थी को सुझाव दिया जाता है कि सही और प्रामाणिक सूचना दें और आवेदन फॉर्म के संबंधित भागों में वैध प्रामाणिक और संबंधित फोटो/दस्तावेज़ अपलोड करें। भुगतान होने के बाद आवेदन फॉर्म में कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। अधूरी/गलत जानकारी अथवा असंबंधित फोटो/दस्तावेज़ अपलोड करने से एनआईओएस किसी भी समय पंजीकरण/प्रवेश रद्द कर सकता है।

The learner is suggested to furnish correct and authentic information and should upload valid, authentic and relevant color photo/color documents in the respective sections in the Application Form. No changes shall be permitted in the Application Form after the payment is done. Furnishing incomplete/wrong information or uploading irrelevant Photo/Documents will make NIOS to take action to cancel the Registration/ Admission at any point of time.

ऑन लाइन प्रवेश संबंधी पूछताछ के लिए शिक्षार्थी lsc@nios.ac.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

For queries regarding online admission, the learner can e-mail to lsc@nios.ac.in

2.3 क्षेत्रीय केंद्र/एआई (अध्ययन केन्द्र)/जन सेवा केन्द्र (सीएससी) के माध्यम से ऑन-लाइन प्रवेश की प्रक्रिया

एनआईओएस के सभी एआई (अध्ययन केन्द्रों) को अधिकार है कि वे ऑन-लाइन प्रवेश कराने वाले शिक्षार्थियों की सहायता के लिए ऑन-लाइन पंजीकरण काउंटर खोलें। वे शिक्षार्थियों की प्रवेश-पूर्व परामर्श, अध्ययन केन्द्रों/पाठ्यक्रमों के चुनाव, अध्ययन के माध्यम, क्रेडिट स्थानांतरण, क्रेडिट संचयन और एनआईओएस की अन्य विशेषताओं के बारे में सहायता करेंगे। **एआई जैसा कि भाग 2.2 में उल्लिखित है ऑन-लाइन पंजीकरण के लिए वही प्रक्रिया अपनाएँगे।** दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुँचने के उद्देश्य से, एनआईओएस ने जन सेवा केन्द्र (सीएससी), आईटी मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन किया। अब एक लाख से अधिक जन सेवा केंद्र (सीएससी) शिक्षार्थियों को पूर्व निर्धारित शुल्क पर ऑन लाइन सेवाएँ प्रदान करेंगे। पूर्व-निर्धारित शुल्क का विवरण एनआईओएस वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2.3 Procedure for Online Admission through Regional Centres/AIs (Study Centre)/Common Service Centres (CSCs)

All AIs (Study Centres) of NIOS are authorised to open an Online Registration Counter for facilitating learners to take Online admission. They will also help learners in pre-admission counselling, choice of study centres/Course, Medium of Instruction, transfer of credit, Credit Accumulation and other features of NIOS. **The AI will follow the same procedure for Online registration as mentioned in section 2.2 above.** Further, with a view to reach far-flung areas, NIOS has signed an MoU with the Common Service Centres (CSCs), Ministry of IT, Govt. of India. Now more than one lakh Common Service Centres (CSCs) will provide Online services to the learners at a pre-fixed charges. The details of pre-fixed charges are available on NIOS website.

नोट: यदि कोई शिक्षार्थी पंजीकरण के दौरान आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने में असमर्थ है, तो वे अपना ब्लॉक/स्ट्रीम बदल सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इस बदलाव के लिए रु. 700/- का शुल्क देना होगा।

Note: If a learner is unable to upload the required documents during the registration block, they may opt to change their block/stream and upload the necessary documents. A fee of Rs.700/- shall be applicable for this change.

2.4 प्रवेश आवश्यकताएँ

तालिका : 3 : प्रवेश आवश्यकताएँ

प्रवेश आवश्यकताएँ	**तिथियाँ**	**माध्यमिक पाठ्यक्रम**	**उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम**
(क) प्रवेश स्ट्रीम-1 (ब्लॉक-I)	16.03.2026 से 15.09.2026	31 जुलाई, 2026 को 14 वर्ष (31.7.2012 को अथवा उससे पहले जन्मे)	31 जुलाई, 2026 को 15 वर्ष (31.7.2011 को अथवा उससे पहले जन्मे)
स्ट्रीम-2, 3 एवं 4 स्ट्रीम-1 (ब्लॉक-II)	16.09.2026 से 15.03.2027	31 जनवरी, 2027 को 14 वर्ष (31.1.2013 को अथवा उससे पहले जन्मे)	31 जनवरी, 2027 को 15 वर्ष (31.1.2012 को अथवा उससे पहले जन्मे)
जन्मतिथि के लिए अनिवार्य सहायक दस्तावेज़		(i) निगम के अधिकारी अथवा जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति उन सभी के लिए जिनका जन्म 26.01.1989 को अथवा उसके बाद हुआ हो। **अथवा** (ii) भारत सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की सत्यापित प्रति **अथवा** (iii) पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र/स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जिसमें आवेदक की जन्म-तिथि लिखी हो। सरकारी विद्यालय के मामले में स्थानांतरण प्रमाणपत्र/विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र पर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर होने चाहिए जबकि प्राइवेट विद्यालय होने पर उसे राज्य के सक्षम शिक्षा प्राधिकारी / या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए। अथवा (iv) भारत सरकार की संबंधित एजेंसी द्वारा जारी आधार कार्ड की सत्यापित प्रति।	किसी मान्यताप्राप्त माध्यमिक/हाई स्कूल परीक्षा के प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति जिसमें जन्मतिथि अंकित हो। (उच्चतर माध्यमिक प्रवेश हेतु आयु का कोई भी अन्य प्रमाण मान्य नहीं होगा)
टिप्पणी: (i) अनाथ/किशोर/बेघर बच्चों के लिए चिकित्सा विधि प्रमाण-पत्र के साथ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी शपथ पत्र अथवा आधार कार्ड की प्रति जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में अवश्य दी जाए। **(ii) आवेदन फॉर्म में लिखी जन्म-तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अत: जाँच लें और आवेदन फार्म में सही जन्मतिथि लिखें।**			
(ख) न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएँ		• आठवीं कक्षा पास का प्रमाणपत्र, अथवा • स्व-प्रमाणपत्र	मान्यताप्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से माध्यमिक/हाई स्कूल परीक्षा पास प्रमाणपत्र की प्रति

2.4 Entry Requirements

Table-3 : Entry Requirements

Entry Requirement	Cut off Dates	Secondary Course	Senior Secondary Course
(a)Admission Stream-1 (Block-I) Streams 2,3&4 Stream-1 (Block-II)	16/03/2026 to 15/09/2026 16/09/2026 to 15/03/2026	14 years as on 31st July 2026 (born on or before 31/07/2012) 14 years as on 31st January 2026 (born on or before 31/01/2013)	15 years as on 31st July 2026 (born on or before 31/07/2011) 15 years as on 31st January 2026 (born on or before 31/01/2012)
Essential Supporting Documents for Date of Birth		(i) Birth Certificate issued by the Municipal Authority or the District Office of the Registrar of Births and Deaths for those born on or after 26.01.1989. **OR** (ii) Passport Issued by Govt. of India **OR** (iii) Original Transfer Certificate/School Leaving Certificate showing applicant's date of birth, issued by the school last attended by the applicant. In case of Govt. schools, the Transfer Certificate/School Leaving Certificate should be signed by the Principal while in the case of Private schools, it should also be countersigned by the competent education authority of the State/or District Education Officer. **OR** (iv) Aadhaar Card issued by the concerned Agency of Govt. of India.	The Certificate of Matriculation/ Secondary Examination having a record of the Date of Birth. (No other proof of age will be accepted for Sr. Secondary admission).
Note: (i) In case of Orphan/Juvenile/Street Children, the Medical Legal Certificate alongwith an Affidavit issued by First class Magistrate or copy of Aadhaar Card has to be provided as proof of Date of Birth. **(ii) Date of birth once given in the Admission Form shall not be changed. Please check and state the correct date of birth in the Admission Form.**			
(b) Minimum Educational Qualifications		• Certificate of Class VIII pass, or • Self Certificate	Certificate of the Secondary Examination passed from a recognised Board of Secondary Education.

(ग) आवास का प्रमाण

आवासीय पते का प्रमाण सभी के लिए अनिवार्य है। निम्नलिखित में से किसी एक की प्रति संलग्न करें।

1. राशन कार्ड अथवा आधार कार्ड अथवा नियोक्ता के शीर्ष पत्र पर आवेदन पत्र अथवा पानी/ टेलीफोन/ बिजली का बिल/चल रहे बैंक खाते की स्टेटमेंट अथवा आय कर निर्धारण आदेश/चुनाव आयोग का पहचान पत्र, नाबालिग होने के मामले में माता-पिता का पासपोर्ट।
2. जो शिक्षार्थी किराए के मकान में रहते हैं उनके स्थायी पते के प्रमाण के साथ वर्तमान किराए के घर के पते का प्रमाण स्वीकार्य होगा।
3. ऐसे शिक्षार्थी जो बेघर निस्सहाय/प्रवासी/झुग्गी निवासी/अनाथ हैं, वर्तमान में जिनके घर का कोई पता नहीं है उसे अपनी श्रेणी (उपर्युक्त में से) लिखते हुए एक स्वः प्रमाणपत्र देना होगा और प्रमाणित करना होगा कि उनका अपना पता नहीं है। फिर भी एनआईओएस से पत्राचार के लिए सम्पर्क करने हेतु उन्हें एक पता उपलब्ध कराना होगा। यह स्वः प्रमाणपत्र एनजीओ/अनाथालय सहित वित्तपोषक अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए तथा किसी सरकारी कर्मचारी/ पंचायत स्तर के कार्मिक/नगर निगम अधिकारी/ ब्लॉक स्तर के अधिकारी/जिला स्तर के अधिकारी अथवा उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। प्रायोजक तथा प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी दोनों अपना पूरा नाम, पदनाम, कार्यालयी मोहर के साथ पूरा पता दें।

नोटः (i) ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के साथ आवश्यक सहायक दस्तावेज़ अपलोड न करने पर आवेदन फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा और फीस लौटाई नहीं जाएगी।

(ii) यदि कोई शिक्षार्थी किसी विदेशी बोर्ड/विश्वविद्यालय से हाई स्कूल/माध्यमिक प्रमाणपत्र प्राप्त करना है और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाना चाहता/चाहती है तो संबंधित दूतावास तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा यह प्रमाणपत्र देना होगा कि उनकी परीक्षा भारतीय हाई स्कूल/माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष है।

(c) Proof of Residence

Proof of residential address is essential for all. Attach a copy of any one of the following.

1. Ration Card, or Aadhar Card, or Appointment Letter from the Employer on Letter Head, or Water/Telephone/Electricity Bill/Statement of running Bank Account or Income Tax Assessment Order/ Election Commission's Voter Identity Card, Parents Passport in case of minor.
2. For the learner living in a rented accommodation, proof of permanent address and present rented accommodation will be accepted.
3. A learner belonging to the category of street children/destitutes/migrants/slum dwellers/ orphans not having any residential address of his/ her own at present will have to furnish a self certificate stating the category (mentioned above) and certify that learner do not have own residential address. However, for the purpose of correspondence with NIOS, such learner will have to furnish a contact address. The self certificate has to be countersigned by the sponsoring Guardian including NGO/Orphan Home and attested by a Govt. Servant/ Panchayat level Official/Nagar Nigam Officer/Block level Officer/ District level Officer or higher level Officer. Both the sponsoring and the attesting authorities are required to furnish complete name, designation and address with their official stamp.

Note: (i) Online Admission Form without uploading required supporting documents will be rejected and fee will not be refunded.

(ii) In case a learner possesses a High School/ Secondary Certificate from any Foreign Board/University and wants to take admission in the Senior Secondary course of NIOS, he/she will be required to attach a certificate from the concerned Embassy and the University Grants Commission (UGC) to the effect that the examination passed by him/her is equivalent to the Indian High School/Secondary Examination.

(iii) यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित जानकारी छिपाता है तो बाद के चरण में भी उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

(iv) जो शिक्षार्थी आयु प्रमाण के लिए दोनों दस्तावेज़ अर्थात् आधार कार्ड और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं। इस मामले में स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र शिक्षार्थी के आयु प्रमाण के रूप में माना जाएगा।

(iii) In case a learner conceals the requisite information, his/her admission will be cancelled, even at later stage.

(iv) The learner who are uploading both document i.e. Aadhar Card and School leaving Certificate for age proof. In this case the School Leaving Certificate would be taken as a age proof of the learner.

2.5 एनआईओएस के पूर्व शिक्षार्थियों का पुनःप्रवेश

एनआईओएस के माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थी, जिनकी पाँच वर्ष की प्रवेश अवधि पूर्ण हो चुकी है, परन्तु वे पाठ्यक्रम पूरा न कर पाए हों, वे एनआईओएस में पुनः प्रवेश ले सकते हैं। मूल प्रमाणपत्र जमा करने पर पिछले प्रवेश के उत्तीर्ण विषयों (अधिकतम चार विषयों) के क्रेडिट नए प्रवेश में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे बशर्ते एनआईओएस से ये विषय पिछले दस वर्षों में (अर्थात् यदि 2017 के दौरान अथवा उसके बाद उत्तीर्ण हुए हों) उत्तीर्ण किए जा चुके हों शिक्षार्थी को **तालिका-6क** में दिए विवरण के अनुसार टीओसी शुल्क का भुगतान करना होगा जिसमें **कोड सं. ''9901 - राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान'' भी लिखें।**

एनआईओएस के उन शिक्षार्थियों का पुनः प्रवेश नहीं होगा जिनका प्रवेश अभी भी वैध है।

2.5 Re-admission of Ex-NIOS Learners

The learners of NIOS at Secondary/Senior Secondary level, who have completed their validity period of five years of admission, but could not complete the course, are eligible to take Re-admission in NIOS. The credit of subjects passed (maximum of four subjects) in the previous admission will be transferred on submission of the original Marksheet for seeking fresh admission, if these subjects are passed by the learners through NIOS during the last ten years (i.e., if passed during 2017 or later). The learner is required to pay TOC fee as per details in **Table-6A by mentioning Code No. "9901 National Institute of Open Schooling".**

Re-admission is not allowed to the learner of NIOS whose admission is still valid.

2.6 क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी)

मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर के पूर्व शिक्षार्थी, जिन्होंने कम से कम एक विषय उत्तीर्ण किया हो परन्तु पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त न कर पाए हों, वे एनआईओएस के संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं तथा क्रेडिट स्थानांतरण का लाभ उठा सकते हैं।

शिक्षार्थी प्रवेश के समय ही एनआईओएस की अध्ययन योजना में शामिल विषयों में क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) के लिए आवेदन करें।

2.6 Transfer of Credit (TOC)

Ex-Secondary/Senior Secondary learners of the Recognised Boards of School Education, who have passed in at least one subject but have not qualified in the course, may seek admission in the respective course of NIOS and avail the facility of TOC.

A learner should seek Transfer of Credit (TOC) at the time of admission in the subjects which are included in NIOS scheme of studies.

वह शिक्षार्थी जिसने कम से कम एक विषय उत्तीर्ण किया है, लेकिन किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पाठ्यक्रम में योग्यता प्राप्त नहीं की है, जिन्हें भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा समतुल्यता दी गई है, वह अधिकतम दो विषयों में सुविधा प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसके/उसकी परिणाम डेटा संबंधित बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर सत्यापन के लिए उपलब्ध हो। यदि परिणाम डेटा वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, तो शिक्षार्थी को अपने ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट डाटा को संबंधित बोर्ड से सत्यापित करवाना होगा और उसे प्रवेश आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।

क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) की सुविधा निम्नांकित शर्तो के अंतर्गत स्वीकार्य होंगी :

(i) शिक्षार्थी मूल बोर्ड से अधिकतम दो विषयों के क्रेडिट स्थानांतरण करा सकते हैं, यदि ये विषय पिछले पाँच वर्षों में 33% अंकों के साथ उत्तीर्ण किए गए हों (अर्थात् 2022 के दौरान अथवा उसके बाद उत्तीर्ण किया हो)।

(ii) केवल उन्हीं विषयों में ही क्रेडिट दिए जाएंगे, जो एनआईओएस की अध्ययन की योजना और परीक्षा योजना में शामिल हैं। प्रायोगिक विषयों में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर टीओसी तभी दिए जायेंगे जब शिक्षार्थी सिद्धांत एवं प्रायोगिक में अलग-अलग पास हों।

(iii) शिक्षार्थी को प्रवेश फॉर्म में टीओसी विषयों, प्राप्त अंकों, अनुक्रमांक इत्यादि का पूरा विवरण देना होगा।

(iv) क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) के लिए आवेदन करते हुए, शिक्षार्थी को मूल बोर्ड की अनुत्तीर्ण अंकसूची एनआईओएस के संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में ऑनलाइन प्रवेश के 10 दिनों में ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म की पावती/प्रति की पावती के साथ भेजनी होगी। यदि जमा करने में देरी होती है अर्थात् 10 दिनों के बाद जमा किया जाता है तो ई-सेवा के द्वारा टीओसी के प्रत्येक विषय के लिए रु.500/- का विलंब शुल्क लिया जाएगा।

The Learner who has passed at least one subject, but has not qualified in the course from any recognised Boards which have been given equivalence by the Association of Indian University (AIU) may seek TOC facility in maximum of two subjects provided his/her result data is available in the concerned Board's official website for verification. In case the result data is not available on the website, the learner is required get his/her Transfer of Credit (TOC) data verified from the concerned Board and should submit the same along with the Admission Application Form.

The facility of TOC will be permissible under the following conditions:

(i) The learner will have the option to get the credit transferred up to a maximum of two subjects from the Parent Board, provided these subjects are passed with at least 33% marks in the last five years (i.e., passed during 2022 or later).

(ii) The credits will be given only in those subjects which are included in NIOS Scheme of Studies and the Scheme of Examination. TOC in the subjects having practicals at the Senior Secondary level will be allowed only when the learner has cleared (pass) in theory and practical separately.

(iii) The learner will have to give complete details of the TOC subjects, marks obtained, roll number etc., in the Admission Form.

(iv) While applying for Transfer of Credit (TOC), the learner is required to send parent Boards fail Marksheet within 10 days of online admission to the concerned Regional Centre of NIOS alongwith a copy of the Acknowledgement Receipt/Copy of the online Admission Form. In case of delay in submission i.e., submission after 10 days, a late fee of Rs. 500/- per subject of TOC will be charged through e-service.

(v) शिक्षार्थी को प्रवेश के लिए जितने विषयों में टीओसी चाहिए, उतने विषयों के क्रेडिट स्थानांतरण के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का विवरण **तालिका-6क** में दिया गया है।

(vi) विस्तृत मानक कार्य प्रणाली (एसओपी) अलग से जारी किए गए हैं और **एनआईओएस वेबसाइट** पर दी गई है। टीओसी की अधिक जानकारी एसओपी में दी गई है।

2.7 दोहरा नामांकन और आंशिक प्रवेश

इस प्रावधान के अंतर्गत यदि शिक्षार्थी औपचारिक विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं या पहले ही किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय से माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक या कोई और उच्च परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी हैं, तो वह ज्ञान को अद्यतन करने और शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिए अपनी रुचि के अनुसार कोई भी अधिकतम चार विषय ले सकते हैं। ऐसे शिक्षार्थी को उत्तीर्ण होने पर केवल अंक सूची ही दी जाएगी उसे कोई और प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा। दोहरा नामांकन और आंशिक प्रवेश के लिए प्रवेश आवश्यकता एनआईओएस प्रवेश नियम (**तालिका-3 प्रवेश आवश्यकता**) के अनुसार होगा।

2.8 प्रवेश के लिए शुल्क का विवरण

(क) माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक पाठयक्रमों के लिए देय शुल्क का विवरण **तालिका-4** में दिया गया है। इस शुल्क में ही पंजीकरण, अध्ययन सामग्री, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी), पहचान पत्र, मूल्यांकन कार्य आदि का शुल्क शामिल है। नीचे दी गई तालिका में दिए गए विवरण के अतिरिक्त प्रवेश के लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान न करें।

नोट

लद्दाख क्षेत्र की महिला शिक्षार्थियों को पंजीकरण शुल्क एवं अध्ययन सामग्री की कीमत में छूट दी गई है। फिर भी, टीओसी शुल्क, यदि लागू है, तो देना होगा।

(v) The learner will have to pay requisite fee for Transfer of Credit for the number of subjects in which TOC is required. Details of fee are given in **Table 6A.**

(vi) Detail Standard Operating Procedures (SOPs) have been issued separately and hosted on **NIOS website**. More details about TOC are given in SOPs.

2.7 Dual Enrolment and Part Admission

Under this provision, in case a learner is studying in a regular school, or has already passed the Secondary/Senior Secondary examination or any other higher course from any recognised Board/University, he/she may opt for upto four subjects of his/her choice, to update knowledge and educational qualifications. However, on passing, only the Marksheet will be issued and no other Certificate will be issued. The entry requirement for Dual Enrolment and Part Admission will be as per NIOS admission rules **(Table-3 Entry Requirements).**

2.8 Fee Structure for Admission

(a) Admission fee payable for the Secondary/Senior Secondary courses as given in **Table-4** includes charges for registration, cost of study materials, Personal Contact Programmes (PCPs), Identity Card, evaluation of Assignments, etc. Do not pay any additional amount for admission other than specified in below mentioned tables.

NOTE

Female learners of Ladakh are exempted from payment of Registration Fee and Cost of Course material. However, TOC fee, if applicable, will have to be paid.

तालिका 4: स्ट्रीम-1 के लिए ऑन-लाइन प्रवेश शुल्क विवरण

नोट

प्रवेश शुल्क में परीक्षा शुल्क शामिल नहीं है। यदि शिक्षार्थी परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो परीक्षा शुल्क निर्धारित तिथियों में अलग से जमा करें।

पाठ्यक्रम	सामान्य वर्ग		छूट प्राप्त वर्ग*
	पुरुष	महिलाएं/ थर्ड जेंडर	अ.जा/अ.ज.जा./भूतपूर्व सैनिक/अक्षम व्यक्ति
माध्यमिक पाठ्यक्रम			
(i) पाँच विषयों के लिए	रु. 2340	रु. 1890	रु. 1560
(ii) प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए	रु. 940	रु. 940	रु. 940
उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम			
(i) पाँच विषयों के लिए	रु. 2600	रु. 2150	रु. 1690
(ii) प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए	रु. 940	रु. 940	रु. 940

*** उपर्युक्त शुल्क के अतिरिक्त प्रत्येक ऑनलाइन लेन-देन के लिए रु. 70/- का भुगतान किया जाएगा।**

*छूट प्राप्त करने के लिए अनु. जाति/अनु. जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अक्षम व्यक्ति आवेदन फॉर्म के साथ सहायक दस्तावेज़ों की मूल स्कैन की गई प्रति अपलोड करें।

कारागार कारावासियों के लिए निःशुल्क शिक्षा : *एनआईओएस ने कारागार कारावासियों को निःशुल्क शिक्षा की विशेष सुविधा प्रदान की है जिससे जब वे कारागार में हों, तो उन्हें अपनी अजीविका कमाने में मदद मिल सके और उन्हें कारागार से रिहा होने के बाद समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके।*

भारतीय सेना के लिए एनआईओएस शिक्षा परियोजना (नेपिया) विशेष रूप से भारतीय सेना के जवानों की शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिए बनाया गया है। एनआईओएस ने सेना शिक्षा कोर (एईपी) एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना), डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। सेना मुख्यालय कमांड परिशिष्ट-'ज' में दर्शाए गए संबंधित एनआईओएस क्षेत्रीय केंद्रों के साथ कार्य करेगा।

तालिका 5: एनआईओएस के माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छूट प्राप्त वर्गों से आवश्यक सहायक दस्तावेज़ों की स्कैन की गई मूल प्रति

वर्ग	संलग्न किए जाने वाले आवश्यक सहायक दस्तावेज़
(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षार्थी	• उपायुक्त, मजिस्ट्रेट या आयुक्त अ.जाति/अनु.जनजाति अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति
(ii) भूतपूर्व सैनिक	• नियोक्ता के प्रमाणपत्र की मूल प्रति।
(iii) अक्षम शिक्षार्थी	• सरकारी अस्पताल द्वारा जारी प्रमाणपत्र और जो **प्राइवेट नर्सिंग होम का न हो।** उसमें अक्षमता की प्रकृति और स्तर स्पष्ट रूप से लिखे गए हों।

Table-4 : Fee Structure for Online Admission of Stream-1

NOTE

The admission fee does not include the examination fees. The examination fee must be paid separately within the specified dates, if the learner wishes to appear in examination.

Course	General Category		Exempted Category*
	Male	Female/Third Gender	SC/ST, Ex-Servicemen, Persons with Disabilities(PWD)
Secondary Course			
(i) for 5 subjects	Rs. 2340/-	Rs. 1890/-	Rs. 1560/-
(ii) for each additional subject	Rs. 940/-	Rs. 940/-	Rs. 940/-
Senior Secondary Course			
(i) for 5 Subjects	Rs. 2600/-	Rs. 2150/-	Rs. 1690/-
(ii) for each additional subject	Rs. 940/-	Rs. 940/-	Rs. 940/-

*** In addition to the above, Rs. 70/- will be paid for every online transactions.**

*For claiming exemption, SC/ST, Ex-servicemen and Persons with Disabilities (PWDs) should upload original scanned copy of the supporting documents

Free Education to Jail Inmates : *The NIOS offers special facility of free Education to Jail Inmates so that during stay in jail, then could earn for their livelihood, and bringing them into the mainstream of society after release from jail.*

The NIOS Education Project for Indian Army (NEPIA) has been specially designed to upgrade the educational qualifications of Jawans of the Indian Army. NIOS has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Army Educational Corps (AEP), Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), DHQ, PO, New Delhi. The Army HQ Command will work in collaboration with concerned NIOS Regional Centres as reflected at Appendix - H.

Table - 5 : Original Scanned Copy of Supporting Documents required from the Exempted Categories for Admission in NIOS Secondary/Senior Secondary Education Courses

Category	Supporting Documents required
(i) SC/ST learners	• Copy of certificate issued by the Deputy Commissioner or Magistrate or Commissioner SC/ST or any other Competent Authority.
(ii) Ex-servicemen	• A certificate from the Employer in original.
(iii) Persons with Disabilities (PWDs)	• A certificate in original from a Govt. Hospital, and **not from a private nursing home,** clearly indicating nature and extent of disability.

दोहरा नामांकन/आंशिक प्रवेश के लिए, स्ट्रीम-1 हेतु निर्धारित शुल्क रूपरेखा **तालिका-6क** पर दी गई है तथा स्ट्रीम-2, 3 तथा 4 के ऑन-लाइन शिक्षार्थियों के लिए शुल्क रूपरेखा **तालिका-6ख** पर दी गई है।

तालिका-6 क : दोहरा नामांकन/आंशिक प्रवेश/क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) के लिए शुल्क का विवरण

पाठ्यक्रम	पंजीकरण शुल्क	प्रत्येक विषय के लिए अध्ययन सामग्री का मूल्य	क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी)* के लिए शुल्क
माध्यमिक	रु. 620 (प्रति विषय)	रु. 470/- (अनिवार्य)	रु. 230/- प्रति विषय
उच्चतर माध्यमिक	रु. 620 (प्रति विषय)	रु. 520/- (अनिवार्य)	रु. 230/- प्रति विषय

* टीओसी **भाग 2.6** के अंतर्गत दिए गए मानदण्ड के अनुसार दिया जाएगा।

तालिका-6 ख : ऑन-लाइन प्रवेश के शिक्षार्थियों के लिए शुल्क का विवरण (स्ट्रीम 2, 3 तथा 4)

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	पंजीकरण शुल्क	परीक्षा शुल्क	क्रेडिट स्थानांतरण शुल्क	*विषय परिवर्तन/ अतिरिक्त विषय शुल्क
1.	माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक (स्ट्रीम-2 के अंतर्गत) ऑन-लाइन प्रवेश	रु. 620/- प्रति विषय	• सिद्धांत के लिए रु. 300/- प्रति विषय • इसके अलावा प्रयोग के लिए रु.150/- प्रति विषय	रु. 230/- (प्रति विषय)	रु. 940/- (प्रति विषय)
2.	माध्यमिक (स्ट्रीम-3 के अंतर्गत) ऑन-लाइन प्रवेश	रु. 620/- प्रति विषय	• सिद्धांत के लिए रु. 600/- प्रति विषय • इसके अलावा प्रयोग के लिए रु.250/- प्रति विषय	रु. 230/- (प्रति विषय)	रु. 940/- (प्रति विषय)
3.	उच्चतर माध्यमिक (स्ट्रीम-4 के अंतर्गत) ऑन-लाइन प्रवेश	रु. 620/- प्रति विषय	• सिद्धांत के लिए रु. 600/- प्रति विषय • इसके अलावा प्रयोग के लिए रु.250/- प्रति विषय	रु. 230/- (प्रति विषय)	रु. 940/- (प्रति विषय)

*** स्ट्रीम-2, स्ट्रीम-3, स्ट्रीम-4 में पंजीकरण कराने वाले ऐसे शिक्षार्थी जो मूल बोर्डों से भिन्न विषय अथवा अतिरिक्त विषय लेना चाहते हैं उन्हें प्रवेश/पंजीकरण शुल्क, परीक्षा शुल्क और टीओसी शुल्क के अतिरिक्त रु. 940/- प्रति विषय का भुगतान करना होगा।**

नोट : उपर्युक्त शुल्क के अतिरिक्त प्रत्येक ऑन-लाइन ट्रांसेक्शन के लिए रु. 70/- (सत्तर रुपए केवल) का भुगतान किया जाएगा।

(ग) शुल्क का भुगतान कैसे करें

ऑन-लाइन प्रवेश के लिए शुल्क : शुल्क के भुगतान के लिए दो विकल्प होंगे :

विकल्प-1 शुल्क क्रेडिट कार्ड /डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग, उपलब्ध भुगतान माध्यमों द्वारा ऑन-लाइन जमा किया जा सकता है, अथवा

विकल्प-2 यदि प्रवेश जन सेवा केंद्रों द्वारा किया जाएगा तो शुल्क सीएससी के इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट द्वारा भरा जा सकता है।

> **नोट**
> शिक्षार्थी अपने अध्ययन केंद्र बहुत ध्यान से चुनें।

For **Dual Enrolment/ Part Admission**, fee structure for Stream-1 is given in the **Table-6A,** and fee structure for Online learners under streams- 2, 3 and 4 is given in **Table-6B.**

Table-6A : Fee Structure for Dual Enrolment/Part Admission/TOC (Stream -1)

Course	Registration Fee	Cost of Course Material for each Subject	Fee for Transfer of Credit (TOC)*.
Secondary	Rs. 620/- (per subject)	Rs. 470/- (Mandatory)	Rs. 230/- Per Subject
Senior Secondary	Rs. 620/- (per subject)	Rs. 520/- (Mandatory)	Rs. 230/- Per Subject

* TOC shall be granted as per criteria given in **section 2.6**.

Table-6B : Fee Structure for Online Admission (Streams-2, 3 and 4)

S.No.	Course	Registration Fee	Exam Fee	TOC Fee	*Change/ additional Subject Fee
1.	Secondary/Senior Secondary (Under Stream-2) Online admission	Rs. 620/- (per subject)	• Rs. 300/- per subject for Theory. • Additional Rs. 150/- for Practical per subject.	Rs. 230/- (per subject)	Rs. 940/- (per subject)
2.	Secondary (Under Stream-3) Online admission	Rs. 620/- (per subject)	• Rs. 600/- per subject for Theory. • Additional Rs. 250/- for Practical per subject.	Rs. 230/- (per subject)	Rs. 940/- (per subject)
3.	Senior Secondary (Under Stream-4) Online admission	Rs. 620/- (per subject)	• Rs. 600/- per subject for Theory. • Additional Rs.250/- for Practical per subject.	Rs. 230/- (per subject)	Rs. 940/- (per subject)

***A learner registering under Stream-2, Stream-3, Stream-4 and desirous to take different subjects or additional subject from parent boards will have to pay Rs. 940/- per subject in addition to Admission/Registration Fee, Examination Fee and TOC fee.**

Note : In addition to above Fee, Rs. 70/- (Rs. Seventy Only) will be charged for every online transactions.

(c) How to Pay the Fee

Fee for Online Admission : There will be two options for the payment of fee:

Option-I

The fee can be deposited Online through Credit Card /Debit Card/Net Banking, available Payment Gateways.

Option-II

In case admission is done through Common Services Centres, fee can be paid via Electronic Wallet of CSCs.

NOTE

Learners must choose their Study Centres very carefully.

प्रवेश रद्द होना	Cancellation of Admission
आपका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा यदि ➢ ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म अधूरा हो, ➢ दिया गया शुल्क कम हो, ➢ सहायक दस्तावेज पूरे न हों, ➢ यदि जाली कागज़ात जमा किए गए हैं, यदि त्रुटिपूर्ण अथवा गलत सूचना दी गई हो, ➢ आवश्यक शैक्षिक योग्यताएँ पूरी न करते हों, ➢ न्यूनतम आयु के न हों, ➢ माध्यमिक परीक्षा किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण न हों, ➢ आवासीय प्रमाणपत्र संलग्न न हों। **टिप्पणी :** 1. एक बार प्रवेश रद्द करने पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा। 2. एक बार दिया गया शुल्क किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जाएगा।	Learner's admission will be cancelled in case : ➢ online Admission Form is incomplete, ➢ the fee paid is short, ➢ the supporting documents are not complete, ➢ false documents have been submitted, if incorrect or wrong information is given, ➢ required educational qualifications are not fulfilled, ➢ the minimum age criterion is not fulfilled, ➢ the Secondary examination is not passed from a recognised Board. ➢ residential proof is not attached. **Note:** 1. Admission once cancelled will not be re-considered. 2. Fee once paid will not be refunded on any account.

2.9 प्रवेश की पुष्टि

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश की पुष्टि हेतु सामान्यतः शिक्षार्थी को एनआईओएस के रिकॉर्ड के अनुसार एक **पहचान पत्र** भेजा जाएगा। **यदि प्रवेश लेने के बाद किसी स्तर पर कोई विसंगति पाई जाती है, यहाँ तक कि यदि पहचान पत्र जारी भी कर दिया जाता है तब भी आपका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा तथा यदि आप परीक्षा में उपस्थित भी हो जाते हैं तब भी आपका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।**

कृपया पहचान-पत्र में दिए गए अपने विवरण की जाँच कर लें। यदि शिक्षार्थी के व्यक्तिगत विवरण, पते, फोटो आदि में कोई गलती है तो इसे ई-सर्विस द्वारा तुरंत ठीक कराएं। शिक्षार्थी अपना पहचान पत्र एनआईओएस में पाठ्यक्रम पूरा होने तक सँभालकर रखें।

2.9 Confirmation of Admission

Admission to a particular course is confirmed by NIOS by issuing an online **Identity Card** having learners admission particulars as per the record available in NIOS. **In case any discrepancy is noticed at any stage of admission and even if the Identity Card has been issued, the admission will be cancelled and result will not be declared even if learner has appeared in examination.**

Do check the particulars given in the Identity Card. In case, there is any discrepancy in learner's personal details, address, photo etc., the same should be corrected **through E-service** immediately. The Learner should retain his/her Identity Card carefully till he/she completes his/her study in NIOS.

प्रवेश रिकॉर्ड में संशोधन एनआईओएस वेबसाइट पर उपलब्ध नियमों के अनुसार ही किया जाएगा (जो एनआईओएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है)।

सार्वजनिक परीक्षा/ओड्स में बैठने वाले शिक्षार्थियों को परीक्षा के समय एनआईओएस द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र दिखाना होगा अन्यथा उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा।

2.10 प्रवेश के बाद ई-सेवाओं द्वारा अन्य सुविधाएँ

2.10.1 ई-सेवाओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि इस प्रकार है :-

(क) पहचान पत्र की दूसरी प्रति जारी करना

पहचान पत्र खो जाने पर, दूसरी प्रति दी जा सकती है। पहचान पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले संबंधित पुलिस स्टेशन में एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज कराएँ। उसके बाद ई-सेवा द्वारा ऑनलाइन आवेदन करें और एफआईआर की मूल स्कैन की गई प्रति अपलोड करें और रु. 100/- का शुल्क ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करें। दूसरी बार पहचान पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को रु. 500/- का शुल्क देना होगा।

(ख) सभी स्ट्रीमों के लिए विषय बदलना/अतिरिक्त विषय

पाँच वर्षों की प्रवेश अवधि के दौरान, शिक्षार्थी एक या अधिक विषयों को बदल सकते हैं या एक/दो अतिरिक्त विषय ले सकते हैं परन्तु कुल विषय सात से अधिक नहीं होने चाहिए। जो विषय शिक्षार्थी उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे बदले नहीं जा सकते।

विषय परिवर्तन/अतिरिक्त विषय के लिए शिक्षार्थी को ई-सेवा द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना होगा

नोट

याद रखें कि **विषय परिवर्तन अथवा अतिरिक्त विषयों के लिए आवेदन करने की तिथियाँ हैं :-**
अक्तूबर-नवंबर परीक्षा में बैठने के लिए
1 जनवरी से 15 मई
अप्रैल-मई परीक्षा के लिए
1 जुलाई से 15 नवंबर

The **Correction in the Admission Record will be made as per rules only (which are available on NIOS website).**

The learners appearing in NIOS external public examination/ODES will be required to produce the Identity Card issued by NIOS at the time of appearing in examinations, failing which they will not be allowed to appear in the examination.

2.10 Other Facilities after Admission through E-services

2.10.1 Learner centric activity which can be availed through e-services are:

(a) Issue of Duplicate Identity Card

In case of loss of Identity Card, a duplicate Identity Card can be issued. For obtaining Duplicate Identity Card, first lodge an FIR with the concerned Police Station. Then apply online **through E-Service** and learner may upload the original scanned copy of FIR and pay the fee of Rs. 100/- through online mode, and second time for obtaining the duplicate Identity Card the learner will have to pay the fee of Rs. 500/-.

(b) Change of Subject/Additional Subject for All Streams

During the admission period of five years, a learner can change one or more subject(s), provided the total number of subjects does not exceed seven. Subject(s) already passed by a learner cannot be changed.

For change of subject/additional subject, a learner has to apply online **through**

NOTE

Remember that the Dates to apply for CHANGE OF SUBJECTS or for ADDITIONAL SUBJECTS are from 1st January to 15th May to appear in Oct.-Nov. Examination and from **1st July to 15th November** to appear in April-May Examination.

और नीचे दिया गया शुल्क ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करना होगा :

माध्यमिक पाठ्यक्रम हेतु
रु. 940/- प्रति विषय

उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम हेतु
रु. 940/- प्रति विषय

(ग) अध्ययन केन्द्र/एआई में परिवर्तन

शिक्षार्थी अपने अध्ययन केन्द्र/एआई बहुत ध्यान से चुनें। यदि कोई शिक्षार्थी अपना अध्ययन केन्द्र एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र में परिवर्तित करना चाहता/चाहती है तो वे **ई-सेवा के माध्यम से** ऑनलाइन आवेदन करें और उचित कारण और उपयुक्त दस्तावेज़ों तथा रु. 520/-(पांच सौ बीस रुपए केवल) की राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश वेबसाइट (www.nios.ac.in) पर दिए गए हैं।

नोट

ई-सेवा के माध्यम से अध्ययन केंद्र में परिवर्तन करने के लिए आवेदन करने की तिथियाँ - सितंबर-अक्तूबर परीक्षा के लिए 30 अप्रैल तक तथा मार्च-अप्रैल परीक्षा के लिए 30 अक्तूबर तक हैं।

(घ) दस्तावेज़ों की दूसरी प्रति जारी करना

(ड.) पाठ्यक्रम सामग्री की आवश्यकता

(च) नाम, पिता का नाम, माता का नाम अथवा अभिभावक के नाम में आंशिक संशोधन।

(च) शिक्षार्थी के नाम में परिवर्तन

(छ) जन्म तिथि, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अभिभावक के नाम में संशोधन

(ज) टीओसी माध्यम में परिवर्तन आदि।

(झ) विषय हटाना, टीओसी और आंशिक प्रवेश में परिवर्तन बदलना।

(ण) कक्षा 10वीं की उत्तीर्ण नामांकन संख्या आदि में परिवर्तन

E-Service and he/she is required to pay the prescribed fee through online mode as given below :

For Secondary Course
Rs. 940/- per subject

For Senior Secondary Course
Rs. 940/- per subject

(c) Change of Study Centre/AI

The learner must choose his/her Study Centre/AI very carefully. In case a learner wishes to change his/her Study Centre from one centre to another centre, he/she should apply online **through E-Service** and should upload valid reasons and documents, and a fee of Rs. 520/- (Rs. Five Hundred Twenty only) to be paid though online mode. Detailed guidelines in this regard have been displayed on NIOS website (www.nios.ac.in).

NOTE

The dates to apply for CHANGE OF STUDY CENTRE through e-service are till 30th April for September-October Examination and **till 30th October** for March-April Examination.

(d) Issue of Duplicate Documents

(e) Requisition for Course Material

(f) Minor Corrections in Spelling of Name, Father's Name, Mother's Name and/or Guardian's Name

(g) Change of learner's name

(h) Correction of Date of Birth, Name, Father's Name, Mother's Name, Guardian's Name

(i) TOC, change of medium

(j) Removing of subject, TOC and Changing Part admission.

(k) Change of Class 10th Passing Enrollment Number etc.

2.11 शिक्षार्थियों के एआई/अध्ययन केन्द्र के बारे में

प्रवेश के समय शिक्षार्थी द्वारा चुनी गई प्रत्यायित संस्थाएँ (अर्थात् अध्ययन केन्द्र) आपको निम्नलिखित सेवाएँ **बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के** प्रदान करेंगी :

- एनआईओएस के नियमानुसार एआई द्वारा सिद्धांत के लिए कुल मिलाकर 30 व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों (पीसीपी) और पाँच प्रायोगिक कक्षाओं का आयोजन। **शिक्षार्थी पीसीपी की समय सूची जानने के लिए अपने अध्ययन केन्द्र जाएँ अथवा एनआईओएस की वेबसाइट पर देखें।** फिर भी, शिक्षार्थी अपनी विषय संबंधी प्रश्नों के समाधान के लिए lsc@nios.ac.in पर ई-मेल कर सकते हैं।
- अनुशिक्षकों द्वारा कार्यों का मूल्यांकन।
- पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षार्थियों की समस्याओं/प्रश्नों को सुलझाने के लिए परामर्श।
- शुल्क के भुगतान की तिथियाँ, परीक्षा तिथियाँ और परीक्षा केन्द्र तथा अन्य महत्त्वपूर्ण सूचना प्रदान करना।

2.12 केवल ई-सेवाओं के माध्यम से प्रवेश रिकॉर्डों में संशोधन के लिए प्रक्रिया

➤ एनआईओएस द्वारा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश की पृष्टि एक ऑनलाइन पहचान पत्र जारी करके की जाती है जैसे शिक्षार्थियों का नाम, जन्म तिथि, चुने गए विषय आदि। ये विवरण वही हैं जो शिक्षार्थियों ने एनआईओएस में प्रवेश के समय भरे थे। शिक्षार्थियों से अनुरोध है कि वे निम्न में अपने विवरण तुरंत जांच लें :-

(i) शिक्षार्थी पोर्टल (sdmis.nios.ac.in) पर शिक्षार्थी डैशबोर्ड

(ii) प्रवेश की पुष्टि के लिए ई-मेल प्राप्त होना।

(iii) ऑनलाइन पहचान पत्र प्राप्त करना।

यदि शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत विवरण, पते, फोटो आदि में कोई अनियमितता है तो इसे ई-सेवाओं द्वारा संशोधित कराया जाए।

2.11 About AI/Study Centre of the Learner

The Accredited Institute (Study Centre) chosen by the learner at the time of online admission will provide the following services **without any additional charges:**

- Conduct 30 Personal Contact Programmes (PCPs) as per NIOS Norms for theory and five PCPs for practical classes as prescribed by NIOS. **The learner should visit the Study Centre to know the PCP Time Table or view the same on NIOS website.** However, the learners can also get response to their subjects related queries through e-mail to: *lsc@nios.ac.in*
- Evaluation of Assignments by Tutors.
- Counselling to solve learner's problems/ queries related to the course.
- Informing the dates of payment of fees, examination date sheet, examination centre and other important information.

2.12 Procedure for Correction in the Admission Records through e-services only

➤ The admission to a particular course is confirmed by NIOS by issuing an online Identity Card having details of Learner's Name, Date of Birth, Subjects opted etc. These details are the same as filled in by the learner at the time of admission in NIOS. The learner is requested to check the details immediately on:-

(i) Student dashboard on the student portal (sdmis.nios.ac.in).

(ii) received E-mail for confirmation of admission

(iii) received online I-card.

In case, there is any discrepancy in learner's personal details, address, photo etc., the same should be corrected through e-services.

विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	संशोधन	मानदंड	संशोधन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
1	शिक्षार्थी के नाम में परिवर्तन	शिक्षार्थियों के नाम में परिवर्तन बिना किसी समय सीमा के किया जाएगा	1. दो समाचारपत्र, जिनमें अपेक्षित परिवर्तन प्रकाशित किए गए। 2. इससे संबंधित राजपत्र अधिसूचना
2	शिक्षार्थी के नाम, माता के नाम और पिता का नाम में संशोधन	शैक्षिक सत्र 2018-2019 से, प्रवेश के लिए पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष की अवधि में वर्तनी की अशुद्धियों, शिक्षार्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम में तथ्यात्मक अशुद्धियों के संशोधन पर विचार किया जाएगा।	1. संबंधित नगरपालिका/ स्थानीय स्वशासन/ अचल अधिकारी कार्यालय/प्रखंड विकास अधिकारी/उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट/ जिला मजिस्ट्रेट/जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी वैध दस्तावेज़। 2. रु. 10/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र पर आवश्यक संशोधन के लिए किए गए निवेदन के संबंध में घोषणा करते हुए तीसरे पक्ष द्वारा इस तरह के संशोधनों के लिए एनआईओएस को क्षति से सुरक्षित किया जाए।
3	जन्मतिथि में संशोधन	एक बार एनआईओएस के रिकॉर्ड में दर्ज होने के बाद जन्मतिथि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। फिर भी वास्तविक टंकण अशुद्धि/ तथ्यात्मक अशुद्धियों का संशोधन किया जा सकता है। शैक्षिक सत्र 2018-2019 प्रवेश के लिए पंजीकरण तारीख से 10 साल की अवधि के भीतर जन्मतिथि में संशोधन पर विचार किया जाएगा।	1. संबंधित नगरपालिका/ स्थानीय स्वशासन/ अचल अधिकारी कार्यालय/प्रखंड विकास अधिकारी/उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट/ जिला मजिस्ट्रेट/जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी वैध दस्तावेज़। 2. रु. 10/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र पर आवश्यक संशोधन के लिए किए गए निवेदन के संबंध में घोषणा करते हुए तीसरे पक्ष द्वारा इस तरह के संशोधनों के लिए एनआईओएस को क्षति से सुरक्षित किया जाए।
4	बेमेल तस्वीर को बदलना	बेमेल फोटो, **प्रथम परीक्षा में बैठने** से पहले बदलने पर विचार किया जाएगा।	
5	प्रशासनिक शुल्क	पहले पांच वर्षों में संशोधन शुल्क रु. 400/- होगा। छठे से दसवें वर्ष में संशोधन शुल्क रु. 800/- होगा। फोटो में परिवर्तन का शुल्क रु. 200/- होगा।	

नोट : 1. उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में शिक्षार्थियों के विवरण में संशोधन केवल 10वीं पास दस्तावेज के आधार पर होगा।
2. संशोधित एवं सही किए गए दस्तावेज़ तभी जारी किए जाएंगे जब आपने अपने आवेदन और निर्धारित शुल्क के साथ एनआईओएस द्वारा जारी त्रुटिपूर्ण विवरण के साथ मूल दस्तावेज़ (अंक सूची, माइग्रेशन अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र अथवा अंतिम प्रमाणपत्र) जमा किए होंगे।

Details are as under :

Sl. No	Correction	Norms	Document required for change correction
1	Change in Learner's Name	Change in the name of learners will be considered **without any time restriction**	1. Two Newspapers in which the desired change has been published. 2. Gazette Notification to this effect.
2	Correction in Learner's name, other's name and Father's name	From the Academic session 2018-2019 onwards, Correction of spelling errors, factual errors in learners' name, fathers' name, mothers, name will be considered within a period of **ten years from the date of registration for admission**	1. Valid documents issued by the concerned Municipal Corporation / Local Self Government / Office of the Circle Officer/ Block Development Officer /Sub Divisional Magistrate / District Magistrate / Registrar of Births and deaths. 2. A sworn affidavit on a non-judicial stamp paper of Rs. 10/- making necessary declaration with respect to the request made for necessary corrections indemnifying the NIOS from any claim against such corrections by the third party.
3	Correction in Date of Birth	No change in the date of birth once recorded in the NIOS records shall be made. However, correction to rectify the genuine typographical error/ factual errors can be made. From the Academic session 2018-2019 onwards, the correction in date of birth will be considered within a period of **ten years from the date of registration for admission**	1. Birth certificate from the concerned Municipal Corporation / Local Self Government / Office of the Circle Officer/ Block Development Officer /Sub Divisional Magistrate / District Magistrate / Registrar of Births and deaths. 2 A sworn affidavit on a non-judicial stamp paper of Rs. 10/- making necessary declaration with respect to the request made for necessary corrections indemnifying the NIOS from any claim against such corrections by the third party.
4	Change of Mismatched photograph	Change of mismatched photograph will be considered before **appearing in the first examination.**	
5	Administrative fee	Corrections for first five years shall be Rs.400/- Corrections for Sixth to ten years shall be Rs.800/- Change of Photograph shall be Rs.200/-	

Note: 1. For correction in learners particulars in Senior Secondary Course will be based on 10th Pass Document only.

2. The revised corrected documents will be issued only after you have submittted the Origional Documents (Marksheet, Mirgration Certificate or Provisional Certificate or Final Certificate) with incorrect details issued to you by NIOS and requisite fee.

विविध गतिविधियाँ
Miscellaneous Activites

विविध गतिविधियाँ के लिए शुल्क

Fee for Miscellaneous Activities

क्र.सं. S. No.	संशोधन की प्रकृति Type of Correction	राशि Amount
1.	अध्ययन केन्द्र में परिवर्तन / Change of Study Centre	520/–
2.	क्रेडिट स्थानांतरण शुल्क (प्रति विषय) / Transfer of Credit fee (per subject)	230/–
3.	पंजीकरण के पश्चात टीओसी के लिए अनुरोध करने के मामले में (नियमानुसार) क्रेडिट स्थानांतरण शुल्क (प्रति विषय) / Transfer of Credit fee (per subject) in case the request for TOC is made after registration (as per rule)	500/–
4.	टीएमए (प्रति विषय) जमा करने के लिए विलंब शुल्क / Late Fee for submission of Assignments (TMA) (Per Subject)	1500/–
5.	दूसरी बार जारी किए गये पहचान पत्र की दूसरी प्रति / Issue of Duplicate Identity Card for the second time.	500/–
*6.	प्रायोगिक/सिद्धांत परीक्षा आरंभ होने से पहले सार्वजनिक परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र के साथ-साथ जब चाहो तब परीक्षा के परीक्षा केंद्र में परिवर्तन / Change of Examination Centre for Public Examination as well as for On Demand Examination before commencement of Practical/Theory examination	1500/-

नोट : इसके अतिरिक्त शिक्षार्थियों को **भाग 4.5** में उल्लिखित एनआईओएस के नियमानुसार संशोधित/नवीकृत दस्तावेज़ों की दूसरी प्रति के शुल्क का भुगतान करना भी आवश्यक है।

* अत्यंत कठोर परिस्थितियों तथा शिक्षार्थियों की अपरिहार्य कारणों के कारण यदि आवश्यक हो तो, एनआईओएस की सार्वजनिक/प्रायोगिक परीक्षाओं के आरंभ होने से पहले ही क्षेत्र में ही अंदर परीक्षा केंद्र में परिवर्तन के साथ-साथ क्षेत्र के बाहर परीक्षा केंद्र में परिवर्तन के लिए मूल्यांकन विभाग द्वारा निदेशक (मूल्यांकन), एनआईओएस के अनुमोदन से संस्तुति की गई हो।

NOTE : The learners are also required to pay revised/renewed duplicate document fee as per NIOS norms mentioned in **Section 4.5**.

* In extreme circumstances and due to unavoidable reasons of the learner, if need be, the change of examination centre within the region as well as outside the region before the commencement of Public/Practical Examination of NIOS, has to be recommended to the Department of Evaluation, NIOS for approval of the Director (Evaluation), NIOS.

शिकायतों/समस्याओं के लिए संपर्क का पता

एनआईओएस के शिक्षार्थियों को अध्ययन केंद्रों के माध्यम से पूर्णतया अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। फिर भी उनके समक्ष कोई समस्या आने पर शिक्षार्थी अपने अध्ययन केन्द्र (एआई) अथवा क्षेत्रीय केन्द्र से संपर्क कर सकता/सकती है। (परिशिष्ट 'क' देखें)।

यदि किसी समस्या/शिकायत का निवारण अध्ययन केन्द्र अथवा क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा नहीं किया जाता, तो कृपया इस पते पर लिखें :

निदेशक (विद्यार्थी सहायता सेवाएँ)
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा, उ.प्र.-201309
अथवा lsc@nios.ac.in पर ई-मेल करें अथवा
टोल फ्री नं. 1800-180-9393 पर फोन करें

एनआईओएस की वेबसाइट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी उपलब्ध हैं।

CONTACT ADDRESS FOR GRIEVANCES/PROBLEMS

All efforts have been made to provide user friendly learning environment to NIOS fraternity through our Study Centres. However, in case a he/she faces some problems, learner may contact his/her Study Centre (AI) or the concerned Regional Centre (See Appendix-A).

In case any problem/grievance is not redressed by the Study Centre or the Regional Centre, please write to

"The Director (Student Support Services)"
National Institute of Open Schooling
A-24-25, Institutional Area, Sector-62, NOIDA-201309, Uttar Pradesh
or send email to: lsc@nios.ac.in"

OR

Call at Toll Free No. 1800-180-9393
Learners are advised to take help of 'Frequently Asked Questions' already available on NIOS website.

3

एनआईओएस में अध्ययन प्रक्रिया
Instructional Process at NIOS

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में शिक्षार्थी को स्वयं अध्ययन करना होता है अर्थात् वह स्वअध्येता होता/होती है। यहाँ वह अपनी गति व सुविधानुसार अध्ययन कर सकता/सकती है। अध्ययन प्रक्रिया में स्व-अध्ययन हेतु मुद्रित सामग्री का अध्ययन करना, ऑडियो एवं वीडियो कार्यक्रमों को सुनना तथा देखना, अध्ययन केंद्र में व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों (पीसीपी) में भाग लेना एवं मूल्यांकन हेतु भेजे जाने वाले शिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य करना शामिल है। एनआईओएस मुख्यालय द्वारा सभी अध्ययन सामग्री डिजाइन कर और तैयार सीधे शिक्षार्थियों को भेजी जाती है।

In NIOS, a learner has to learn on his/her own i.e., he/she is a self-learner. He/she can learn at his/her own pace and convenience. The instructional process comprises studying self-instructional print materials, listening to and viewing audio and video programmes, attending Personal Contact Programmes (PCPs) at the Study Centre, and doing Tutor Marked Assignments that are evaluated. All instructional materials are designed and developed by the NIOS Headquarters and are sent to the learners directly.

3. ऑन-लाइन स्ट्रीम-1 के द्वारा प्रवेश के लिए

3.1 स्व-अध्ययन सामग्री

विभिन्न विषयों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई मुद्रित स्व-अध्ययन सामग्री और अन्य सहायक सामग्री एनआईओएस वेबसाइट और शिक्षार्थी डैशबोर्ड पर उपलब्ध है।

स्व-अध्ययन सामग्री निम्नलिखित तरीकों से आपकी सहायता करती है:

1. इनमें अंतर्निहित शिक्षक आपको हर कदम पर मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं।
2. कक्षा-आधारित शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के समान अधिगम अनुभव प्रदान करके एक प्रभावी कक्षा शिक्षक के कार्यों को पूरा करती हैं।
3. अधिगम सामग्री में अंतर्निहित अदृश्य शिक्षक पाठ्य सामग्री के साथ आपकी अंत:क्रिया को सुगम बनाते हैं।
4. आपकी अधिगम शैली पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं और आपको विषयवस्तु और प्रणाली से जोड़े रखती हैं।
5. आपको बाहरी स्रोतों से न्यूनतम या बिना किसी सहायता के आत्मनिर्भर और स्वतंत्र शिक्षार्थी के रूप में विकसित होने में मदद करती हैं।

3. For Admission through Online Stream-1

3.1 Self Learning Material (SLM)

The specially designed printed self learning material for different subjects along with other support material is available on the NIOS website as well as learner's dashboard.

Self-Learning Materials help you in the following ways:

1. Teacher in-built in them and guide and support you at each and every step.
2. Perform the functions of an effective classroom teacher by providing learning experiences similar to the classroom-based teaching-learning process.
3. The invisible teacher built in the learning materials facilitates your interaction with the text materials.
4. Positively impact your learning style and keep you connected with the contents and the system.
5. Help you grow as self-reliant and independent learners with minimal or no support from external sources.

3.2 व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी)

एनआईओएस में यह प्रावधान है कि प्रवेश के प्रथम वर्ष में एआई (अध्ययन केन्द्र) द्वारा **एक प्रेरण सत्र** एवं सिद्धांत विषय के लिए **30 पीसीपी सत्र** तथा अतिरिक्त 05 सत्र जिन विषयों में प्रत्यक्ष प्रायोगिक होता है उनके लिए आमने-सामने आधार पर सामान्यत: सप्ताहांत तथा अवकाश के दिनों में आयोजित किए जाएंगे। ये पाँच (05) पीसीपी सत्रों का उपयोग अधिगम और रचनात्मक मूल्यांकन के लिए किए जाएंगे। रचनात्मक आकलन (05 प्रायोगिक कक्षाओं) के लिए अंकों को 50% वेटेज दिया जाएगा और योगात्मक मूल्यांकन के लिए छठी प्रायोगिक कक्षा (अंतिम) के लिए 50% अंक दिए जाएंगे। ये पीसीपी सत्र संबंधित अध्ययन केंद्र (एआई) में ब्लॉक-I के लिए नवंबर से और ब्लॉक-II के लिए मई से आयोजित किए जाएंगे। शिक्षार्थियों को पीसीपी अनुसूची की समय सारणी के लिए एआई के साथ नियमित संपर्क बनाए रखना चाहिए।

नोट

पीसीपी कक्षाओं के लिए एआई को अलग से भुगतान न करें।

आंतरिक मूल्यांकन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश एनआईओएस वेबसाइट पर दिए गए हैं। शिक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि दिशा-निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ें।

नोट

यदि शिक्षार्थी प्रवेश के प्रथम वर्ष में 05 पीसीपी प्रायोगिक में भाग नहीं ले पाता है, तो एनआईओएस उसे 05 पीसीपी प्रायोगिक के लिए फिर से पंजीकरण करने की अनुमति देता है। इसके लिए शिक्षार्थी को संबंधित विषय हेतु परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त रचनात्मक मूल्यांकन (एफए) परीक्षा शुल्क (प्रति प्रायोगिक विषय) का भुगतान करें। शिक्षार्थी इस अवसर का लाभ प्रवेश की अवधि के दौरान उठा सकते हैं।

संपर्क सत्र पाठ्यक्रम पूरा करने के उद्देश्य से नहीं हैं। **औपचारिक शिक्षा प्रणाली की भांति परम्परागत ढंग से कक्षा में पढ़ाई करने की आशा न रखें।** वहाँ शिक्षक शिक्षार्थी की सहायता करने, पीसीपी सत्रों के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान एवं शिक्षार्थियों

3.2 Personal Contact Programme (PCP)

There is a provision in NIOS that **one induction session** and **30 PCP sessions** will be organized per subject for theory and 05 additional sessions for subjects having practical on face to face basis, generally on week ends and holidays, in the first year of admission, by the AI (Study Centre). The five (05) PCP Practicals will be utilized for learning and Formative Assessment. A weightage of 50% of the marks will be awarded for formative assessment (05 Practical classes) and 50% marks for the 6th Practical class (Last) for Summative Assessment. These PCP sessions will be conducted at the assigned Study Centres (AIs) from November onwards for Block-I and from May onwards for Block-II. Learners should remain in the regular touch with AI for time table of PCP schedule.

NOTE

Do not pay any extra amount to the AI for attending PCP classes.

The detailed Guidelines for internal assessment are displayed on NIOS website. The learners are advised to read the Guidelines carefully.

NOTE

If the learner miss the 05 PCP Practical in the first year of admission, NIOS allows him/her to re-registration for 05 PCP practical. For this purpose, the learner should pay the Formative Assessment (FA) examination fee (per practical subject) in addition to the examination fee for the concerned subject. This chance can be avail by the learner during the valid period of admission.

The contact sessions are not meant for covering the curriculum. DO NOT EXPECT FULL TIME CLASSROOM TEACHING as in the formal education system. The teachers are there to help and guide the learners with regard to difficulties faced

के मार्गदर्शन के लिए हैं। शिक्षार्थियों के हित में यह आवश्यक है कि वे सभी संपर्क सत्रों में उपस्थित रहें। ***आबंटित अध्ययन केंद्रों (एआई) पर ब्लॉक-I के लिए पांच (05) व्यक्तिगत संपर्क प्रायोगिक कार्यक्रम फरवरी में और ब्लॉक-II के लिए अगस्त माह में आयोजित किए जाएंगे। प्रयोग वाले विषयों में पाँच प्रायोगिक सत्रों में उपस्थिति अनिवार्य है।***

3.3 ऑडियो और वीडियो कार्यक्रम

एनआईओएस ने अध्ययन में सहायता के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों से संबंधित विभिन्न ऑडियो और वीडियो (एवी) कार्यक्रम तैयार किए हैं। एनआईओएस ने सामान्य प्रकृति के कुछ एवी कार्यक्रम भी तैयार किए हैं। एनआईओएस वेबसाइट पर सभी संबंधित विषय के ऑडियो और वीडियो पाठ ऑनलाइन अध्ययन सामग्री के साथ उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त एनआईओएस विभिन्न सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करके अपने शिक्षार्थियों को निरंतर शैक्षिक सहायता प्रदान करता है। एनआईओएस अपने हाई डेफिनेशन टीवी/वीडियो स्टूडियो के माध्यम से अपने सजीव संवेदनात्मक और वीडियो कार्यक्रमों का प्रसारण पीएम ई-विद्या डीटीएच चैनल 17, 18, 19 और 20 पर करता है। यह चार घंटे के सत्र सोमवार से शुक्रवार तक आयेाजित होते हैं जिसमें माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा स्तरों के विभिन्न विषयों को संलग्न किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय सांकेतिक भाषा में सजीव संवेदनात्मक और वीडियो कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं ताकि कुछ विषयों में बधिर और सुनने में अक्षम शिक्षार्थियों की शैक्षिक जरूरतों को समायोजित किया जा सके।

इन दैनिक प्रसारणों को निम्नलिखित पीएम ई-विद्या डीटीएच चैनल और एनआईओएस यूट्यूब चैनल
@Nioslivevideo/
@DDPMeVIDYANIOS17SEC/
@DDPMeVIDYANIOS18SRSEC/
@DDPMeVIDYANIOS19OBEISLIKT
पर देखा जा सकता है।

3.4 मुक्त विद्या वाणी

एनआईओएस शिक्षार्थियों के हित के लिए वेब आधारित व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी) कार्यक्रम भी प्रदान करता है।

during PCP sessions. It would be in learners, interest to attend all the contact sessions. ***The five (05) PCP practical will be conducted at assigned Study Centres (AIs) in the month of February for Block-I and August for Block-II. Attendance in five practical sessions is compulsory.***

3.3 Audio and Video Programmes

The NIOS has produced several Audio and Video (AV) programmes in the context of academic and vocational education courses to supplement learning. Some AV programmes of general nature have also been developed by NIOS. All are available respective subject audio and video lesson on NIOS website with online study material. Also NIOS provides constant educational support to its learners using various Information and Communication Technologies (ICT) and media platforms. NIOS broadcasts live interactive and video programs daily through its High-Definition TV/Video studio on PM e-Vidya DTH channels 17, 18, 19 and 20. These four-hour sessions run from Monday to Friday, covering a variety of subjects at the Secondary, Sr. Secondary, and Vocational Education levels. In addition, live interactive and video programs in Indian Sign Language are also aired to accommodate the educational needs of deaf and hearing-impaired students in certain subjects.

These daily broadcasts on PM e-Vidya DTH channels can be viewed on the NIOS YouTube channel @Nioslivevideo/
@DDPMeVIDYANIOS17SEC/
@DDPMeVIDYANIOS18SRSEC/
@DDPMeVIDYANIOS19OBEISLIKT

3.4 Mukta Vidya Vani

The NIOS offers **web based Personal Contact Programme (PCP) also for benefit of learners.**

मुक्त विद्या वाणी भारत का एक विशिष्ट शैक्षिक वेब रेडियो है। शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ऑडियो प्रसारण का एनआईओएस का एक अग्रणी पहल है। यह 19 जुलाई, 2012 को आरंभ हुआ था। यह एनआईओएस मुख्यालय में स्थित स्टूडियो से इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता वाले किसी भी श्रोता से दो तरफा की सुविधा प्रदान करता है। इसने एक प्रयोग से आरंभ होकर विश्वभर में विशेष रूप से मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) के परिप्रेक्ष्य में एक प्रभावशाली और लोकप्रिय मंच बनने की महत्वपूर्ण यात्रा में एक मील का पत्थर तय किया है।

The Mukta Vidya Vani is a unique Educational Web Radio in India. It is a pioneering initiative of the NIOS Audio streaming for educational proposes. It was launched on 19th July, 2012. It enables a two way communication with any audience that has access to internet connection from the studio located at the Headquarters in NIOS. In its commendable journey from an exploratory mode to an effective and popular platform, it has created a new milestone particularly in the context of Open and Distance Learning (ODL) mode of education.

मुक्त विद्या वाणी कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य मुद्रित पाठ्य सामग्री के अतिरिक्त वेब स्ट्रीमिंग के माध्यम से पढ़ने वाले माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के शिक्षार्थियों को सशक्त करना है। यह 24×7 सजीव व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी) है।

The main objective of the Mukta Vidya Vani programmes is to empower the learners of the Secondary, the Senior Secondary and the Vocational Education Courses of NIOS through web streaming in addition to printed course materials. It is a live Personal Contact Programme (PCP) 24×7.

समय :

सोमवार–शुक्रवार:
अपराह्न 2.00 – अपराह्न 5.00 बजे

शनिवार एवं रविवार:
पूर्वाह्न 10.30 – अपराह्न 12.30 बजे

राजपत्रित अवकाश:
पूर्वाह्न 10.30 – अपराह्न 01.30 बजे

Timings:

Monday to Friday
From 2:00 pm to 5:00 pm

Saturday & Sunday
From 10:30 am to 12:30 pm

Gazetted Holiday (s)
From 10:30 am to 01:30 pm

शिक्षार्थी हमसे टोल फ्री नं. 1800-180-2543 एवं लैंड लाइन नंबर 0120-4626949 पर संपर्क कर सकता है।

The learner can reach us via: Toll free - 1800 180 2543 and Landline - 0120 4626949.

3.4.1 स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड (स्वयं)

स्वयं, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एक कार्यक्रम है, जिसे शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों अर्थात पहुँच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रयास का उद्देश्य सबसे वंचितों सहित सभी तक सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम के संसाधन पहुंचाना है।

3.4.1 Study Webs of Active-Learning for Young Aspiring Minds (SWAYAM)

SWAYAM is a programme initiated by Ministry of Education, Govt. of India and designed to achieve the three cardinal principles of Education Policy viz., access, equity and quality. The objective of this effort is to take the best teaching learning resources to all, including the most disadvantaged.

स्वयं पर होस्ट किए गए पाठ्यक्रम चतुर्भुजों में हैं – (1) ई-ट्यूटोरियल, (2) ई-सामग्री, (3) चर्चा मंच और वेब संसाधन, (4) स्व-मूल्यांकन।

(1) वीडियो व्याख्यान, (2) विशेष रूप से तैयार की गई पठन सामग्री जिसे डाउनलोड/प्रिंट किया जा सकता है (3) परीक्षणों और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्व-मूल्यांकन परीक्षण और (4) संदेहों को दूर करने के लिए एक ऑनलाइन चर्चा मंच।

स्वयं पोर्टल पर www.swayam.gov.in के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। अभी तक स्वयं प्लेटफॉर्म पर एनआईओएस के 53 पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं – 18 माध्यमिक स्तर पर, 24 उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, 11 व्यावसायिक पाठ्यक्रम।

3.4.2 डिजिटल शिक्षा और ई-संसाधन प्लेटफॉर्म (दीप)

यह ई-लाइब्रेरी शिक्षार्थियों को 75 विभिन्न शैक्षिक विषयों से संबंधित अध्ययन सामग्री, हजारों ई-पुस्तकों के अतिरिक्त सैकड़ों पत्रिकाओं, जर्नलों और आवधिक पत्र उपलब्ध कराकर संसाधनों की एक समृद्ध श्रृंखला तक पहुँच प्रदान करेगी। विश्वकोश और निर्देशिकाओं सहित संदर्भ पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। यह मंच ऐसे डेटा बेस भी उपलब्ध कराता है जो रचनात्मक लेखन या वाद विवाद हेतु उपयोगी है। व्यावसायिक शैक्षिक अध्ययन के लिए विशेष डेटाबेस जोड़ा गया है।

DEEP

पाठ्य सामग्री के अतिरिक्त, यह डिजिटल लाइब्रेरी वीडियो व्याख्यान, शैक्षिक टीवी चैनलों के लिए एक्सेस पॉइंट और टेक्स्ट टू स्पीच की सुविधा को जोड़ने की भी योजना है।

3.5 शिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य

अध्ययन के दौरान शिक्षार्थी को अपनी प्रगति की जाँच करने हेतु शिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्यों

The courses hosted on SWAYAM are in 4 quadrants – (1) e-tutorial, (2) e-content, (3) Discussion forum and web resources, (4) self assessment.

(1) video lecture, (2) specially prepared reading material that can be downloaded/ printed (3) self-assessment tests through tests and quizzes and (4) an online discussion forum for clearing the doubts.

The SWAYAM portal can be accessed through www.swayam.gov.in. As of now, there are 53 courses of NIOS being offered on SWAYAM Platform – 18 at Secondary level, 24 at Sr. Secondary level, 11 Vocational courses.

3.4.2 Digital Education & e-Resource Platform (DEEP)

This e-Library will enable learners to gain access to a plethora of resources including study materials pertaining to 75 different academic subjects, Thousands of e-books, apart from hundreds of magazines, journals and periodicals. Reference Books including encyclopedias and directories are also available. It also has databases which can assist users in creative writing or deliberating any debates. Special Database for Vocational educational studies has been added.

Apart from textual material, the digital library also envisions to add video lectures, access points for educational TV Channels and text to speech facility.

3.5 Tutor Marked Assignments

In order to check the progress during the course of study, the learner should take up

(टीएमए) को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। **ये लिखित कार्य शिक्षार्थियों के सतत आंतरिक मूल्यांकन का अंग होंगे** तथा शिक्षार्थी को व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी) में शिक्षार्थियों को भाग लेने हेतु प्रेरित करते हैं और शिक्षार्थियों एवं अध्ययन केंद्रों पर शिक्षकों के बीच अच्छे संबंध विकसित करने में सहायक होंगे। प्रत्येक विषय में केवल एक मूल्यांकन कार्य है। **शिक्षार्थी एनआईओएस पोर्टल के माध्यम से अपने डैशबोर्ड पर असाइनमेंट उत्तर पत्रक समय पर अपलोड करें।** अधिक जानकारी के लिए कृपया अध्याय-5 और वेबसाइट पर दिए गए 'दिशानिर्देश' भी देखें।

नोट

एनआईओएस के वेबसाइट पर शिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य (टीएमए) शिक्षार्थी द्वारा चयनात्मक रूप से डाउनलोड करने तथा विषयवार अथवा आवश्यकतानुसार टीएमए का प्रिंट लेने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

3.6 स्ट्रीम 2, 3 और 4 के अंतर्गत ऑन-लाइन प्रवेश संबंधी महत्त्वपूर्ण जानकारी

- स्ट्रीम 2, 3 तथा 4 में ऑन-लाइन प्रवेश प्रक्रिया विशेषकर उन शिक्षार्थियों के लिए बनाई गई है जो अध्ययन पाठ्यक्रम पहले ही पूर्ण कर चुके हैं लेकिन एनआईओएस की परीक्षा में शीघ्र सम्मिलित होना चाहे हैं। अतः एनआईओएस स्ट्रीम 2, 3 तथा 4 के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थियों को निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराएगा :
  - अध्ययन सामग्री (स्व-अध्ययन सामग्री)
  - व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी) तथा
  - शिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य (टीएमए)
- तदनुसार, एनआईओएस इन तीनों स्ट्रीमों के शिक्षार्थियों से पूरे पाँच वर्ष की नामांकन अवधि के दौरान अध्ययन सामग्री, पीसीपी के आयोजन तथा मूल्यांकन

Tutor Marked Assignments (TMAs) seriously. **The assignments would be a part of continuous internal assessment** and also serve as an academic tool to prompt the learner to take part in the Personnel Contact Programmes (PCPs) and develop rapport between the learner and the tutors at the Study Centres. There is only one Assignment in each subject. **The learner must upload the assignments response sheets online at their Dashboard through NIOS portal on time.** For more details, please see Chapter 5 and also the 'Guidelines' hosted on NIOS website.

NOTE

Tutor Marked Assignments (TMA) will be hosted on the NIOS website for the learners to download selectively and print TMAs subject wise or as required.

3.6 Important Information about Online Admissions under Streams 2, 3 and 4

- The Streams 2, 3 and 4 of Online Admission have been specifically designed for those learners who have already completed the course of study but wish to appear in NIOS examinations at the earliest available opportunity. Therefore, NIOS will not provide the following to the learners seeking admission under Streams 2, 3 and 4:
  - Study Material (Self Learning Material)
  - Personal Contact Programmes (PCPs) and
  - Tutor Marked Assignments (TMAs)
- Accordingly, NIOS is not charging any money for the study material, for conduct of PCP and Assignments for these three

कार्य के लिए कोई शुल्क नहीं ले रहा है। हालांकि इसके अंतर्गत शामिल शिक्षार्थी एनआईओएस के वेबसाइट (**www.nios.ac.in**) द्वारा अध्ययन सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों अथवा सामग्री वितरण इकाई (एमडीयू), दिल्ली से (**तालिका-6 क के अनुसार**) ऑन-लाइन भुगतान करके प्राप्त कर सकते हैं।

➤ जो शिक्षार्थी अल्पकालिक सूचना पर एनआईओएस परीक्षा में बैठने का निर्णय लेता है उसे अनिवार्य रूप से प्रवेश के समय ही परीक्षा शुल्क जमा कराना होगा और ऑन-लाइन प्रवेश के समय ही परीक्षा फॉर्म/सूचना भरनी होगी।

➤ प्रवेश के समय शिक्षार्थी को अपने सभी चुने हुए विषयों का उल्लेख प्रवेश फॉर्म में करना होगा जिनमें वे परीक्षा देना चाहता/चाहती हैं यदि टीओसी की आवश्यकता है तो उससे संबंधित विवरण भी देना होगा।

➤ स्ट्रीम-2 के शिक्षार्थी को परीक्षा में 09 (नौ) बार बैठने, विषय परिवर्तन आदि जैसे अन्य सुविधाएँ दी जाएंगी। फिर भी, शिक्षार्थी प्रवेश की वैधता के अंदर 'जब चाहो तब परीक्षा' प्रणाली (ओड्स) के माध्यम से (माह में केवल एक बार) कितनी ही बार परीक्षा में बैठने के लिए स्वतंत्र है।

➤ विषय परिवर्तन के लिए विवरणिका के अध्याय 2 पैरा 2.10 (ख) में दिए गए एनआईओएस नियम लागू होंगे।

➤ प्रत्येक शिक्षार्थी को भेजी गयी अध्ययन सामग्री की स्थिति एनआईओएस वेबसाइट www.nios.ac.in पर देखी जा सकती है। जानकारी प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी एनआईओएस के टॉल फ्री नं 1800-180-9393 की सुविधा का प्रयोग भी कर सकते हैं।

➤ एक स्ट्रीम विशेष के अंतर्गत एक बार प्रवेश की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थी तय अवधि में प्रवेश का स्ट्रीम नहीं बदल सकता।

streams of learners for the entire period of enrolment of five years. However, the learners can access the study material by downloading it from the NIOS website **(www.nios.ac.in)** or on payment through online **(as per Table-6A)** from the Regional Centres or from the Material Distribution Unit (MDU), Delhi.

➤ A learner who opts to appear in NIOS examinations at a short notice is required to pay examination fee compulsorily at the time of admission and fill up the Examination Form/ information at the time of seeking Online Admission.

➤ At the time of admission, the learner has to mention all subjects opted by him/her for appearing in examinations in the Admission Form including Transfer of Credit (TOC), if needed.

➤ All other facilities like 9 chances to appear in examinations, change of subjects, etc., will be provided to the learner of Stream-2. However, the learner is free to appear any number of times (limited to once in a month) through On Demand Examination System (ODES) till the validity of admission.

➤ For change of subject, NIOS rules mentioned in Chapter 2 - para 2.10 (b) of the Prospectus will be applicable.

➤ Status of despatch of study material to individual learners can be seen on NIOS website www.nios.ac.in. The learners may use the facility to get the information from NIOS Toll free No. 1800-180-9393.

➤ Once admission is confirmed under a particular stream, the learner can not change the Stream of Admission for the remaining period.

4

मूल्यांकन प्रणाली
Evaluation System

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की मूल्यांकन प्रणाली में कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं। संविधान द्वारा अधिसूचित किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रश्नों के उत्तर लिखने की स्वतंत्रता, यद्यपि प्रश्नपत्र सामान्य तौर पर अंग्रेजी और हिंदी या उपलब्ध क्षेत्रीय माध्यम में ही दिए जाएँगे। इनके अतिरिक्त एनआईओएस परीक्षा प्रणाली की प्रामाणिकता और स्तर को बनाए रखने के कुछ नए प्रयोग कर रहा है। पंजीकृत शिक्षार्थियों के लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 'जब चाहो तब परीक्षा प्रणाली', इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण नवाचार है।

The National Institute of Open Schooling has certain significant features in its evaluation system. One such feature is freedom to answer the questions in any one of the scheduled regional languages, although the Question Papers supplied would generally be in English and Hindi/available Regional mediums only. NIOS has been doing innovations in the evaluation system to maintain its credibility and standards. The On Demand Examination System (ODES) at the Secondary and the Senior Secondary levels for the registered candidates is one such innovation.

4.1 सार्वजनिक परीक्षाएँ

सार्वजनिक परीक्षाएँ वर्ष में दो बार मार्च–अप्रैल और सितंबर अक्तूबर में एनआईओएस द्वारा निर्धारित तिथियों पर होती हैं। हालांकि, शिक्षार्थी भी माध्यमिक स्तर और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पात्रता शर्तों के अनुसार केवल उन्हीं विषयों में जब चाहो तब परीक्षा प्रणाली (ओड्स) दे सकते हैं जिनमें शिक्षार्थी ने एनआईओएस में प्रवेश लिया है।

4.1 Public Examinations

The Public Examinations are held twice in a year in the months of March-April and September-October on the dates fixed by the NIOS. However, a learner is also eligible to appear through On Demand Examination System (ODES) as per the eligibility conditions at the Secondary Level and the Senior Secondary Level in those subjects only in which the learner has taken admission in NIOS.

नोट

निर्धारित तिथियों में परीक्षा शुल्क का भुगतान न करने पर, शिक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

NOTE

Unless examination fee is paid within the prescribed dates, learner will not be allowed to appear in the examinations.

नोट

परीक्षाओं के दौरान उत्तर लिखने के लिए परीक्षार्थी को एक विषय में केवल एक उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। कोई अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी।

NOTE

During the Examinations, only one Answer Book will be issued to the learner in a subject to complete the Answers. No additional Answer Sheet will be provided.

(क) स्ट्रीम-I तथा स्ट्रीम-II के शिक्षार्थियों हेतु सार्वजनिक परीक्षा के लिए नामांकन

एनआईओएस की परीक्षा में बैठने के लिए शिक्षार्थी को नीचे दी गई निर्दिष्ट तिथियों पर परीक्षा फॉर्म भरकर पंजीकरण कराना होगा तथा **तालिका-7** के अनुसार परीक्षा शुल्क जमा करना होगा :

(i) मार्च-अप्रैल परीक्षाएं

नए और पिछली परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों के लिए

➢ 21 नवंबर से 20 दिसंबर (बिना विलंब शुल्क)

उन शिक्षार्थियों के लिए जो पिछली परीक्षा अर्थात् अक्तूबर की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रहे हैं

➢ 01 दिसंबर से 20 दिसंबर (बिना विलंब शुल्क)

सभी शिक्षार्थियों के लिए

➢ 21 दिसंबर से 31 दिसंबर
(रु. 150/- प्रति विषय विलंब शुल्क सहित)

➢ 01 जनवरी से 10 जनवरी
(रु. 1600/- समेकित विलंब शुल्क सहित)

(ii) सितंबर-अक्तूबर परीक्षाएं :

नए और पिछली परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों के लिए

➢ 21 मई से 20 जून (बिना विलंब शुल्क)

उन शिक्षार्थियों के लिए जो पिछली परीक्षा अर्थात् अप्रैल की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रहे हैं

➢ 1 जून से 20 जून (बिना विलंब शुल्क)

सभी शिक्षार्थियों के लिए

➢ 21 जून से 30 जून
(रु. 150/- प्रति विषय विलंब शुल्क सहित)

➢ 01 जुलाई से 10 जुलाई
(रु. 1600/- समेकित विलंब शुल्क सहित)

शिक्षार्थी सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यूपीआई द्वारा ऑनलाइन किया जा सकता है।

(ख) सार्वजनिक परीक्षा के लिए पंजीकरण

(i) एआईओएस की मार्च-अप्रैल और सितंबर-अक्तूबर में आयोजित होने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं में पंजीकरण के लिए शिक्षार्थी एनआईओएस की वेबसाइट www.nios.ac.in/sdmis.nios.ac.in. के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

(a) Registration for Public Examination under Stream-1 and Stream-2 learners

For appearing in NIOS examination, the learner must register himself/herself by filling up the Examination Form online by paying requisite examination fee as given in **Table 7** as per schedule given below.

(i) March-April Examination :

For fresh and unsuccessful learners of previous examinations

➢ 21st November to 20th December (Without late fee)

For learners who have been unsuccessful in the preceding examination i.e., October Exams.

➢ 1st December to 20th December (Without late fee)

For all learners

➢ 21st December to 31st December
(With late fee of Rs. 150/- per subject)

➢ 1st January to 10th January
(With consolidated late fee of Rs. 1600/-)

(ii) September-October Examination :

For fresh and unsuccessful learners of previous examinations

➢ 21st May to 20th June (Without late fee)

For learners who have been unsuccessful in the preceding examination i.e., April Exams.

➢ 1st June to 20th June (Without late fee)

For all learners

➢ 21st June to 30th June
(With late fee of Rs. 150/- per subject)

➢ 1st July to 10th July
(With consolidated late fee of Rs. 1600/-)

The learner can register for Public Examinations through online mode only. The examination fee can be paid online through Credit Card/Debit Card/Net Banking/UPI.

(b) Registration for Public Examinations

(i) To register for the Public Examination of NIOS being held in March-April and September-October the learner has to apply through online from NIOS website: www.nios.ac.in sdmis.nios.ac.in.

(ii) शिक्षार्थी विषयों की सूची से विषय सही भरें जिसमें वह उपस्थित होना चाहता/चाहती है।

(ii) The learner must select the correct subjects from the list of subjects in which he/she wishes to appear.

ध्यान देने योग्य महत्त्वपूर्ण बिंदु

➤ **उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए, माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष से दो वर्ष का अंतर अवश्य हो।** यदि शिक्षार्थी का दो वर्ष का अंतर नहीं है तो वह आने वाली मार्च-अप्रैल/सितंबर-अक्तूबर और उसके बाद सितंबर-अक्तूबर/मार्च-अप्रैल की परीक्षाओं में अधिकतम चार विषयों की परीक्षा में ही बैठ सकता है। यदि कोई शिक्षार्थी 4 विषयों से अधिक के लिए पंजीकृत है तो पहले चार विषयों की ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। शेष विषयों की परीक्षा में बैठने के लिए वह तभी योग्य होगा/होगी जब दो वर्ष का अनिवार्य अंतराल पूरा हो जाएगा। दो वर्षों का अंतराल न होने पर उसका परीक्षा शुल्क पहले चार चुने गए विषयों के लिए समायोजित किया जाएगा और शेष शुल्क यदि अन्य विषयों के लिए शुल्क का भुगतान किया गया है तो वह शुल्क लौटाया नहीं जाएगा।

➤ परीक्षा केन्द्र निश्चित करना एनआईओएस का विशेषाधिकार है। एनआईओएस द्वारा सामान्यत: जिला मुख्यालयों और उप-मंडल मुख्यालयों और एआई/अध्ययन केंद्र के नजदीक उपलब्ध जगहों पर परीक्षा केन्द्र निश्चित किए जाते हैं।

➤ कृपया अपने परीक्षा केन्द्र और परीक्षा तिथियों से संबंधित विवरण जानने के लिए परीक्षा आरंभ होने से दो सप्ताह पहले अपने संबंधित एआई से संपर्क करें अथवा एनआईओएस की वेबसाइट पर लॉग ऑन करें।

➤ परीक्षा के लिए हॉल टिकट एवं अंकसूची-सह-प्रमाणपत्र सूचना पत्रों और प्रमाणपत्रों पर शिक्षार्थियों के फोटो स्कैन किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों और परिणाम की सूचना एनआईओएस की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है।

➤ शिक्षार्थी को केवल एनआईओएस द्वारा आबंटित किए गए परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा में बैठना होगा। परीक्षा केन्द्रों के आबंटन के संबंध में एनआईओएस का निर्णय अंतिम होगा।

➤ यदि शिक्षार्थी एनआईओएस द्वारा आबंटित किए गए एक परीक्षा केन्द्र के अतिरिक्त किसी अन्य केन्द्र से परीक्षा देता/देती है तो उसके परिणाम की घोषणा नहीं की जाएगी और उसका मामला अनुचित साधनों के प्रयोग के अंतर्गत माना जाएगा।

IMPORTANT NOTE

➤ **The learner admitted to the Senior Secondary Course must ensure essential gap of two years from the year of passing the Secondary examination for the purpose of obtaining a certificate at the Senior Secondary level.** If learner does not have the requisite gap of two years, he/she can appear in a maximum of four subjects only in the forthcoming March-April/September-October examination and subsequent September-October/March-April Examination. In case a learner is registered for more than 4 subjects, then first 4 subject shall be considered for appearing in the examination. Learner will be eligible to appear in the remaining subjects only on completion of the two years gap. In the absence of the two years gap, his/her examination fee will be adjusted for the first four opted subjects and the remaining fee, if paid for other subjects, will be forfeited.

➤ Fixation of Examination Centre is the prerogative of NIOS. However, the Examination Centres are normally fixed at District Headquarters, Sub-Divisional Headquarters and other available places near the AIs/Study Centres.

➤ Please contact the concerned AI or log on to NIOS website about two weeks prior to commencement of examination for finding out details regarding Examination Centre and Date Sheet.

➤ Hall ticket for examination and Marks Statement-cum-Certificate have scanned photographs of the learners. The information about Examination Centres and Result are made available on the NIOS website.

➤ The learner has to appear only in the Examination Centre allotted to him/her by NIOS. The decision of NIOS with regard to allotment of the Examination Centre will be final.

➤ In case a learner appears in an Examination Centre other than the allotted one by NIOS, his/her result will not be declared and his/her case will be treated as having resorted to unfair means.

परीक्षा के दौरान विभिन्न रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए प्रावधान

- किसी परीक्षा विशेष के लिए पंजीकरण के समय एक लिखित अनुरोध के साथ किसी सरकारी अस्पताल का चिकित्सा प्रमाणपत्र जमा करें, जिसमें अक्षमता की प्रकृति और कितनी अक्षमता है, इसका उल्लेख होना आवश्यक है।
- लेखक का प्रावधान
- देखने में अक्षम अथवा विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं वाले व्यक्तियों अथवा मानसिक पक्षाघात वाले शिक्षार्थियों के लिए 20 मिनट प्रति घंटे की अतिरिक्त समय की अनुमति दी जाएगी।
- आकस्मिक अस्वस्थता/दुर्घटना से ग्रस्त शिक्षार्थियों के लिए प्रावधान
- अलग बैठने की व्यवस्था
- हाथ/पैर अथवा हड्डी रोग संबंधी अक्षमता, ऑटिज्म, देखने में और सुनने में अक्षम, विभिन्न अक्षमताओं /मानसिक पक्षाघात, कुष्ठ रोग मुक्त शिक्षार्थियों के लिए अक्षमतानुसार सुविधाएँ

  विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अध्याय 6 देखें।

- जब चाहो तब परीक्षा (ओडीई) के मामले में शिक्षार्थी को लेखक/लिपिक का प्रबंध करना होगा। फिर भी परीक्षा में केवल एक घंटा अतिरिक्त समय की अनुमति दी जाएगी और एनआईओएस की ओड्स परीक्षा में अन्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं।

4.2 जब चाहो तब परीक्षा प्रणाली (ओड्स)

यदि शिक्षार्थी माध्यमिक अथवा उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए पहले से ही पंजीकृत शिक्षार्थी है, तो उसके पास एनआईओएस की जब चाहो तब परीक्षा प्रणाली (ओड्स) द्वारा परीक्षा देने का विकल्प है। ओड्स के माध्यम से वह जब भी परीक्षा देने के लिए तैयार हो, अपनी इच्छा और तैयारी के अनुसार परीक्षा दे सकता है, बशर्ते परीक्षा केंद्र में स्थान उपलब्ध हो।

ओड्स के माध्यम से माध्यमिक स्तर पर परीक्षा देने के लिए उपलब्ध विषय हैं : हिन्दी (201), अंग्रेजी (202), संस्कृत (209), गणित (211),

Provisions for Persons with Disabilities during Examination

- A written request alongwith Medical Certificate indicating the nature and extent of disability from a Government Hospital is required to be submitted at the time of registration for a specific examination.
- Provision of an Amanuensis (Writer).
- An additional 20 minutes per hour of examination for each of the subject will be allowed to visually impaired on differently abled persons or spastic learner
- Provisions for the learners suffering from sudden illness/accident.
- Separate sitting arrangement.
- Disabilitywise provisions to learners with Locomotor/Orthopaedic disability, Visually and Hearing Impaired, Multiple Disability/Cerebral Palsy, Mentally Retarded, Autism and Leprosy-cured.

  For detailed information, please see Chapter 6.

- In case of On Demand Examination (ODE) the learner has to arrange a Writer/Amanuensis. However, one hour extra time is allowed for the examination and no other facilities are available in ODE Examination of NIOS

4.2 On Demand Examination System (ODES)

In case the learner is already a registered learner of NIOS at the Secondary or the Senior Secondary level, he/she has the option to appear in the Examination through NIOS On-Demand Examination System (ODES). Learner can appear in the examination through ODES as per his/her wish and preparation as and when learner feels ready for the examination, subject to availability of the seats in the Examination Centre.

Subjects available for appearing through ODES at the Secondary level are Hindi (201), English (202), Sanskrit (209),

विज्ञान (212), सामाजिक विज्ञान (213), अर्थशास्त्र (214), व्यवसाय अध्ययन (215), गृह-विज्ञान (216), मनोविज्ञान (222), भारतीय संस्कृति एवं विरासत (223), लेखांकन (224), चित्रकला (225), डाटा एंट्री ऑपरेशन्स (229), भारतीय दर्शन (247), संस्कृत साहित्य (248)।

ओड्स के माध्यम से उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपलब्ध विषय हैं : हिंदी (301), अंग्रेजी (302), संस्कृत (309), गणित (311), भौतिकी (312), रसायन विज्ञान (313), जीव विज्ञान (314), इतिहास (315), भूगोल (316), राजनीति विज्ञान (317), अर्थशास्त्र (318), व्यवसाय अध्ययन (319), लेखांकन (320), गृह विज्ञान (321), मनोविज्ञान (328), कम्प्यूटर विज्ञान (330), समाजशास्त्र (331), चित्रकला (332), पर्यावरण विज्ञान (333), जनसंचार (335), डाटा एंट्री ऑपरेशन्स (336), कानून का परिचय (338) तथा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान (339)।

उपर्युक्त विषयों के लिए 'जब चाहो तब परीक्षा' (माध्यमिक एवं उच्च. माध्यमिक), (i) एनआईओएस, ए-31, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा -201309, जिला गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.) में और (ii) पूरे भारत में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्यालयों में आयोजित की जाती है।

जब चाहो तब परीक्षा (ओड्स) के लिए पंजीकरण

- जब चाहो तब परीक्षा (ओड्स) की सुविधा लेने के लिए शिक्षार्थी एनआईओएस का पंजीकृत शिक्षार्थी होना चाहिए तथा उसके पास नामांकन संख्या और एक वैध पहचान पत्र होना चाहिए;
- ओड्स के लिए पंजीकरण पहले से नामांकित शिक्षार्थियों के लिए केवल **ऑन-लाइन** के माध्यम से उपलब्ध है। ऑन लाइन पंजीकरण की प्रक्रिया जानने के लिए आप एनआईओएस की वेबसाइट www.nios.ac.in/sdmis.nios.ac.in पर जाएँ (जब चाहो तब परीक्षा पर क्लिक करें और उसके बाद पूर्व शिक्षार्थियों के लिए ऑन-लाइन ओडीई पंजीकरण पर क्लिक करें)।

Mathematics (211), Science (212), Social Science (213), Economics (214), Business Studies (215), Home Science (216), Psychology (222), Indian Culture and Heritage (223), Accountancy (224), Painting (225), Data Entry Operations (229), Bharatiya Darshan (247) and Sanskrit Sahitya (248).

Subjects available for appearing through ODES at the Senior Secondary level are Hindi (301), English (302), Sanskrit (309), Mathematics (311), Physics (312), Chemistry (313), Biology (314), History (315),Geography (316), Political Science (317), Economics (318), Business Studies (319), Accountancy (320), Home Science (321), Psychology (328), Computer Science (330), Sociology (331), Painting (332), Environmental Science (333), Mass Communication (335), Data Entry Operations (336), Introduction to Law (338), and Library and Information Science (339).

The On-Demand Examinations (Secondary and Sr. Secondary) for the above said subjects are conducted at : (i) NIOS, A-31, Institutional Area, Sector 62, Noida - 201309, District Gautam Budh Nagar (Uttar Pradesh), and (ii) Designated Kendriya Vidyalayas across India.

Registration for On Demand Examination (ODE)

- In order to avail the facility of On Demand Examination System (ODES), the learner has to be a registered one as a bonafide learner of NIOS having the Enrolment Number and a valid Identity Card.
- The registration for ODES is available for existing learners through **Online** only. In order to know the ODE registration procedure, you may visit the NIOS website: www.nios.ac.in/sdmis.nios.ac.in. (click on On Demand Examination System – thereafter click on online ODE registration for existing learners).

- स्ट्रीम-1 के ब्लॉक-I और II के शिक्षार्थी मार्च-अप्रैल, 2026 और क्रमशः सितंबर-अक्तूबर, 2026 की सार्वजनिक परीक्षाओं के बाद ही ओडीई में ऑन-लाइन पंजीकरण करा सकते हैं;

- ओड्स में बैठने के लिए, शिक्षार्थी एनआईओएस द्वारा दिए गए पहचान पत्र के साथ-साथ फोटो सहित कोई एक पहचान के प्रमाण जैसे वाहन लाइसेंस, मतदान पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि अवश्य लाएं। साथ ही वह कंप्यूटर निर्मित ओडीई पंजीकरण के आवेदन की मुद्रित प्रति भी लाए;

- ओडीई के लिए परीक्षा शुल्क इस प्रकार है :-
  - माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर : रु. 600/- + रु. 250/- अतिरिक्त जिन विषयों में प्रयोग शामिल हैं

- शिक्षार्थी केवल एनआईओएस द्वारा अधिसूचित निर्धारित जब चाहो तब परीक्षा (ओडीई) में ही उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे परीक्षा केंद्रों की सूची एनआईओएस की वेबसाइट : sdmis.nios.ac.in. पर उपलब्ध है। विदेशी शिक्षार्थी एनआईओएस के किसी भी ओडीई केंद्र से परीक्षा दे सकते हैं।

- 'जब चाहो तब परीक्षा' (ओड्स) के शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग/यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है।

- **अंक एवं स्थानांतरण इकाई, मूल्यांकन विभाग, एनआईओएस द्वारा अंक सूची-सह-प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज़ ही मुद्रित किए जाएंगे जो पूर्ण रूप से उत्तीर्ण होंगे तथा वह शिक्षार्थी जो अपना पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात परिणाम सुधार/अतिरिक्त विषय की परीक्षा देते हैं। केवल उन शिक्षार्थियों के पास भेजने के लिए उनके संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र को भेजे जाएंगे। अन्य शिक्षार्थी जो अंक सूची-सह-प्रमाणपत्र लेना चाहते हैं वे ई-सेवा के माध्यम से ऑन-लाइन आवेदन करें और रु. 300/- का ऑनलाइन भुगतान करें।**

- किसी विषय विशेष में एक ही महीने में दो बार ओडीई ऑन-लाइन पंजीकरण की अनुमति नहीं है।

- The learners of Stream-1 Blocks I & II can seek online ODE registration only after March/April, 2026 and September/October, 2026 public examinations respectively.

- For appearing in ODE, the learner must bring the Original Identity Card issued by NIOS along with any one valid photo identity proof e.g., Driving Licence, Voter Identity Card, Passport, Aadhaar Card, PAN Card etc., and the Hall Ticket

- The Examination fee for ODE is as under :
  - Secondary & Senior Secondary level Rs.600/- + Rs.250/- extra for subject involving practical

- A learner can appear for ODE only for the designated On Demand Examination as notified by NIOS. The list of such examination centre are available at NIOS Website: sdmis.nios.ac.in. Overseas learner can appear from any of the ODE Centres of NIOS.

- On Demand Examination fee can be paid online only through Credit Card , Debit Card or Net Banking/UPI.

- **The Marks Statement-cum-Certificate and other documents will be prepared only for overall pass learners and also to those learners who after passing their course appears for improvement of their performance additional subject by M&M Unit, Department of Evaluation, NIOS and will be sent to the concerned Regional Centres for despatch to individual learners. Other learners wanting Marks Statement-cum-Certificate can apply online through E-service by paying a fee of Rs. 300/- online.**

- Seeking ODE online registration twice a month in a particular subject is not permissible;

- पंजीकरण में कोई भी समस्या होने पर, शिक्षार्थी **lsc@nios.ac.in** पर ई-मेल करें या 18001809393 डायल करें/एनआईओएस के संबंधित क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क करें।

4.3 क्रेडिट संचयन

4.3.1 शिक्षार्थी पंजीकरण की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि में अधिकतम नौ बार सार्वजनिक परीक्षाओं में बैठ सकता/सकती है। जिन विषयों में शिक्षार्थी ने परीक्षा दी अथवा उत्तीर्ण हुआ है, एनआईओएस इन विषयों का रिकॉर्ड तब तक रखेगा जब तक कि शिक्षार्थी प्रमाणपत्र हेतु आवश्यक विषयों में सफलता हासिल न कर लें। उदाहरण के लिए एक शिक्षार्थी जिसने अप्रैल-2026 में प्रवेश लिया, उसे अप्रैल-मई, 2031तक सार्वजनिक परीक्षाओं/ओडीई परीक्षा में बैठने का अवसर प्राप्त होगा।

4.3.2 आंशिक क्रेडिट

यदि उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम का/की शिक्षार्थी किसी विषय की सिद्धांत परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता/जाती है और प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता/जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सिद्धांत परीक्षा के प्राप्तांक जमा कर लिए जायेंगे और इसी तरह से प्रायोगिक परीक्षा में होगा। जैसा भी मामला हो ऐसे शिक्षार्थी को फिर से सिद्धांत अथवा प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि शिक्षार्थी अच्छे अंक प्राप्त करने के उद्देश्य से दोबारा सिद्धांत अथवा प्रायोगिक परीक्षा में भी सम्मिलित होना चाहे तो सिद्धांत तथा प्रयोग दोनों परीक्षाओं में से अधिक प्राप्तांक ही परीक्षाफल में दर्शाये जायेंगे। ऐसे मामलों में शिक्षार्थियों को सिद्धांत और प्रायोगिक (विषय का संपूर्ण शुल्क) दोनों के लिए अपेक्षित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।

नोट

एनआईओएस अपने शिक्षार्थियों को बोनाफाइड/ स्थानांतरण/ विद्यालय छोड़ने/चरित्र/ जन्म तिथि सम्बन्धी प्रमाणपत्र नहीं देता।

माध्यमिक पाठ्यक्रम के अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों के लिए सिद्धांत/प्रायोगिक परीक्षा के अंकों को क्रेडिट स्थानांतरण संचयन और परिणाम की गणना के लिए रखा जाएगा।

- In case of difficulty in registration, a learner may send mail to: lsc@nios.ac.in or dial 1800 180 9393/Contact concerned Regional Centre of NIOS.

4.3 Credit Accumulation

4.3.1 A learners is offered as many as nine chances to appear in the Public Examination, spread over a period of five years from the date of registration. NIOS will maintain the record of subjects in which the learners has appeared or declared pass and credits awarded to him/her are accumulated till eligibility certification norms are met. To illustrate, a learner admitted in April, 2026, can avail chances to appear in the public Examination/ODE upto April/May 2031 Examinations.

4.3.2 Part Credit

If a learner passes in Theory but remains un-successful in Practical examination of the Senior Secondary Examination, marks in Theory will be retained and vice- versa. Such learners are not required to appear in Theory or practical as the case may be. However, if such a learner appears again in Theory or Practical the better of the two marks will be taken into account for the result. In such cases, the learners will be required to pay the requisite examination fee for both the theory and the Practical (as a whole subject fee).

NOTE

NIOS does not issue any Bonafide/Transfer/ School Leaving/ Character/Date of Birth Certificate separately to its learners.

For un-successful learners of the Secondary course, the marks for Theory/ Practical shall be retained for the purpose of Credit

सिद्धांत और प्रायोगिक परीक्षा दोनों में से जिसमें बेहतर अंक प्राप्त होंगे, उन्हें मान्य समझा जाएगा।

Accumulation and calculation of the result. The better of the two marks obtained in Theory/Practical will be taken in to consideration.

4.4 अंकों की स्थिति में सुधार

एनआईओएस शिक्षार्थियों को उत्तीर्ण विषय में फिर से परिणाम में सुधार करने के लिए (पंजीकरण की वैध अवधि के दौरान) आवश्यक परीक्षा शुल्क का भुगतान करके पुनः परीक्षा देने की अनुमति देता है। दोनों प्रदर्शनों में से बेहतर प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षार्थी को उसी पाठ्यक्रम, विषयवस्तु और परीक्षा प्रणाली का पालन करना होगा जो उस वर्ष के लिए लागू है जिसमें वे परिणाम में सुधार के लिए परीक्षा में उपस्थित होगा। आंशिक सुधार की अनुमति केवल उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों में ही है।

शिक्षार्थी (प्रमाणित शिक्षार्थियों सहित) को प्रवेश पात्रता के 5 वर्षों की वैधता अवधि के दौरान जितनी बार हो सके उत्तीर्ण विषय में सुधार के लिए परीक्षाओं (सार्वजनिक/ओडीई) में उपस्थित होने की अनुमति है। परिणाम में सुधार के इच्छुक शिक्षार्थियों को जिन्हें पहले ही प्रमाणपत्र प्राप्त है उन्हें अंक तालिका सह-प्रमाणपत्र 'उपस्थितः सुधार' टिप्पणी के साथ जारी किया जाएगा।

4.4 Improvement of Performance

NIOS allows learners to re-appear in a passed subject for improvement of performance (valid period of registration) by paying the requisite examinations fees. Better of the two performance will be considered will be required to follow the same syllabi, courses and the Scheme of Examination as it is applicable to the year of Examination, in which the learner shall be appearing for improvement. Part improvement is allowed only in the Senior Secondary courses.

The learner (including certified learners) is allowed to appear in the examinations (Public/ ODE) for improvement in passed subject until as many as times during the validity of 5 years of admission eligibility. For already certified learners appearing for improvement, Marks Statement - Cum – Certificate will be issued with the remarks "Appeared for Improvement"

4.5 सार्वजनिक परीक्षा के लिए अंक तालिका-सह-प्रमाणपत्र और माइग्रेशन-सह-स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करना

अंक तालिका-सह-प्रमाणपत्र और माइग्रेशन-सह-स्थानांतरण प्रमाणपत्र केवल सभी विषयों में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को जारी किया जाएगा और शिक्षार्थी के संबंधित क्षेत्रीय केंद्र पर प्रदान किया जाएगा।

4.5 Issue of Marks Statement-cum-Certificate & Migration-cum-Transfer Certificate for Public Examination

The Marks Statement -Cum - Certificate and Migration-cum-Transfer Certificate will be issued only for overall Pass Learners and provided to individual learner through concerned Regional Centre.

तालिका-7 : परीक्षा और अन्य विविध शुल्क

(i) माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए

शुल्क की प्रकृति	**शुल्क की राशि**
➢ परीक्षा शुल्क	= रु. 300/- प्रति विषय
➢ प्रयोग के लिए अतिरिक्त शुल्क उन विषयों के लिए जिनमें सिद्धांत एवं प्रयोग दोनों हैं	= रु. 150/- प्रति विषय
➢ परीक्षा के लिए विलंब शुल्क (अंतिम तिथि के बाद आंरभ के दस दिनों के लिए)	= रु. 150/- प्रति विषय
➢ केवल संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र में निर्धारित तिथियों के बाद समेकित विलंब शुल्क (पैरा 4.1 देखें) (विलंब शुल्क के बाद आंरभ के दस दिनों के लिए)	= रु. 1600/- प्रति विषय
(ii) अन्य विविध शुल्क	
➢ उत्तीर्ण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति	= रु. 300/-
➢ अस्थायी प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति	= रु. 300/-
➢ माइग्रेशन प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति	= रु. 300/-
➢ अंक सूची-सह-प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति	= रु. 300/-
➢ पहचान पत्र की दूसरी प्रति	= रु. 100/-
➢ डाक खर्च (यदि सामग्री स्पीड पोस्ट से भेजी जानी है)	= रु. 50/-
➢ उत्तरपुस्तिका की पुन: जांच (माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा)	= रु. 400/- प्रति विषय
➢ उत्तरपुस्तिका का पुन: मूल्यांकन (माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा)	= रु. 1000/- प्रति विषय
➢ उत्तरपुस्तिका का पुन: मूल्यांकन (माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जब चाहो तब परीक्षा)	= रु. 1200/- प्रति विषय
➢ एनआईओएस दस्तावेज़ों का सत्यापन (निजी कंपनियों और स्वयं शिक्षार्थियों के लिए)	= रु. 650/- प्रति दस्तावेज़
➢ शिक्षार्थी को उत्तर पुस्तिकाओं (माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष पाठ्यक्रमों) की फोटो प्रति (परिणाम की घोषणा के 15 दिन के भीतर) जारी करना।	= रु. 700/- प्रति उत्तर पुस्तिका
➢ विदेशी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों (विदेश) के लिए एनआईओएस प्रमाणपत्रों का प्रतिलेखन/सत्यापन	= रु. 5000/-
➢ अंक सूची-सह-प्रमाणपत्र (संशोधित)] प्रवेश रिकॉर्ड के संशोधन के पश्चात	= रु. 300/-
➢ माइग्रेशन प्रमाणपत्र (संशोधित)] प्रवेश रिकॉर्ड के संशोधन के पश्चात	= रु. 300/-

टिप्पणी:

(i) संशोधित दूसरे दस्तावेजों का शुल्क ऊपर लिखे अनुसार लिया जाएगा।

(ii) परीक्षा शुल्क सभी शिक्षार्थियों द्वारा दिया जाना अनिवार्य है।

(iii) परीक्षा शुल्क माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक दोनों परीक्षाओं के लिए समान है।

(iv) परीक्षा के लिए एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही समायोजित किया जाएगा।

(v) अंक सूची-सह-प्रमाण पत्र और माइग्रेशन प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए, ई-सेवा के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

(vi) माइग्रेशन प्रमाणपत्र तथा अंक सूची-सह-प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति में से कोई भी प्रमाणपत्र अतिशीघ्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क 400 रुपये/- प्रति प्रमाणपत्र है और ये दस्तावेज़ आपको आवेदन प्राप्त होने की तिथि से दो कार्य दिवस के भीतर जारी किए जाएंगे।

(vii) आवेदन प्राप्त होने की तिथि से दो कार्य दिवसों के अंदर अतिशीघ्र सत्यापन के लिए निर्धारित शुल्क प्रत्येक दस्तावेज़(जों)/प्रमाणपत्र(त्रों) के लिए रु. 1000/- है। (निजी संस्थान और शिक्षार्थी)

(viii) स्पीड पोस्ट के माध्यम से दूसरे प्रमाणपत्र/दस्तावेज/पहचान पत्र के प्रेषण की आवश्यकता के मामले में शिक्षार्थी को शुल्क के साथ रु.50/- अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

(ix) प्रमाणपत्र प्राप्त शिक्षार्थी को पहचान पत्र की दूसरी प्रति नहीं दी जाएगी।

नोट : यदि सार्वजनिक परीक्षा/जब चाहो तब परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद शिक्षार्थी परिणाम में कोई गलती पाता है तो उसे परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के अंदर एनआईओएस द्वारा जारी त्रुटिपूर्ण दस्तावेज़ों के साथ संबंधित क्षेत्रीय केंद्र को आवेदन करना होगा। ऐसा न करने पर कोई निवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Table-7 : Examination Fee and Other Miscellaneous Fee

(i) Fee for the Secondary and the Senior Secondary Public Examinations

Nature of Fee	Amount of Fees
➢ Examination fee	Rs. 300/- per subject
➢ Additional fee for Practicals in subjects having both theory and practicals.	Rs. 150/- per subject
➢ Late fee for examination (for First 10 days)	Rs. 150/- per subject
➢ Consolidated late fee to be received at the concerned Regional Centre only (See para 4.1) for next 10 days after late fee	Rs. 1600/- per subject
(ii) Other Miscellaneous Fees	
➢ Duplicate copy of the Pass Certificate	Rs. 300/-
➢ Duplicate Provisional Certificate	Rs. 300/-
➢ Duplicate Migration Certificate	Rs. 300/-
➢ Duplicate Marksheet	Rs. 300/-
➢ Duplicate Identity Card	Rs. 100/-
➢ Postal Charges (If the above documents are required by Speed Post)	Rs. 50/-
➢ Re-checking of Answer Script (Secondary/Senior Secondary Examination)	Rs. 400/- per subject
➢ Re-evaluation of Answer Script (Secondary/Senior Secondary Examination)	Rs. 1000/- per subject
➢ Re-evaluation of Answer Script (Secondary/Senior Secondary On Demand Examination)	Rs. 1200/- per subject
➢ Verification of NIOS documents (for Private organisation and individual learners)	Rs. 650/- per document
➢ Issue of photocopy of Answer scripts to Learner (Secondary and Sr. Secondary or equivalent courses) within 15 days from the declaration of result.	Rs. 700/- per Answer script
➢ Transcription/verification for foreign Institutions/ Universities for NIOS certificates	Rs. 5000/-
➢ Marks Statement-cum-Certificate (Revised) (After correction in admission record)	Rs. 300/-
➢ Migration Certificate (Revised) (After correction in admission record)	Rs. 300/-

Note:
(i) The revised duplicate documents fees will be charged as mentioned above.
(ii) The examination fee is required to be paid by all learners.
(iii) Examination fee is same for both the Secondary and the Senior Secondary Courses.
(iv) The fee once paid for examinations will not be refunded or adjusted under any circumstances.
(v) Apply online through E-service for obtaining duplicate copy of Marks Statement-cum-Certificate and Migration Certificate.
(vi) The prescribed fee for issue of Migration Certificate and Duplicate Marks Statement-cum-Certificate on urgent basis is Rs. 400/- and these documents will be issued within 02 working days from the date of receipt of application.
(vii) The prescribed fee for the verification of document(s)/certificate(s) on urgent basis is Rs. 1000/- for each document(s)/certificate (s) within 02 working days from the date of receipt of application (for Private organisation and individual learners).
(viii) In case the duplicate certificate/document/identity card needs to be despatched through Speed Post, additional charge of Rs. 50/- is to be paid by the learner alongwith the fee.
(ix) Duplicate I-cards will not be issued to certified candidates.

Note: In case any discrepancy is noticed by the learner in the result after declaration of the result of Public Examination/On Demand Examination, he/she will have to apply for the same to the concerned Regional Centre within 30 days of declaration of the result alongwith the incorrect documents issued by NIOS, failing which no request will be entertained.

4.6 प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए मानदण्ड

प्रमाणपत्र प्राप्त करने का मानदंड किसी विषय में उत्तीर्ण होने के लिए और माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए एनआईओएस द्वारा निर्धारित मानदंड (तालिका-8) में दिए गए हैं :-

4.6 Certification Criteria

In order to pass in a subject and get a certificate of Secondary/Senior Secondary courses, the criteria laid down by NIOS are given in Table-8:

तालिका-8 : प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए मानदण्ड

पाठ्यक्रम	एक विषय में उत्तीर्ण होने का मानदण्ड	प्रमाणपत्र प्राप्त करने का मानदण्ड
माध्यमिक पाठ्यक्रम (कक्षा दसवीं)	टीएमए सहित न्यूनतम 33% अंक तथा सार्वजनिक परीक्षा में कम से कम कुल 33% प्राप्तांक (सिद्धांत एवं प्रयोग दोनों में मिलाकर जहाँ लागू हो) आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त अंकसूची में अलग से दर्शाए जाएंगे।	कम से कम एक परन्तु अधिकतम दो भाषाओं सहित 5 विषयों में उत्तीर्ण।
उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम (कक्षा बारहवीं)	टीएमए सहित न्यूनतम 33% अंक साथ ही टीएमए के आवंटित अंकों को छोड़कर परीक्षा के सिद्धांत एवं प्रायोगिक में अलग से न्यूनतम 33% प्राप्तांक	कम से कम एक परन्तु अधिकतम दो भाषाओं सहित 5 विषयों में उत्तीर्ण।

नोट : अंकसूची-सह-प्रमाणपत्र और माइग्रेशन प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज़ सभी उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को जारी किए जाएंगे। परीक्षा में अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों को केवल डिजिटल अंक सूची जारी की जाएगी जिसे एनआईओएस/संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

Table-8: Certification Criteria

Course	Pass Criteria in a Subject	Certification Criteria
Secondary Course (Class X)	A minimum of 33% marks in the aggregate including TMA as well as 33% marks (Theory plus Practical wherever applicable) in the Public Examination excluding alloted marks of TMA	Pass in 5 subjects including at least one but not more than two languages.
Senior Secondary Course (Class XII)	A minimum of 33% marks in the aggregate including TMA as well as minimum of 33% marks separately in Theory and Practical of the Examination excluding allotted marks of TMA.	Pass in 5 subjects including at least one but not more than two languages.

Note: The documents i.e Marks Statement-cum-Certificate, and Migration Certificate will be issued to the learners who has passed the examination in overall. A learner could not succed in the examination shall not be issued Marks Statement-cum-Certificate. They can download a digital Marks Statement from NIOS website.

4.7 परीक्षा योजना

परीक्षा योजना संबंधी विवरण, जिसमें प्रत्येक विषय के पेपरों की संख्या, अधिकतम अंक और परीक्षा की अवधि संबंधी विवरण है, **तालिका-9** में दिया गया है।

4.7 Scheme of Examinations

The scheme of examinations highlighting the number of papers, maximum marks and duration of examinations for each subject is given in **Table-9.**

तालिका 9 : परीक्षा योजना

क) माध्यमिक परीक्षा					
क्र.सं.	कोड	विषय	प्रश्नपत्रों	अधिकतम अंक की संख्या	अवधि (घंटे)
		समूह क			
1.	201	हिंदी	1	100	3
2.	202	अंग्रेजी	1	100	3
3.	206	उर्दू	1	100	3
4.	209	संस्कृत	1	100	3
5.	203	बांग्ला	1	100	3
6.	204	मराठी	1	100	3
7.	205	तेलुगू	1	100	3
8.	207	गुजराती	1	100	3
9.	208	कन्नड़	1	100	3
10.	210	पंजाबी	1	100	3
11.	228	असमिया	1	100	3
12.	230	भारतीय सांकेतिक भाषा (सिद्धांत)	1	40	2
		(प्रयोग)	1	60	2
13.	231	नेपाली	1	100	3
14.	232	मलयालम	1	100	3
15.	233	ओड़िया	1	100	3
16.	235	अरबी	1	100	3
17.	236	फारसी	1	100	3
18.	237	तमिल	1	100	3
19.	238	सिंधी	1	100	3
		समूह ख			
1.	211	गणित (सिद्धांत)	1	85	2½
		(प्रयोग)	1	15	3
2.	212	विज्ञान (सिद्धांत)	1	85	2½
		(प्रयोग)	1	15	3
3.	213	सामाजिक विज्ञान	1	100	3
4.	214	अर्थशास्त्र	1	100	3
5.	215	व्यवसाय अध्ययन	1	100	3
6.	216	गृह विज्ञान (सिद्धांत)	1	85	2½
		(प्रयोग)	1	15	3
7.	222	मनोविज्ञान	1	100	3
8.	223	भारतीय संस्कृति एवं विरासत	1	100	3
9.	224	लेखांकन	1	100	3
10.	225	चित्रकला (सिद्धांत)	1	30	2
		(प्रयोग)	1	70	3
11.	229	डाटा एंट्री आपरेशन्स(अं.) (सिद्धांत)	1	40	2
		(प्रयोग)	1	60	2
12.	242	हिंदुस्तानी संगीत (सिद्धांत)	1	40	2
		(प्रयोग)	1	60	2
13.	243	कर्नाटक संगीत (सिद्धांत)	1	40	2
		(प्रयोग)	1	60	2
14.	244	लोक कला (सिद्धांत)	1	40	2
		(प्रयोग)	1	60	2
15.	245	वेद अध्ययन #	1	100	3
16.	246	संस्कृत व्याकरण #	1	100	3
17.	247	भारतीय दर्शन #	1	100	3
18.	248	संस्कृत साहित्य #	1	100	3
19.	285	नाट्यकला # (सिद्धांत)	1	40	2
		(प्रयोग)	1	60	2
20.	249	उद्यमिता	1	100	3
21.	273	शारीरिक शिक्षा (सिद्धांत)	1	40	2
		(प्रयोग)	1	60	3

समूह क की क्रम सं. 5–18 के विषय: इन विषयों की परीक्षा एक ही दिन और समय पर आयोजित की जाएगी।

समूह ख की क्रम सं. 15–19 के विषय: भारतीय ज्ञान परम्परा#

प्रमाणपत्र में ''भारतीय ज्ञान परम्परा'' का उल्लेख माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर संस्कृत भाषा विषय के साथ उपयुक्त चार विषय सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर किया जाएगा।

टिप्पणी (तालिका 9 समूह 'क' के लिए लागू)

मान्यता प्राप्त करने के लिए समूह क से न्यूनतम एक और अधिकतम दो भाषाएँ ली जा सकती हैं। फिर भी, तीसरी भाषा अतिरिक्त विषय के रूप में ली जा सकती है।

Table-9: Scheme of Examination

a) Secondary Examination					
S.No.	**Code**	**Subject**	**No. of Papers**	**Max. Marks**	**Duration (hours)**
Group A					
1.	201	Hindi	1	100	3
2.	202	English	1	100	3
3.	206	Urdu	1	100	3
4.	209	Sanskrit	1	100	3
5.	203	Bengali	1	100	3
6.	204	Marathi	1	100	3
7.	205	Telugu	1	100	3
8.	207	Gujarati	1	100	3
9.	208	Kannada	1	100	3
10.	210	Punjabi	1	100	3
11.	228	Assamese	1	100	3
12.	230	Indian Sign Language (Th.)	1	40	2
		(Pr)	1	60	2
13.	231	Nepali	1	100	3
14.	232	Malayalam	1	100	3
15.	233	Odia	1	100	3
16.	235	Arabic	1	100	3
17.	236	Persian	1	100	3
18.	237	Tamil	1	100	3
19.	238	Sindhi	1	100	3
Group B					
1.	211	Mathematics (Th)	1	85	2½
		(Pr)	1	15	3
2.	212	Science (Th)	1	85	2½
		(Pr)	1	15	3
3.	213	Social Science	1	100	3
4.	214	Economics	1	100	3
5.	215	Business Studies	1	100	3
6.	216	Home Science (Th)	1	85	2
		(Pr)	1	15	3
7.	222	Psychology	1	100	3
8.	223	Indian Culture and Heritage	1	100	3
9.	224	Accountancy	1	100	3
10.	225	Painting (Th)	1	30	2
		(Pr)	1	70	3
11.	229	Data Entry Operations (E) (Th)	1	40	2
		(Pr)	1	60	2
12.	242	Hindustani Sangeet (Th)	1	40	2
		(Pr)	1	60	2
13.	243	Carnatic Sangeet (Th)	1	40	2
		(Pr)	1	60	2
14.	244	Folk Art (Th)	1	40	2
		(Pr)	1	60	3
15.	245	Veda Adhyyan#	1	100	3
16.	246	Sanskrit Vyakarana#	1	100	3
17.	247	Bharatiya Darshan#	1	100	3
18.	248	Sanskrit Sahitya#	1	100	3
19.	285	Natyakala# (Th)	1	60	2
		(Pr)	1	40	3
20.	249	Entrepreneurship	1	100	3
21.	273	Physical Education (Th)	1	40	2
		(Pr)	1	60	3

Group A, S.No. 5–19 (Bengali to Sindhi): Examination of these subjects will be held on same day and time.

Group B, S.No. 15–19 (Veda Adhyyan to Natyakala): Indian Knowledge Tradition#

In the Certificate, mention of ***"Indian Knowledge Tradition"*** will be made on successful completion of above four subjects alongwith Sanskrit Language subject at Secondary/Senior Secondary level.

NOTE (Applicable for Table 9 Group A)

Minimum one and Maximum two language subjects from group A are permissible for certification. However, third language can be offered as an additional subject.

ख) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा

क्र.सं.	कोड	विषय		प्रश्नपत्रों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि (घंटे)
		समूह क				
1.	301	हिंदी		1	100	3
2.	302	अंग्रेजी		1	100	3
3.	306	उर्दू		1	100	3
4.	309	संस्कृत		1	100	3
5.	307	गुजराती		1	100	3
6.	303	बंगाली		1	100	3
7.	304	तमिल		1	100	3
8.	305	ओडिया		1	100	3
9.	310	पंजाबी	इन विषयों की परीक्षा एक ही दिन और समय पर आयोजित की जाएगी।	1	100	3
10.	341	अरबी		1	100	3
11.	342	फारसी		1	100	3
12.	343	मलयालम		1	100	3
13.	344	सिंधी		1	100	3
14.	382	भारतीय सांकेतिक भाषा	(सिद्धांत)	1	40	2
			(प्रयोग)	1	60	2
		समूह ख'				
1.	311	गणित		1	100	3
2.	321	गृह विज्ञान	(सिद्धांत)	1	80	3
			(प्रयोग)	1	20	3
3.	316	भूगोल	(सिद्धांत)	1	80	3
			(प्रयोग)	1	20	3
4.	318	अर्थशास्त्र		1	100	3
5.	319	व्यवसाय अध्ययन		1	100	3
6.	328	मनोविज्ञान		1	100	3
7.	332	चित्रकला	(सिद्धांत)	1	40	2
			(प्रयोग)	3	60	6
8.	336	डाटा एंट्री कार्य	(सिद्धांत)	1	40	2
			(प्रयोग)	1	60	2
9.	376	प्रारंभिक शिशु देखभाल	(सिद्धांत)	1	80	3
		एवं शिक्षा*	(प्रयोग)	1	20	3
10.	340	लिंग अध्ययन		1	100	3
11.	349	उद्यमिता	(सिद्धांत)	1	80	3
			(प्रयोग)	1	20	3
11.	345	वेद अध्ययन #		1	100	3
12.	346	संस्कृत व्याकरण #	भारतीय ज्ञान परम्परा#	1	100	3
13.	347	भारतीय दर्शन #		1	100	3
14.	348	संस्कृत साहित्य #		1	100	3
15.	385	नाट्यकला #	(सिद्धांत)	1	60	2
			(प्रयोग)	1	40	3
16.	383	कृषि: उत्पादन, प्रसंस्करण एवम् विपणन	(सिद्धांत)	1	80	3
			(प्रयोग)	1	20	3
		समूह ग'				
17.	312	भौतिकी	(सिद्धांत)	1	80	3
			(प्रयोग)	1	20	3
18.	315	इतिहास		1	100	3
19.	333	पर्यावरण विज्ञान	(सिद्धांत)	1	80	3
			(प्रयोग)	1	20	3
20.	339	पुस्तकालय एवं सूचना	(सिद्धांत)	1	80	3
		विज्ञान	(प्रयोग)	1	20	3
		समूह घ'				
21.	313	रसायन विज्ञान	(सिद्धांत)	1	80	3
			(प्रयोग)	1	20	3
22.	317	राजनीति विज्ञान		1	100	3
23.	335	जन संचार	(सिद्धांत)	1	80	3
			(प्रयोग)	1	20	3
24.	374	सेना अध्ययन		1	100	3
		समूह ड.'				
25.	314	जीव विज्ञान	(सिद्धांत)	1	80	3
			(प्रयोग)	1	20	3
26.	320	लेखांकन		1	100	3
27.	338	कानून एक परिचय		1	100	3
28.	375	सेना इतिहास		1	100	3
		समूह च'				
29.	330	कम्प्यूटर विज्ञान	(सिद्धांत)	1	60	3
			(प्रयोग)	1	40	2
30.	331	समाजशास्त्र		1	100	3
31.	337	पर्यटन		1	100	3
32.	373	शारीरिक शिक्षा	(सिद्धांत)	1	70	3
			(प्रयोग)	1	30	3

* **इन विषयों की परीक्षा एक ही दिन और समय पर आयोजित की जाएगी।**

प्रमाणपत्र में ''भारतीय ज्ञान परम्परा'' का उल्लेख माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर संस्कृत भाषा विषय के साथ उपयुक्त चार विषय सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर किया जाएगा।

टिप्पणी (तालिका 9 समूह 'क' के लिए लागू)

प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए समूह क से न्यूनतम एक और अधिकतम दो भाषाएँ ली जा सकती हैं। फिर भी, तीसरी भाषा अतिरिक्त विषय के रूप में ली जा सकती है।

b) Senior Secondary Examination

S.No.	Code	Subject		No. of Papers	Max. Marks	Duration (hours)
Group A						
1.	301	Hindi		1	100	3
2.	302	English		1	100	3
3.	306	Urdu		1	100	3
4.	309	Sanskrit		1	100	3
5.	307	Gujarati	Examination of these subjects will be held on same day and time.	1	100	3
6.	303	Bengali		1	100	3
7.	304	Tamil		1	100	3
8.	305	Odia		1	100	3
9.	310	Punjabi		1	100	3
10.	341	Arabic		1	100	3
11.	342	Persian		1	100	3
12.	343	Malayalam		1	100	3
13.	344	Sindhi		1	100	3
14.	382	Indian Sign Language	(Th.)	1	40	2
			(Pr)	1	60	2
Group B						
1.	311	Mathematics		1	100	3
2.	321	Home Science	(Th)	1	80	3
			(Pr)	1	20	3
3.	316	Geography	(Th)	1	80	3
			(Pr)	1	20	3
4.	318	Economics		1	100	3
5.	319	Business Studies		1	100	3
6.	328	Psychology		1	100	3
7.	332	Painting	(Th)	1	40	2
			(Pr)	3	60	6
8.	336	Data Entry Operations	(Th)	1	40	2
			(Pr)	1	60	2
9.	376	Early Childhood Care and Education*	(Th)	1	80	3
			(Pr)	1	20	3
10.	340	Gender Studies	1	1	100	3
11.	349	Enterpreneurship	(Th)	1	80	3
			(Pr)	1	20	3
11.	345	Veda Adhyyan#	Indian Knowledge Tradition#	1	100	3
12.	346	Sanskrit Vyakarana#		1	100	3
13.	347	Bharatiya Darshan#		1	100	3
14.	348	Sanskrit Sahitya#		1	100	3
15.	385	Natyakala#	(Th)	1	60	2
			(Pr)	1	40	3
16.	383	Krishi: Production, Processing & Making	(Th)	1	80	3
			(Pr)	1	20	3
Group C*						
17.	312	Physics	(Th)	1	80	3
			(Pr)	1	20	3
18.	315	History		1	100	3
19.	333	Enviornmental Science	(Th)	1	80	3
			(Pr)	1	20	3
20.	339	Library and Information Science	(Th)	1	80	3
			(Pr)	1	20	3
Group D*						
21.	313	Chemistry	(Th)	1	80	3
			(Pr)	1	20	3
22.	317	Political Science		1	100	3
23.	335	Mass Communication	(Th)	1	80	3
			(Pr)	1	20	3
24.	374	Military Studies		1	100	3

S.No.	Code	Subject		No. of Papers	Max. Marks	Duration (hours)
			Group E*			
25.	314	Biology	(Th)	1	80	3
			(Pr)	1	20	3
26.	320	Accountancy		1	100	3
27.	338	Introduction to Law		1	100	3
28.	375	Military History		1	100	3
			Group F*			
29.	330	Computer Science	(Th)	1	60	3
			(Pr)	1	40	2
30.	331	Sociology		1	100	3
31.	337	Tourism		1	100	3
32.	373	Physical Education	(Th)	1	70	3
			(Pr)	1	30	3

*** Examination of these subjects will be held on same day and time.**

\# In the Certificate, mention of ***"Indian Knowledge Tradition"*** will be made on successful completion of above four subjects alongwith Sanskrit Language subject at Secondary/Senior Secondary level.

NOTE (Applicable for Table 9 Group A)

Minimum one and Maximum two language subjects from group A are permissible for certification. However, third language can be offered as an additional subject.

4.8 उत्तरपुस्तिका की पुनः जाँच

यदि कोई शिक्षार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है तो एनआईओएस उसे उसकी उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जाँच के लिए एक अवसर प्रदान करता है, जिसमें अंकों की पुनः गणना की जाती है और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक प्रश्न का मूल्यांकन किया गया है और प्राप्त अंकों का कुल योग सही है। ध्यान रखें कि **पुनः जांच के दौरान उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता।** शिक्षार्थी परिणाम घोषित होने के ***15 दिनों के भीतर किसी भी विषय की*** उत्तरपुस्तिका की पुनः जाँच के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिका की जांच के लिए आवेदन ऑन-लाइन किया जाएगा। शिक्षार्थी **को**

नोट

पुनः जाँच और पुनः मूल्यांकन के बाद के बाद **संशोधित (कम हुए अथवा अधिक हुए) अंक अंतिम होंगे एवं पुनः जांच/पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले शिक्षार्थी/ शिक्षार्थियों को मान्य होंगे।** प्रायोगिक परीक्षा में कोई पुनः जांच अथवा पुनः मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है।

4.8 Re-checking of Answer Scripts

In case a learner is not satisfied with his/her result, NIOS provides an opportunity for re-checking of answer scripts in which re-totaling of marks is done. It is also ensured that no question is left unevaluated. Please note that **the answers are not re-evaluated during re-checking.** A learner may apply for re-checking of the Answer Script in any subject ***within 15 days*** from the date of declaration of the result. Application may be made online for re-checking of the Answer Script. **The learner has to pay the prescribed fee of**

NOTE

On re-checking and re-evaluation, the **revised (increased or decreased) marks will be final and binding on the learner(s) applying for re-checking/re-evaluation**. No re-checking or re-evaluation is available in practical examination.

प्रति विषय रु. 400/- (तीन सौ रुपए केवल) के निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेटबैंकिंग/यूपीआई के माध्यम से करना होगा। पुनः जांच कार्य आपसे आवेदन प्राप्ति के 45 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा। यह सुविधा केवल सिद्धांत परीक्षा के अंकों के लिए उपलब्ध है।

4.8.1 माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उत्तरपुस्तिका का पुनः मूल्यांकन

माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन के लिए शिक्षार्थी एनआईओएस सार्वजनिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के **15 दिनों के अंदर** किसी भी विषय के पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिका की जांच के लिए आवेदन ऑन-लाइन किया जाएगा। शिक्षार्थी को **प्रति विषय रु. 1000/- (एक हजार रुपए केवल) का निर्धारित शुल्क** ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेटबैंकिंग/यूपीआई के माध्यम से भुगतान करना होगा। पुनः मूल्यांकन का कार्य आपसे प्राप्त आवेदन प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर पूर्ण किया जाएगा। यह सुविधा केवल सिद्धांत के अंकों के लिए उपलब्ध है।

माध्यमिक/**उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जब चाहो तब परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकनः** शिक्षार्थी एनआईओएस ओड्स परीक्षा परिणाम घोषित होने के ***15 दिनों के अंदर*** किसी भी विषय के पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन ऑनलाइन किया जाए। **उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ओड्स उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन के लिए शिक्षार्थी को प्रति विषय 1200/-रु. (बारह सौ रुपए केवल) का निर्धारित शुल्क** ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेटबैंकिंग/यूपीआई के माध्यम से देना होगा। पुनः मूल्यांकन का कार्य आवेदन प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

4.9 अनुचित साधन (यूएफएम)

परीक्षा संबंधी नियमों के अनुसार सभी अनुचित साधनों के मामलों का निपटारा किया जाएगा। परीक्षा में शिक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग की स्थिति

Rs. 400/- (Rupees Three Hundred only) per subject online to the NIOS through Credit Card/Debit Card/Net Banking/UPI. The re-checking will be completed within 45 days from the last date of application. This facility is available in Theory Papers only.

4 .8.1 Re-evaluation of Answer Scripts at the Secondary/Senior Secondary level

For re-evaluation of Answer Scripts at the Secondary/Senior Secondary level, a learner may apply for Re-evaluation of the Answer Script in any subject ***within 15 days*** from the date of declaration of the NIOS Public Examination result. Application may be made online. **The learner has to pay the prescribed fee of Rs. 1000/-** (Rupees One Thousand only) per subject online to the NIOS through Credit Card/Debit Card/Net Banking/UPI. The Re-evaluation will be completed within 45 days from the last date of application. This facility is available in theory marks only.

Re-evaluation of Answer Scripts of On Demand Examination at the Secondary/ Senior Secondary level: The learner may apply for re-evaluation of the Answer Script in any subject ***within 15 days*** from the date of declaration of the NIOS On Demand Examination result. Application may be made online. **For re-evaluation of ODES Answer Scripts at the Senior Secondary level, the learner has to pay the prescribed fee of Rs. 1200/-** (Rupees Twelve Hundred only) per subject online to NIOS through Credit Card/Debit Card/ Net Banking/UPI. The Re-evaluation will be completed within 45 days from the last date of application.

4.9 Unfair Means (UFMs)

All unfair means cases are to be dealt as per the Examinations Bye-Laws. In case of use of unfair means by the learner in

में, परिणाम मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार घोषित किया जाएगा। यहाँ तक कि उसका प्रवेश भी रद्द किया जा सकता है। अनुचित साधनों के प्रयोग से संबंधित नियम सार्वजनिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिका के दूसरे पृष्ठ पर छपे हैं। शिक्षार्थी उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें।

examination, the result will be declared as per Standard Operating Procedure. Even learner's admission can also be cancelled. Instructions regarding unfair means are printed on the second page of the Examination Answer Books. The learner should read the same carefully.

4.10 शिक्षा का मानक और मान्यता

देश में स्कूल शिक्षा के तीन राष्ट्रीय बोर्ड हैं अर्थात् एनआईओएस, सीबीएसई और सीआईएससीई। एनआईओएस मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) के माध्यम से स्कूली शिक्षा प्रदान करता है, जहां अन्य दो बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। इसे पूर्व-स्नातक स्तर तक स्कूल शिक्षा कार्यक्रम चलाने, परीक्षा आयोजित करने, और उसके बाद प्रमाणपत्र देने का अधिकार प्राप्त है। चूंकि सभी राष्ट्रीय/राज्य बोर्ड राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) द्वारा तैयार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना का पालन कर रहे हैं, अत: सभी बोर्डों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाणपत्र समकक्ष हैं। एनआईओएस के साथ भी ऐसा ही है। एनआईओएस द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरियों और अन्य सभी कार्यों के लिए मान्य हैं।

4.10 Standard of Education and Recognition

There are three National Boards of School Education viz., NIOS, CBSE and CISCE. NIOS is offering school education through Open and Distance Learning (ODL) mode, whereas the other two boards are offering school education courses in Face to Face learning mode. The National Institute of Open Schooling is an autonomous institution under the Ministry of Education, Government of India. It is vested with the authority to impart school education upto pre-degree level, conduct examinations and award certificates. As all the National/State Boards are following the National Curriculum Framework brought out by the National Council of Education Research and Training (NCERT), hence the certificates awarded by all Boards are at par. The same is the case with NIOS. The certificates awarded by NIOS are recognised for higher education, Government jobs and for all other purposes.

4.11 सार्वजनिक परीक्षा/जब चाहो तब परीक्षा के परिणामों में संशोधन के लिए प्रक्रिया

किसी सार्वजनिक/जब चाहो तब परीक्षा के परिणाम में त्रुटि के मामले में शिक्षार्थी परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के अंदर अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक को संशोधन के लिए आवेदन कर सकता/सकती है। इसके बाद परिणामों में संशोधन के किसी निवेदन पर विचार नहीं किया

4.11 Procedure for correction in the results of Public Examination/On Demand Examination

In case of a discrepancy in the result of an Public/On Demand examination, the learner may apply for correction to the Regional Director of his/her region within 30 days from the declaration of results. No request for correction in the results will be entertained thereafter. The

जाएगा। रिकॉर्ड में संशोधन के लिए आवेदन हेतु प्रोफॉर्मा एनआईओएस वेबसाइट पर विद्यार्थी सूचना भाग के अंतर्गत उपलब्ध है।

4.12 एनआईओएस शिक्षार्थियों के लिए छात्रवृत्ति

(i) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित मेधावी शिक्षार्थियों के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना** इस छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के मार्ग दर्शन में डॉ. अम्बेडकर फॉउंडेशन द्वारा 1992 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित मेधावी छात्रों को मान्यता देने, प्रोत्साहन देने और सहायता देने के दृष्टिकोण से किया गया है। ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। यह एक समय में दिया जाने वाला नकद पुरस्कार है जो शिक्षा बोर्ड/समिति द्वारा आयोजित दसवीं कक्षा की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले तीन शिक्षार्थियों को दिया जाता है। अनु. जाति और अनु. जनजाति के लिए अलग-अलग पुरस्कार होता है। यदि प्रथम तीन योग्य शिक्षार्थी बालिकाएँ न हों तो सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका को एक विशेष पुरस्कार दिया जाता है।

डॉ. अम्बेडकर छात्रवृत्ति के लिए योग्यता मानदण्ड :

(i) शिक्षार्थी अनुसूचित जाति (अ.जा.) अथवा अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) का होना चाहिए।

(ii) पिछले वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों से हुई शिक्षार्थी के परिवार की आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

(iii) शिक्षार्थी ने एनआईओएस सहित किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य/अखिल भारतीय शिक्षा बोर्डों में से किसी एक की परीक्षा दी हो और माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्रों में उसके कुल अंक 50% प्रतिशत से कम नहीं होने चाहिए।

proforma for application for correction in the record is available on NIOS website under Student Information Section.

4.12 Scholarships for NIOS Learners

(i) **Dr. Ambedkar National Scholarship Scheme for Meritorious learners belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes:** This Scholarship Scheme was started by Dr. Ambedkar Foundation set up under the aegis of the Ministry of Social Justice & Empowerment in 1992 with a view to recognise, promote and assist meritorious students belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for enabling them to pursue higher studies. This is a one time cash award and is given to three learners scoring highest marks in class X examination conducted by the Education Board/Council. This is separate for SC and ST. In case none of the first three eligible students is a girl, the girl student scoring the highest marks gets a special award.

Eligibility criteria for Dr. Ambedkar scholarship:

(i) The learner should belong to Scheduled Caste (SC) or Scheduled Tribe (ST).

(ii) Family income of the learner from all sources should be less than Rs. 1 lakh in the preceding financial year.

(iii) The learner should have appeared in any of the recognised State/All India Boards of Education including NIOS and should have scored not less than 50% marks in the aggregate in the Secondary Certificate Examination.

5

आंतरिक मूल्यांकन शिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य (टीएमए)

Internal Assessment Tutor Marked Assignment (TMA)

एनआईओएस ने शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में सहायता पहुँचाने और उन्हें सफल बनाने के लिए अनेक उपाए किए और रणनीतियाँ बनाईं। टीएमए उनमें से एक साधन है जो मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टीएमए शिक्षार्थियों को उसकी प्रगति एवं उपलब्धि जानने में सहायता पहुँचाता है और निरंतर पढ़ने की आदत विकसित करता है। साथ ही वह व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी) के दौरान नैदानिक तथा उपचारात्मक रणनीति बनाने में सहायक होता है।

The NIOS has developed several means and strategies to help learners to learn well and be successful. Tutor Marked Assignment (TMA) is one such Tool which plays a very important role in the learning process under the Open and Distance Learning (ODL) System. TMAs help learner to know his/her progress and attainment level and develop regular study habits. TMAs also helps in designing diagnostic and remedial teaching strategies during Personal Contact Programmes (PCPs).

नोट

शिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य (टीएमए) शिक्षार्थियों के लिए एनआईओएस की वेबसाइट पर अपलोड किये जाएंगे ताकि शिक्षार्थी अपने विषयों के अनुसार या जैसी आवश्यकता हो, टीएमए चुनकर डाउनलोड कर सकें और प्रिंट ले सकें।

NOTE

Tutor Marked Assignments (TMA) will be hosted on the NIOS website for the learners to download selectively and print TMAs subject wise or as required.

प्रत्येक विषय में शिक्षार्थी का आंतरिक मूल्यांकन एक अनुशिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य के माध्यम से किया जाता है। यह मूल्यांकन कार्य एक पुस्तिका के रूप में दिया जाता है। एआई में विषय विशेष के शिक्षक शिक्षार्थियों के मूल्यांकन कार्यों की जांच करेंगे और फीडबैक प्रदान करेंगे तथा सुधार के उपाय बताएँगे। मूल्यांकन कार्य एनआईओएस की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए है। जहाँ से शिक्षार्थी उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।

The learner's Internal Assessment is done through one Tutor Marked Assignment in each subject. The Assignments are supplied in a booklet form. The Subject Tutors at AIs correct the Assignments of learners and provide their feedback and suggestions for improvement. The Assignments are uploaded on NIOS website from where learners can download them.

माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन (आईए) कार्य के लिए सिद्धांत परीक्षा में 20% अंक निर्धारित किए गए हैं, जो कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के समान हैं।

Internal Assessment (IA) in Secondary/Sr. Senior examination will carry 20% weightage of theory as continuous and comprehensive evaluation.

नोट

अध्ययन केन्द्र पर टीएमए के उत्तर जमा करने के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान न करें।

NOTE

Do not pay any additional amount for submitting Assignment Response Sheets at Study Centre.

ये अंक सिद्धांत परीक्षा के प्रत्येक विषय में 80% वेटेज अंकों के साथ अंक सूची में दर्शाए जाएंगे। यह ऑन-लाइन प्रवेश के केवल स्ट्रीम-1 के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले सभी शिक्षार्थियों पर लागू होगा। किसी विषय विशेष की सार्वजनिक परीक्षा में बैठने से पहले मूल्यांकन कार्य जमा करने होंगे। विषय में उत्तीर्ण होने के बाद मूल्यांकन कार्य स्वीकार नहीं किए जाएंगे। टीएमए में सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

These marks will be shown in the mark-sheet alongwith the marks of external examination which will carry 80% weightage in each subject. TMA is applicable for admission through Stream-I only. Assignments should be submitted before appearing in the Public Examination of the particular subject. Assignments will not accepted after passing the subject. No improvement will be allowed in the TMA.

अति आवश्यक

सिद्धांत परीक्षा का 20% वेटेज आंतरिक मूल्यांकन में दिया गया है। सार्वजनिक परीक्षा सिद्धांत परीक्षा के 80% वेटेज अंकों की होती है। जिन्होंने अपना टीएमए जमा नहीं किया है उन शिक्षार्थियों के परिणाम की घोषणा सार्वजनिक परीक्षा के आधार पर की जाती है।

MOST IMPORTANT

20% weightage of theory is given to Internal Assessment. The public examination covers remaining 80% of weightage of theory. The result of those learners who do not submit the Assignments is declared on the basis of Public Examination.

टीएमए स्ट्रीम II, III और IV के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाले शिक्षार्थियों के लिए लागू नहीं है।

शिक्षार्थी अपने मूल्यांकन कार्य नीचे दी गई **तालिका '10'** की तिथियों के अनुसार एनआईओएस पोर्टल के माध्यम से अपने डैशबोर्ड पर ऑनलाइन जमा करें। टीएमए ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाऐंगे। जिन विषयों में टीएमए लागू होता है उनकी सूची **तालिका-11** में दी गई है।

TMA is not applicable to learners seeking registration under the Streams II, III & IV.

The learner is required to upload the Assignment (TMA) online at their Dashboard through NIOS portal as per Schedule given below in **Table-10**. No Assignment (TMA) will be accepted through offline mode. A list of subjects for TMA is given in **Table-11**.

नोट

(i) यदि कोई शिक्षार्थी गलत टीएमए अपलोड करता है, तो शिक्षार्थी गलत टीएमए अपलोड करने की तारीख से सात दिनों के भीतर सही टीएमए अपलोड कर सकता है।

(ii) टीएमए के लिए पुन: जांच और पुनर्मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है।

NOTE

(i) In case a learner upload incorrect TMA, learner can re-upload the correct TMA with in the seven days from the date of uploading incorrect TMA.

(ii) Re-checking and Re-evaluation is not available in TMA.

तालिका (10) : मार्च-अप्रैल और सितंबर-अक्तूबर में आयोजित होने वाली सार्वजनिक परीक्षा में बैठने के लिए मूल्यांकन कार्य जमा करने की तिथियाँ

सार्वजनिक परीक्षा	शिक्षार्थियों द्वारा मूल्यांकन कार्य जमा/अपलोड करना	शिक्षक/शैक्षिक विशेषज्ञ द्वारा शिक्षार्थियों को फीडबैक
मार्च-अप्रैल परीक्षा	31 जनवरी	15 फरवरी
सितंबर-अक्तूबर परीक्षा	31 जुलाई	16 अगस्त

Table 10: Schedule of Submission of Assignments for appearing in Public Examination to be held in March-April and September-October

Public Examination	Submission/uploading of Assignments by the Learners	Feedback by the Teacher/ Facilitator to the Learners
March-April Examination	31st January	15th February
September-October Examination	31st July	16th August

नोट :

यदि कोई शिक्षार्थी समय पर शिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य जमा/अपलोड नहीं कर सका, तो शिक्षार्थी नियत तिथि के बाद और क्रमश: अप्रैल-मई एवं अक्टूबर-नवंबर परिणाम की घोषणा की तारीख से एक महीने के भीतर 1500/- रुपये प्रति विषय विलंब शुल्क (केवल एनआईओएस वेबसाइट पर ऑनलाइन द्वारा) के साथ अपना शिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य जमा/अपलोड कर सकता है।

Note:

In case a learner could not submit/upload Tutor Marked Assignment on time then learner, may submit/upload the Assignments alongwith late fee of Rs.1500/- (to online only on the NIOS website) per subject after due date and within one month from the date of declaration of result for April-May examination and October-November respectively.

तालिका (11) : शिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य (टीएमए) के लिए विषयों की सूची

माध्यमिक स्तर			उच्चतर माध्यमिक स्तर		
क्र.सं.	विषय कोड	विषय	क्र.सं.	विषय कोड	विषय
1.	201	हिंदी	1.	301	हिंदी
2.	202	अंग्रेजी	2.	302	अंग्रेजी
3.	203	बंगाली	3.	303	बंगाली
4.	204	मराठी	4.	304	तमिल
5.	205	तेलुगू	5.	305	ओडिया
6.	206	उर्दू	6.	306	उर्दू
7.	207	गुजराती	7.	307	गुजराती
8.	208	कन्नड़	8.	309	संस्कृत
9.	209	संस्कृत	9.	310	पंजाबी
10.	210	पंजाबी	10.	341	अरबी
11.	228	असमी	11.	342	फारसी
12.	231	नेपाली	12.	343	मलयालम
13.	232	मलयालम	13.	344	सिंधी
14.	233	ओडिया	14.	382	भारतीय सांकेतिक भाषा
15.	235	अरबी	15.	311	गणित
16.	236	फारसी	16.	312	भौतिकी
17.	237	तमिल	17.	313	रसायन विज्ञान
18.	238	सिंधी	18.	314	जीव विज्ञान
19.	211	गणित	19.	315	इतिहास
20.	212	विज्ञान	20.	316	भूगोल
21.	213	सामाजिक विज्ञान	21.	317	राजनीति विज्ञान
22.	214	अर्थशास्त्र	22.	318	अर्थशास्त्र
23.	215	व्यवसाय अध्ययन	23.	319	व्यवसाय अध्ययन
24.	216	गृह विज्ञान	24.	320	लेखांकन
25.	222	मनोविज्ञान	25.	321	गृह विज्ञान
26.	223	भारतीय संस्कृति एवं विरासत	26.	328	मनोविज्ञान
27.	224	लेखांकन	27.	330	कम्प्यूटर विज्ञान
28.	225	चित्रकला	28.	331	समाजशास्त्र
29.	229	डाटा एंट्री कार्य	29.	332	चित्रकला
30.	230	भारतीय सांकेतिक भाषा	30.	333	पर्यावरण विज्ञान
31.	242	हिंदुस्तानी संगीत	31.	335	जन संचार
32.	243	कर्नाटक संगीत	32.	336	डाटा एंट्री कार्य
33.	244	लोक कला	33.	337	पर्यटन
34.	245	वेद अध्ययन	34.	338	कानून का परिचय
35.	246	संस्कृत व्याकरण	35.	339	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान
36.	247	भारतीय दर्शन	36.	340	लिंग अध्ययन
37.	248	संस्कृत साहित्य	37.	345	वेद अध्ययन
38.	249	उद्यमिता	38.	346	संस्कृत व्याकरण
39.	273	शारीरिक शिक्षा	39.	347	भारतीय दर्शन
40.	285	नाट्यकला	40.	348	संस्कृत साहित्य
			41.	349	उद्यमिता
			42.	373	शारीरिक शिक्षा
			43.	374	सेना अध्ययन
			44.	375	सेना का इतिहास
			45.	376	प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा
			46.	383	कृषि: उत्पादन, प्रसंस्करण एवम् विपणन
			47.	385	नाट्यकला

Table-11: List of Subjects for Tutor Marked Assignments (TMAs)

Secondary			Sr. Secondary Level		
S. No.	**Subject Code**	**Subject**	**S. No.**	**Subject Code**	**Subject**
1.	201	Hindi	1.	301	Hindi
2.	202	English	2.	302	English
3.	203	Bengali	3.	303	Bengali
4.	204	Marathi	4.	304	Tamil
5.	205	Telugu	5.	305	Odia
6.	206	Urdu	6.	306	Urdu
7.	207	Gujarati	7.	307	Gujarati
8.	208	Kannada	8.	309	Sanskrit
9.	209	Sanskrit	9.	310	Punjabi
10.	210	Punjabi	10.	341	Arabic
11.	228	Assamese	11.	342	Persian
12.	231	Nepali	12.	343	Malayalam
13.	232	Malayalam	13.	344	Sindhi
14.	233	Odia	14.	382	Indian Sign Language
15.	235	Arabic	15.	311	Mathematics
16.	236	Persian	16.	312	Physics
17.	237	Tamil	17.	313	Chemistry
18.	238	Sindhi	18.	314	Biology
19.	211	Mathematics	19.	315	History
20.	212	Science	20.	316	Geography
21.	213	Social Science	21.	317	Political Science
22.	214	Economics	22.	318	Economics
23.	215	Business Studies	23.	319	Business Studies
24.	216	Home Science	24.	320	Accountancy
25.	222	Psychology	25.	321	Home Science
26.	223	Indian Culture and Heritage	26.	328	Psychology
27.	224	Accountancy	27.	330	Computer Science
28.	225	Painting	28.	331	Sociology
29.	229	Data Entry Operation	29.	332	Painting
30.	230	Indian Sign Language	30.	333	Environmental Science
31.	242	Hindustani Sangeet	31.	335	Mass Communication
32.	243	Carnatic Sangeet	32.	336	Data Entry Operation
33.	244	Folk Art	33.	337	Tourism
34.	245	Veda Adhyyan	34.	338	Introduction to Law
35.	246	Sanskrit Vyakarana	35.	339	Library and Information Science
36.	247	Bharatiya Darshan	36.	340	Gender Studies
37.	248	Sanskrit Sahitya	37.	345	Veda Adhyyan
38.	249	Entrepreneurship	38.	346	Sanskrit Vyakarana
39.	273	Physical Education	39.	347	Bharatiya Darshan
40.	285	Natyakala	40.	348	Sanskrit Sahitya
			41.	349	Entrepreneurship
			42.	373	Physical Education
			43.	374	Military Studies
			44.	375	Military History
			45.	376	Early Childhood Care & Education
			46.	385	Natyakala
			47.	383	Krishi: Production, Processing and Marketing

6

एनआईओएस परीक्षाओं के संदर्भ में सामान्य तथा विशेष प्रावधान (अक्षमतानुसार)

General and Specific Provisions (Disability wise) in the context of NIOS Examinations

दृष्टिहीनता, दृष्टिबाधिता, वाकबाधिता, गति अक्षमता और अन्य प्रकार की अक्षमता वाले जिन (अक्षमतानुसार) अक्षम शिक्षार्थियों को परीक्षा लिखने में कठिनाई होती है उनके लिए आवश्यकता के आधार पर लेखक, तकनीकी उपकरणों आदि की सुविध ा का प्रावधान है। एनआईओएस की समय-समय पर अधि सूचित प्रक्रिया के अनुसार उनकी अक्षमताओं के आधार पर सामान्य सुविधाओं का प्रावधान है।

स्पष्टता के लिए उपबंधित प्रावधानों को खण्डों तथा उप-खण्डों में परिभाषित किया गया है।

6.1 प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताएँ

दिव्यांगता के अधिकार अधिनियम 2016 तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में निर्दिष्ट शिक्षार्थियों की अक्षमता तथा वे शिक्षार्थी जिन्हें अधिगम में विशेष परेशानियाँ हैं और वे विशेष सुविधाएँ प्राप्त करना चाहते हैं अथवा जिन्हें परीक्षा में कुछ विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है उन्हें एनआईओएस के संबंधित क्षेत्रीय केंद्र को दिए गए प्रोफार्मा में एक आवेदन जमा करना आवश्यक है। एक उचित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दें जिसमें उसकी अक्षमता की प्रकृति तथा अक्षमता की सीमा दर्शाई गई हो। यह आवेदन परीक्षार्थी के माता-पिता या अभिभावक द्वारा परीक्षा पंजीकरण फार्म के साथ भरा जाएगा।

अक्षम शिक्षार्थियों के लिए निम्नांकित में से किसी के द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

i) केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के सरकारी अस्पताल द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र।

The learners with disabilities like blindness, low vision, speech impairment, locomotor disability and any other disability which causes difficulty in writing the examinations are to be provided with need based provisions such as amanuensis, technological devices etc. The provisions shall be according to their disabilities as per procedure notified by NIOS from time to time.

The provisions made have been precisely defined in clauses and sub-clauses for clarity.

6.1 Procedural Requirements

The learners with disabilities as defined in the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the National Trust Act, 1999 and those with specific learning difficulties who wish to avail certain facilities or need some reasonable accommodations in the examinations are required to submit an application in the given format to the concerned Regional Centre of NIOS. A learner should clearly indicate the support required by him/her along with the certificate issued by an appropriate authority indicating the nature of his/ her disability and the extent of the disability. This application should be submitted along with the Examination Registration Form by the parent or guardian of the learner.

A Medical Certificate issued by any of the following authorities is required for availing specific provisions by learners with disability:

i) Disability Certificate(s) issued by Government Hospitals under Central or State Governments.

ii) राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त संस्थानों जैसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड, स्पैस्टिक, सोसायटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र।

iii) संबंधित राज्यों के गैर-सरकारी संगठनों/भारतीय पुनर्वास परिषद् के साथ पंजीकृत चिकित्सकों/केंद्र सरकार/संबंधित राज्यों की राज्य सरकार द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र।

परीक्षा में बैठने के दौरान शिक्षार्थी प्रमाणपत्र में दर्शाए अनुसार उत्तर पुस्तिका के ऊपर अपनी दिव्यांगता लिखें। इसे परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

6.2 सामान्य प्रावधान

6.2.1 अतिरिक्त समय का प्रावधान

अक्षम शिक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए अक्षमताओं वाले सभी शिक्षार्थियों की स्थिति 6.1 में वर्णित अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार प्रमाणित की जाए।

i) लेखक द्वारा पढ़ने, प्रश्नपत्रों को समझने, लेखक को डिक्टेशन देते हुए लगातार बैठे रहने, थकान आदि की पूर्ति करने के लिए *प्रत्येक विषय की परीक्षा के लिए 20 मिनट प्रति घंटे का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।*

ii) यदि 6.1 पर निर्दिष्ट चिकित्सा प्रमाणपत्र में उल्लिखित लघु अंतराल की आवश्यता हो तो *उपर्युक्त के अतिरिक्त दस मिनट प्रति घंटे के लघु अंतराल की अनुमति दी जाएगी।*

6.2.2 लेखक का प्रावधान

लेखक, रीडर, प्रयोगशाला सहायक की सेवाओं का लाभ केवल संबंधित विषय की आवश्यकतानुसार उठाया जा सकता है। निम्नलिखित श्रेणियों के शिक्षार्थी इस सुविधा के पात्र होंगे :

क. स्वपरायणता स्पैक्ट्रम विकार वाले

ख. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात

ii) Disability Certificate(s) issued by recognized institutes of national level such as National Association for the Blind, Spastic Society of India etc.

iii) Disability Certificate(s) issued by non-governmental organizations/ practitioners registered with Rehabilitation Council of India/Central Government/State Government of the respective States.

While appearing in the examination, the learner should write his/her disability as mentioned in the certificate on the top of the answer book . This will be authenticated by the concerned Centre Superintendent of the Examination Centre.

6.2 General Provisions

6.2.1 Provision of Additional Time

The condition of learners with disabilities will have to be certified as per approved procedure as mentioned in para 6.1 above for determining requirement of additional time.

i) *An additional 20 minutes per hour* of examination *for each of the subject will be provided* to compensate for additional time required for reading by the amanuensis, understanding the questions, fatigue while dictating to the Amanuensis, sitting continuously etc.

ii) If the condition indicated in the Medical Certificate specified in para 6.1 above requires short break, *a break of not more than ten minutes per hour will be permitted in addition to above.*

6.2.2 Provision of Amanuensis

The services of an amanuensis, reader, lab assistant can be availed as per requirement of the subject concerned. The following categories of learners will be eligible for this facility:

a. Learners with Autism Spectrum Disorders

b. Cerebral Palsy

ग. बौद्धिक दिव्यांगता

घ. बहु दिव्यांगता

ड. अल्प दृष्टि, दृष्टि बाधित

च. श्रवण दिव्यांगता अथवा वाक् एवं भाषा दिव्यांगता

छ. पैरा 6.1 में उल्लिखित की प्रक्रिया के अनुसार प्रमाणित अन्य क्षमताओं वाले शिक्षार्थी, विशेष रूप से अधिगम में अक्षमताएँ जैसे डाइस्लेक्सिया, डाइस्ग्राफिया, डाश्स्कैलकुलिया, डायस्प्राक्सिया तथा स्वर विकास की अक्षमता।

i) ऐसे शिक्षार्थी जिसे हाथ चलाने में कठिनाई हो और जिसे बोलने तथा सुनने में भी कठिनाई हो, वह सांकेतिक भाषा समझने वाले विशेषज्ञ की मदद ले सकता है जो चिन्हों की भाषा समझते हों।

ii) हाथ में चोट लगने पर शिक्षार्थी को लेखक की सुविधा दी जा सकती है।

iii) अचानक बीमार होने के मामले में जहां अस्थायी प्रकृति की अक्षमता हो, लेखक की सेवा की अनुमति 6.1 में निर्धारित विधिवत प्रमाणित चिकित्सा प्रमाणपत्र देने के बाद दी जाएगी।

iv) ऐसे अक्षम शिक्षार्थी जिसने लेखक की सुविधा का चयन किया है, यदि वह शिक्षार्थी इच्छुक है तो उसे चित्र आदि स्वयं बनाने की अनुमति दी जाए।

v) अक्षम शिक्षार्थी को प्रायोगिक विषय की आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला सहायक की सुविधा प्रदान की जाए।

vi) अक्षम शिक्षार्थी को आवश्यकता पड़ने पर रीडर की सुविधा प्रदान की जाए।

vii) यदि शिक्षार्थी को परीक्षा के दौरान परीक्षा हॉल में एक सहायक की आवश्यकता है तो आवेदन फॉर्म के साथ ही, दिए गए प्रोफार्मा में पूर्व आवेदन अवश्य जमा करें और अनुमति प्राप्त करें।

c. Intellectual Disability

d. Multiple Disabilities

e. Blindness, Low Vision

f. Speech & Language Disabilities or Hearing Disabilities

g. Any other disability such as learners with specific learning disabilities like dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia certified as per procedure mentioned in para 6.1.

i) A learner with poor hand function and speech and hearing impairments may be provided an amanuensis who can understand his/her communication including sign language.

ii) A learner with hand injury may be provided the facility of an amanuensis.

iii) In case of sudden illness resulting in temporary disability, services of an amanuensis will be allowed on furnishing duly certified Medical Certificate specified in para 6.1

iv) A learner with disabilities who may choose the use an amanuensis may be permitted to draw the diagrams etc., himself/herself if learner so desires.

v) A learner with disabilities may be provided a Lab Assistant as per requirement of the particular subject.

vi) A learner with disabilities may be provided the services of a Reader as and when required.

vii) In case a learner needs a Care Giver inside the Examination Hall during the examination, a prior application in the given format is required to be submitted along with the Application Form, and permission has to be obtained.

viii) यदि शिक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में पहुंचने तथा उसकी सीट ढूंढने में सहायक की आवश्यकता है तो आवेदन फार्म के साथ दिए गए प्रोफार्मा में पहले ही आवेदन जमा करें और अनुमति प्राप्त करें।

ix) विशेष मामलों में शिक्षार्थी को केवल प्रेरित करने तथा समर्थन के लिए उसके निकट संबंधी, सहायक अथवा संबंधित अध्यापक परीक्षा हॉल में उपस्थित हो सकते हैं। इसके लिए संबधित क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, एनआईओएस से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

नोट :

i) **लिपिक तथा लेखक** एक दूसरे के पर्याय हैं और इस कार्य के लिए प्रयोग किया जा रहा कोई अन्य नाम भी इसके लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस दस्तावेज़ में इसके लिए लेखक का प्रयोग किया गया है।

ii) यदि आवश्यक हो तो, शिक्षार्थी को भिन्न विषयों के लिए भिन्न-भिन्न लेखकों का चयन करने की अनुमति है। शिक्षार्थी को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उसे किस भाषा में लेखक की आवश्यकता है।

iii) परीक्षा केंद्र परिसर में देखभाल करने वाले की प्रविष्टि हेतु आवेदन प्रोफार्मा, परीक्षा केद्र में और एनआईओएस वेबसाइट पर उपलब्ध है।

iv) लेखक/लिपिक का प्रबंध शिक्षार्थी द्वारा स्वयं किया जा सकता है अथवा केंद्र अधीक्षक द्वारा भी किया जा सकता है। अनुमोदन की प्रक्रिया तथा लेखकों की पात्रता इस अध्याय में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार होगी।

v) प्रयोगशाला सहायक की आवश्यक सहायता केवल केंद्र अधीक्षक द्वारा प्रदान की जाएगी।

viii) In case a learner needs a Care Giver to help him/her reach the examination room and find his/her particular seat, a prior application in the given format is required to be submitted along with the Application Form and permission has to be obtained.

ix) In specific cases, near relative, Care Giver or concerned teacher may be present in the examination hall only for the purpose of motivation and support to the candidate. Prior permission for this needs to be obtained from the concerned Regional Director, Regional Centre, NIOS.

Note:

i) The terms **scribe** and **amanuensis** are synonymous and any other term signifying the same can be used for this purpose. In this document, the term **amanuensis** has been used.

ii) The learner is allowed to opt for different amanuensis for different subjects, if necessary. The learner will have to clearly specify the language in which the Amanuensis is required.

iii) The format of application for the entry of the Care Giver inside the premises of the Examination Centre is available in the Examination Centre and on the NIOS website.

iv) Amanuensis/scribe can be arranged by the learner himself/herself or can be provided by the Centre Superintendent. The procedure of approval and eligibility of amanuensies is subject to provisions mentioned of in this chapter.

v) Assistance of a Lab Assistant is required to be provided by the Centre Superintendent only.

6.2.2 (क) एक लेखक के रूप में पात्रता

i) लेखक किसी भी आयु अथवा कक्षा का हो सकता है।

ii) आपातकालीन अवस्था में लेखक, पाठक, प्रयोगशाला सहायक में परिवर्तन करने की सुविधा होगी। शिक्षार्थी की आवश्यकतानुसार विभिन्न विषयों में लिखने के लिए एक से अधिक लेखकों, पाठक, प्रयोगशाला सहायक की अनुमति होगी।

iii) शिक्षार्थी परीक्षा से एक दिन पहले केंद्र अधीक्षक की उपस्थिति में लेखक से मिल भी सकता है।

iv) केंद्र अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे कि दिव्यांग शिक्षार्थी को ये सुविधाएँ दी गई हैं और क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, एनआईओएस को इसके पालन की सूचना देंगे। संबंधित परीक्षा केंद्र अधीक्षक जहां तक संभव हो, स्कूल से एक उपयुक्त व्यक्ति चुनेंगे और उनका नाम एवं फोटो संबंधित क्षेत्रीय केंद्र को शीघ्र ही भेजेंगे जिसके साथ शिक्षार्थी और लेखक के विवरण देते हुए पूरी रिपोर्ट विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ भेजेंगे।

6.2.2 (ख) लेखक, पाठक, प्रयोगशाला सहायक, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने वाले दुभाषिए के लिए शुल्क

(i) परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक द्वारा प्रत्येक शिक्षार्थी (दिव्यांग) को परीक्षा के प्रत्येक सत्र के लिए लेखक को रु. 100/- का शुल्क दिया जाएगा। पाठक, प्रयोगशाला सहायक तथा सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने वाले दुभाषिए को मानदेय, स्टाफ के 3.2.1 भुगतान नियमों के अनुसार किया जाएगा। 6.2.2 (iv के अतिरिक्त)

6.2.2 (a) *Eligibility to be an Amanuensis*

i) The amanuensis may be a person of any age or class.

ii) There will be flexibility in accommodating any change in amanuensis, reader, lab assistant in case of emergency. More than one amanuensis, reader, lab assistant for writing different papers as per requirement of the learner will be allowed.

iii) The learner shall also have the option of meeting the amanuensis a day before the examination in presence of the Centre Superintendent.

iv) The Centre Superintendent will ensure that the facilitative provisions are granted to the learner with disabilities and inform the compliance to the Regional Director, Regional Centre, NIOS. The Centre Superintendent of the Examination Centre concerned may choose a suitable person from the school as far as possible and forward his/her name with photograph immediately to the concerned Regional Centre with a report giving full particulars of the learner and of the amanuensis for consideration and approval.

6.2.2 (b) *Fee for amanuensis, reader, lab assistant, interpreter using sign language:*

(i) A fee of Rs. 100/- per session of examination will be given to the amanuensis per learner (with disability) by the Superintendent of the Examination Centre. The remuneration of the categories such as reader, lab assistant and interpreter using sign language will be as per the Para

श्रेणी के अंतर्गत आने वाले शिक्षार्थियों को किसी प्रभार/शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) जो शिक्षार्थी अस्थायी अक्षमताओं के कारण लेखक की सुविधा का प्रयोग कर रहे हैं, उसका शुल्क वे स्वयं देंगे।

6.2.3 कम्प्यूटरों का प्रयोग

ऐसे शिक्षार्थी जिनके हाथ न्यूनतम कार्य करते हैं, अल्प दृष्टि एवं दृष्टि बाधित, विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता, प्रमस्तिष्कीय घात, स्वपरायणता स्पैकट्रम विकार अथवा अन्य किसी दिव्यांगता वाले शिक्षार्थी को कम्प्यूटर प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी, यदि *वह संबंधित क्षेत्रीय निदेशक से पहले ही इसके लिए अनुरोध करते हैं।*

i) यदि वे कम्प्यूटर का प्रयोग करना चाहते हैं तो शिक्षार्थियों को सहायक उपकरणों सहित अपना कम्प्यूटर लाना होगा।

ii) उत्तर देने के लिए शिक्षार्थी को आवश्यक सॉफ्टवेयर (टैक्स्ट रीडिंग सॉफ्टवेयर सहित) भी लाना होगा।

iii) केंद्र अधीक्षक पर्याप्त बिजली आपूर्ति तथा कम्प्यूटर का प्रयोग करने वाले शिक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मुद्रण के लिए प्रिंटर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

नोट : केंद्र अधीक्षक को मशीनों की जांच करने का अधिकार है कि पहले से फीड की ये जानकारी मशीनों में न हो। *शिक्षार्थी को ये सब औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए परीक्षा आरंभ होने से एक घंटा पहले रिपोर्ट करना होगा।*

केंद्र अधीक्षक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा रिमूवेबल स्टोरेज उपकरणों सहित आवश्यक कम्प्यूटरों की संख्या सुनिश्चित करेंगे।

3.2.1 payment norms of the staff as mentioned in the Guidelines for the Centre Superintendents. The learners under the category Para 6.2.2 (except for iv) will not be required to pay any charge/fee.

(ii) The learners with temporary disabilities using the facility of amanuensis will have to pay the fee themselves.

6.2.3 Use of Computers

The learners with minimal hand function, blindness and low vision and learners with learning disability, cerebral palsy, autism and any other disability will be allowed to use computer if learner *makes a request in advance to the concerned Regional Director.*

i) The learners may bring their own computers along with assistive devices if they so wish.

ii) The learner may also bring the required software (including the Text Reading Software) to enter the responses to the questions.

iii) The Centre Superintendent would ensure adequate power supply and a printer to print the answer scripts of the learners using computers.

Note: The Centre Superintendent will have the right to check the machines for no pre-fed information. *Learners will need to report one hour in advance to complete these formalities.*

The Centre Superintendent may ensure requisite number of computers with hardware, software, and removable storage devices.

6.2.4 बैठने की व्यवस्थाएँ तथा अन्य सहायता

क. यदि परीक्षा कक्ष में जाना संभव नहीं है तो व्हील चेयर का प्रयोग करने वाले एवं आने जाने में बाधा वाले शिक्षार्थियों को भूमि तल पर परीक्षा लिखने की सुविधा दी जाएगी।

ख. भवन में पहुँचना आसान तथा उचित रैम्प हो और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हों। केंद्र अधीक्षक अक्षम शिक्षार्थियों के लिए शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

ग. केंद्र अधीक्षक निरीक्षण हेतु एक अलग परीक्षा कक्ष में अधिकतम चार शिक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था करेंगे जिसमें अलग से एक निरीक्षक होगा।

घ. फिर भी यदि आवश्यक हो तो, विशिष्ट अक्षमता वाले शिक्षार्थियों के लिए एक निरीक्षक सहित एक अलग कक्ष का प्रबंध किया जाएगा।

ड. परीक्षा कक्ष शोरगुल से दूर तथा पूर्ण रूप से प्रकाशमय और हवादार होना चाहिए।

6.2.5 केंद्र अधीक्षक अक्षमताओं वाले शिक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का प्रिंट लेंगे और एक अलग लिफाफे में परीक्षार्थी की क्रम संख्या के अनुसार पैक करके एनआईओएस के संबंधित क्षेत्रीय कार्यलय को भेजेंगे। लिफाफे पर ''अक्षम शिक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएँ'' लिखा होना चाहिए। **तालिका 12** के अनुसार दिव्यांगता की श्रेणी इंगित करते हुए उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर एक अलग कॉलम दिया जाएगा।

6.2.4 Seating Arrangements and Other Support

a. Wheel Chair user, and mobility restricted learners will be given the facility to write the examination on the ground floor in case the examination room is inaccessible.

b. The Building should be accessible and proper ramps and other support should be available. The Centre Superintendent will ensure availability of an accessible toilet for learners with disability.

c. The Centre Superintendent will make arrangements to seat maximum of four learners in a separate Examination Room with a separate Invigilator for supervision.

d. However, a single room with an invigilator may be made available for learners with specific disability, if so required.

e. The examination room should be well lit, ventilated and away from noise and distraction.

6.2.5 The Centre Superintendent(s) will print and pack the answer scripts of the learners with disabilities as per the serial number in a separate envelope and send to the concerned Regional Office of NIOS. The envelope should be superscribed with "Answer Sheets of Learners with Disabilities". A separate column will be provided on the title page of the answer book for indicating the category of disability as per **Table 12.**

तालिका सं. 12 विभिन्न अक्षमताओं के लिए बनाए गए कोड
Table 12 Code for marking Different Disabilities

क्र.सं. S.No	दिव्यांगता की श्रेणी Category of Disability	कोड Code
1	आटिज्म/Autism	ए/A
2	मानसिक पक्षघात/Cerebral Palsy	सीपी/CP
3	पुरानी तंत्रिका संबंधी बीमारी/Chronic Neurological Condition	सीएनसी/CNC
4	बौनापन/Dwarfism	डी/D
5	सुनने में अक्षम/Hearing impairment	एचआई/HI
6	अधिकरक्तस्त्राव/Hemophilia	एच/H
7	बौद्धिक अक्षमता/Intellectual Disability	आई/I
8	सीखने में अक्षम/Learning Disabilities	एल/L
9	कुष्ठरोग से मुक्त/Leprosy Cured	एलसी/LC
10	अस्थि रोग/Loco Motor Disability	एलएम/LM
11	दृष्टि बाधित/Low Vision	एलवी/LV
12	मानसिक रूप से विक्षिप्त/Mental Illness	एमआई/MI
13	मानसिक रोग ग्रस्त/Mentally Retarded	एमआर/MR
14	विभिन्न अक्षमताएँ/Multiple Disaibilities	एम/M
15	मल्टीपल स्किलरॉसिस/Multiple Sclerosis	एमएस/MS
16	मस्कुलर डायस्ट्रोफी/Muscular Dystrophy	एमडी/MD
17	पार्किंसंस रोग/Parkinson’s Disease	पीडी/PD
18	सिक्ल सेल रोग/Sickle Cell Disease	एससीडी/SCD
19	वाद एवं भाषा अक्षमता/Speech and Language Disability	एचएलडी/SLD
20	थैलेसीमिया/Thalassemia	टी/T
21	देखने में अक्षम/Visual Impairment	वीआई/VI
22	एसिड अटैक पीड़ित/Acid Attack Victim	एएवी/AAV

6.2.6 वंचितों की शिक्षा के लिए विशेष प्रत्यायित संस्थाएं (एसएआईईडी) के अंतर्गत पंजीकृत **विशेष आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों** के अध्ययन केन्द्र ही उनके परीक्षा केन्द्र भी होंगे। परीक्षा के दौरान एनआईओएस द्वारा तैनात निरीक्षक परीक्षा का आयोजन मॉनीटर करेंगे। संपर्क करने में आसानी हो, इसके लिए चुने हुए स्कूलों को विशेष शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र बनाया जाएगा। यद्यपि एनआईओएस को शिक्षार्थियों के हित में तथा व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए एसएआईईडी के अलावा किसी अन्य केंद्र के आबंटित का अधिकार है। फिर भी एसएआईईडी केंद्रों के अलावा अन्य केंद्र में परीक्षा में बैठने वाले दिव्यांग शिक्षार्थियों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

6.2.6 Learners with Specific Needs registered is the Special Accredited Institution for Education of Disadvantaged (SAIED) will have their Study Centre as Examination Centre also. During examination, the invigilators deputed by NIOS will monitor the examination proceedings. To facilitate easy access, a few selected schools will be made Examination Centres for learners with disabilities. However, NIOS reserves the right to allot any centre other than SAIED in the larger interest of the learner and feasibility. However, all necessary support will be provided to learners with disabilities appearing in examinations in centres other than the SAIED centres.

6.3 विशेष प्रावधान[1]

अनुच्छेद 6.2 में वर्णित सामान्य प्रावधानों के अतिरिक्त कुछ विशेष प्रावधान भी हैं।

6.3.1 अल्प-दृष्टि एवं दृष्टि बाधित शिक्षार्थियों हेतु

i. देखने में अक्षम तथा दृष्टि बाधित शिक्षार्थियों को माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जहां कहीं लागू हो सिद्धांत परीक्षाओं में ज्यामिति के चित्र बनाने में, मानचित्रों के अंकन एवं लेबल करने संबंधी प्रश्नों के विकल्प प्रश्न प्रदान किए जाएंगे।

ii. दृष्टि दिव्यांग शिक्षार्थियों को लेखक की सहायता लेने/ब्रेल टाइपराइटर अथवा कंप्यूटर का परीक्षा में प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी। शिक्षार्थी को परीक्षा लिखने के लिए अपने ब्रेल, टाइपराइटर, इत्यादि स्वयं लाने होंगे।

iii. टेलर फ्रेम तथा ज्यामिति ड्राईंग किट इत्यादि उपकरणों को परीक्षा हॉल में ले जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, एनआईओएस से पहले ही अनुमति ली जाए।

6.3 Specific Provisions[1]

These are specific provisions in addition to the general provisions mentioned under Section 6.2

6.3.1 For Learners with Blindness and Low Vision

i. Learners with blindness and low vision will be provided alternate questions in the theory papers in place of the questions related to marking and labelling of maps, construction of geometrical figures and diagrams/ graphs etc., wherever applicable at the Secondary and the Senior Secondary levels.

ii. Learners with Visual Impairment may be allowed to use amanuensis/take examination using Braille Typewriter, or Computer. The learners should arrange to bring their own Braille Typewriter, etc., for examination purposes.

iii. Equipments such as Taylor Frame and Geometry Drawing Kit will be allowed in the Examination Hall. Prior permission for the same may be obtained from the concerned Regional Director, Regional Centre, NIOS.

---

[1] अब बहुत से अक्षम शिक्षार्थी वैकल्पिक प्रारूप में प्रश्न पत्रों के लिए अनुरोध करते हैं। इसमें लिए नीति निर्णय तथा अग्रिम तैयारी शामिल हैं। एनआईओएस इस प्रक्रिया के प्रारंभ होने पर इसकी घोषणा करेगा।/
Many learners with disability now request for question papers in alternative format. This involves policy decision and advance preparation. NIOS will announce it as and when the mechanism is in place.

6.3.2 श्रवण दिव्यांगता वाले शिक्षार्थी

i. दुभाषिया (सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर, श्रवण दिव्यांग एवं अन्य व्यक्तियों के मध्य संवाद स्थापित करने में सहायक व्यक्ति) को सुनने में अक्षम शिक्षार्थियों को प्रश्न समझाने के लिए परीक्षा कक्ष में जाने की अनुमति दी जाएगी।

ii. एक परीक्षा कक्ष में एक दुभाषिया पर्याप्त होगा। दुभाषिए के प्रबंध के बारे में केन्द्र अधीक्षक निर्णय ले सकते हैं।

नोट : यदि आवश्यक हो तो, शिक्षार्थी को विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न लिपिक/लेखक चुनने की अनुमति है। शिक्षार्थी को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उसे किस भाषा में लेखक की आवश्यकता है।

6.3.3 ऑटिज्म, मानसिक पक्षाघात, बौद्धिक अक्षमता और बहुदिव्यांगता

i. माउस के स्थान पर ट्रैकबॉल, संचार बोर्ड इत्यादि समरूप हार्डवेयर वाले कंप्यूटर की अनुमति दी जाएगी।

ii. बौद्धिक दिव्यांगता वाले शिक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा के विकल्प के रूप में परियोजना कार्य चुन सकते हैं।

iii. यदि शिक्षार्थी विशेष रूप से अक्षम हों तो उन्हें अनुकूलित कुर्सी, मेज, बेड इत्यादि परीक्षा कक्ष में उपलब्ध कराए जाएंगे।

iv. जिन्हें आवश्यकता हो वहाँ प्रश्नपत्र पढ़ने की व्यवस्था भी की जाएगी।

नोट : शिक्षार्थी अपने उपकरणों का स्वयं प्रबंध करेंगे।

6.3.4 विनिर्दिष्ट अधिगम दिव्यांगता वाले शिक्षार्थी

6.1 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और सामान्य शर्तों में भी उल्लिखित किए अनुसार लेखक, कम्प्यूटर का प्रयोग और अतिरिक्त समय के प्रावधान की अनुमति है।

6.3.2 Learners with Hearing Impairment

i. Interpreter using sign language may be allowed in the Examination Room to help the learner with hearing impairment to understand the instructions.

ii. One interpreter may be adequate for each Examination Room. The Centre Superintendent may take decision regarding arrangement of an Interpreter.

Note: The learner is allowed to opt for different scribes for different subjects, if necessary. The learner will have to clearly specify the language in which the scribe is required.

6.3.3 Learners with Autism, Cerebral Palsy, Intellectual Disability, Multiple Disabilities

i. Computers with adapted hardware like trackball instead of mouse, augmentative communication boards may be allowed.

ii. Learners with Intellectual disability may opt for Project Work as an alternative for Practical.

iii. Adapted chair, table, bed, etc., may be allowed in the Examination Room in case of learners with specific disabilities.

iv. Provision may also be made for reading the questions wherever necessary.

Note: The learners may arrange for their own tools and equipment.

6.3.4 Learners with Specific Learning Disability

Provision of amanuensis, use of computer and additional time is permitted as per procedure specified under section 6.1 and also as mentioned under General Conditions.

6.3.5 कुष्ठ उपचारित शिक्षार्थी

जैसा कि 6.1 में उल्लिखित है चिकित्सा प्रमाणपत्र जमा करने पर कुष्ठ उपचारित हुए शिक्षार्थियों के लिए सामान्य छूट लागू होगी।

नोट : यदि कोई ऐसा/ऐसी अक्षम शिक्षार्थी है जो उपर्युक्त प्रावधानों में शामिल है अथवा नहीं है, वह परीक्षा के दौरान कोई सुविधा प्राप्त करने के लिए परीक्षा आरंभ होने से कम से कम चार सप्ताह पहले संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, एनआईओएस से संपर्क करें।

अथवा

निदेशक (मूल्यांकन)
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62,
नोएडा-201309, उत्तर प्रदेश
ई-मेल : direval@nios.ac.in

6.3.5 Leprosy-Cured Learners

General provisions will be applicable to leprosy cured learners on submitting Medical Certificate as mentioned under Section 6.1.

Note: Any learner with disability, who is not covered or covered under the above provisions, should approach the concerned Regional Director, Regional Centre, NIOS, at least four weeks prior to the commencement of the examination for availing certain facilities/accommodation during the examination.

OR

Write to the
Director (Evaluation)
NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING
A-24-25, Institutional Area, Sector-62,
NOIDA-201309, Uttar Pradesh
Email: direval@nios.ac.in

परिशिष्ट - क

एनआईओएस के क्षेत्रीय केन्द्रों की सूची

क्षेत्र का नाम	पता	अधिकार क्षेत्र में शामिल राज्य
1. बेंगलुरू	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, निदेशक कार्यालय (व्यावसायिक शिक्षा), तीसरी मंजिल, पीयूई भवन, 18वां क्रॉस सेमपिज रोड, मालेश्वरम, बेंगलुरू- 560012, कर्नाटक फोन: 23464223 https://rcbengaluru.nios.ac.in/ , ईमेलः rcbengaluru@nios.ac.in	कर्नाटक
2. भोपाल	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, मानस भवन, श्यामला हिल, भोपाल-462002, मध्य प्रदेश फोनः 0755-2661842, 2660331 https://rcbhopal.nios.ac.in/ ई-मेलः rcbhopal@nios.ac.in	मध्य प्रदेश
3. भुबनेश्वर	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, ईएलटीआई, कैम्पस, मैत्री विहार, चंद्रशेखर पुर, भुवनेश्वर - 751023 फोनः 0674-2302688, https://rcbhubaneswar.nios.ac.in/ ई-मेलः rcbbsr@nios.ac.in	ओडिशा
4. चंडीगढ़	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, वाईएमसीए कॉम्पलैक्स सेक्टर-11सी, चंडीगढ़-160011 फोन : (का) 0172-2744915, 3950979 https://rcchandigarh.nios.ac.in/ ई-मेलः rcchandigarh@nios.ac.in;	हरियाणा (गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और झज्जर जिलों को छोड़कर), पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश
5. चेन्नई	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, लेडी विलिंगटन कैम्पस, कामराजर सलाई, ट्रिपलीकेन, चेन्नई-600005 फोनः 044-28442237 https://rcchennai.nios.ac.in/ ई-मेलः rcchennai@nios.ac.in	तमिलनाडु, पांडिचेरी
6. देहरादून	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, टर्नर रोड़ क्लेमेंटाऊन, देहरादून-248002 फोनः 0135-2532566, 2532592 https://rcdehradun.nios.ac.in/ ई-मेलः rcdehradun@nios.ac.in	उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, तथा जे.पी. नगर (अमरोहा) जिले
7. दिल्ली	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, ए-31, इंस्टीट्यूशनल एरिया, एन.एच.-24, सेक्टर-62, नोएडा (उ.प्र.) फोन : (का) 0120-2404914-15 https://rcdelhi.nios.ac.in/ ई-मेलः rcdelhi@nios.ac.in	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा इसके उ.प्र. एवं हरियाणा के नजदीकी जिले जिनमें शामिल हैं गौतम बुद्ध नगर (नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा), गाज़ियाबाद, गुड़गाँव, पलवल, फरीदाबाद तथा झज्जर।
8. गांधीनगर	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, डी विंग, सातवां तल, सेक्टर-11, पथिका आश्रम के पास, गांधीनगर-382011, फोन: 079-23220410 https://rcgandhinagar.nios.ac.in/ ई-मेल: rcgandhinagar@nios.ac.in	गुजरात
9. गंगटोक	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, ओल्ड ब्यॉज हॉस्टल, एसएनटी कॉलोनी, दारागांव टेनडांग, गंगटोक, सिक्किम-737102 ई-मेल: rcgangtok@nios.ac.in	सिक्किम और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और दार्जलिंग के सीमावर्ती जिले

क्षेत्र का नाम	पता	अधिकार क्षेत्र में शामिल राज्य
10. गुवाहाटी	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, असम प्रकाशन बोर्ड का भवन, प्रथम तल, (असम राज्य विद्यालय बोर्ड, डिवि.-II के पास) बामुनी मैदान, गुवाहाटी-781021 (असम) फोन : +91-9401979617 https://rcguwahati.nios.ac.in/ ई-मेल: rcguwahati@nios.ac.in	नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा
11. हैदराबाद	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, IV तल, श्रीकृष्ण देवराय, तेलुगू भाषा निलयम, ट्रस्ट नं. 4-4-8, सुल्तान बाजार, हैदराबाद-500095 फोन : 040-24162859 https://rchyderabad.nios.ac.in/ ई-मेल: rchyderabad@nios.ac.in	तेलंगाना और हैदराबाद
12. जयपुर	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, श्री कृष्णन 5-6, पदमावती कॉलोनी, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन, किंग्स रोड, निर्माण नगर, जयपुर (राजस्थान) -302006 फोन : (का) 0141-2812418 https://rcjaipur.nios.ac.in/ ई-मेल: rcjaipur@nios.ac.in	राजस्थान
13. जम्मू	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केंद्र 187-पी/बी, सैक्टर-1, त्रिकुट नगर, जम्मू-180020 https://rcjammu.nios.ac.in/ ई-मेल: rcjammu@nios.ac.in	जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख
14. कोची	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, 6वीं मंजिल, केरल स्टेट हाउसिंग बोर्ड बिल्डिंग पनामपिल्ली नगर, कोची- 682036, फोन : (का) 0484-2310032, 4035540 (टेली/फैक्स) 0484-2310033, https://rckochi.nios.ac.in/ ई-मेल: rckochi@nios.ac.in	केरल और लक्षद्वीप
15. कोलकाता	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, सीएल-18ए, सेक्टर-2, साल्ट लेक सिटी (सी.के.बाजार), टैन्क नं. 9 करूणामयी बस स्टैंड के पास, कोलकाता-700 091 (पश्चिमी बंगाल), फोन : (का) 033-24797714 https://rckolkata.nios.ac.in/ ई-मेल: rckolkata@nios.ac.in	पश्चिमी बंगाल (सिक्किम और दार्जलिंग को को छोड़कर) और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह
16. पटना	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, ललित भवन, ग्राउंड फ्लोर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना - 800001, बिहार फोन : (का) 0612-2545051, 0612-2545470 https://rcpatna.nios.ac.in/ ई-मेल: rcpatna@nios.ac.in	बिहार
17. प्रयागराज	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, 19/17, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कचहरी रोड, प्रयागराज-211002 (उत्तर प्रदेश), फोन : (का) 0532-2548154; https://rcallahabad.nios.ac.in/ ई-मेल: rcallahabad@nios.ac.in	उत्तर प्रदेश
18. पुणे	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, द्वारा भारतीय शिक्षा संस्थान, 128/2 जेपी नाइक रोड, श्री निकेतन सोसायटी (सोलारिस क्लब के पास), कोथरूद, पुणे - 411029 (महाराष्ट्र) फोन : (का) 020-25444667, 25439763; https://rcpune.nios.ac.in/ ई-मेल: rcpune@nios.ac.in	महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव तथा दादर एवं नगर हवेली
19. रायपुर	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, बी.टी.आई, ग्राउंड, डाइट परिसर, शंकर नगर, रायपुर - 492001, छत्तीसगढ़ फोन: (O) 0771-2442147, 2442167 https://rcraipur.nios.ac.in/ ई-मेल: rcraipur@nios.ac.in	छत्तीसगढ़

क्षेत्र का नाम	पता	अधिकार क्षेत्र में शामिल राज्य
20. रांची	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, पुरानी बी.एड. बिल्डिंग, भूतल, शाहदेव जिला स्कूल, जिला स्कूल परिषद, रांची फोन: 0651-2217030 https://rcranchi.nios.ac.in/ ई-मेल: rcranchi@nios.ac.in	झारखंड
	एनआईओएस प्रकोष्ठ	
21. दरभंगा	**एनआईओएस प्रकोष्ठ शिलाँग** मोहल्ला कादिराबाद, बस अड्डे के पास (पशुपालन विभाग के पश्चिम) चूड़ी बाजार के पास2, जिला दरभंगा (बिहार), फोन : 0627-2250628	
22. शिलांग	**एनआईओएस प्रकोष्ठ शिलाँग** क्षेत्रीय केन्द्र, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिसर निदेशालय रिसर्च एवं ट्रेनिंग केम्पस (डी.ई.आर.टी.), लाठुमखरम, शिलाँग, मेघालय-7930011	मेघालय
23. पोर्ट ब्लेयर	**एनआईओएस प्रकोष्ठ पोर्ट ब्लेयर** निदेशालय में प्रौढ़ शिक्षा, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन शिक्षा सदन अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर	पोर्ट ब्लेयर

Appendix - A

List of the Regional Centres of NIOS

Name of the Region	*Address of the Regional Centre*	*Jurisdiction*
1. BENGALURU	**National Institute of Open Schooling** Regional Centre Office of the Director (Vocational Education) 3rd Floor, PUE Bhawan, 18th Cross Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru - 560012, Karnataka, Ph.: 23464223 https://rcbengaluru.nios.ac.in/ Email: rcbengaluru@nios.ac.in	Karnataka
2. BHOPAL	**National Institute of Open Schooling** Regional Centre Manas Bhawan, Shyamla Hills, Bhopal - 462002 (M.P.) Ph.: 0755-2661842, 2660331 https://rcbhopal.nios.ac.in/ Email: rcbhopal@nios.ac.in	Madhya Pradesh
3. BHUBANESHWAR	**National Institute of Open Schooling** Regional Centre ELTI Campus Maitrivihar, Chandrashekhar Pur, Bhubaneswar-751023 Ph. No. 0674-2302688 https://rcbhubaneswar.nios.ac.in/ Email.: rcbbsr@nios.ac.in	Odisha
4. CHANDIGARH	**National Institute of Open Schooling** Regional Centre YMCA Complex, Sector-11C, Chandigarh-160 001 Ph.:(O) 0172-2744915, 3950979 https://rcchandigarh.nios.ac.in/ Email: rcchandigarh@nios.ac.in	Haryana (Excluding Gurgaon, Faridabad Palwal & Jhajjar) Punjab, Chandigarh and Himachal Pradesh
5. CHENNAI	**National Institute of Open Schooling** Regional Centre Lady Willington Campus, Kamrajar Salai, Triplicane, Chennai-600005, Tamilnadu Ph. no. 044-28442237 https://rcchennai.nios.ac.in/ Email: rcchennai@nios.ac.in	Tamil Nadu, Pondicherry
6. DEHRADUN	**National Institute of Open Schooling** Regional Centre BSNL Telephone Exchange Building, Turner Road, Clement Town, Dehradun - 248002, Uttarakhand Ph.: (O) 0135- 2532566; 2532592 https://rcdehradun.nios.ac.in/ Email: rcdehradun@nios.ac.in	Uttrakhand, Meerut, Bagpat Saharanpur , Muzaffar Nagar, Moradabad and J.P. Nagar (Amroha) districts of U.P.
7. DELHI	**National Institute of Open Schooling** Regional Centre A-31, Institutional Area, NH-24, Sector-62, NOIDA- 201309 Distt. - Gautam Buddha Nagar (U.P.) Ph: (O) 0120-2404914-15 https://rcdelhi.nios.ac.in/ Email: rcdelhi@nios.ac.in	NCT of Delhi and bordering Distts. of NCT in Uttar Pradesh and Haryana comprising of Distts. of Gautam Buddh Nagar (Noida and Greater Noida), Ghaziabad, Gurgaon, Palwal, Faridabad and Jhajjar
8. GANDHINAGAR	**National Institute of Open Schooling** Regional Centre Multi Storied Building, D Wing, 7th Floor, Sector-11, Near Pathikaashram, Gandhinagar-3820011, Gujarat, Ph.: 079-23220410; https://rcgandhinagar.nios.ac.in Email: rcgandhinagar@nios.ac.in	Gujarat
9. GANGTOK	**National Institute of Open Schooling** Regional Centre Old Boys Hostel, SNT Colony, Daragaon Tandong Gangtok, Sikkim-737102 email: srcgangtok@nios.ac.in	Sikkim and Bordering Dist. of West Bengal Comprising of Distt. Silliguri and Darjling

Name of the Region	*Address of the Regional Centre*	*Jurisdiction*
10. GUWAHATI	**National Institute of Open Schooling** Regional Centre Building of Assam Publication Board, Ist Floor, (Near Assam School Education Board, Div-II) Bamunimaidan, Guwahati-781021 (Assam) Ph. (O): +91-9401979617 https://rcguwahati.nios.ac.in/ Email: rcguwahati@nios.ac.in	Nagaland, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura
11. HYDERABAD	**National Institute of Open Schooling** Regional Centre IV Floor, Sri Krishna Devaraya, Telugu Basha Nilayam, Trust, No 4-4-8, Sultan Bazar, Hyderabad - 500095. Ph.: (O) 040-24162859 https://rchyderabad.nios.ac.in/ Email: rchyderabad@nios.ac.in	Telangana and Andhra Pradesh
12. JAIPUR	**National Institute of Open Schooling** Regional Centre Sri Krishnan 5-6, Padmavati Colony, Mansarovar Metro Station, Kings Road, Nirman Nagar, Jaipur (Rajasthan) – 302006 Ph.: (O) 0141-2812418 https://rcjaipur.nios.ac.in/ Email: rcjaipur@nios.ac.in	Rajasthan
13. JAMMU	**National Institute of Open Schooling** Regional Centre, 187-P/B, Sector-1, Trikuta Nagar, Jammu-180020 https://rcjammu.nios.ac.in/ Email: rcjammu@nios.ac.in	Jammu & Kashmir and Ladakh
14. KOCHI	**National Institute of Open Schooling** Regional Centre 6th Floor, Kerala State Housing Board Building, Panampilly Nagar, Kochi-682036 Ph.: 0484-2310032, 4035540 (T/F) 0484-2310033 https://rckochi.nios.ac.in/ Email: rckochi@nios.ac.in	Kerala and Lakshadweep
15. KOLKATA	**National Institute of Open Schooling** Regional Centre CL-18A, Sector-2, Salt Lake City, (Near C.K. Market, Tank No. 9 and Karunamoyee Bus Stand) Kolkata-700 091 (W.B.) Ph.: (O) 033-24797714 https://rckolkata.nios.ac.in/ Email: rckolkata@nios.ac.in	West Bengal (Excluding Silliguri and Darjling) and Andaman and Nicobar Island
16. PATNA	**National Institute of Open Schooling** Regional Centre Lalit Bhawan, Ground Floor, Jawahar Lal Nehru Marg, Bailey Road, Patna - 800001 (Bihar) Ph.: (O) 0612-2545051, 0612-2545470 https://rcpatna.nios.ac.in/ Email: rcpatna@nios.ac.in	Bihar
17. PRAYAGRAJ	**National Institute of Open Schooling** Regional Centre 19/17, Kasturba Gandhi Marg, Kachahari Road Prayagraj - 211002 (Uttar Pradesh) Ph.: (O) 0532-2548154 https://rcallahabad.nios.ac.in; Email: rcallahabad@nios.ac.in	Uttar Pradesh
19. PUNE	**National Institute of Open Schooling** Regional Centre C/o Indian Institute of Education Campus, 128/2 JP Naik Road, Sriniketan Society, (Near Solaris Club) Kothrud, Pune-411029 (Maharashtra) Ph. (O) 020-25444667, 25439763 (https://rcpune.nios.ac.in/ Email: rcpune@nios.ac.in	Maharashtra, Goa Daman & Diu and Dadar and Nagar Haveli

Name of the Region	Address of the Regional Centre	Jurisdiction
19. RAIPUR	**National Institute of Open Schooling** Regional Centre B.T.I Ground, DIET Campus, Shankar Nagar Ph: (O) 0771-2442147, 2442167 Raipur-492001, Chhatisgarh https://rcraipur.nios.ac.in/ Email: rcraipur@nios.ac.in	Chhatisgarh
20. RANCHI	**National Institute of Open Schooling** Regional Centre Old B.Ed. Building (Ground Floor) Zill School Campus, Near Shaheed Chowk, Ranchi-834001 Phone No.: 0651-2217030 https://rcranchi.nios.ac.in/ Email: rcranchi@nios.ac.in	Jharkhand
	NIOS CELL	
21. DARBHANGA	**NIOS Cell Darbhanga** Mohalla Kadirabad, Near Bus Stand (West of Pashu Palan Vibhag) Beside Churi Market Distt. Darbhanga-846004	
22. SHILLONG	**NIOS Cell Shillong** Directorate of Educational Research & Training Campus (DERT), Laithumkhram Shillong, Meghalaya-793011	Meghalaya
23. PORT BLAIR	**NIOS Cell Port Blair** Adult Education in the Directorate A&N Administration Shiksha Sadan A&N Island, Port Blair	Port Blair

परिशिष्ट - ख

विभिन्न राज्यों में जन सेवा केंद्र के नामों की सूची

क्र.सं.	राज्य	सीएससी नाम
1.	आंध्र प्रदेश	राजीव नागरिक सेवा केंद्र
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	ई द्वीप
3.	अरुणाचल प्रदेश	जन सेवा केंद्र (सीएससी)
4.	असम	अरुणोदय केंद्र
5.	बिहार	वसुधा
6.	चंडीगढ़	ग्राम संपर्क केंद्र
7.	छत्तीसगढ़	ग्रामीण चयन केंद्र
8.	दिल्ली	जीवन केंद्र
9.	गोवा	लोक सेवा केंद्र
10.	गुजरात	ई-ग्राम
11.	हरियाणा	ई-दिशा
12.	हिमाचल प्रदेश	लोक मित्र केंद्र
13.	जम्मू एवं कश्मीर	खिदमत केंद्र
14	झारखंड	प्रज्ञा केंद्र
15.	कर्नाटक	नेम्मादी केंद्र
16.	केरल	अक्षया केंद्र
17.	लक्षद्वीप	आश्रय
18.	मध्य प्रदेश	नागरिक सुविधा केंद्र
19.	महाराष्ट्र	महा ई सेवा केंद्र
20.	मणिपुर	जन सेवा केंद्र
21.	मेघालय	रेनबो केंद्र
22.	मिजोरम	मिजोरम ऑन लाइन केंद्र (मॉक)
23.	नागालैंड	नागालैंड एक, जन सेवा केंद्र
24.	ओडिशा	जन सेवा केंद्र
25.	पुडुचेरी	जन सेवा केंद्र
26.	पंजाब	ग्राम सुविधा
27.	राजस्थान	ई-मित्र
28.	सिक्किम	जन सेवा केंद्र
29.	तमिलनाडु	जन कंप्यूटर केंद्र
30.	त्रिपुरा	ई-परिसेवा केंद्र
31.	उत्तर प्रदेश	जन सेवा केंद्र
32.	उत्तराखंड	ई-उत्तर
33.	पश्चिम बंगाल	तथ्य मित्र केंद्र

Appendix - B

Nomenclature of Common Service Centres (CSCs) in Different States

S. No.	State	CSC Name
1.	Andhra Pradesh	Rajiv Citizen Service Centre
2.	Andaman and Nicobar Islands	eDweep
3.	Arunachal Pradesh	Common Services Centres (CSCs)
4.	Assam	Arunodoy Kendra
5.	Bihar	Vasudha
6.	Chandigarh	Gram Sampark Centres
7.	Chhattisgarh	Grameen Choice Centres
8.	Delhi	Jeevan Centres
9.	Goa	Lok Seva Kendras
10.	Gujarat	e-Gram
11.	Haryana	e-Disha
12.	Himachal Pradesh	Lok Mitra Kendra
13.	Jammu & Kashmir	Khidmat Centre
14.	Jharkhand	Pragya Kendra
15.	Karnataka	Nemmadi Kendra
16.	Kerala	Akshaya Centres
17.	Lakshadweep	Aashraya
18.	Madhya Pradesh	Nagrik Suvidha Kendra
19.	Maharashtra	Maha e Seva Kendra
20.	Manipur	Common Service Centres
21.	Meghalaya	Rainbow Centres
22.	Mizoram	Mizoram Online Centres (MOC)
23.	Nagaland	Nagaland One, Common Service Centre
24.	Odisha	Common Services Centre
25.	Puducherry	Common Services Centre
26.	Punjab	Gram Suvidha
27.	Rajasthan	e-Mitra
28.	Sikkim	Common Services Centre
29.	Tamil Nadu	People's Computer Centre
30.	Tripura	e-Pariseva Kendra
31.	Uttar Pradesh	Jan Seva Kendra
32.	Uttarakhand	e-Uttara
33.	West Bengal	Tathya Mitra Kendra

सं एफ 3-11/2002 ई जी एस -I
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

नई दिल्ली - 110001
11 दिसंबर 2002

सेवा में,

सभी शिक्षा सचिव
सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश

विषय : राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान {पूर्वत : राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (रा.मु.वि.)} द्वारा आयोजित प्राथमिक और मिडिल स्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षा को मान्यता देने के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन आई ओ एस) पूर्वत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (रा.मु.वि.) दिनांक 21.11.1989 के फा. 6-2/89 अनु. III द्वारा जारी संकल्प के अनुसार भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1989 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों को पूर्व स्नातक स्तर तक शिक्षा प्रदान करना है जो किसी न किसी कारण से औपचारिक शिक्षा प्रणाली से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। एन आई ओ एस फा. 5-24/90 अनु III दिनांक 14.09.1990 द्वारा जारी संकल्प के अनुसार भारत सरकार द्वारा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षाएँ आयोजित करने और प्रमाणपत्र प्रदान करने का अधिकार भी दिया गया है (प्रति संलग्न)।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए आई यू) ने अधिसूचना सं. ई वी /11(354)91/दिनांक 25.7.1991 (प्रति संलग्न) द्वारा सभी भारतीय विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को इस निर्णय की सूचना दी है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में अधययन के उच्च पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एन आई ओ एस के पाठ्यक्रमों को मान्यता प्राप्त बोर्डों की अन्य परीक्षाओं की समकक्षता प्रदान की गई है।

जैसा कि आपको ज्ञात होगा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन आई ओ एस) प्राथमिक स्तर पर दूरस्थ शिक्षा प्रणाली (मुक्त शिक्षा प्रणाली) द्वारा मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम भी चलाता है तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ सहभागिता से तीन स्तरों पर संयुक्त प्रमाणपत्र प्रदान करता है – ए स्तर (कक्षा III अथवा दक्षिणी राज्यों की कक्षा II के समकक्ष जहाँ प्राथमिक शिक्षा केवल कक्षा VII तक होती है, बी स्तर (कक्षा V/IV के समकक्ष और ग स्तर (कक्षा VIII/VII के समकक्ष)। यह दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत समकक्षता के उनके कार्यक्रम पर लागू होता है जहाँ समकक्षता के समान स्तर पर यही प्रमाणपत्र दिए जाते हैं।

आप सभी संबंधित विभागों को एनआईओएस एवं सहभागी एन जी ओ द्वारा उपर्युक्त स्तरों के लिए संयुक्त रूप से जारी प्रमाणपत्र को प्रवेश एवं रोजगार आदि के मामलों में शिक्षा के संबंधित स्तर के समकक्ष स्वीकार करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षाओं को मान्यता प्रदान करने के संबंधा में औपचारिक संप्रेषण/अधिसूचना जारी की जाए और सभी संबंधित विभागों में भेजा जाए।

इस संबंध में और अधिक विवरण/स्पष्टीकरण के लिए एनआईओएस के अध्यक्ष से एनआईओएस बी -31 बी कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली -110048 पर संपर्क किया जा सकता अथवा उनके वेबसाइट http:/www.nios.ac.in अथवा http/www.nos.org खोली जा सकती हैं।

भवदीय,

(अमित कौशिक)
निदेशक
दूरभाष 23382604

सूचना के लिए प्रति निम्नलिखित को अग्रेषित की जाए :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकरियों/अनुभागों।
3. अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, बी-31 बी कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048 को उनके दिनांक 10 अक्तूबर, 2002 के पत्र सं. रा.मु.वि.शि.सं./अध्यक्ष का./1-1/02/2607 के संदर्भ में ।

(अमित कौशिक)
निदेशक

No. F 3-11/2002-EGS-I
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Elementary Education & Literacy

New Delhi-110001
11th December 2002

To
Education Secretaries,
All States/UTs

Subject: According recognition to the Examinations at Primary and Middle level Courses conducted by National Institute of Open Schooling (formerly National Open School (NOS).

Sir,

The National Institute of Open Schooling (N.I.O.S.) (formerly National Open School (NOS) is an autonomous organization set up the Ministry of Human Resource Development, Government of India, in 1989 as per the Resolution issued vide No. F 6-2/89-Sch. III dated 21.11. 1989 to provide education upto pre-degree level to those who for one or the other reason could not make use of the formal education system. N.I.O.S. has also been vested with the authority to conduct and certify examinations for Secondary and Senior Secondary levels by the Government of India as per the resolution issued vide No. F 5-24/90-Sch. III dated 14.9.1990 (copy enclosed).

The Association of Indian Universities (AIU) has also intimated the Registrars of all Indian Universities vide their Notification No. EV /11 (354)91/ dated 25.7.1991 (copy enclosed) of its decision to grant equivalence to N.I.O.S. courses with those of other examinations of recognized Boards for purposes of admission to higher courses of study at Indian Universities.

As you would be aware, the National Institute of Open Schooling (NIOS) also runs Open Basic Education Programmes through Distance Education Mode (Open Learning System) at the Elementary stage and awards Joint Certificate with the partnering NGOs at three levels- A level (equivalent to' class III or class II of the Southern States where elementary stage is only till class VII), B level (equivalent to class V /IV) and C level (equivalent to class VIII/VII). This is applicable to their programme of equivalency under distance education programme where similar certificates are provided at the same level of competency and equivalency.

You may like to issue necessary instructions to all concerned to consider certificates issued by N.I.O.S. jointly with partnering NGOs for the above levels as equivalent to concerned stage of education in matters of admissions and employment etc. Formal communication/Notification regarding grant of recognition to the examination conducted by National Institute of Open Schooling may issue and the same widely circulated to all concerned.

For further details / clarifications in the matter, the Chairman, National Institute of Open Schooling may be contacted at N.I.O.S., B-31 B, Kailash Colony, New Delhi-110048 or visit their Website at **http: //www.nios.ac.in.**

ours faithfully.

Sd/-
(Amit Kaushik)
Director
Tel No. 23382604

Copy for forwarded for information to :-

1. All the Ministries/Departments of the Govt. of India.
2. All the Officers / Sections in the Deptt. of Elementary Education and Literacy and Department of Secondary and Higher Education.
3. Chairman, National Institute of Open Schooling, B-31 B, Kailash Colony, New Delhi-l10048 with reference to his letter No. NIOS/CMOI1-l/02/2607 dated the 10th October 2002

Sd/-
(Amit Kaushik)
Director

मानव संसाधन विकास मंत्रलय
शिक्षा विभाग
नई दिल्ली, 14 सितंबर 1990

संकल्प

विषय : राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सोसाइटी को विद्यालय स्तर पर दूरस्थ और मुक्त शिक्षा प्रणाली द्वारा निर्धारित परीक्षाएँ आयोजित करने और उनके लिए प्रमाणपत्र देने का अधिकार प्रदान करना।

सं.एफ. 5-24/90 अनु. 3 भारत सरकार ने 23 नवंबर, 1989 को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सोसाइटी, एक स्वायत्त एवं पंजीकृत निकाय की स्थापना की है, जो बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले, कामकाजी प्रौढ़, गृहिणियों, सामाजिक दृष्टि से सुविधावंचित वर्गों को विद्यालय स्तर पर दूरस्थ शिक्षा के माधयम से शिक्षा प्रदान करेगा। सोसायटी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का प्रबंधन चलाएगी, जो दूरस्थ और मुक्त शिक्षा प्रणाली द्वारा पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर रही है और शिक्षार्थियों को माध्यमिक और उच्चतर माधयमिक विद्यालय परीक्षाओं के लिए तैयार करती है और सेतु (पूर्व तैयारी) पाठ्यक्रम भी प्रस्तुत करती है।

अब यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सोसाइटी के समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 3(ii) का पालन करते हुए सोसाइटी पूर्व स्नातक स्तर तक विद्यालय शिक्षा के लिए उपर्युक्त परीक्षाएँ आयोजित करे, चाहे वे शैक्षणिक, प्रौद्योगिक अथवा व्यावसायिक क्षेत्र के विषय हों, जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा स्वयं अथवा अन्य संस्थाओं के सहयोग से विकसित किए गए हों और जो सोसाइटी के कार्यकारी बोर्ड द्वारा स्वीकृत हों अथवा उन्हें भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित करने के लिए कहा गया हो। इस प्रकार के पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए सोसाइटी प्रमाणपत्र प्रदान करने का अधिकार भी रखेगी और जब भी आवश्यक होगा इन उद्देश्यों के अनुषंगी कार्य करेगी। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सोसायटी की ओर से परीक्षाएँ लेने और प्रमाणपत्र देने का अधिकार था, उसे भारत के गजट में अधिसूचना जारी करने की तिथि से ऐसा करने से रोक दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों, सभी मंत्रालयों, भारत सरकार के सभी विभागों, विद्यालय अनुदान आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद् और राज्य शिक्षा बोर्डों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य जानकारी के लिए संकल्प भारत के गजट में भी प्रकाशित किया जाए।

डी. एम. डी. ई. रेबेलो
संयुक्त सचिव

शनिवार 20 अक्तूबर, 1990 को भारतीय गजट के सं. 42 के भाग I में प्रकाशित।

Appendix - D

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(Department of Education)
New Delhi, the 14th September 1990

RESOLUTION

Subject: Vesting of authority in the National Open School Society for holding certain examinations through distance and open learning system at the school stage and for certification thereof.

No. F5.24/90 Sch.3 -The Government of India had setup the National Open School Society. an autonomous and registered body on 23rd November. 1989 to cater to the educational needs of school dropouts, working adults, housewives and socially disadvantaged sections, through distance education at the school stage. The Society runs the management of the National Open School which, through distance and open learning system, has been offering courses, preparing students for the Secondary and Senior Secondary School Examinations and also offers Bridge (Preparatory) Courses

It has now been decided that in pursuance of Section 3 (ii) of the Memorandum of Association of the National Open School Society, the Society shall conduct the above examinations at the school stage of education upto predegree level, whether academic, technical or vocational, which are developed either by the National Open School itself or in collaboration with other agencies, subject to the approval of the Society's Executive Board or as it may be called upon to conduct by the Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Education. The Society shall also be the certifying authority for such courses and programmes and do such acts ancillary to these objects as may be necessary. The Central Board of Secondary Education which was the certifying and examining authority on behalf of the National Open School Society, will cease to be so with effect from the date of issue of this Notification in the Gazette of India.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be sent to all State Governments, Union Territory Administrations, all Ministries Departments of the Government of India, University Grants Commission. Prime Minister's Office, National Council of Educational Research and Training. Council of Boards of Secondary Education, Association of Indian Universities, Central Board of Secondary Education, Council for the Indian School Certificate Examinations and the State Boards of Education.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Sd/-
D.M.DE. REBELLO
Jt. Secy.

Published in part I Sec. OF No. 42 of the Gazette of India on Saturday the 20th October, 1990

भारतीय विश्वविद्यालय संगठन
ए आई यू हाउस, 16 कोटला मार्ग, नई दिल्ली -110002

सं. ई वी 11/(354)/91/
25 जुलाई, 1991

सचिव
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय
कम्युनिटी सेंटर
दिल्ली 110052

संदर्भ : राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय - उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा की समकक्षता।

महोदय,

हमें ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार ने 23 नवंबर, 1989 को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना की है। रा.मु.वि. अन्य पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त शिक्षार्थियों को माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता है। भारत सरकार ने दिनांक 14 सितंबर 1990 के सं. ए. 5/23/90 द्वारा एक संकल्प के माधयम से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को अपने शिक्षार्थियों की परीक्षा लेने और प्रमाणपत्र देने का अधिकार दिया है।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने अपनी हाल में आयोजित बैठक में रा.मु.वि. के पाठ्यक्रमों को मान्यता प्राप्त बोर्डो की अन्य परीक्षाओं की समकक्षता प्रदान की है जिससे वे भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन के लिए प्रवेश ले सकें। यह मामला सभी विश्वविद्यालयों की जानकारी में लाया गया है, जिससे उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।

यदि शिक्षार्थियों को कोई कठिनाई हो तो कृपया हमें लिखें। हम तदनुसार विश्वविद्यालयों से संपर्क करेंगे।

धन्यवाद

भवदीय

(के. सी. कालरा)

Appendix - E

ASSOCIATION OF INDIAN UNIVERSITIES
AIU HOUSE, 16 KOTLA MARG, NEW DELHI - 110002

NO.EV 11/(354)/91/
25 July, 1991

The Secretary
National Institute of Open Schooling
Community Centre, Delhi - 110052

Re : National Open School-Equivalence of Senior Secondary Certificate Examination

Dear Sir.

We have noted that Govt. of India have set up the National Open School on 23 November, 1989. The 'NOS' offers courses preparing students for the Secondary and Senior Secondary School Examinations, apart from other courses. The Govt. of India, through a Resolution, vide No. F5/23/90 dated 14 September 1990, vested the National Open School with authority to examine and certify its students.

The Association of Indian Universities, at their recent meeting has granted equivalence of the courses of NOS with those of other examinations of recognized boards for purposes of admission to higher studies at Indian Universities. The matter has been brought to the notice of all Universities in the country for their appropriate action.

Kindly write to us in case of any difficulty by the students; we would approach the Universities accordingly.

Thanking you,

Yours faithfully.

Sd/-
(K. C. Kalra)

भारतीय भेषजी परिषद्

(भेषजी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत स्थापित)

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

(CONSTITUTED UNDER THE PHARMACY ACT, 1948)

तार Telegram : 'फार्मकाउंसिल' 'FARMCOUNCIL'
दूरभाष Telephone : 23239184, 23231348
फैक्स Fax : 011-23239184
ई-मेल E-Mail : pci@ndb.vsnl.net.in
वेबसाईट Website : www.pci.nic.in

संयुक्त परिषद् भवन Combined Councils' Building
कोटला रोड Kotla Road
ऐवान-ए-गालिब मार्ग Aiwan-E-Ghalib Marg
पोस्ट बॉक्स नं. 7020 Post Box No. 7020
नई दिल्ली - 110002 New Delhi - 110002

संदर्भ संख्या 14-2/2015-पीसीआई (ए)/16017-18 10 जुलाई, 2015
14-55/2014 - पीसीआई

श्री सतीश कुमार
अवर सचिव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
एएचएस अनुभाग, निर्माण भवन
नई दिल्ली - 110008

विषय : फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु एनआईओएस शिक्षार्थियों की पात्रता

संदर्भ : आपका पत्र सं. वी. 13025/01/2013 - पीएमएस दिनांक 12.06.2015

श्रीमान,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि जून, 2015 में पीसीआई की 97वीं केंद्रीय परिषद की आयोजित बैठक में मामले पर विचार किया गया तथा निर्णय निम्नानुसार हैं।

''एनआईओएस पर काउंसिल के पूर्व निर्णय की समीक्षा की गई। देश के व्यापक हित को देखते हुए जहाँ कौशल विकास बहुत अधिक बल दिया जा रहा है, परिषद् ने फॉर्मेसी पाठ्यक्रमों में मुक्त विद्यालयी प्रणाली से उत्तीर्ण हुए शिक्षार्थियों के प्रवेश के मामले पर विचार किया। परिषद ने इसकी नीति की इस शर्त के साथ संवीक्षा की कि सभी स्टेक धारकों द्वारा शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता कायम रखी जाए और यदि आवश्यक हो तो फॉर्मेसी अधिनियम के अंतर्गत डी फॉर्म पाठ्यक्रम के पूर्ण होने के पश्चात तथा एक उम्मीदवार के फॉर्मेसिस्ट के रूप में नामांकन से पहले एक निर्गम परीक्षा के आयोजन के रूप में इसके लिए एक तंत्र विकसित करें तथा अनुमोदित करें कि ऐसा शिक्षार्थी जो केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार संस्थानों की मुक्त विद्यालय शिक्षा प्रणाली से उत्तीर्ण हुआ है, वह संबंधित शिक्षा विनियमों के अनुसार फॉर्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने का पात्र होगा।

इसके अलावा यह निर्णय लिया गया कि एक फार्मेसिस्ट के रूप में पंजीकरण कराने के उद्देश्य से डी फार्म के सभी उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की एक निर्गम परीक्षा होगी।

शिक्षा विनियम, 1991 में एक सनसेट खंड जोड़ने के संबंध में परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि -

क) 2020 तक फार्मेसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम हटाने के कदम आरंभ करना।

ख) शैक्षिक सत्र 2017-18 से नए डी. फार्म पाठ्यक्रम को अनुमति नहीं दी जाए।

भवदीय,
(अर्चना मुद्गल)
कुल सचिव-सह-सचिव

भारतीय भेषजी परिषद्

(भेषजी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत स्थापित)

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

(CONSTITUTED UNDER THE PHARMACY ACT, 1948)

तार Telegram : 'फार्मकाउंसिल' 'FARMCOUNCIL'
दूरभाष Telephone : 23239184, 23231348
फैक्स Fax : 011-23239184
ई-मेल E-Mail : pci@ndb.vsnl.net.in
वेबसाईट Website : www.pci.nic.in

संयुक्त परिषद् भवन Combined Councils' Building
कोटला रोड Kotla Road
ऐवान-ए-गालिब मार्ग Aiwan-E-Ghalib Marg
पोस्ट बॉक्स नं. 7020 Post Box No. 7020
नई दिल्ली - 110002 New Delhi - 110002

By-hand+E-mail

Ref.No.14-2/2015-PCI (A) | 16017-18
14-55/2014-PCI

10 JUL 2015

Shri. Satish Kumar
Under Secretary
Ministry of Health & Family Welfare
Deptt. Of Health & Family Welfare
AHS Section, Nirman Bhawan
New Delhi-108

Sub: Eligibility of NIOS learners for admission to pharmacy courses.

Ref: Your letter No.V.13025/01/2013-PMS dt.12.6.2015

Sir

With reference to the subject cited above, it is informed that the above cited issue was considered by the 97th Central Council of the PCI in its meeting held in June, 2015 and decision is as under-

"The Council's earlier decision on NIOS was reviewed. Keeping in view the larger interest of the country where thrust is given to skill development, the Council considered the issue of students who have passed from Open School system for admission to pharmacy courses. The Council reviewed its policy with the condition that quality assurance in the standards of education should be maintained by all stakeholders and if necessary evolve a mechanism for the same such as the conduct of an exit examination after the completion of the D.Pharm course and before the registration of the candidate as a pharmacist under the Pharmacy Act and approved that a student who has passed from Open School education system of the Central Govt. / State Govts. institutions be made eligible for admission to pharmacy courses as per the concerned Education Regulations.

It was further decided that an exit examination for the purpose of registration as a pharmacist will be in respect of all D.Pharm pass out students."

As regards inserting a sunset clause in the Education Regulations, 1991, it has been decided by the Council-

a) to initiate steps for phasing out the diploma course in pharmacy by 2020.
b) no new D.Pharm course be given permission from 2017-2018 academic session.

Yours faithfully

(ARCHNA MUDGAL
Registrar-cum-Secretary

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिस्थापन में गवर्नरों की परिषद्

सं. एमसीआई-34(1)ध(यूजी)(जनण)ध2012.एमईडी.ध129570
दिनांक : 14.09.12

डॉ. संयम भारद्वाज
निदेशक (विद्यार्थी सहायता सेवाएँ),
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, एन.एच. 24,
सेक्टरख्र 62ए नोएडाख्र 201 309ए
जिला गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)

संदर्भण्रू दिनांक 28.05.2013 का पत्र सं. निदेशक (वि.स.से.)/पीए/एमसीआई/2012ध37

विषय : एनआईओएस प्रमाणपत्रों की समकक्षता संबंधी स्पष्टीकरण के संबंध में।

महादेय,

कृपया ऊपर निर्दिष्ट विषय पर उपर्युक्त पत्र का संदर्भ लें।

13.08.2012 को आयोजित गवर्नरों के बोर्ड की बैठक में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक शिक्षार्थियों की योग्यता के मूल्यांकन के लिए एनआईओएस प्रमणपत्रों की स्वीकृति के मामले पर विचार किया गया। गवर्नरों के बोर्ड ने निम्नानुसार निर्णयय लिया :-

''गवर्नर्स ने कार्यसूची नोट स्वीकार किया तथा निदेशक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से 28.05.2012 को प्राप्त पत्र की विषय वस्तु को नोट किया और उसके बाद निर्णय लिया कि चूंकि विनियमों में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि किसी बोर्ड विशेष द्वारा प्रदान की गई योग्यता को मान्यता दी जाएगी। अतः यदि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित 10+2 परीक्षा में बैठने वाले शिक्षार्थी एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता मानदंड के संबंध में स्नातक मेडिकल शिक्षा विनियमों को पूरा करते हैं तो उन्हें एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्य माना जाएगा।''

भवदीय,

-ह.-

(प्रो. संजय श्रीवास्तव)
सचिव

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

Board of Governors in Super-session of MEDICAL COUNCIL OF INDIA

No. MCI-34(1)/(UG)(Gen.)/2012-Med./129570 Darted : 14.09.12

Dr. Sanyam Bhardwaj,
Director (Student Support Services),
National Institute Of Open Schooling,
A-24-25, Institutional Area, N.H.24,
Sector – 62, Noida – 201 309,
District: Gautam Budha Nagar (UP)

Ref.: Letter No. Director (SSS)/PA/MCI/2012/37, dated 28.05.2012.

Subject: Clarification regarding Equivalence of NIOS certificates – regarding.

Sir,

Please refer above captioned letters on the subject noted above.

In this connection, this is to inform that the matter with regard to acceptance of NIOS certificates for evaluating eligibility of students seeking admission in MBBS course has been considered by the Board of Governors at its meeting held on 13.08.2012. The Board of Governors decided as under:-

"The Board of Governors considered the agenda note and noted the contents of the letter received from the Director, National Institute of Open Schooling dated 28.05.2012 and thereafter decided that since the regulations do not specify as to qualification granted by particular Board will be recognized, therefore, if the requirement of Graduate Medical Education regulations regarding eligibility criteria for admission to MBBS course are fulfilled by the students appearing in 10+2 examination conducted by the National Institute of Open Schooling they may be considered eligible for admission to MBBS course."

Yours faithfully,

Sd/-
(Prof. Sanjay Shrivastava)
Secretary

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION
(A Statutory Body of the Govt. of India)
(Ministry of Education, Govt. of India)
Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070

सत्यमेव जयते

Phone : 011-26131577 - 78, 80
011-29581000
Website : www.aicte-india.org

F. No. AICTE/P&AP/Misc./Sept/2025 **Dated: 29th Sept 2025**

सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं

सभी एआईसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थानों के निदेशक/प्रधानाचार्य,

विषयः एआईसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) की योग्यता की मान्यता - संबंध में।

महोदया/महोदय,

परिषद के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि कुछ एआईसीटीई मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) ने उन शिक्षार्थियों को प्रवेश देने से इंकार कर दिया है जिन्होंने अपनी परीक्षा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के माध्यम से उत्तीर्ण की है, जबकि ये शिक्षार्थित निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

इस संबंध में, पुनः स्पष्ट किया जाता है किः

i. एनआईओएस शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है, और इसे अन्य राष्ट्रीय एवं राज्य बोर्ड जैसे सीबीएसई, सीआईएससीई तथा राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्डों के समकक्ष मान्यता प्राप्त है।

ii. एनआईओएस प्रमाण पत्र शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी और एआईसीटीई के मानदंडों के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश हेतु मान्य हैं।

iii. किसी भी मान्य एनआईओएस योग्यता रखने वाले शिक्षार्थियों के साथ कोई भी भेदभाव अनुचित है,

यह राष्ट्रीय नीति के निर्देशों का उल्लंघन करता है, और शिक्षार्थियों के उच्च शिक्षा के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

अतः, सभी एआईसीटीई स्वीकृत उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि जो शिक्षार्थी एनआईओएस से सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए हैं और पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों के शिक्षार्थियों के समान माना जाए।

सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्देशों का एआईसीटीई मानदंडों के अनुसार पालन करें।

शिक्षा प्रणाली की अखंडता, समावेशिता और निष्पक्षता बनाए रखने में आपके सहयोग की अत्यधिक सराहना की जाती है।

यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।

सादर,

-ह.-

डॉ. एन.एफ.आई. सिद्धलिंगा स्वामी
परामर्शकर्ता - II
नीति एवं शैक्षणिक योजना ब्यूरो

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION
(A Statutory Body of the Govt. of India)
(Ministry of Education, Govt. of India)
Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070

सत्यमेव जयते

Phone : 011-26131577 - 78, 80
011-29581000
Website : www.aicte-india.org

F. No. AICTE/P&AP/Misc./Sept/2025 **Dated: 29th Sept 2025**

To,
All the Vice Chancellors of Technical Universities and
All the Directors/Principals of AICTE Approved Institutions,

Subject: Recognition of National Institute of Open Schooling (NIOS) qualifications for admission in AICTE approved institutions – reg.

Madam/Sir,

It has been brought to the notice of the Council that, some AICTE approved Higher Education Institutions (HEI's) have denied admission to students who have passed their examination through the National Institute of Open Schooling (NIOS), despite these students fulfilling the prescribed eligibility criteria.
In this regard, it is reiterated that:

i. NIOS is an autonomous institution under the Ministry of Education, Government of India, and is recognized at par with other national and state boards such as CBSE, CISCE, and State Boards of School Education.
ii. NIOS certificates are valid for admission to all universities, engineering colleges, and professional institutions as per the norms of MoE, UGC, and AICTE.
iii. Any discrimination against students holding valid NIOS qualifications is unjustified, violates National Policy directives, and adversely affects students' rights to Higher Education.

Accordingly, all AICTE approved HEI's are directed to ensure that students who have successfully passed through NIOS and meet the eligibility criteria are considered at par with students of other recognized boards for the purpose of admission to higher education programs.

All HEI's are kindly requested to comply with the above directions as per AICTE norms.

Your cooperation in upholding the integrity, inclusiveness, and fairness of our education system is highly appreciated.

This is issued with the approval of the Competent Authority.

Warm regards,

N. H. Siddalinga Swamy 29.09.25

Dr. N.H. Siddalinga Swamy
Adviser-II
Policy & Academic Planning Bureau

एनआईओएस क्षेत्रीय केंद्र की तुलना में सेना मुख्यालय कमान का सेवाधिकार

Jurisdiction Army HQ Command vis-a-vis NIOS Regional Centre :

क्र.सं.	सेना मुख्यालय की कमान	संबंधित एनआईओएस क्षेत्रीय केंद्र
1.	पूर्वी कमान मुख्यालय HQ Eastern Command	कोलकाता Kolkata
2.	पश्चिमी कमान मुख्यालय HQ Western Command	चंडीगढ़ Chandigarh
3.	केंद्रीय कमान मुख्यालय HQ Central Command	इलाहाबाद Allahabad
4.	दक्षिणी कमान मुख्यालय HQ Southern Command	पुणे Pune
5.	उत्तरी कमान मुख्यालय HQ Northern Command	चंडीगढ़ Chandigarh
6.	दक्षिण पश्चिम कमान मुख्यालय HQ South Western Command	जयपुर Jaipur

परिशिष्ट - ण / Appendix - J

माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के मान्य बोर्डों की सूची
List of Recognised Boards of Secondary and Senior Secondary Education

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बोर्डों की स्थापना :-
(i) केन्द्र/राज्य सरकार का एक अधिनियम, (ii) केन्द्र/राज्य सरकार की एक राजपत्र अधिसूचना (iii) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कार्यवाही आदेशों द्वारा होती है।

As per available information, Boards are established by: (i) An Act of Central/State Government, (ii) A Gazette Notification of Central/State Government, (iii) Executive orders issued by Central/State Government.

नीचे दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित बोर्ड स्थापित किए गए हैं :-
The following Boards have been established as per details given below :

कोड सं	बोर्ड का नाम
01	**आंध्र प्रदेश**
0101	आंध्र प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा बोर्ड, विजयवाड़ा
0102	आंध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विजयवाड़ा
0103	आंध्र प्रदेश मुक्त विद्यालय सोसाइटी
02	**असम**
0201	असम राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड, द्वितीय मंडल, बामुनीमैदान, गुवाहाटी
0202	असम राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड, प्रथम मंडल, बामुनीमैदान, गुवाहाटी
0203	असम राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड, द्वितीय मंडल, बामुनीमैदान, गुवाहाटी असम राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड, द्वितीय मंडल, बामुनीमैदान, गुवाहाटी
03	**बिहार**
0301	बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्, पटना
0302	बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड, पटना
0303	बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना
0304	बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड, पटना
0305	बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना
04	**छत्तीसगढ़**
2901	छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, रायपुर
2902	छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राज्य मुक्त विद्यालय, रायपुर
2903	छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड, छत्तीसगढ़
2904	छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम, रायपुर
05	**गोवा**
2801	गोवा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, गोवा

Code No.	Name of the Board
01.	**ANDHRA PRADESH**
0101	Andhra Pradesh Board of Intermediate Education, Vijayawada
0102	Andhra Pradesh Board of Secondary Education, Vijayawada
0103	Andhra Pradesh Open School Society
02.	**ASSAM**
0201	Assam State School Education Board, Division-II, Bamunimaidan, Guwahati
0202	Assam State School Education Board, Division-I, Bamunimaidan, Guwahati
0203	Assam State School Education Board, Division-II, Bamunimaidan, Guwahati Assam State School Education Board, Bamunimaidan, Guwahati
03.	**BIHAR**
0301	Bihar Intermediate Education Council, Patna
0302	Bihar School Examination Board, Patna
0303	Bihar Sanskrit Shiksha Board, Patna
0304	Bihar Board of Open Schooling & Examination, Patna
0305	Bihar State Madrasa Education Board, Patna
04.	**CHHATISGARH**
2901	Chhatisgarh Board of Secondary Education, Raipur
2902	Chhatisgarh Board of Secondary Education & State Open School, Raipur
2903	Chhattisgarh Madarsa Board, Chattisgarh
2904	Chattisgarh Sanskrit Vidhya Mandalam, Raipur
05.	**GOA**
2801	Goa Board of Secondary & Higher Secondary Education, Goa

06 गुजरात

0401 गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, गांधी नगर

0402 गुजरात राज्य मुक्त विद्यालय, गांधीनगर, गुजरात

07 हरियाणा

0501 हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड, हांसी रोड, भिवानी

0502 हरियाणा मुक्त विद्यालय, भिवानी

08 हिमाचल प्रदेश

0601 हिमाचल प्रदेश विद्यालय शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला

0602 हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय, धर्मशाला कांगड़ा

09 जम्मू एवं कश्मीर

0701 जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड, जम्मू

0702 जम्मू एवं कश्मीर राज्य मुक्त विद्यालय, श्रीनगर

10 झारखंड

2601 झारखंड शैक्षिक परिषद्, रांची

11 कर्नाटक

0801 कर्नाटक स्कूल शिक्षा एवं मूल्यांकनबोर्ड, बैंगलोर

0802 कर्नाटक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड, बैंगलौर

0803 कर्नाटक मुक्त विद्यालय, जे.एस.एस. महा विद्यापीठ, मैसूर

12 केरल

0901 केरल सार्वजनिक शिक्षा बोर्ड, परीक्षा भवन, तिरुवनंतपुरम

0902 केरल उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तिरुवनंतपुरम

0903 केरल राज्य मुक्त विद्यालय, तिरुवनंतपुरम

13 महाराष्ट्र

1101 महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, पुणे

14 मध्य प्रदेश

1001 मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भोपाल

1002 मध्य प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय, भोपाल

1003 मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड, मध्य प्रदेश

15 मणिपुर

1201 मणिपुर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इम्फाल

1202 मणिपुर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इम्फाल

16 मेघालय

1301 मेघालय विद्यालय शिक्षा बोर्ड, मेघालय

06. GUJARAT

0401 Gujarat Secondary & Higher Secondary Education Board, Gandhi Nagar

0402 Gujarat State Open School, Gandhinagar, Gujarat

07. HARYANA

0501 Haryana Board of School Education, Hansi Road, Bhiwani

0502 Haryana Open School, Bhiwani

08. HIMACHAL PRADESH

0601 Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala

0602 Himachal Pradesh State Open School, Dharamsala, Kangra

09. JAMMU & KASHMIR

0701 J&K State Board of School Education, Jammu

0702 J&K State Open School, Srinagar

10. JHARKHAND

2601 Jharkhand Academic Council, Ranchi

11. KARNATAKA

0801 Karnataka School Education and Assessment Board, Bangalore

0802 Karnataka Secondary Education Examination Board, Bangalore

0803 Karnataka Open School, J.S.S. Maha Vidya Peeth, Mysore

12. KERALA

0901 Kerala Board of Public Examinations, Pareeksha Bhawan, Thiruvananthpuram

0902 Kerala Board of Higher Secondary Education, Thiruvananthapuram

0903 Kerala State Open School, Thiruvananthapuram

13. MAHARASHTRA

1101 Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education, Pune

14. MADHYA PRADESH

1001 Madhya Pradesh Board of Secondary Education, Bhopal

1002 M.P. State Open School, Bhopal

1003 Madhya Pradesh Madarsa Board, Madhya Pradesh

15. MANIPUR

1201 Manipur Council of Higher Secondary Education, Imphal

1202 Manipur Board of Secondary Education, Imphal

16. MEGHALAYA

1301 Meghalaya Board of School Education, Meghalaya

17 मिजोरम

3001 मिजोरम विद्यालय शिक्षा बोर्ड, चलतलन, एजवल

18 नागालैंड

1401 नागालैंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड, कोहिमा

19 उड़ीसा

1501 उड़ीसा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद्, भुवनेश्वर

1502 उड़ीसा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कटक

20 पंजाब

1601 पंजाब विद्यालय शिक्षा बोर्ड, मोहाली

21 राजस्थान

1701 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर

1702 राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय, जयपुर

22 सिक्किम

1801 मुक्त विद्यालयी शिक्षा और कौशल शिक्षा बोर्ड, सिक्किम

23 तमिलनाडु

1901 तमिलनाडु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, चेन्नई

1902 तमिलनाडु उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, चेन्नई

1903 तमिलनाडु राज्य मुक्त विद्यालय, चेन्नई

24. तेलंगाना

4701 तेलंगाना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हैदराबाद

4702 तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, हैदराबाद

4703 तेलंगाना ओपन स्कूल सोसायटी, हैदराबाद

25. त्रिपुरा

2001 त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अगरतला, पश्चिमी त्रिपुरा

26. उत्तर प्रदेश

2101 उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड, इलाहाबाद

2102 मदरसा शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश

2103 उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, शाहमीना रोड़, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

27. उत्तराखंड

3401 उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद (यूबीएसई) राम नगर, नैनीताल

28. पश्चिम बंगाल

2201 पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कोलकाता

2202 पश्चिम बंगाल उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद्, कोलकाता,

2203 रबिन्द्र मुक्त विद्यालय, पश्चिम बंगाल परिषद्

2204 पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड

29 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

2701 दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (डीबीएसई), दिल्ली

30. अखिल भारतीय बोर्ड

9901 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (पूर्वतः राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय), नई दिल्ली

17. MIZORAM

3001 Mizoram Board of School Education Chaltlan, Aizawl

18. NAGALAND

1401 Nagaland Board of School Education, Kohima

19. ODISHA

1501 Odisha Council of Higher Secondary Education Bhubaneswar

1502 Odisha Board of Secondary Education, Cuttack

20. PUNJAB

1601 Punjab School Education Board, Mohali

21. RAJASTHAN

1701 Rajasthan Board of Secondary Education, Ajmer

1702 Rajasthan State Open School, Jaipur

22. SIKKIM

1801 Board of Open Schooling and Skill Education Sikkim

23. TAMIL NADU

1901 Tamil Nadu Board of Secondary Education, Chennai

1902 Tamil Nadu Board of Higher Secondary Education, Chennai

1903 Tamil Nadu State Open School, Chennai

24. TELANGANA

4701 Telangana Board of Secondary Education, Hyderabad

4702 Telangana Board of International Education, Hyderabad

4703 Telangana Open School Society, Hyderabad

25. TRIPURA

2001 Tripura Board of Secondary Education, Agartala, Tripura West

26. UTTAR PRADESH

2101 U.P. Board of High School & Intermediate Education, Allahabad

2102 Board of Madrasa Education, Uttar Pradesh

2103 Uttar Pradesh Madhyamik Sanskrit Shiksha Parishad, Shahmina Road, Lucknow, Uttar Pradesh

27. UTTARAKHAND

3401 Uttarakhand Vidhyaleye Shiksha Parishad (UBSE), Ramnagar, Nainital.

28. WEST BENGAL

2201 West Bengal Board of Secondary Education, Calcutta

2202 West Bengal Council of Higher Secondary Education, Calcutta

2203 West Bengal Council for Rabindra Open Schooling

2204 West Bengal Board of Madrasa Education

29. NCT OF DELHI

2701 Delhi Board of School Education (DBSE), Delhi

30. ALL INDIA BOARDS

9901 National Institute of Open Schooling (formerly National Open School), New Delhi

9902 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली

9903 भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद्, नई दिल्ली

9904 Maharishi Sandipani Rashtriya Veda Sanskrit Shiksha Board, Ujjain

9905 Bharatiya Shiksha Board, Haridwar

माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए मान्यता प्राप्त अन्य संस्थान

9801 केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

9802 गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

9803 सेना शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली

9804 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

9805 जामिया मिलिया हमदर्द विश्वविद्यालय

9806 वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली, राजस्थान

9807 जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली

9808 कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का आईजीसीएसई कार्यक्रम (अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा)
पांच उत्तीर्ण विषय अंग्रेजी सहित ग्रेड ए, बी, सी, डी, ई एवं एफ के साथ (33% या अधिक अंक वाले किसी भी विषय में 'एफ' ग्रेड प्रदान किया जाता है)

9809 इंटरनेशनल बैकालॉरियेट एशिया पैसिफिक

9810 संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (पूर्व मध्यम परीक्षा)

9999 विदेश का कोई मान्यता प्राप्त बोर्ड

विदेशी बोर्ड/विश्वविद्यालय से हाई स्कूल/माध्यमिक प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों को एनआईओएस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यह प्रमाणपत्र देना होगा कि उनकी परीक्षा भारतीय हाई स्कूल/माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष है।

9902 Central Board of Secondary Education, Delhi

9903 Council for Indian School Certificate Examinations, New Delhi

9904 Maharishi Sandipani Rashtriya Veda Sanskrit Shiksha Board, Ujjain

9905 Bharatiya Shiksha Board, Haridwar

OTHER INSTITUTES RECOGNISED FOR SECONDARY/ SENIOR SECONDARY LEVEL

9801 Central Sanskrit University, New Delhi.

9802 Gurukul Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar,

9803 Directorate of Army Education, New Delhi.

9804 Aligarh Muslim University, Aligarh.

9805 Jamia Millia Hamdard University.

9806 Banasthali Vidyapith, Banasthali, Rajasthan

9807 Jamia Millia Islamia, New Delhi.

9808 IGCSE Programme from University of Cambridge (International Exam)
five passes including English with grade A, B, C, D, E and F ('F' Grade in any subject with 33% or more marks is awarded).

9809 International Baccalaureate - Asia Pacific

9810 Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi (Poorva Madhyama Examination)

9999 Any recognised Board of foreign countries

For learners who possess a High School/Secondary Certificate from any Foreign Board/University and take admission in Senior Secondary course of NIOS are required to attach a certificate from the University Grants Commission (UGC) to the effect that the examination passed is equivalent to the Indian High School/ Secondary Examination.

एनआईओएस और इसके कार्यक्रमों के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Frequently Asked Questions (FAQs)

about NIOS and its Programmes

1. एनआईओएस में प्रवेश लेने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर : एनआईओएस ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 100% ऑन-लाइन प्रवेश आरंभ किया है ताकि शिक्षार्थियों को अपना पंजीकरण कराने में सहायता मिल सके।

इस योजना के अंतर्गत, शिक्षार्थियों के पास चार विकल्प हैं:

(i) शिक्षार्थी एनआईओएस की वेबसाइट अर्थात् www.nios.ac.in पर जाकर प्रत्यक्ष रूप से स्वयं अपना पंजीकरण करा सकता/सकती है।

(ii) शिक्षार्थी अपने निकटतम एआई (अध्ययन केन्द्र/सहायता केन्द्र) पर जाकर वहाँ ऑन-लाइन पंजीकरण के लिए उनकी सहायता ले सकता/सकती है।

(iii) शिक्षार्थी एनआईओएस के क्षेत्रीय केन्द्रों पर जा कर ऑन-लाइन पंजीकरण के लिए उनकी सहायता ले सकता/सकती है।

(iv) शिक्षार्थी देशभर में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए भारत सरकार के जन सेवा केन्द्र की सेवाओं का प्रयोग भी कर सकता/सकती है।

2. माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता मानदंड क्या हैं?

उत्तर :

➤ कोई शिक्षार्थी जिसने आठवीं कक्षा पास की हो और उसके पास 14 वर्ष की आयु पूरी करने का वैध प्रमाणपत्र हो तो वह माध्यमिक पाठ्यक्रम में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता/सकती है।

➤ शिक्षार्थी स्व-प्रमाणपत्र देता/देती है कि ''मैंने माध्यमिक पाठ्यक्रम करने के लिए पर्याप्त अध्ययन किया है और मैं माध्यमिक पाठ्यक्रम करने योग्य हूँ।'' देकर भी शिक्षार्थी माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्य हो सकता/सकती है।

➤ कोई शिक्षार्थी जिसने माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर ली है वह भी अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने या अपने अंकों में और सुधार करने के लिए एनआईओएस के माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता/सकती है।

➤ शिक्षार्थी का आवासीय प्रमाण।

1. What is the procedure for taking admission in NIOS?

Ans: The NIOS has 100% Online admission at the Secondary and the Senior Secondary Education levels in order to facilitate learners to register.

Under this scheme, the learner has four options:

(i) Learner can register online directly by visiting the website of NIOS i.e., www.nios.ac.in and sdmis.nios.ac.in.

(ii) Learner may visit his/her nearest AI (Study Centre)/Facilitation Centre and take help for online registration.

(iii) Learner may visit the concerned Regional Centre of NIOS and take help for online registration.

(iv) Learner can use the services of the Common Services Centres of the Govt. of India for Online registration throughout the country.

2. What is the eligibility criteria for admission to the Secondary Course?

Ans:

➤ A learner who has passed class VIII and has a valid proof that Learner has attained 14 years of age can apply for registration to the Secondary Course.

➤ The learner who gives a self certificate stating that "I have studied and able to pursue the secondary course" is also eligible for admission to the Secondary Course.

➤ The learner who had studied at the Secondary level can also seek admission in NIOS either to complete his course or to improve his performance.

➤ Residential proof of the learner.

3. **जन्म तिथि का वैध प्रमाण क्या है?**

उत्तर : नगर निगम नगर पालिका निकाय, ग्राम पंचायत या रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य निकाय द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाणपत्र तथा सरकारी एजेंसी द्वारा जारी आधार कार्ड एक वैध प्रमाण है। यद्यपि, अनाथ, बेघर बच्चों आदि के मामले में सरकारी अस्पतालों द्वारा जारी उनकी आयु संबंधी चिकित्सा प्रमाणपत्र को भी जन्म तिथि के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है।

4. **प्रवेश की वैधता अवधि क्या है?**

उत्तर : प्रवेश (एक बार पंजीकृत होने पर), प्रवेश की तिथि से अगले 5 वर्षों की अवधि तक वैध रहता है।

5. **क्या एनआईओएस शुल्क में किसी प्रकार की छूट प्रदान करता है?**

उत्तर : एनआईओएस के नियमानुसार महिलाओं तथा अ.जा./अ.ज.जा./भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग शिक्षार्थियों को शुल्क में छूट प्रदान की जाती है।

6. **क्या कोई शिक्षार्थी सीधे उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकता है?**

उत्तर : जी नहीं। उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थी को एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक पाठ्यक्रम में पास होना अनिवार्य है।

7. **उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है?**

उत्तर : उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष है।

8. **एनआईओएस में पढ़ाई के माध्यम के रूप में कौन सी भाषाएँ उपलब्ध हैं?**

उत्तर : एनआईओएस में माध्यमिक पाठ्यक्रम अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, मराठी, ओडिया, तेलुगू, गुजराती, तमिल, मलयालम, पंजाबी, असमिया, संस्कृत, तथा कन्नड़ माध्यमों में तथा उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम अँग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, ओडिया, गुजराती तथा बांग्ला माध्यमों में उपलब्ध है।

9. **माध्यमिक पाठ्यक्रम (कक्षा-X) के लिए कौन से विषय उपलब्ध हैं?**

उत्तर : हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, उड़िया, मराठी, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, असमिया, भारतीय सांकेतिक भाषा, नेपाली, मलयालम, अरबी, फारसी, तमिल, सिंधी, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, भारतीय संस्कृति और विरासत, चित्रकला, डॉटा एन्ट्री कार्य, लेखांकन, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, वेद अध्ययन, संस्कृत व्याकरण, भारतीय दर्शन, संस्कृत साहित्य, नाट्यकला, शारीरिक शिक्षा, लोक कला और उद्यमिता (19 भाषाओं सहित 40 विषय)।

10. **उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम (कक्षा-XII) के लिए कौन से विषय उपलब्ध हैं?**

उत्तर : हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, गुजराती, बांग्ला, तमिल, ओडिया, पंजाबी, अरबी, फारसी, मलयालम, सिंधी, भारतीय सांकेतिक

3. **What is the valid proof of date of birth?**

Ans: The certificate of date of birth issued by a Municipal Corporation, a Municipal Body, a Village Panchayat or any other body authorised by the Registrar, Birth and Death, Government of India, and the Aadhaar Card issued by Govt. Agency is a valid proof of date of birth. However, in case of orphans, street children etc., a medical certificate in respect of age issued by a Government Hospital is also acceptable as a valid proof of date of birth.

4. **What is the validity period of admission?**

Ans: The Admission (once registered) is valid for a period of 5 years from the date of admission.

5. **Does NIOS allow any fees concession?**

Ans: The fee concession is provided to females, SC/ST/Ex-Servicemen and differently abled/Divyang learners as per NIOS norms.

6. **Can any learner take direct admission in the Senior Secondary courses?**

Ans: No. In order to take admission in the Senior Secondary course, the learner must have passed the Secondary course from a recognised Board.

7. **What is the Minimum age to take admission in the Senior Secondary Course?**

Ans: The minimum age to take admission in the Senior Secondary Course is 15 years.

8. **What are the mediums of studies available in NIOS?**

Ans: The NIOS offers the Secondary course in English, Hindi, Urdu, Marathi, Odia, Telugu, Gujarati, Tamil, Malayalam, Punjabi, Assammese, Sanskrit and Kannada mediums; and the Senior Secondary course in English, Hindi, Odia, Bengali, Gujarati, Sanskrit and Urdu mediums.

9. **What are the subjects available for the Secondary Course (Class-X)?**

Ans: Hindi, English, Urdu, Sanskrit, Bengali, Odia, Marathi, Telugu, Gujarati, Kannada, Punjabi, Assamese, Indian Sign Language, Nepali, Malayalam, Arabic, Persian, Tamil, Sindhi, Mathematics, Science, Social Science, Economics, Business Studies, Home Science; Psychology, Indian Culture and Heritage, Painting, Data Entry Operations, Accountancy, Hindustani Sangeet, Carnatic Sangeet, Veda Adhyan, Sanskrit Vyakaran, Bharatiya Darshan, Sanskrit Sahitya, Natyakala, Physical Eduation, Folk Art & Entrepreneurship (40 subjects including 19 languages).

10. **What are the subjects available for the Senior Secondary Course (Class-XII)?**

Ans: Hindi, English, Bengali, Odia, Tamil, Urdu, Sanskrit, Gujarati, Punjabi, Persian, Arabic, Malyalam, Sindhi,

भाषा, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, लेखांकन, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, समाजशास्त्र, चित्रकला, पर्यावरण विज्ञान, जन संचार, डाटा एन्ट्री कार्य, कानून का परिचय, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, वेद अध्ययन, संस्कृत व्याकरण, भारतीय दर्शन, संस्कृत साहित्य, नाट्यकला, लिंग अध्ययन, शारीरिक शिक्षा, सेना अध्ययन, सेना का इतिहास, प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा, उद्यमिता तथा कृषि: उत्पादन, प्रसंस्करण एवम् विपणन (14 भाषाओं सहित 47 विषय)।

11. क्या एक शिक्षार्थी अपने प्रवेश की वैधता अवधि के दौरान अपने विषयों को बदल सकता/सकती है?

उत्तर : जी हां। शिक्षार्थी अपने एक या अधिक विषयों को बदल सकता है बशर्ते उसके विषयों की कुल संख्या सात से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्तीर्ण किए जा चुके विषयों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

12. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कितने विषय अपेक्षित हैं?

उत्तर : माध्यमिक स्तर पर उत्तीर्ण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए, शिक्षार्थी को एक या अधिकतम दो भाषाओं के साथ न्यूनतम पांच विषयों में उत्तीर्ण होना आवशयक है।

13. क्या शिक्षार्थी अतिरिक्त विषयों में भी प्रवेश ले सकता है?

उत्तर : जी हां, शिक्षार्थी दो अतिरिक्त विषय चुन सकता है। इस प्रकार, वह अधिकतम सात विषय ले सकता है।

14. पंजीकरण और परीक्षा के लिए प्रवेश शुल्क कितना है?

उत्तर : पंजीकरण और परीक्षा के लिए नवीनतम शुल्क की रूपरेखा एनआईओएस की वेबसाइट और विवरणिका में भी उपलब्ध है।

15. क्या एक शिक्षार्थी एक स्कूली शिक्षा को औपचारिक बोर्ड से माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के पश्चात एनआईओएस के माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर सकता है?

उत्तर : जी हां। यदि शिक्षार्थी ने किसी राष्ट्रीय/राज्य बोर्ड से माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम की शिक्षा प्राप्त की है और वह एनआईओएस में समान पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करना चाहता है तो इसे एनआईओएस में चार विषयों के साथ प्रवेश प्राप्त हो सकता है। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात शिक्षार्थी को केवल अंक तालिका प्रदान की जाएगी। दोहरी/आंशिक प्रवेश योजना के अंतर्गत प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता है।

16. शिक्षार्थी को उसके प्रवेश की पुष्टि किस प्रकार प्राप्त होगी?

उत्तर : एक पाठ्यक्रम में प्रवेश की पुष्टि सामान्यत: एनआईओएस द्वारा एक पहचान पत्र जारी करके होती है जिसमें एनआईओएस के पास उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर शिक्षार्थी के ऑनलाइन प्रवेश

Indian Sign Language, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, History, Geography, Political Science, Economics, Business Studies, Accountancy, Home Science, Psychology, Computer Science, Sociology, Painting, Environmental Science, Mass Communication, Data Entry Operations, Introduction to Law, Library and Information Science, Veda Adhyan, Sanskrit Vyakaran, Bharatiya Darshan, Sanskrit Sahitya, Natyakala, Gender Studies, Physical Education, Military Studies, Military History, Early Childhood Care & Education Entrepreneurship and Krishi: Production, Processing and Marketing (47 subjects including 14 languages).

11. Whether a learner can change his/her subjects during the validity period of his/her admission?

Ans: Yes. A learner has the option to change one or more subjects, provided the total number of subjects does not exceed seven. Subjects already passed cannot be changed.

12. How many subjects are required to be taken for obtaining the pass certificate ?

Ans: For obtaining a pass certificate at the Secondary level, a learner is required to pass in minimum five subjects including one or maximum two languages.

13. Can the learner seek admission in additional subjects also?

Ans: Yes. A learner can opt upto two additional subjects. Thus, in all, a learner can choose maximum of seven subjects.

14. What is the admission fee for registration and the examination fee?

Ans: The latest fee structure for registration and examination has been given on NIOS website and also in the Prospectus.

15. Can a learner take admission in the Secondary/ Senior Secondary Course of NIOS after passing the Secondary/Senior Secondary course from a formal Board of School Education?

Ans: Yes. In case the learner has completed the Secondary/Senior Secondary Course from any National/State Board of School Education and wish to seek admission in NIOS for the same course, he/ she will be allowed to take admission in NIOS in upto four subjects. On successful completion, the learner will get only the Marksheet. No Certificate is issued under the Dual/Part Admission Scheme.

16. How do the learner get confirmation of his/her admission?

Ans: The admission to a particular course is confirmed by NIOS by issuing an online Identity Card having his/her admission particulars as per the records

संबंधी विवरण होते हैं। प्रवेश की पुष्टि के बाद शिक्षार्थी को उसकी नामांकन संख्या के बारे में भी सूचित किया जाता है।

17. शिक्षार्थी को स्व-अध्ययन सामग्री कैसे प्राप्त होगी?

उत्तर : विभिन्न विषयों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई मुद्रित स्व-अध्ययन सामग्री अन्य सहायक सामग्री सहित डाक द्वारा शिक्षार्थी के घर के पते पर भेजी जाती है। अत: शिक्षार्थी अपने घर का सही और पूरा पता दें।

18. यदि शिक्षार्थी को इस सामग्री का पार्सल प्राप्त नहीं होता है तो वह स्वयं किस प्रकार यह अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकता है?

उत्तर : यदि अध्ययन सामग्री का पार्सल शिक्षार्थी के पास नहीं पहुंचता है तो उसे वह अपने आवास पर अध्ययन सामग्री के पुन: प्रेषण के लिए उप निदेशक, सामग्री वितरण इकाई, सीडब्ल्यूसी, मोहननगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र. को रु. 100/- (एक सौ रुपए केवल) ऑनलाइन/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से देना होगा।

19. क्या प्रवेश रिकॉर्ड में संशोधन किए जाने का कोई प्रावधान है?

उत्तर : चूंकि प्रवेश 100% ऑन लाइन है, इसलिए शिक्षार्थियों से आवेदन फार्म में ध्यान से प्रविष्टियाँ करने का अनुरोध किया जाता है। फिर भी एनआईओएस की वेबसाइट पर दिए गए निर्देशानुसार ई-सर्विस के माध्यम से सुधार किया जाएगा।

20. क्या एनआईओएस पहचान पत्र की दूसरी प्रति जारी करता है?

उत्तर : जी हाँ, पहचान पत्र खो जाने की स्थिति में, संबंधित पुलिस स्टेशन में इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराने के पश्चात पहचान पत्र की दूसरी प्रति जारी की जाती है। पहचान पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले संबंधित पुलिस स्टेशन में एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज कराएँ। **ई-सेवा** द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर और शिक्षार्थी एफआईआर की मूल स्कैन की गई प्रति अपलोड करें और रु. 100/- का शुल्क ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करें। दूसरी बार पहचान पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को रु. 500/- का शुल्क देना होगा।

21. क्या शिक्षार्थी कोई भी विषय संयोजन चुन सकता है?

उत्तर : जी हाँ, शिक्षार्थी उत्तीर्ण होने का मानदंड और प्रमाणन मानदंड के साथ-साथ आगे की शिक्षा के लिए अन्य बोर्डों/विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए एनआईओएस की वेबसाइट और विवरणिका पर दी गई सूची से अपनी पसंद के विषय चुन सकता/सकती है।

22. क्या शिक्षार्थी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक पाठ्यक्रमों के साथ व्यावसायिक विषय ले सकता है?

उत्तर : जी हाँ। एनआईओएस के पाठ्यक्रमों को और अधिक सार्थक बनाने के लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर

available with NIOS. On confirmation of admission, Enrolment Number is also online generated.

17. How does the learner get the Self-Instructional Material?

Ans: The specially designed printed Self Instructional Material for different subjects alongwith other support material is provided to the learner through post at his/her home address. A learner is, therefore, expected to give his/her correct and complete home address.

18. How can a learner procure his/her study material in case the parcel is not delivered?

Ans: In case of undelivered parcel of study material, the learner is required to pay Rs. 100/- (Rupees one hundred only) through online Credit Card/Debit Card/Net Banking for re-despatch of study material at his/her residence to the Material Distribution Unit, C/o CWC, Mohannagar, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh.

19. Is there any provision for correction in admission records?

Ans: Since the admission is 100% online, the learner is required to be careful while making entries in him/her application form. However, the correction will be done through e-service as per the Guidelines displayed on NIOS website.

20. Whether NIOS issues Duplicate Identity Card?

Ans: Yes, In case of loss of Identity Card, a duplicate Identity Card can be issued. For obtaining Duplicate Identity Card, first lodge an FIR with the concerned Police Station. Than apply online **through E-Service** and the learner may upload the copy of FIR and pay the fee of Rs. 100/- through online mode and second time for obtaining the duplicate Identity Card, the learner will have to pay the fee of Rs. 500/-.

21. Can a learner choose any subject combination?

Ans: Yes, a learner has the option to choose subjects of his/her choice from the list of subjects provided at NIOS website and Prospectus keeping in view the Pass Criteria and Certification Criteria, as also the requirement of other Boards/Universities for further education.

22. Whether a learner has the option to take vocational subjects along with academic courses at the Secondary and the Senior Secondary levels?

Ans: Yes, in order to make NIOS courses more meaningful, Vocational Education Courses are

व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी स्वतंत्र रूप से या शैक्षिक विषयों के साथ चलाए जाते हैं।

23. क्या भारत सरकार के जन सेवा केंद्र एनआईओएस के सहायता केंद्रों के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत हैं?

उत्तर : जी हाँ। एनआईओएस ने सीएससी ई–गवर्नेंस इंडिया ज्ञापन सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू के अंतर्गत देश भर के सभी जन सेवा केंद्र एनआईओएस के सहायता केंद्रों के रूप में वहाँ कार्य करेंगे जहां कोई भी भावी शिक्षार्थी निर्धारित दरों पर एनआईओएस की विभिन्न ऑनलाइन सुविधाएं ले सकते हैं।

शिक्षार्थी को इन दरों के अनुसार राशि का भुगतान करना होगा और यह राशि एनआईओएस के पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त होगी।

offered independently and also in combination with academic subjects at the Secondary and the Senior Secondary levels.

23. Are the Common Services Centres of the Government of India authorised to act as NIOS Facilitation Centres?

Ans: Yes, NIOS has entered into an MoU with CSC e-Governance India Ltd., Ministry of Information and Technology, Government of India. All the Common Services Centres throughout the country act as Facilitation Centres of NIOS where any prospective learner can avail various online facilities of NIOS at the prescribed rates.

The amount as per their rates is to be paid by the learner and will be in addition to the registration fee of NIOS.

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस)
शिक्षार्थी सहायता केन्द्र (एलएससी)

एनआईओएस का मानना है और वह आशा करता है कि शिक्षार्थियों को पढ़ाई के दौरान कोई समस्या न आए और उनकी कोई शिकायत न हो। फिर भी, एनआईओएस ने ई-मेल, अंत: क्रियात्मक स्वर-अनुबोधन प्रणाली (आईवीआरएस) और टोल फ्री नं. द्वारा शिक्षार्थी संबंधी विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए शिक्षार्थी सहायता केन्द्र की स्थापना की है। एनआईओएस के शिक्षार्थी सहायता सेवाओं (एलएससी) की संरचना की चित्रात्मक प्रस्तुति नीचे दी गई है :-

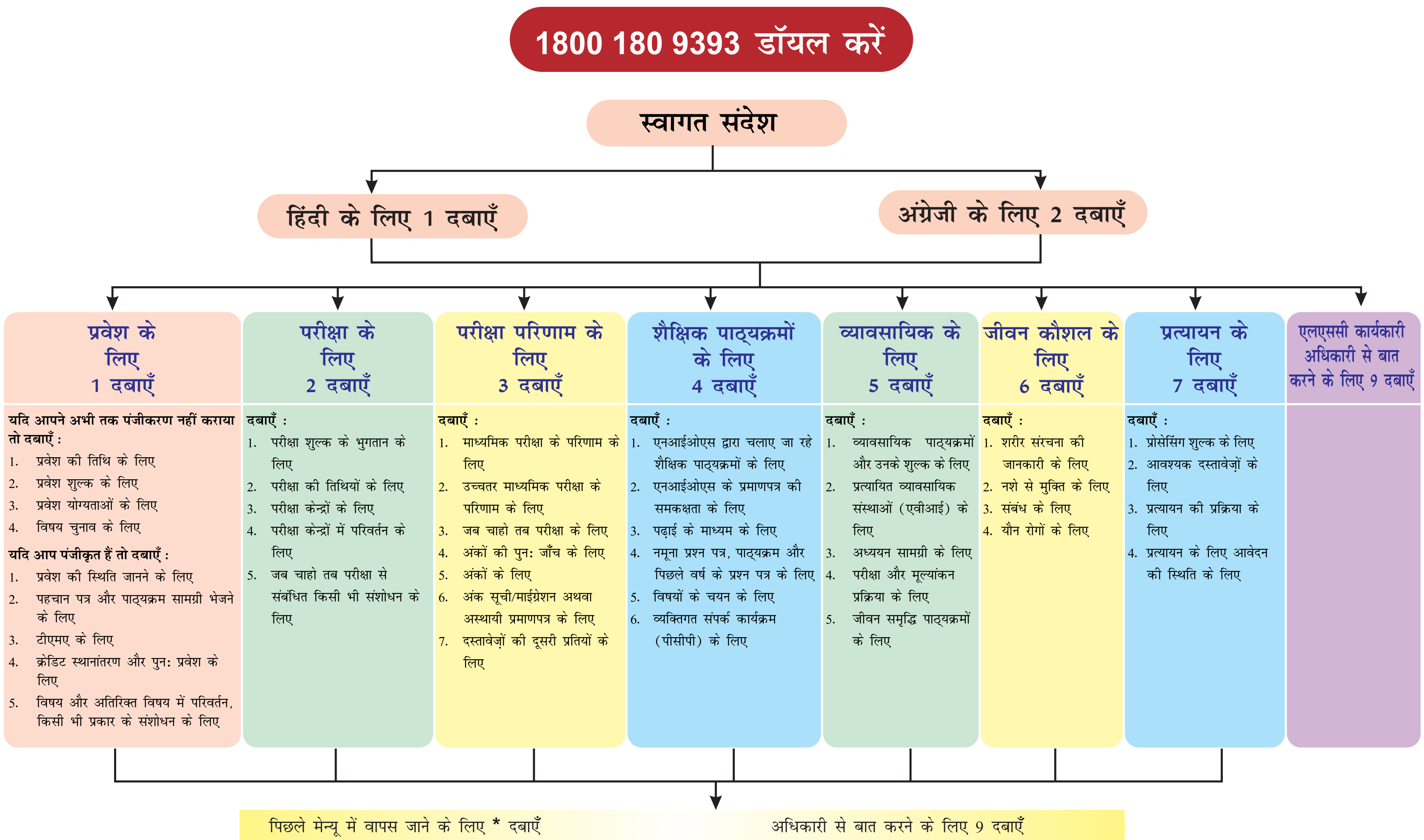

National Institute of Open Schooling (NIOS)

Learner Support Centre (LSC)

NIOS believes and hopes that learners do not face any problem and do not have any grievance while taking admission and during their studies. In this context, NIOS has established the Learner Support Centre (LSC) to redress learners related various issues through email, Interactive Voice Response System (IVRS) and Toll Free No. A diagrammatic presentation of the framework of the Learner Support Services (LSC) of NIOS is given below.

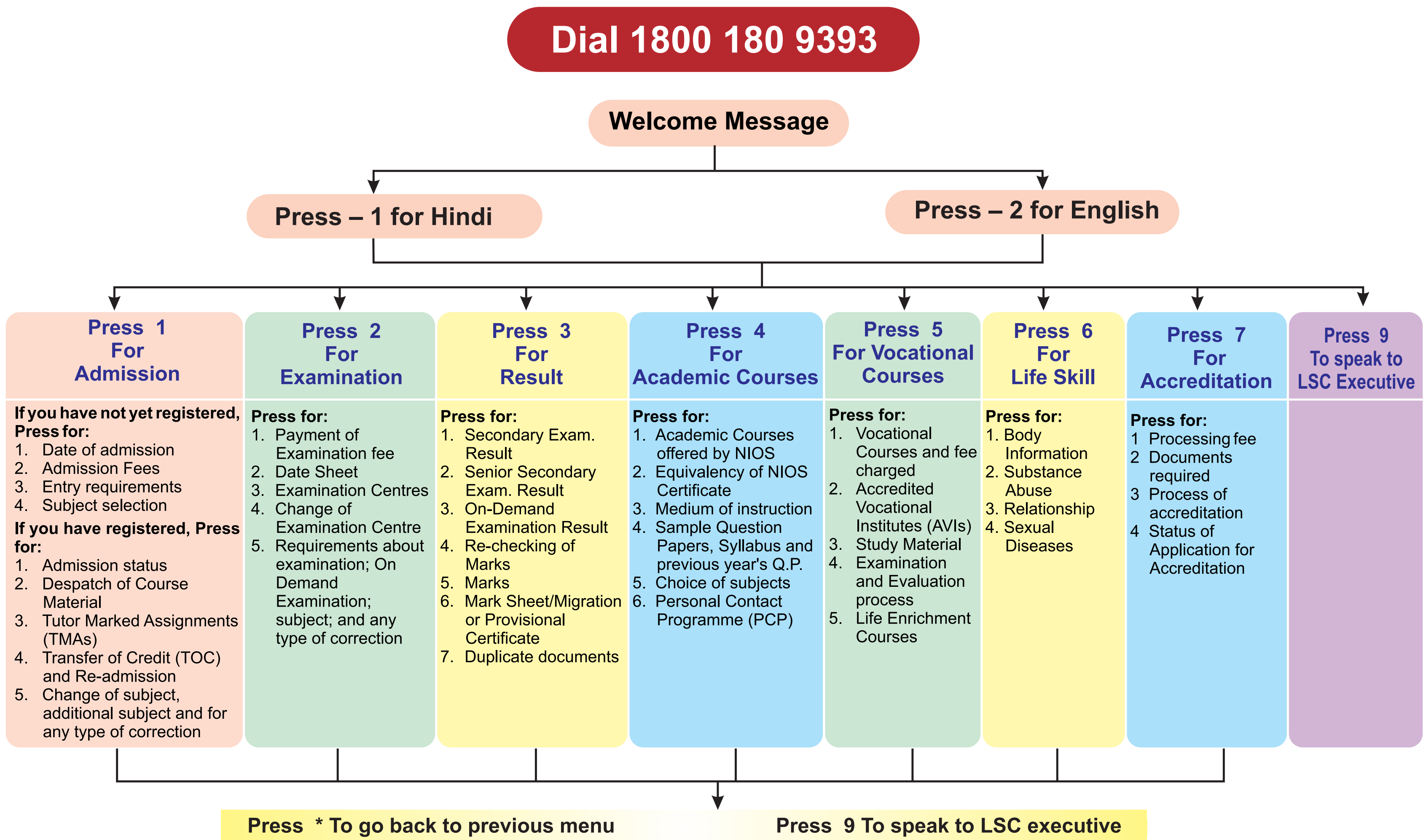

शिक्षार्थी की जिम्मेदारियाँ : एक नज़र में
Learner's Responsibilities : At a Glance

- **विवरणिका में दिए गए निर्देशों को ठीक से पढ़े** बिना आवेदन फॉर्म न भरें।
- आवेदन-फॉर्म में कोई भी **कॉलम खाली** न छोड़ें।
- **सहायक कागजात अपलोड किए** बिना प्रवेश के लिए आवेदन-फॉर्म जमा न करें।
- **ऐसी झूठी एजेंसियों के बहकावे में नहीं आएँ जो उत्तीर्ण कराने का झूठा वादा करती हैं।**
- क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) के लिए आवेदन करते हुए मूल अंक सूची संलग्न करना न भूलें।
- **ऑनलाइन प्रवेश तथा परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि किसी को न दें।**
- **उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए, माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष से दो वर्ष का अंतर अवश्य हो।**
- अपने अध्ययन केन्द्र में आयोजित होने वाली प्रत्येक विषय में व्यक्तिगत सम्पर्क कक्षाओं (पीसीपी) में अवश्य भाग लें जिन्हें सभी एआई (अध्ययन केंद्र) को अनिवार्य रूप से आयोजित कराना होता है।
- परीक्षा के दौरान नकल करने, अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति से परीक्षा दिलाने जैसे **अनुचित साधनों के उपयोग में लिप्त न हों।**
- कृपया नोट करें कि परीक्षा शुल्क भी केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किया जाएगा।
- एसएमएस अलर्ट्स के लिए अपनी कार्य कर रहीं **ई-मेल आईडी** और **मोबाइल नंबर** दें।

वर्ष 2026-27 में स्ट्रीम-1 के ब्लॉक-I और ब्लॉक-II में प्रवेश लेने वाला शिक्षार्थी पहली बार वर्ष 2027 में क्रमशः मार्च-अप्रैल और सितंबर-अक्तूबर में ही परीक्षा दे सकेंगे।

- Do not fill up the Online Application Form for Admission **without reading the instructions.**
- Do not leave any **column blank** in the Online Application Form for Admission.
- Do not submit Application Form for Admission without **uploading the supporting documents**. Please note that admission fee is to be sent online only.
- Do not get influenced by **unauthorized agencies** that **falsely guarantee success of learners.**
- Do not forget **to submit original Marksheet** while applying for Transfer of Credit (TOC).
- **Do not pay anyone extra amount for online admission and examination.**
- **The learner admitted to the Senior Secondary Course must ensure essential gap of two years from the year of passing the Secondary examination for the purpose of obtaining a certificate at the Senior Secondary level.**
- Do not miss the Personal Contact Programmes (PCPs) in each subject which AIs (Study Centres) have to provide on compulsory basis.
- **Do not indulge** in **unfair means** such as copying, impersonation etc., during examinations.
- Please note that Examination Fee is also required to be paid online only.
- Learner is required to provide valid **E-mail ID** and the **mobile number** for SMS alerts.

A learner seeking admission through Stream-1 in Block I and Block II in 2026-27 can appear first time only in March-April and September-October Examinations respectively in the year 2027.

शिक्षार्थी एनआईओएस के बारे में अधिकांश जानकारी, जिसकी अपनी पढ़ाई के दौरान उसे आवश्यकता हो सकती है, एनआईओएस वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
कृपया **www.nios.ac.in** पर लॉग ऑन करें।
जब भी शिक्षार्थी एनआईओएस अध्ययन केन्द्र अथवा संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र को पत्र लिखें, कृपया अपना नाम, अपनी नामांकन संख्या और अपना पूरा पता अवश्य लिखें।

Information about NIOS that the learner needs during the course of his/her studies is available on NIOS website.
Please log on at **www.nios.ac.in**
Whenever the learner communicates with NIOS Study Centre or the concerned Regional Centre, he/she should not forget to mention his/her reference number, name, enrolment number and complete address.

याद रखने योग्य महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

1. 2026-27 के प्रवेश के लिए ऑन लाइन आवेदन जमा करना

i) सभी शिक्षार्थियों (स्ट्रीम-1) के लिए ऑन लाइन प्रवेश

ब्लॉक-1	16 मार्च-31 जुलाई 2026	:	विलंब शुल्क के बिना
	1 अगस्त-15 अगस्त 2026	:	रु. 260/- के विलंब शुल्क के साथ
	16 अगस्त-31 अगस्त 2026	:	रु. 520/- के विलंब शुल्क के साथ
	1 सितंबर-15 सितंबर 2026	:	रु. 910/- के विलंब शुल्क के साथ
ब्लॉक-2	16 सितंबर 2026-31 जनवरी 2027	:	विलंब शुल्क के बिना
	1 फरवरी-15 फरवरी 2027	:	रु. 260/- के विलंब शुल्क के साथ
	16 फरवरी-28 फरवरी 2027	:	रु. 520/- के विलंब शुल्क के साथ
	1 मार्च-15 मार्च 2027	:	रु. 910/- के विलंब शुल्क के साथ

ii) अक्तूबर-नवंबर, 2026 परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक शिक्षार्थियों के लिए ऑन लाइन प्रवेश की तिथियाँ (स्ट्रीम-2)

➢ 01 मई, 2026 से 30 जून, 2026

iii) एनआईओएस की माध्यमिक स्तर की ऑन डिमांड परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑन लाइन प्रवेश (स्ट्रीम-3)

➢ वर्ष भर

iv) एनआईओएस की उच्चतर माध्यमिक स्तर की ऑन डिमांड परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑन लाइन प्रवेश (स्ट्रीम-4)

➢ वर्ष भर

2. सार्वजनिक परीक्षा के लिए पंजीकरण (केवल ऑनलाइन से निवेदन)

i) पहली सार्वजनिक परीक्षा (मार्च-अप्रैल परीक्षा) :

नए और पिछली परीक्षाओं में असफल शिक्षार्थियों के लिए

➢ 21 नवंबर से 20 दिसंबर (बिना विलंब शुल्क)

उन शिक्षार्थियों के लिए जो पिछली परीक्षा में असफल रहे हैं जैसे कि सितंबर-अक्तूबर की परीक्षाएं

➢ 1 दिसंबर से 20 दिसंबर (बिना विलंब शुल्क)

सभी शिक्षार्थियों के लिए

➢ 21 दिसंबर से 31 दिसंबर (रु. 150/- प्रति विषय विलंब शुल्क सहित)

➢ 1 जनवरी से 10 जनवरी (रु. 1600/- समेकित विलंब शुल्क सहित)

ii) द्वितीय सार्वजनिक परीक्षा (सितंबर-अक्तूबर परीक्षा) :

नए और पिछली परीक्षाओं में असफल शिक्षार्थियों के लिए

➢ 21 मई से 20 जून (बिना विलंब शुल्क)

उन शिक्षार्थियों के लिए जो पिछली परीक्षा में असफल रहे हैं जैसे कि मार्च-अप्रैल की परीक्षाएं

➢ 1 जून से 20 जून (बिना विलंब शुल्क)

सभी शिक्षार्थियों के लिए

➢ 21 जून से 30 जून (रु.150/- प्रति विषय विलंब शुल्क सहित)

➢ 1 जुलाई से 10 जुलाई (रु. 1600/- समेकित विलंब शुल्क सहित)

टिप्पणी : (I) ऑन-लाइन प्रवेश के अंतर्गत सार्वजनिक परीक्षा के लिए पंजीकरण केवल स्ट्रीम 2, 3 और 4 के अंतर्गत ऑन-लाइन प्रवेश के साथ ही हो सकेगा।

(ii) एनआईओएस को अधिकार है कि वह तिथियों में संशोधन, परिशोधन अथवा परिवर्तन करें और अधिसूचना दिए बगैर उन्हें लागू करें।

3. परीक्षा के परिणाम की घोषणा

अंतिम परीक्षा समाप्त होने के 6 से 7 सप्ताह के बाद। परिणाम संबंधित एआई और एनआईओएस वेबसाइट **www.nios.ac.in** पर उपलब्ध होंगे।

4. अतिरिक्त विषय के लिए/विषय परिवर्तन के लिए पंजीकरण

(I) मार्च-अप्रैल परीक्षा के लिए : 1 जुलाई से 15 नवंबर

(ii) सितंबर-अक्तूबर परीक्षा : 1 जनवरी से 15 मई

5. उत्तरपुस्तिकाओं की पुनः जाँच : परीक्षा परिणाम की घोषणा के 15 दिनों के भीतर

6. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उत्तरपुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन

परीक्षा परिणाम की घोषणा के 15 दिनों के भीतर

7. उत्तरपुस्तिकाओं की फोटोकॉपी : परीक्षा परिणाम की घोषणा के 15 दिनों के भीतर

टिप्पणी : सार्वजनिक परीक्षा के पंजीकरण से संबंधित तिथियों के संपूर्ण विवरण के लिए कृपया विवरणिका और एनआईओएस वेबसाइट **www.nios.ac.in** देखें।

Important Dates to Remember

1. Online Submission of Admission Form for 2026-27

i) Online Admission for all Learners (Stream-1)

Block-1	16th March - 31st July 2026	:	without late fee
	1st August - 15th August 2026	:	with late fee of Rs. 260/-
	16th August - 31st August 2026	:	with late fee of Rs. 520/-
	1st September - 15th September 2026	:	with late fee of Rs. 910/-
Block-2	16th September 2026 - 31st January 2027	:	without late fee
	1st February - 15th February 2027	:	with late fee of Rs. 260/-
	16th February - 28th February 2027	:	with late fee of Rs. 520/-
	1st March - 15th March 2027	:	with late fee of Rs. 910/-

ii) Online Admission for learners wanting to appear in September-October, 2026 Examination (Stream-2)

➢ 1st May, 2026 to 30th June, 2026

iii) Online Admission for learners wanting to appear under On Demand Examination system (ODES) of NIOS for Secondary Level (Stream-3)

➢ Throughout the year

iv) Online Admission for learners wanting to appear under On Demand Examination System (ODES) of NIOS for Sr. Secondary Level (Stream-4)

➢ Throughout the year

2. Registration for Public Examination (online submission only)

I) First Public Examination march-April Examination :

For fresh and unsuccessful learners of previous examinations

➢ 21st November to 20th December (Without late fee)

For learners who have been unsuccessful in the preceding examination i.e. September-October Exams.

➢ 1st December to 20th December (Without late fee)

For all learners

➢ 21st December to 31st December (With late fee of Rs. 150/- per subject)

➢ 1st January to 10th January (With consolidated late fee of Rs. 1600/-)

ii) Second Public Examination (September-October Examination):

For fresh and unsuccessful learners of previous examinations

➢ 21st May to 20th June (Without late fee)

For learners who have been unsuccessful in the preceding examination i.e. March-April Exams.

➢ 1st June to 20th June (Without late fee)

For all learners

➢ 21st June to 30th June (With late fee of Rs.150/- per subject)

➢ 1st July to 10th July (With consolidated late fee of Rs. 1600/-)

Note: (I) Registration for Public Examination for Online Admissions will only be along with Online admission under Streams-2, 3 & 4.

(ii) NIOS reserves the right to amend, modify or after the dates and bring them into effect through notification.

3. Declaration of Result of Examination

6 to 7 weeks after the last paper is over. Results are made available at the respective AIs as well as on the NIOS website**: www.nios.ac.in**

4. Change of Subject/Registration for Additional Subject

(i) For March-April Examination : 1st July to 15th November

(ii) For September-October Examination : 1st January to 15th May

5. Re-checking of Answer Scripts :

Within 15 days from the declaration of result of examination

6. Re-evaluation of Answer Scripts at Senior Secondary level

Within 15 days from the declaration of result of Examination

7. Photocopy of Answer Scripts

Within 15 days from the declaration of result of Examination

Note : For dates pertaining to registration for Public Examination over and above the said schedule, please refer to the Prospectus and visit NIOS Website: **www.nios.ac.in**

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

National Institute of Open Schooling

(An Autonomous Institution under Ministry of Education, Govt. of India)

A-24-25, Institutional Area, Sector-62, NOIDA-201309, U.P.

NIOSHQ @niostweet1 www.nios.ac.in

Learner Support Centre Toll Free No.: 1800 180 9393

सम्मानार्थ प्रति

COMPLIMENTARY COPY